खण्ड ६—अंक ३८
६ सितम्बर, १९५६ (गुरुवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

240 L.S./56

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से१५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में दूषित जल सम्भरण

†*१८१५. { +**श्री बंसल :**
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :
डा० रामा राव :
श्री कजरोल्कर : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली के कुछ स्थानों में दूषित जल का सम्भरण हो रहा है ; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) जहां पर साफ़ किए हुए पानी की व्यवस्था है वहां पर पानी दूषित नहीं है। अन्य स्थानों पर पीने के प्रयोजनों के लिये पानी को उबालना उचित है।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ४४**]

†**श्री बंसल :** यदि कहीं पर भी पानी दूषित नहीं है तो फिर पानी को उबालने का सुझाव क्यों दिया जा रहा है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** यह नहीं कहा गया है कि कहीं पर भी पानी दूषित नहीं है। जहां कहीं साफ़ किए हुए पानी की व्यवस्था है वहां पानी दूषित नहीं है।

†**श्री बंसल :** जिन स्थानों में साफ़ किए हुए पानी की व्यवस्था नहीं है उनके नाम क्या हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** माननीय सदस्य को दिए गए तथा लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में उन स्थानों के नाम दिए गए हैं जहां साफ़ किए हुये पानी की व्यवस्था नहीं है।

†**श्री बंसल :** क्या माननीय मंत्री को इस बात की सूचना दी गई थी कि किसी विशिष्ट नाली में कुछ टूट फूट के कारण जल सम्भरण का दूषण हुआ है ? यदि हां, तो पानी पहुंचाने वाली वह नाली साफ़ किए हुए पानी की थी या बिना साफ़ किए हुए पानी की ?

†मूल अंग्रेजी में

1—240 L. S./56

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** बस्ती ब्राह्मण, गबेषपुरा, मोती की मस्जिद और कोटला गांव में जिस नाली द्वारा साफ़ किए हुए पानी की व्यवस्था थी उसमें यह टूट फूट हुई थी। इस बात के मालूम होते ही इसे ठीक कर दिया गया था और अगले ही दिन स्थिति में सुधार हो गया था।

†**डा० रामा राव :** पीलिया रोग की जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि दक्षिण दिल्ली में चिरकाल से मल-कलुषित पानी मिल रहा है। क्या इस का उपचार किया गया है? दूसरे, मॉडल टाऊन उन स्थानों की सूची में है जहां कलुषित पानी मिलता है। इस बात का क्या कारण है कि जिसे मॉडल टाऊन कहा जाता है वहां पर साफ़ पानी नहीं मिलता है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** मुख्य जलाशय में कोई ख़राबी नहीं थी। वितरण-नाली में कुछ टूट फूट थी। उसे ठीक कर दिया गया था।

†**डा० रामा राव :** मैं टूट फूट की ओर निर्देश नहीं कर रहा हूं। पीलिया रोग जांच समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि दक्षिणी दिल्ली को सदैव कलुषित पानी ही मिलता है।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :** दिल्ली के लिये पर्याप्त जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाहियों की प्रकल्पना करने के लिये जो तदर्थ समिति नियुक्त की गई थी उसने न केवल जल सम्भरण में वृद्धि के लिये बल्कि दूषण को रोकने के लिये भी योजनाओं पर विचार किया था। नई कार्यवाहियां की गई हैं और वे इतनी विस्तृत हैं कि उनका यहां ब्यौरा बताना कठिन है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाती हूं कि दूषण का भय काफी सीमा तक कम हो गया है और मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही पूर्णतः समाप्त हो जाएगा।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या मैं उन क्षेत्रों के नाम जान सकता हूं जहां पानी उबालने की मंत्रणा दी गई ह ?

†**राजकुमारी अमृत कौर :** सभा-पटल पर रखे गए विवरण से आप देखेंगे कि जिन क्षेत्रों में लोगों को कुंओं, ट्यूब वैल, या हाथ के नलकों पर आश्रित रहना पड़ता है केवल वहीं पर, विशेषतया वर्षा ऋतु में, उन्हें अपना पानी उबालने की सलाह दी गई है।

†**श्री बंसल :** क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री को यह सूचना मिली है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में हाल ही में बच्चों में एक रोग फैला था जिसके फलस्वरूप उन्हें कई सप्ताह और मास तक तेज़ ज्वर हो जाता था, और क्या इस रोग का जल के दूषित सम्भरण से कोई संबंध है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर :** जल सम्भरण से इस का कोई संबंध नहीं है।

सहकारी बैंक

†***१८१६. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय ऋण सर्वेक्षण से संबंधित प्रतिवेदन में संचालन समिति के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं क्या वर्तमान राज्य सहकारी बैंकों का उनके अनुसार पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) उन राज्य सहकारी बैंकों के नाम क्या हैं जो इन सुझावों के अनुसार गठित नहीं हैं; और

(ग) अखिल भारतीय ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन की सिफ़ारिश संख्या ६६ में जो सुझाव दिया गया है, राज्य सहकारी बैंक किस सीमा तक उनका अनुसरण कर सके हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) कुछ राज्य सहकारी बैंकों को इस प्रकार पुर्नगठित किया गया है। उनके नाम भी मैं बताये देता हूं : आन्ध्र, बम्बई, मध्यप्रदेश, हैदराबाद, मध्यभारत, मैसूर , पैप्सू, भोपाल, कुर्ग और मनीपुर।

(ख)आसाम, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावनकोर-कोचीन, अजमेर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर के राज्य सहकारी बैंकों ने पुनर्गठन की दिशा में कुछ कार्यवाहियां की हैं परन्तु उन्हें पूरा नहीं किया है।

(ग) जैसा कि सिफ़ारिश में कहा गया है अधिकतर राज्य सहकारी बैंकों के निदेशकों के बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए गए व्यक्ति होते हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : जिन बैंकों ने संचालन समिति की सिफारिशों के अनुसार अभी तक पुनर्गठन संबंधी काय नहीं किया है उन सभी बैंकों से सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब का कारण पता लगाने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य और कृषिमंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : सिफ़ारिशों को केवल हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है। राज्यों को उन्हें कार्यान्वित करने में अभी कुछ और समय लगेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या केन्द्र का संगठन यह सुनिश्चित करने के लिये कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समिति की ये सभी सिफ़ारिशें कार्यान्वित की जाती है पूर्णत: शक्तिशाली है ?

†**श्री अ०प्र० जैन** : इसे केन्द्र में संगठित किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने निश्चय ही यह देखा होगा कि सहकारी विकास तथा भाण्डागार संबंधी केन्द्रीय बोर्ड स्थापित किया गया है। अब इस बोर्ड के लिये कर्मचारियों का चुनाव किया जा रहा है। अच्छे व्यक्तियों का मिलना सरल नहीं है। जितने भी अच्छे व्यक्ति मिलना सम्भव है हम उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। केन्द्र में यह संगठन स्थापित करने के लिये हम पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी तक इसे पूर्णत: गठित नहीं किया गया है।

†**डा० जय सूर्य** : क्या मैं जान सकता हूं कि ये सिफ़ारिशें कब से कार्यान्वित हुई हैं और क्या इस कार्यवाही के कारण ग़ैर-सरकारी बैंकों ने, जो ऋण, वे देते थे, उसे काफ़ी सीमा तक कम कर दिया है।

†**श्री अ०प्र० जैन** : ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के बाद से हम इसे कार्यान्वित करने के लिये कुछ कार्यवाही करते रहे हैं। जब से कृषि उपज विधेयक पारित हुआ है हमें उन सिफ़ारिशों को और तेज़ी से क्रियान्वित करने के लिये अब वैध सत्ता प्राप्त हो गई है। मुझे मालूम नहीं कि ग़ैर सरकारी बैंक क्या कर रहे हैं।

†**श्री अच्यूतन** : माननीय मंत्री ने प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में कहा था कि कुछ बैंकों द्वारा कुछ निदेशों पर विचार किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्होने सहकारी संस्थाओं तथा कृषकों को निर्गमित ऋणों पर ब्याज की दर में कमी करने की आवश्यकता की ओर पूर्व ध्यान दिया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी हां, कुछ सहकारी बैंकों ने अपनी ब्याज की दर कम करके ६$\frac{1}{4}$ प्रतिशत कर दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे संबन्धी प्राक्कलन समिति की सिफारिशें

+

†*१८१७. { श्री डाभी :
श्री खू० चं० सोधिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राक्कलन समिति के ३३ वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट विभिन्न सिफारिशों पर अब विचार कर चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो निम्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(i) छोटी लाईन को मीटर लाईन या बड़ी लाईन में, जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तन करने की विधि को शीघ्रता से पूरा करना;

(ii) यातायात के प्रवाह के अनुसार समतल पारणों के प्रतिरुपों में सुधार करना;

(iii) रेलवे मंत्रालय द्वारा विशिष्ट समस्याओं की जांच करने के लिये समय समय पर जो विभिन्न समितियां नियुक्त की जाती है उनकी सिफारिशों पर निर्णयों तथा क्रिया में कार्यसाधनता ; और

(iv) भारतीय रेलवे की गवेषणा संस्था तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच समन्वय बनाय रखना ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां):** (क) सभी सिफारिशों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई है परन्तु केवल ५ मदों के मामले में ही उन्हें अंतिम रूप दिया गया है।

(ख) (i) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ii) विभिन्न रेलवे प्रशासनों से पहिले ही यह कहा जा चुका है कि सभी 'ख' तथा 'ग' वर्ग के जो व्यक्ति द्वारा प्रबाधित समतल पारण फाटक १८' से कम चौड़े हैं उन्हें एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के आधार पर १८' तक चौड़ा किया जाय।

(iii) भावी मार्ग प्रदर्शन के लिये समिति के अवलोकनों को आलोकित कर लिया गया है।

(iv) समिति की तत्सबंधी सिफ़ारिश विचाराधीन है।

†**श्री डाभी :** सरकार का प्राक्कलन समिति के इस अवलोकन के संबंध में क्या विचार है कि रेलवे की छोटी पटरी की लाइनें ; मध्य रेलवे की छोटी लाइन को छोड़ कर सदा घाटे की ही लाईनें हैं ; और यह आवश्यक हो उन्हें मीटर लाईन या बड़ी लाईन में, जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तन करने की क्रिया में शीघ्रता करनी चाहिये ? इस प्रयोजन के लिये क्या सरकार का कोई आयोजित कार्यक्रम है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** छोटी पटरी की लाईनों के संबंध में इस सदन को सरकार की नीति भली भांति ज्ञात ही है। इन लाईनों को तीन वर्गों में बांटा गया है :

(क) मुख्यत: माल यातायात के लिये जो लाईनें है ; छोटी पटरी की लाईनों का यह वर्ग मामान्यतया अपना लाभ दे रहा है।

(ख) मुख्यत: सवारियों के यातायात के लिये जो लाईनें हैं, ये न्यूनाधिक घाटे की लाईनें हैं और जब इनका प्रतिस्थापन करना होगा तब इस बात पर विचार किया जायेगा कि क्या उन्हें प्रतिस्थापित किया जाये या त्याग दिया जाये।

(ग) पहाड़ी प्रदेश में लाईनें। इन्हें छेड़ने का प्रस्ताव नहीं है। ये बिल्कुल ठीक प्रकार से काम कर रही हैं। कुछ खंडों में इन लाईनों पर डीज़ल से चलने वाली गाड़ियों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री डाभी :** परिवर्तन के लिये क्या कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** हमने एक क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है परन्तु हमारे आवंटन में जो कमी की गई है उसे देखते हुए हमें उसे कम करना पड़ा है।

†**श्री खू० चं० सोधिया :** प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में रेलवे प्रशासन द्वारा कौन सी मुख्य समितियां नियुक्त की गई हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** रेलवे द्वारा बहुत सी समितियां नियुक्ति की गई थीं। यदि माननीय सदस्य पृथक प्रश्न पूछें तो मैं उन्हें सूची दे दूंगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** आय व्ययक सत्र में कुछ महिने हुए, यह कहा गया था कि वर्तमान छोटी पटरी की लाईनों में रेलवे द्वारा अगले उस वर्गों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सभा-सचिव ने भाग (ख) के अपने उत्तर में कहा है कि मामला विचाराधीन है। क्या मूल निर्णय पर पुनर्विचार किया जा रहा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मुझे याद नहीं है कि क्या मैंने निश्चित रूप से यह कहा हो कि अगले उस वर्षों की अवधि में छोटी पटरी की किसी भी लाईन को परिवर्तित नहीं किया जायेगा। सामान्य रूप से हमारे विचार में हमारे लिये बहुत सी छोटी पटरी की लाइनों में परिवर्तन करना संभव नहीं होगा परन्तु छोटी पटरी की लाईनों के संबंध में यह सुझाव विभिन्न है। उदाहरणार्थ ग़ैर सरकारी समवायों की रेलवे लाईनें हैं जो कि एक भी दिन के लिये काम में नहीं लाई जा सकती हैं। इन मामलों में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को यह सोचना होता है कि उन्हें किस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाय। कल्पना कीजिये कि वे काम करने योग्य नहीं हैं या समवाय परिसमापित कर दिये गये हैं तब भारत सरकार को यह सोचना होगा कि उस क्षेत्र में आवश्यक यातायात की व्यवस्था किस प्रकार की जाये। हो सकता है किसी विशिष्ट मामले में हम उस क्षेत्र में उस लाईन को अपने अधिकारों में लेने के स्थान पर एक नई लाईन का निर्माण करने का निर्णय करें। इसलिये इस मामले के संबंध में विभिन्न समस्यायें हैं और हमें यथाकदा स्थिति का पुनर्विलोकन करना होता है। परन्तु सामान्यतया, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत सी छोटी पटरी की लाईनों में परिवर्तन करना रेलवे के लिये भावी वर्षों में संभव न होगा।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** यदि मैंने सभा-सचिव को ठीक सुना है तो उन्होंने भाग (ख) (२) के उत्तर में यह कहा था कि रेलवे फाटकों के संबंध में प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिशों को भावी मार्ग-निर्देशन के लिये लिया गया है। क्या मंत्रालय का अभिप्राय यह है कि इस समय ऐसे कोई फाटक आदि नहीं है जो किसी प्रकार से असुविधायुक्त नहीं हैं या जो जीर्णावस्था में नहीं हैं और जिन्हें नवकृत नहीं किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** मेरे विचार में माननीय सदस्य ने मुझे ठीक प्रकार से नहीं सुना है। मैं फिर से पढ़ता हूं।

"(ख) (१) मामला अभी विचाराधीन है।

(२) विभिन्न रेलवे प्रशासनों से पहिले ही यह कहा जा चुका है कि सभी 'ख' तथा 'ग' वर्ग के जो व्यक्ति द्वारा प्रबन्धित समतल पारण फाटक १८' से कम चौड़े हैं उन्हें एक क्रमबद्ध के आधार पर १८' तक चौड़ा किया जाय।"

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि एन० ई० रेलवे में केवल क्रासिंगज़ बनाने के विषय में पब्लिक की सुविधा का ध्यान कम रखा जाता है, कहीं कहीं दो दो मील तक लेवल क्रासिंग नहीं है ? क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करेंगे कि एन० ई० रेलवे पर जहां बहुत दूर दूर पर लेवल क्रासिंग्ज़ हैं, वहां नये लेवल क्रासिंग बनाने का प्रबंध किया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** वहां के रेलवे लेवल क्रासिंग्ज़ के संबंध में माननीय सदस्य को ज्यादा पता होगा, लेकिन जिस लाईन पर मैंने दौरा किया है, उससे मेरा अन्दाज़ा है कि एन० ई० रेलवे पर लेवल क्रासिंग्ज़ ज्यादा हैं और काफ़ी अच्छी हालत में रखी जाती है। लेकिन जहां फ़ासला ज्यादा है, अगर माननीय सदस्य उधर ध्यान दिलायें, तो वहां के बारे में हम जरुर विचार करेंगे । लेकिन कठिनाई यह है कि वर्तमान लेवल क्रासिंग्ज़ को ठीक करने, मैन करने और वाइडन करने का काम नये रेलवे क्रासिंग्ज खोलने के मुकाबले में ज़रुरी हो गया है।

†**श्री डाभी :** क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार की प्राक्कलन समिति के इस आलोचना पर क्या प्रतिक्रिया है कि समिति ने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां विभिन्न समितियों की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने में अनुचित विलम्ब किया गया है और जहां इन समितियों की कुछ महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों को इस आधार पर बिल्कुल भी कार्यान्वित नहीं किया गया है कि उन समितियों के सदस्य विशेषज्ञ नहीं थे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** ऐसा हो सकता है कि कुछ समितियों की कुछ सिफ़ारिशों में विलम्ब हो गया हो और उन्हें अब तक कार्यान्वित न किया गया हो। परन्तु, हाल ही में मैंने कार्य-क्षमता विभाग से इस मामले पर विचार करने और यह देखने के लिये कहा है कि सभी महत्वपूर्ण समितियों की सिफ़ारिशों पर शीघ्र ही विचार किया जाय और यदि उन्हें स्वीकार किया जाता है, तो उन्हें कार्यान्वित किया जाय, मैं सभा को यह बता दूं कि हाल ही में हमें कुछ विस्तत तथा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं ; उदाहरणार्थ रेलवे भ्रष्टाचार-निरोधक जांच समिति और लगभग सभी सिफ़ारिशों को, कुछेक को छोड़ कर, स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें कार्यान्वित भी किया जा चुका है।

छोटा नागपुर में पानी की कमी

*१८१८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के, विशेषतया छोटा नागपुर के लोगों ने केन्द्रीय सरकार के पास इस संबंध में एक अभ्यावेदन भेजा है कि वहां पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिये कार्यवाही करे ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अभी तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) पानी की यह कमी कब तक दूर हो जायेगी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने छोटा नागपुर समेत सारे राज्य में कुएं खुदवाने, अधूरे कुओं को पूरा करने और नल-कूप लगाने के लिये ४४·०२ लाख रुपये मंजूर किये हैं।

राज्य सरकार द्वारा लोकल अफसरों (स्थानीय अधिकारियों) को उन इलाकों में, जहां गर्मी के दिनों में कुएं वगैरह सूख जाते हैं अधिक से अधिक कुओं, तालाबों आदि से गारा निकलवाने या उनको गहरा कराने के लिये ठोस कदम उठाने की भी हिदायतें दी गई थी।

(ग) आशा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक पानी की यह कमी काफी हद तक दूर हो जायेगी।

श्री विभूति मिश्र : जिन जगहों पर गरमी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है और जहां के लोग बहुत गरीब होने के कारण कुएं नहीं बना सकते, क्या केन्द्रीय सरकार ने आदेश दिया है कि वहां पर सरकार स्वतः अपनी तरफ से पैसा दे कर कुएं बनवा दे और पानी का प्रबन्ध कर दे ? अभी तक सरकार का यह नियम है कि जो लोग कूप बनाना चाहें, उन को एक-चौथाई या आधा पैसा देना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रान्तीय सरकारों को गावों के लिये जो रुपया दिया जाता है, वह बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है और केन्द्रीय सरकार उस पर कोई सूद नहीं लगाती है। जहां तक शहरों का सवाल है, वहां के लिये रुपया लोन के रुप में दिया जाता है।

श्री विभूति मिश्र : मंत्री जी ने मेरे भाव को नहीं समझा है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य हमेशा बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिये उनको कोई भी नहीं समझ सकता है। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछना चाहिये। वह इतना लंबा नहीं होना चाहिये। प्रश्न छोटा हो और एक ही प्रश्न हो।

श्री विभूति मिश्र : जहां पर कूप खोदे जाते हैं, वहां पर एक चौथाई या आधा पैसा वहां क लोगों को देना पड़ता है। उस क्षेत्र के लोग इतने गरीब हैं कि वे पैसा दे नहीं पाते। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऐसा इन्तजाम करेगी कि वह गरीब इलाकों में कुल रुपया अपनी तरफ से देकर कुए बनवा दे।

राजकुमारी अमृत कौर : केन्द्रीय सरकार पचास फ़ीसदी खर्चा देती है और बाकी का पचास फ़ीसदी खर्चा प्रांतीय सरकार को देना चाहिये। अगर गांव वाले नहीं दे सकते हैं, तो प्रांतीय सरकार देनी है।

श्री विभूति मिश्र : क्या हैल्थ मिनिस्टर (स्वास्थ्य मंत्री) महोदय ने स्वयं छोटा नागपुर और बिहार के दूसरे क्षेत्रों का दौरा करके यह देखा कि वहां पर ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि वह गांधीवादी हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी किस प्रकार है?

राजकुमारी अमृत कौर : प्रान्तीय सरकारें स्वतंत्र हैं, इसलिये हम उन के काम में दखल नहीं दे सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : लोग इस पहलू को भूल रहे हैं माननीय सदस्य स्थानीय विधान सभाओं की उपेक्षा करने की निरंतर गलती करते हैं। वे विधान सभायें क्या करती हैं? यदि उन्हें कुछ शिकायत हो तो वे वहां जाकर शिकायत कर सकते हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : हम ऐसा करते हैं लेकिन संथाल परगना और छोटा नागपुर में स्थिति सामान्य नहीं है। इसलिये हमारे विचार से इन क्षेत्रों की विशेष सहायता करना केन्द्र का दायित्व है।

रिक्शा चलाने वाले

†*१८१९. { **श्री राम कृष्ण** :+
श्री झूलन सिंह : }

क्या **श्रम** मंत्री १९ अप्रैल १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिक्शा चालकों के काम की शर्तों का नियंत्रण करने वाले आदर्श विनियम तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विनियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) राज्य सरकारों को परिचालित आदेश नियमों की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४५**]

†**श्री राम कृष्ण** : उक्त विनियम कब तक लागू हो जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : वे राज्य सरकारों को जुलाई मास में भेजे गये हैं। वे अपनी इच्छानुसार निर्णय कर सकते हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : रिक्शा चालन बन्द करने की दिशा में जिसके लिये सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा था, क्या प्रगति हो रही है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडू भाई देसाई)** : आदर्श विनियम इसी दृष्टि से बनायें गये हैं कि आदमी के द्वारा धीरे धीरे रिक्शा चालन बन्द हो जाय। उक्त उद्देश्य को सामने रख कर ही विनियम बनाये गये है तथा उन्हें राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है वे उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर लागू कर सकते हैं। मेरे विचार से वे यथाशीघ्र इन विनियमों को क्रियान्वित करेंगे।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने इस सुझाव पर विचार किया है कि यह जो रिक्शा चलाने की प्रथा है इसको समाप्त करके रिक्शा चलाने वालों की सहकारी समितियां बनायी जायें जो कि उनको ओटो रिक्शा खरीदने के लिये कर्जा दें, ताकि यह प्रथा समाप्त हो जाये और एक स्वस्थ प्रथा जारी हो सके ?

श्री अबिद अली : यह मामला तो स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) से सबंध रखता है। इस सबंध में कानफरेंस में जो चर्चा हुई थी वह उनको बता दी गई है और सूचनायें भी दे दी गयी हैं कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से यह प्रथा बन्द की जा सकती है। और स्टेट गवर्नमेंटस का यह खयाल है कि चूंकि यह चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बन्द होगी इसलिये जो लोग बेकार होंगे वे दूसरे कामों में खुद ब खुद लग जावेंगे।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो रिक्शायें बन्द की जा रही हैं इसके संबंध में रिक्शा चलाने वालों से भी दरियाफ्त कर लिया गया है या नहीं कि उनकी क्या इच्छा है कि वह रिक्शा चलाना बन्द करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि यह उनकी रोजी का सवाल है। यदि आप रिक्शा बन्द कर देंगे तो जो वह दो चार रुपया रोज कमाते हैं वह कैसे कमा पायेंगे........

अध्यक्ष महोदय : हां, माननीय सदस्य पांच मिनट और ले सकते हैं।

श्री आबिद अली : जी हां, मैं अर्ज कर रहा था कि इसका तो ख्याल है ही, लेकिन प्रजामत का यह ख्याल है कि रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता बन्द होनी चाहिये। पर चूंकि उनको नुकसान होता है इसलिये यह प्रथा तो जारी रखना उचित नहीं होगा।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : हाल में रिक्शाओं की संख्या बढ़ी है अथवा घटी है ?

श्री अबिद अली : ख्याल तो यह है कि पिछले वर्षों में कुछ ज्यादा हुआ है। अब इधर एक दो बर्ष में बढ़ा है या नहीं यह पता नहीं।

रेलवे संबन्धी तीन व्यक्तियों की स्थायी समिति

+
†*१८२०. { **श्री झूलन सिंह** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री १४ मार्च १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्य देशों में रेलवे संबंधी विकास कार्यों से सूचित रहने के लिये तीन व्यक्तियों की स्थायी समिति के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : अब तक समिति की पांच बैठकें हुई हैं जिनमें ३१ पत्रिकाओं के २१० अंकों के अध्ययन के पश्चात् ३५ विषय चुने गये हैं। उनमें से २४ विषयों को समिति द्वारा नहीं लिया जा सका क्योंकि वे या तो भारतीय स्थिति के उपयुक्त नहीं थे अथवा वे पहिले से ही रेलवे बोर्ड के विचाराधीन थे। अवशेष ११ विषयों के संबंध में जो कार्यवाही की गई है वह विवरण में दी गई है जिसे लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४६]**

†**श्री झूलन सिंह** : स्थायी समिति के प्रशासन के फलस्वरूप रेलवे के प्रशासन में कुल क्या सुधार हुए ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : समिति ने अपना कार्य अभी हाल में प्रारंभ किया है। और यह अनुमान लगाना कठिन है कि इस समिति के स्थापित होने के उपरांत क्या सुधार हुए है किन्तु हमारा विचार है कि यदि समिति अपना कार्य जारी रखेगी तो इससे रेलवे को बहुत लाभ होगा तथा यह रेलवे का सुधार करने के लिये नये तरीकों का पता लगाने में भी समर्थ होगी।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इस समिति ने विवरण के मद ३ में लिखित वस्तु यथा 'सरबों प्रोन' के उपयोग के प्रश्न के संबंध में मुख्य डिजाइन इंजीनियर से वार्ता की हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मद ३ एक नई वस्तु 'सरबो प्रोन'—जो आग का सामना कर सकता है और नहीं जलता है तथा इसलिये डिब्बों के निर्माण में उपयोग हो सकता है, के विकास के संबंध में है। इस सामग्री के उपयोग की व्यावहारिकता पर विचार करने के लिये मुख्य डिजाइन इंजीनियर (सी एन्ड डब्लू) का ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं आपको यह बता दूं कि इस समिति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों की पत्रिकाओं का अध्ययन करना है जिससे कि रेलवे विभाग में विचार-धारा आधुनिक विचारों के समकक्ष और अर्वाचीन रहे।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह अग्नि प्रतिरोधक वस्तु, जिसका उल्लेख मद ३ में किया गया है भारतीय रेलों के डिब्बों के निर्माण के काम में लाया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह प्रश्न विचाराधीन है। हमें कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे और यह देखना होगा कि क्या यह भारतीय रेलों द्वारा प्रयोग में लाने योग्य है। और यदि हमें यह ज्ञात होगा कि यह उपयुक्त है तो इसका प्रयोग शुरू कर दिया जायेगा।

†**श्री वेलायुधन** : कोई समिति अथवा शिष्ट मंडल जापान अथवा अन्य देशों में गये थे। वे लोग इन देशों, विशेषत: जापान से रेलवे के लिये कौन से नये विचार लायेंगे ? हम जपान से रेलवे के संबंध में कौन सी नयी टेकनीक सीखेंगे ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह प्रश्न तीन व्यक्तियों की स्थायी समिति से संबंध रखता है अत: यह जापान में गई हुई समिति से भिन्न है। यदि माननीय सदस्य उस समिति के संबंध में एक पृथक प्रश्न पूछेंगे तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

सोनपुर स्टेशन पर पैदल चलने का पुल

† *१८२१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री ९ मार्च १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सोनपुर रेलवे स्टेशन (उत्तर-पूर्व रेलवे) पर पैदल चलने के लिये ऊपरी पुल का निर्माण कब प्रारंभ होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-साचव (श्री शाहनवाज़ खां)** : सोनपुर स्टेशन पर पैदल चलने के लिये ऊपरी पुल का निर्माण, सोनपुर यार्ड, के पुल निर्माण के संबंध में जो कि इस समय विचाराधीन है, अंतिम रूप से निश्चय होने के बाद किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** १९५४ में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में सभा-सचिव ने कहा था कि पुल का निर्माण शीघ्र ही प्रारभ हो जायेगा। १९५५ के बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसका निर्माण बहुत शीघ्र किया जायेगा। अब यह कहने के क्या कारण ह कि उसका निर्माण सोनपुर यार्ड के अंतिम रुप से निश्चय किये जाने के बाद किया जायेगा।

†**श्री शाहनवाज खां :** इस विलम्ब का कारण यह है कि रेलवे प्रशासन एक बढ़िया प्रकार का पुल बनाना चाहता है पहिले बीच के प्लेटफार्म से दक्षिण की ओर एक उपर का पुल बनाने का विचार था। बाद को यह विचार बदल दिया गया और यह निश्चय किया गया कि सारे यार्ड के ऊपर, ऊपर का पुल बनाया जाय। अब हम काजीपुर और सोनपुर के बीच की लाइन को दुहरी कर रहे हैं। और गंडक नदी पर एक नया पुल बन रहा है। इसलिये अधिक यातायात की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिये सोनपुर यार्ड का पुन-निर्माण किया जायेगा। हमें आशा है कि हम अधिक अच्छा पुल बना सकेंगे।

पंडित द्वा०ना० तिवारी : हर साल सोनपुर के स्टेशन पर कुछ न कुछ बलिदान यार्ड को क्रास करने में हो जाते हैं। सोनपुर और हाजीपुर का पुल अपनी उम्र खत्म कर चुका है और यह संभव है कि उसके टूट जाने से कभी एक्सीडेंट हो जाये। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक वह पुल बन जायेगा और कब तक रिमाडलिंग हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : माननीय सदस्य ने जो कहा वह बात ठीक है और हमें उसकी चिन्ता है कि ऐसी घटनायें न हों। लेकिन जैसा कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने कहा मुकामाघाट ब्रिज की वजह से आपके सोनपुर का सारा यार्ड और सभी कुछ रिमाडिल होना है और यह काम बड़े पैमाने पर होना है। इसलिये जब तक कि उसकी पूरी प्लानिंग न हो जाये फुट ओवरब्रिज नहीं बन सकता। जैसा कि मैं ने कहा था प्लानिंग पूरी होते ही साल के भीतर काम शुरू हो जायेगा। मुझे इसका पूरा भरोसा है कि साल के अंदर काम शुरू हो जायेगा।

सैनीटरी इन्सपेक्टर पाठयक्रम, दिल्ली

†***१८२५. श्री गिडवानी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १७ जुलाई १९५६ को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' नई दिल्ली में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित हुआ है जिसका आशय यह था कि ओरिजनल रोड पर स्थित संस्था के सदृश्य सैनीटरी इन्सपेक्टर्स पाठ्यक्रम के लिये दिल्ली में एक जाली संस्था काम कर रही है और कच्छ सरकार ने कुछ युवकों को उस संस्था में प्रशिक्षण के लिये भेजा था जिन्होंने उसे सरकार को इस तथ्य की सूचना दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में ऐसी संस्थाओं का खोल जाने के रोकने के बारे में विचार करेगी ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां। एक व्यक्ति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने उस संस्था के मालिक के विरुद्ध वाद चलाया है।

†**श्री गिडवानी :** क्या कच्छ सरकार द्वारा इस जाली संस्था को भेजे गये विद्यार्थी दिल्ली में शिक्षा पा रहे हैं क्या अन्य राज्यों में से भी कोई विद्यार्थी इस संस्था में प्रविष्ट हुए हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** कच्छ से आये विद्यार्थी उक्त संस्था में शिक्षा नहीं पा रहे हैं।

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि उन्होंने इस संस्था में दाखिला क्यों लिया। संस्था में दाखिले की शर्तें क्या थी तथा क्या संस्था ने कुछ प्रलोभन दिये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** हमारे पास इस विशेष संस्था के संबंध में कई शिकायतें आई हैं । इसलिये दिल्ली राज्य सरकार से उक्त संस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी देने तथा एक प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है । मंत्रालय द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर जानकारी देना संभव हो सकेगा ?

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि दिल्ली में ऐसी कितनी संस्थायें हैं जिनमें चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा अन्य प्रकार की शिक्षा दी जाती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :** जहां तक चिकित्सा प्रशिक्षण का प्रश्न है ऐसी कोई संस्था नहीं है । लेकिन सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि सेनीटरी इन्सपेक्टरों के प्रशिक्षण के लिये दो संस्थायें खुली थीं ।

†**श्री कामत :** एक दिन यदि मुझे ठीक याद है तो शिक्षा मंत्री ने जाली संस्थाओं के संबंध में कुछ कहा था । आज हम जाली चिकित्सा संस्थाओं के संबंध में सुन रहे हैं । केन्द्रीय मंत्रियों की नाक के नीचे भारत की राजधानी में इस प्रकार की संस्थायें किस प्रकार चल रही हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर :** मंत्रालय जानकारी पाये बिना कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है । हम नहीं जानते कि ये संस्थायें किस प्रकार शुरु की गई है । वस्तुतः हमें नवम्बर १९५५ में ही यह सूचना मिली की एक इस प्रकार की संस्था खोली गई है और जब एक अन्य राज्य के मंत्री ने हमसे वहां विद्यार्थी भेजने के संबंध में पूछा तो हमने उनको न भेजने को कहा क्योंकि हम उसके संबंध में कुछ नहीं जानते थे ।

†**डा० रामा राव :** क्या कच्छ सरकार के अलावा अन्य किसी सरकार ने भी इस संस्था में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिये भेजा है क्या इस संस्था के किसी स्नातक को राज्य सरकार ने नौकरी में लिया है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर :** जहां तक मैं जानती हूं वहां के प्रशिक्षित किसी व्यक्ति को नौकरी में नहीं लिया गया है ।

†**श्रीमती अ० काले :** सरकार ने इस जाली संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर :** पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है । मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानती हूं ।

+ **बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां**

*१८२६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि फ्रांस की सरकार ने बिजली से चलने वाली रेल गाड़ियों के संबंध में भारत की सहायता करने के लिये एक विशेषज्ञ-दल भेजा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : जी हां ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन लोगों ने इनकवायरी (जांच) आरंभ कर दी है और अगर आरंभ कर दी है तो क्या इन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं कि बिजली से चलने वाली रेलगाडियों में क्या क्या इम्प्रूवमेंटस (सुधार) होने चाहियें ?

श्री शाहनवाज खां : इन्हों ने इनक्वारी करने का अपना काम खत्म कर लिया है और अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसके कि ऊपर गौर किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मात्तन :** क्या इस दल से, बिजली से चलने वाली गाड़ियों के निर्माण में सहायता देने को कहा गया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** इस दल का मुख्य उद्देश्य संकर्षण की विभिन्न प्रणालियों यथा ३००० वोल्टस डी० सी० और २५००० वोल्टस सायकल सिंगल फेज़ ए० सी० का अध्ययन करने के बाद प्रतिवेदन का प्रस्तुत करना था ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** भारत में यह दल किन निर्देशों तथा शर्तों पर आया और क्या भारत ने इस दल में कुछ राशि भी व्यय की है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** फ्रांसिसी दूतावास ने इस विशेषज्ञों की सेवायें नि:शुल्क देने की कृपा की है ।

†**श्री मात्तन :** क्या सरकार के पास बिजली के गाड़ी के इंजिन और डिब्बों के निर्माण के लिये कोई योजना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** हमने एक गैर सरकारी फर्म से कुछ डिब्बे बनाने को कहा था । हमने इस फर्म को कुछ आर्डर दिये हैं ।

†**श्री वेलायुधन :** क्या भारत में भी ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस प्रकार का सर्वेक्षण कर सकते हैं तब ऐसे विशेषज्ञ फ्रांस से क्यों बुलाये गये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हमारे पास इंजीनियर तो हैं । परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, हम रेलवे लाइनों पर अधिक से अधिक बिजली लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम कलकत्ता में एक बहुत बड़ी परियोजना प्रारंभ कर रहे हैं । अन्य विशेषज्ञों से परामर्श लेना हमेशा हितकारी है क्योंकि अभी तक हमारे पास इतने अधिक विशेषज्ञ नहीं हैं । जब भी आवश्यकता होती है, हम बाहर से कई विशेषज्ञ बुला लेते हैं और उनसे परामर्श लेते हैं । इस संबंधी में फ्रांसीसी राजदूतावास ने बड़ी कृपा करते हुये हमें नि:शुल्क सेवा प्रदान की हैं ।

†**श्री वेलायुधन :** परन्तु मेरी बात का तो उत्तर मिला ही नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बात का उत्तर दे दिया गया है । माननीय सदस्य को यह आशा नहीं करनी चाहिये कि मंत्री जी बिल्कुल उन्हीं शब्दों में उत्तर दें जिन में चाहते हैं । मंत्री जी ने कहा है कि कलकत्ता में एक बहुत बड़ी परियोजना है और संभव है कि यहां पर भी कई विशेषज्ञ हों । तो भी वे विदेशी विशेषज्ञों से अच्छी सम्मति या अनुपूरक सम्मति लेना चाहते हैं । इस मामले में, उस (फ्रांसीसी) सरकार ने कृपा करके बिना किसी शुल्क के ही अपने विशेषज्ञ यहां पर भेजे हैं । आप और क्या चाहते हैं ?

†**श्री वेलायुधन :** यही बात तो यहां पर पूछी गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अनावश्यक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा । यह बात तो सरलता से समझी जा सकती है । माननीय सदस्य ऐसा क्यों समझते हैं कि मंत्रालय व्यर्थ में ही विशेषज्ञ मगांता रहता है जब कि वे यही विद्यमान हैं ?

†**श्री वेलायुधन :** ऐसी बाते हमारे देश में हो रही हैं, जब कि हमारे अपने देश में उतने अधिक विशेषज्ञ हैं, हम व्यर्थ में ही इतना अधिक धन व्यर्थ गवां रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम हर बात में विशेषज्ञ हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लंबे रेशे वाली कपास

†*१८२९. { सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंबे रेशे वाली कपास की किस्म का विकास करने के लिये पंजाब सरकार को अनुदान या सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गयी है ;

(ख) किन किन तथा कितनी योजनाओं को वित्तीय सहायता दी गयी है ; और

(ग) इस दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) पंजाब में लंबे रेशे वाली कपास के प्रकार को सुधारने वाली योजना के लिये पहली अप्रैल, १९४८ से १२ वर्षों की अवधि के लिये ४,५१,२५८ रुपये आवंटित किये गये हैं। यह राशि उन १८,२३,३१० रुपयों की राशि के अतिरिक्त है, जोकि भारतीय केन्द्रीय कपास समिति द्वारा पंजाब में चल रही बढ़िया कपास संबंधी गवेषणात्मक योजना तथा बीजों कि वृद्धि तथा वितरण संबंधी योजनाओं पर खर्च की गयी है।

(ख) कपास की बढ़िया किस्मों को सुधारने के लिये तीन योजनायें हैं, जिनमें एक लंबे रेशे की रुई को सुधारना है तथा दो अन्य वढ़िया किस्म की कपास के बीजों की वृद्धि तथा वितरण की दो योजनाओं हैं जो कि इस समय पंजाब में चल रही है। उन योजनाओं के नाम ये है :

(१) गवेषणा योजनायें :

(१) पजाब में लंबे रेशे की कपास की उगाने की योजना ;

(२) पंजाब के दक्षिण पूर्वी जिलों में कपास को सुधारने की योजना ; और

(३) पंजाब के केन्द्रीय तथा अर्ध पर्वतीय ज़िलों में चलाये जाने योग्य अमरीकन कपास को उगाने की योजना।

(२) बीज वृद्धि तथा वितरण योजनायें :

(१) पंजाब राज्य के फीरोजपुर, लुधियाना, जालन्धर, तथा अमृतसर के ज़िलों में ३२० एफ अमरीकन कपास के बीज़ों की वृद्धि तथा वितरण की योजना ; और

(२) पूर्वी पंजाब के हरियाना क्षेत्र में २१६ एफ की वृद्धि तथा वितरण संबंधी योजना।

(ग) गवेषणा योजनाओं के अधीन किये गये कार्य के परिणामस्वरुप तीन प्रकार की उन्नत किस्में अर्थात २१६ एफ़, ३२० एफ़ तथा एच १४ उत्पन्न ई हैं और वे सामान्य रूप से उपजाने के लिये दे दी गयी हैं। और फिर इस समय चल रहा कार्य यह बताता है कि अभी और भी अधिक बढ़िया किस्मों की खोज करने की बढ़ी संभावना है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या लंबे रेशे की कपास की कमी को ध्यान में रखते हुये सरकार ने कोई विस्तार योजना बनायी है और क्या पंजाब प्रदेश में कोई गवेषणा योजना भी बनायी है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हम समझते हैं कि हमने जो प्रबन्ध किये हैं उनके द्वारा तथा लंबे रेशे की कपास के बारे में हम जो विस्तार योजना बना रहे हैं, उसके द्वारा उसकी मांग को पूर्ण रुपेण पूरा किया जा सकेगा।

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार लंबे रेशे की कपास की उपज के संबंध में सारे देश का कोई सर्वेक्षण प्रारंभ कर रही है, और यदि हां, तो क्या उसने पंजाब के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य को भी कोई अनुदान अथवा सहायता दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख :** हम सारे देश में लंबे रेशे वाली कपास की उपज की संभावनाओं से पूर्ण रूपेण परिचित है। कोई विशेष सर्वेक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो अधिक सिंचाई की है, और यदि सिचाई के साधन उपलब्ध हो जायें तो भारत के बहुत से उपजाऊ क्षेत्रों में कपास बहुत ज्यादा उपजाई जा सकती है। जहां भी इस प्रकार की संभावना होती है, हम लंबे रेशे की कपास को उपजाने के लिये सहायता देते हैं।

†**सरदार अ० सिं० सहगल :** भारत सरकार द्वारा लंबे रेशे की कपास की किस्म को उन्नत करने के लिये कितने स्थानों पर प्रयोग किये गये हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** भारतीय केन्द्रीय कपास समिति द्वारा सारे भारत में मद्रास तथा कर्णाटक से लेकर मध्य प्रदेश तथा पंजाब तथा अन्य राज्यों के कई क्षेत्रों में भी बहुत सी योजनायें प्रारंभ की गयी है।

†**श्री जांगड़े :** सरकार ने भारत की देसी तथा जरिला की किस्मों को उन्नत करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** नागपुर तथा अन्य स्थानों पर उपज केन्द्र हैं और वहां पर कार्य चल रहा है।

†**श्री राघवाचारी :** क्या दक्षिण की काली कपास मिट्टी में लघु-कालीन कपास का प्रयोग करने की कोई योजना है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** ये प्रयोग कई स्थानों पर चल रहे है।

†**श्री केलप्पन :** क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि रूस में सख्त लंबे रेशे की कपास की एक विशेष किस्म की उपज हो रही है, और यदि हां तो क्या सरकार उन बीजों को प्राप्त करके उनका भारत में प्रयोग करने का प्रयत्न करेगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र किस विशेष किस्म का उल्लेख कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी अमरीकन किस्में हैं जिनकी यहां पर उपज की जा रही है।

आसाम में टेकनिकल स्कूल

†***१८३०. श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आसाम में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिये एक प्रविधिक स्कूल प्रारंभ करने का विचार रखती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** जी हां। उत्तर पूर्वी रेलवे द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में आसाम में व्यापार प्रशिक्षणार्थियों को सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिये एक बुनियादी प्रशिक्षण वर्कशाप प्रारंभ करने का विचार रखती है।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा :** वह वर्कशाप किस स्थान पर प्रारंभ की जा रही है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** वह पांडू क्षेत्र में होगी।

†**श्री देवेद्रनाथ सर्मा** : क्या इस समय डिबरुगढ़ में चल रहा प्रशिक्षण स्कूल बन्द हो गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** मेरे विचारानुसार नहीं, परन्तु मैं इस बारे में पूछ ताछ करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में टेकनिकल स्कूलों की क्या संख्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न आसाम के संबंध में है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : पांडू क्षेत्र में प्रारंभ की जाने वाली इस संस्था में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह संस्था लगभग ३४०० प्रवीण शिल्पकारों को सेवायुक्त करेगी।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या प्रतिवर्ष।

†**श्री शाहनवाज खां** : सारे पाठयक्रम के दौरान में। प्रतिवर्ष ५६० व्यापार प्रशिक्षणार्थी लिये जायेंगे।

देवरिया-खड्डा गिस्वा लाईन

†*१८३२. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कासिया तथा पदरौना की ओर से देवारिया से खड्डा गिस्वा तक एक रेलवे लाइन तैयार करने के संबंध में सर्वेक्षण संबंधी कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : देवरिया तथा कुशीनगर की ओर से रूउरापुर से नाऊटानवा तक की एक परियोजना के लिये पूर्व-परीक्षण इंजिनियरिंग सर्वेक्षण तथा परिवहन अधिमूल्यन को चालू वर्ष के सर्वेक्षण कार्यक्रम में मंजूरी दे दी है। और उसे यथासंभव शीघ्रता से प्रारंभ कर दिया जायेगा। पदरौना और खड्डा गिस्वा को मिलाने वाली प्रस्थापना पर सोच विचार करने के लिये उसे नोट कर लिया गया है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : वास्तविक सर्वेक्षण कब प्रारंभ होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं समझता हूं कि वह अक्टूबर या नवम्बर में प्रारंभ होगी।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि गोपाल गंज से लेकर देवरिया तक रेलवे लाईन बनाई जाये ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अभी तक तो कोई ऐसी योजना नहीं है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस सर्वेक्षण को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

एक्सप्रेस मालगाड़ी सेवा

†*१८३३. { **श्री अच्युतन** +: **श्री खू० चं० सोधिया** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे विभाग की कोई ऐसी योजना है अथवा यह विभाग किसी ऐसी योजना पर विचार कर रहा है कि दक्षिण तथा पश्चिमी तट से केला, कटहल, अनानास, कच्चा नारियल आदि फलों के और उत्तर से सेब तथा अन्य फलों को लाने और ले जाने के लिये उत्तरी भारत के नगरों तथा दक्षिण और पश्चिमी तटवर्ती नगरों के बीच एक्सप्रैस माल गाड़ियां चलानी प्रारम्भ की जायें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : स्टेशनों पर परिवहन के लिये फल, अनानास, कच्चे नारियल आदि की इतनी अधिक मात्रा नहीं होती कि उनके लिये एक्सप्रैस माल गाड़ियां और विशेष कर इन थोड़ी सी वस्तुओं के लिये दक्षिण तथा पश्चिमी तट से उत्तर को और उत्तर से वापिस एक्सप्रैस माल गाड़ियां चलायी जायें, और न ही इस समय हमारे पास इस प्रकार की कोई प्रस्थापना है।

†**श्री अच्युतन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये फल अत्यन्त स्वादिष्ट तथा पोषक हैं, क्या मंत्रालय पश्चिमी तट तथा दक्षिणी भारत से उत्तर को जाने वाली एक्सप्रैस सवारी गाड़ियों के साथ ही कुछ डिब्बे लगाने के प्रश्न पर विचार करेंगे, ताकि वे फल यहां पर लाये जा सकें ? इससे दो लाभ होंगे : प्रथम तो यह कि इससे वहां के काश्तकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, और दूसरा यह कि इससे उत्तरी भारत वाले भी इस स्वादिष्ट प्राकृतिक खुराक को प्राप्त कर सकेंगे।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इस प्रकार के फलों का अधिकांश भाग एक्सप्रैस पार्सल गाडियों तथा अन्य सवारी गाड़ियों द्वारा लाया जाता है। और अतिरिक्त डिब्बे भी जब आवश्यकता होती है साथ लगा दिये जाते हैं ; अन्यथा उन्हें छोटे छोटे भागों में ब्रेक डिब्बों में रख दिया जाता है।

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री ने, कुछ समय पूर्व इस सभा में यह भय अभिव्यक्त किया था कि संभवत: रेलें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में बढ़ती हुई मांग को पुरा न कर सकेंगी। क्या अब उनकी आशंका, इस संबंध में अधिक गंभीर हो गयी है, और क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में माल परिवहन की बढ़ती हुई मात्रा के कारण गाड़ियों में यात्रियों के बैठने की जगह में कमी न हो जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जब मैंने वे शब्द कहे थे, उस समय से आज तक स्थिति में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है। उत्पादन बढ़ रहा है और संभवत: यात्री परिवहन भी बढ़ रहा है। इसलिये माल परिवहन तथा यात्री परिवहन के बीच में एक संतुलन सा उत्पन्न करना होगा। मैं इस संबंध में तो कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि यात्री परिवहन के लिये, जहां तक अधिक भीड़भाड़ का संबंध है, मैं अधिक सुविधायें दे सकूंगा। जहां तक माल परिवहन का संबंध है, हम यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं, और यदि हमें अधिक धन दिया जाये तो हम इस संबंध में बहुत कुछ कर सकेंगे।

†**श्री कामत** : क्या वह सन्तुलन यात्री परिवहन की अपेक्षा माल परिवहन के पक्ष में होगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरा विचार है ऐसा ही होगा।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : इस समय कितनी माल गाड़ियां चल रही हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : उसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

नौवहन

†***१८३४. श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री अपनी उस अपील के संबंध में, जो कि उन्होंने २८ नवम्बर, १९५५ को बम्बई में हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक में भारतीय जहाज स्वामियों से इस बारे में की थी कि वे तटवर्त्ती नौवहन में विद्यमान भारी कमी को पूर करने के लिये शीघ्र ही २५–३० जहाज खरीदें और जिसमें उन्होंने मंत्रालय द्वारा भी कोई जहाज खरीदने का प्रस्ताव रखा था यह बताने की कृपा करेंगे कि उस समय से (१) जहाज स्वामियों तथा (२) मंत्रालय द्वारा कितने जहाज खरीदे गये हैं और उनकी टन-भार क्षमता कितनी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : गत नवम्बर में जब से मंत्री जी ने अपील की है, भारतीय जहाज स्वामियों ने तटवर्ती व्यापार के लिये लगभग १९,००० कुल पंजीबद्ध टन भार के पांच जहाज खरीदे हैं और भारत सरकार ने भारत-अन्दमान व्यापार के लिये २२३८ कुल पंजीबद्ध टन भार का एक जहाज खरीदा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मात्तन :** अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण लगभग एक वर्ष पूर्व २५ से ३० तक जहाज मोल लेने की अपील की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इन जहाजों के मोल लेने में मंत्री महोदय द्वारा बताई गई क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** वास्तविक कठिनाइयां जहाजों के न मिलने की हैं। प्रथम, जब हम पुराने जहाज मोल लेना चाहते हैं तो मांगे गये मूल्य बहुत अधिक हैं, और द्वितीय यदि नये जहाजों के लिये आदेश दिये जाते हैं, तो जहाज देने की तारीख बहुत अधिक समय बाद की दी जाती है।

†**श्री मात्तन :** क्या मैं यह समझूं कि तीन से पांच वर्ष तक के काल में इन जहाजों का प्राप्त होना असम्भव है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** इस सभा में श्री मात्तन को प्रश्न करते और बातों का अत्यधिक निराशावादी दृष्टिकोण अपनाते देखकर कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है उन्हें इस विषय में बहुत दिलचस्पी है और, कदाचित् वह भली भांति जानते हैं कि जहाजों के निर्माण और सम्भरण में समय लगता है। मेरा अपना विचार ह कि हम अपने नौभार में पर्याप्त वृद्धि कर सकेंगे और कदाचित द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में आपने लक्ष्य से भी आगे बढ़ जायें।

†**श्री मात्तन :** क्या माननीय मंत्री ब्याज में कमी करने या अधिक धन का ऋण देने की दृष्टि से तटीय यातायात के लिये जहाजों के क्रयार्थ गैर-सरकारी क्षेत्र को ऋण देने की शर्तें थोडी और उदार बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यदि उन्होंने बम्बई में हाल में दिया हुआ मेरा भाषण पढ़ा होता तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि यह मामला आज तक विचाराधीन है।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** माननीय मंत्री ने हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति का आशाजनक चित्र प्रस्तुत किया है। इस आशाजनक चित्र की पूर्ति के लिए, अर्थात्, भविष्य हमारी अपनी नौवहन सेवायें होंगी, क्या क्या ढंग अपनाये गये हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** अपनाया गया ढंग सर्वथा स्पष्ट है। गैर-सरकारी समवाय और सरकार दोनों ही को उन जहाजों का निर्माण करने में मिलकर प्रयत्न करना होगा जिनसे हमारे वर्तमान नौभार में वृद्धि हो जायेगी। गर-सरकारी समवायों के पुराने या नये जहाज मोल लेने पड़ेंगे। हम अब तक दो निगम बना चुके हैं। पूर्ण नौवहन निगम कुछ समय से काम कर रहा है। पश्चिमी ौवहन निगम हाल में ही बनाया गया है। ये दोनों निगम नये जहाज मोल लेंगे और उन्हें विभिन्न मार्गों पर चलायेंगे।

ऋणों के संबंध में, निश्चय ही हमने गैर-सरकारी समवायों को दिये जाने वाले ऋणों की शर्तों को उदार बना दिया है। उन्होंने नीति के और अधिक उदारीकरण की प्रार्थना की है, और यह मामला सक्रिय रूप से हमारे विचाराधीन है। वित्त मंत्रालय से परामर्श करना होगा तथा हमें आशा है कि यथाशीघ्र कोई विनिश्चय कर लिया जायेगा।

†**श्री मुहीउद्दीन :** विशाखापटनम नावांगण में उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से, यह सुझाव दिया गया था कि नौवहन समवायों को एक से और निश्चित प्रकार के जहाजों के बारे में सहमत होना चाहिये क्या सरकार ने नौवहन समवायों से परामर्श करके कोई निष्कर्ष निकाल लिया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** इस बात पर कुछ परामर्श हुआ है और कुछ निश्चित स्तर निर्धारित किया गया है। साधारणतया, यह नौवहन समवायों पर छोड़ दिया गया है तथा यदि वे सरकार से परामर्श करना आवश्यक समझें तो वे ऐसा कर सकते हैं। ऐसे मामलों पर विचार करने के लिये जहाजों के मालिकों की परामर्शदात्री समिति की बैठकें होती हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस मामले के बारे में कोई कठिनाई नहीं ह। नौवहन समवाय साधारण रूप में बनाये गये निश्चित आधार पर क्रय करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री थानु पिल्ले :** माननीय मंत्री ने कहा था कि सरकार और सहायता देने पर विचार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुराने जहाजों के क्रय के लिये भी ऋण दिये जायेंगे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** दोनों के लिये। यह विनिश्चय करना उनका काम है कि वे पुराने जहाज मोल लेना चाहेंगे या नहीं।

†**श्री थानू पिल्ले :** मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार पुराने जहाजों के क्रय के लिये भी ऋण देगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जी हां, मैं ने यही कहा था।

†**डा० रामा राव :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिन जहाजों की अविलम्बनीय आवश्यकता है उन्हें प्राप्त करने में बहुत कठिनाई है, सरकार कोचीन में दूसरा नावांगण चालू करने के लिये तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं करती ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** इस मामले का प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन मंत्रालय से है। कदाचित्, माननीय सदस्य को विदित है कि केवल चार या पांच दिन पहले माननीय उत्पादन मंत्री ने इस सभा में कहा था कि वे दूसरा नावांगण स्थापित करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

ग्वालियर उज्जैन रेलवे लाइन

***१८३५. श्री राधेलाल व्यास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर-उज्जैन रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ;

(ख) किन-किन पथों का सर्वेक्षण किया गया है और प्रत्येक पथ पर कौन-कौन से महत्वपूर्ण नगर पड़ते हैं ; और

(ग) सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर रेलवे बोर्ड ने क्या निर्णय किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) :** (क) अभी नहीं।

(ख) रोठियाई, ब्यावरा और आगर होते हुए गुना से नागदा के रास्ते का सर्वे पूरा हो चुका है। गुना से बजरंगगढ़ होते हुए एक दूसरे रास्ते का सर्वे भी हो चुका है जो रोठियाई के आगे उस रास्ते से मिल जायेगा। गुना-नागद लाइन पर ये स्टेशन पड़ेंगे :—

रोठियाई, रघुगढ़, कुम्भराज, ब्यावरा, खुजनेर, आगर महिदपुर और नागदा

(ग) सवाल नहीं उठता।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रारम्भ में उज्जैन से ग्वालियर लाइन के लिये दो रास्तों का सर्वे करने की आज्ञा दी गई थी यानी एक तो मकसी तक, दूसरा आगर होकर उज्जैन तक। इस तीसरे मार्ग का सर्वे करने की, उन दोनों मार्गों को छोड़ कर, क्यों आज्ञा दी गई और दूसरे मार्गों के बारे में क्या हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : सर्वे करने में कोई हरज नहीं होता है। एक मार्ग का सर्वे करें, दो का करें या तीन का करें, यह फायदे की चीज ही होती है। किस मार्ग को अपनाया जाए, इसका फैसला बाद में किया जा सकता है।

श्री राधेलाल व्यास : मैं जानना चाहता हूं कि शाहजहांपुर, आगर से होकर जो सर्वे किया जा रहा है और उज्जैन तक भी जो सर्वे किया जायेगा, उसके बाद ही गुना से किस मार्ग से रेलवे लाइन ली जाए, इसका निर्णय किया जाएगा या सर्वे के पहले ही कोई निर्णय कर लिया गया है या कर लिया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शाहनवाज़ खां : बिलकुल ऐसा ही किया जाएगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी जो वैस्टर्न रेलवे के अन्दर डिविजंस बने हैं उन डिविजंस के अन्दर में एक मनमानी लाइन खींची गई ह। जब गुना से नागदा तक लाइन बनाना है तो क्या इस बात के ऊपर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन निर्णय पर पहूंच चुका है कि सिर्फ यही लाइन बनेगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि आनरेबल मिनिस्टर साहब फरमा चुके हैं, सर्वे हो रहा है। जब सर्वे हो चुकेगा और उसके ऊपर गौर मुकम्मिल हो जाएगा तभी कोई फैसला किया जाएगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि गुना से नागदा का सर्वे कब हुआ और किसी बजट के अन्दर इसका उल्लेख किया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां :** गुना से नागदा तक की लाइन का सर्वे पूर्ण हो गया था।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस लाइन का जो सर्वे किया गया है, उसके बारे में मध्य भारत की सरकार ने भी क्या कोई सिफारिश की थी या बिरला जी की तरफ से कोई लिखा पढ़ी की गई थी, कि इसका सर्वे किया जाए ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें तो जानकारी नहीं है। सर्वे पार्टीज जाती हैं और उनको ही पता होगा। हर आदमी को यह अख्तियार है कि वह सर्वे पार्टी के सामने आकर जिस तरह की चाहे रिप्रिजेंटेशन करे।

नागपुर में पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय

+

†*१८३६. { **मुल्ला आबदुल्ला भाई :**
श्री अमर सिंह डामर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये राज्य बनने के उपरान्त नागपुर में पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय ग्वालियर चला जायेगा ; और

(ख) ग्वालियर में कर्मचारियों के लिये क्या क्या सुविधायें प्राप्य हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप डाक व तार प्रदेशों के पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या योजना पर शीघ्र ही निर्णय किया जा सकता है, क्योंकि १ नवम्बर, १९५६ से हमारे नये राज्य बन जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर :** इसपर इतनी जल्दी निश्चय करना सभव नहीं है। हमें अनेकों बातों पर विचार करना होगा जिनमें डाक घरों, तार घरों की संख्या और कर्मचारियों के लिये रहने के क्वार्टर आदि भी सम्मिलित हैं। इस बारे में कोई अन्तिम निश्चय करने से पहिले हमें इन सब बातोंपर विचार करना होगा।

श्री अ० सि० सहगल : मैं जानना चाहता हूं कि पोस्ट मास्टर जनरल का जो दफ्तर है वह न मध्य प्रदेश में उसके किसी मध्य भाग में रखा जाएगा ?

श्री राज बहादुर : मैंने अभी कहा है कि यह सारा प्रश्न विचाराधीन है और अभी इसका फैसला नहीं हुआ है कि कार्यालय को कहां रखा जाए। कहां पर केन्द्रीय कार्यालय खोला जाए और कहां कहां सर्किल खोले जायें, इसका फैसला बहुत सी बातों को ध्यान में रख कर करना होता है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुल्ला अबदुल्लाभाई : क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी ने अभी हाल ही में यह कहा था कि पी० एम० जी० के दफ्तर को नागपुर से नहीं हटाया जाएगा ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह यह है कि इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा कि इसे नागपुर में रखा जाए या न रखा जाए, यदि रखा जाए तो कितना रखा जाए। नागपुर के विदर्भ एरिया को देखते हुए तथा दूसरे क्षेत्रों को देखते हुए वहां क्या कोई नया सर्किल बनाया जाए या न बनाया जाए, ये सब प्रश्न विचाराधीन हैं और मैं अभी यह नहीं कह सकता कि आखिरी फैसला हो गया है।

†**श्री अ० म० थामस :** क्या हम नई व्यवस्था में एक राज्य के लिए कम से कम एक सर्कल की आशा कर सकते हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं यह नहीं कह सकता कि हम एक राज्य के लिए एक सर्कल बना सकते हैं या नहीं। यदि एक प्रदेश के लिये राज्य बहुत बड़ा हों तो सम्भवत: हम उस राज्य के लिये दो प्रदेश भी बना सकते हैं।

†**श्री अ० म० थामस :** मैं न्यूनतम संख्या जानना चाहता था।

†**श्री राज बहादुर :** मैं यह भी नहीं कह सकता कि हम न्यूनतम कितने सर्कल रखेंगे। हो सकता है कि हम एक राज्य में दो सर्कल रखें और यह भी सम्भव है कि दो राज्यों के लिये एक सर्कल बनायें।

मुल्ला अबदुल्लाभाई : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह प्रश्न विचाराधीन है। क्या मैं जान सकता हूं माननीय मंत्री जी ने क्या यह नहीं कहा था कि किसी भी हालत में इसे वहां से हटाया नहीं जाएगा ?

श्री राज बहादुर : मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक मेरी जानकारी है, उसके अनुसार मैंने निवेदन कर दिया है। अगर आप मुझे समय दें तो मैं और सूचना प्राप्त करने के बाद आपको और कुछ बतला सकूंगा।

†**श्रीमती अ० काले :** इस दृष्टि से कि नया बम्बई राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय नागपुर में रखेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** इसी कारण तो मैंने एक राज्य में दो सर्कल रखने की सम्भावना को अपवर्जित नहीं किया है ; परन्तु आज मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

दिल्ली परिवहन सेवा

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २०. श्री भागवत झा आजाद :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुधवार (जन्माष्टमी पर्व) को दिल्ली परिवहन सेवा में भारी अस्तव्यस्त हो गयी थी तथा इसके परिणामस्वरूप लोगों को बहुत असुविधा हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) :** (क) २९ अगस्त १९५६ को दिल्ली परिवहन सेवा अनुसूचित बसों में से केवल ८२ बसें चला सकी। पर्व की छूट्टी होने के कारण इससे लोगों को कुछ असुविधा हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) छुट्टी के दिन काम करने के लिये अपनी शर्तों पर अतिरिक्त मजूरी को भुगतान की मांग पर जोर देने की दृष्टि से उस दिन बस चालक बहुत बड़ी संख्या में अनुपस्थित रहे थे।

(ग) यह बात तय हुई है कि विवाद मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजा जाये। मध्यस्थ निर्णय होने तक अनुशासन संबधी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** उस दिन कितने ड्राइवर और कंडक्टर अनुपस्थित थे? उन्होंने क्या कारण बताये थे और क्या सरकार उन कारणों से सहमत है?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** अनुपस्थित व्यक्तियों की ठीक संख्या बताने के लिये मैं पूर्वसूचना चाहता हूं। परन्तु जैसा कि मैं पहिले अपने उत्तर में कह चुका हूं, हम अनुसूचित बसों में से ८२ प्रतिशत बसें चला सके थे। कुछ लोग अनुपस्थित थे तथा हमें प्रवर्तन पुलिस की सहायता लेनी पड़ी।

†**भागवत झा आजाद :** जो लोग अनुपस्थित थे, क्या उल्होंने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र भेजा था और उन्हें छुट्टी नहीं दी गई थी या उन्होंने छुट्टी के लिये प्रार्थना पत्र भेजा था और अनुपस्थित रहे?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** स्वभावतः उन्होंने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दिए थे। वास्तव में, उन्होंने काम बन्द कर दिया था।

†**संसद्-कार्य मं ी (श्री सत्य नारायण सिंह) :** ऐसी छुट्टी जिसके लिये आवेदन पत्र नहीं दिया।

†**श्री साधन गुप्त :** मामला कैसे मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजा गया है? क्या यह प्रायः सदा की भांति किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण का मध्यस्थ निर्णय होगा या किसी और प्रकार का मध्यस्थ निर्णय होगा?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह परस्पर समझौते से होता है।

†**श्री साधन गुप्त :** मध्यस्थ कौन है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मध्यस्थ का विनिश्चय नहीं हुआ है; परन्तु दोनों पक्ष इस बात से सहमत हो गये हैं कि मध्यस्थ नियुक्त किया जाना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस प्रकार के संकट का सामना करने के लिये दिल्ली परिवहन सेवा प्राधिकार के पास कोई प्रबन्ध है, और यदि हां, तो वे प्रबन्ध क्या हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** साधारणतया हम यह आशा नहीं करते कि प्रायः ऐसा संकट उत्पन्न होगा, परन्तु हमने कुछ प्रबन्ध किया है। हमारी एक योजना है और हमें इसका और विकास करना होगा ताकि मामूली हड़ताल होने पर लोगों को असुविधा न हो।

†**श्री भागवत झा आजाद :** इस प्रैस समाचार में कितनी सत्यता है कि बहुत से काम करने वालों ने विभिन्न डिपों को जाने वाले मार्गों को बन्द कर दिया और अन्य काम करने वालों को प्रवेश न होने दिया तथा उन्हें छुट्टी के आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिये विवश किया?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मुझे विस्तृत बातों का पता नहीं है। परन्तु, मुझे वास्तव में खेद है कि बस सेवा के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार एकदम काम करना बन्द कर दिया। यह तो मैं समझ सकता हूं कि उनकी कुछ मांगें हों, परन्तु यह लगभग एक अनिवार्य सेवा है। वस्तुतः मैंने उन्हें एक संदेश भेजा है कि उनकी सारी मांगों पर विचार किया जायेगा तथा यदि वे उचित हैं तो यथासम्भव उन्हें स्वीकार किया जायेगा। परन्तु उन्हें सदैव ही बातचीत का मार्ग अपनाना चाहिये। हाल ही में हमने बातचीत से ही यह विनिश्चय किया है कि कुछ मामले मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नये चिकित्सा कालिज

†*१८२२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार नये चिकित्सा कालेज खोलने तथा विद्यमान कालेजों का विकास करने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार चिकित्सा स्कूलों में उपाधिपत्र पाठ्य चर्चा को ऊंचे स्तर की बनाने का है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार चल रहे चिकित्सा स्कूलों को मान्यता और सहायता देने का है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). चिकित्सा स्कूलों में उपाधि-पत्र पाठ्य चर्चा को ऊंचे स्तर की बनाने का कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। यदि किसी चिकित्सा स्कूल को कालिज बनाने के लिये वित्तीय सहायता की प्रार्थना की जाती है, तो उस पर उचित रूप से विचार किया जायेगा। किसी स्कूल को सरकार द्वारा मान्यता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यदि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३ के अन्तर्गत किसी चिकित्सा शिक्षा की मान्यता अभीष्ट है, तो शिक्षा देने वाले प्राधिकार को चाहिये कि वह इस प्रयोजन के लिये भारत सरकार के पास आवेदन पत्र भेजे।

गोदी श्रमिक जांच समिति

*१८२३. **श्री बाल्मीकी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गोदी श्रमिक जांच समिति की किन किन मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) उन सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) और (ख). एक विवरण लोक सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ४७**]

पुलिस अधिकारी का दुर्व्यवहार

†*१८२४. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के एक उच्च पुलिस अधिकारी ने सेलम पर शीतोष्ण-नियंत्रित डिब्बे में अन्य यात्रियों को नहीं बैठने दिया;

(ख) क्या यह भी सच है कि कथित पुलिस अधिकारी ने टिकट-परीक्षक और अन्य रेलवे कर्मचारियों को परिस्थिति में अन्तःक्षेप करने के लिये धमकी दी ; और

(ग) यदि हां तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां, २७-८-१९५५ को सेलम में नीलगिरि मद्रास एक्सप्रैस पर ऐसी एक घटना हुई थी।

(ख) पुलिस अधिकारी ने स्टेशन कर्मचारियों से उसे और उसके परिवार को रात में बेचैन किए जाने के लिये अप्रसाद प्रकट किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मामले की जांच पड़ताल की गई थी और यह पता लगा था कि अधिकारी इस भ्रम में था कि समूचा डिब्बा उसके और उसके परिवार के लिये रक्षित था।

अधिकारी को बता दिया गया कि उसके लिये अपने डिब्बे में अन्य यात्रियों को बैठने से मना करना उचित न था और मामले पर राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है।

कलकत्ता में भूमिगत परिवहन व्यवस्था

†*१८२७. **श्री नि० बि० चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने कलकत्ता नगर के किसी महत्वपूर्ण भाग में प्रस्तावित भूमिगत परिवहन व्यवस्था के बारे में भारत सरकार से परामर्श किया है ; और

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव पर सरकारी प्रतिक्रिया क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां।

(ख) नगरपालिका क्षेत्रों में भूमिगत रेलवे व्यवस्थापन भारतीय रेलवे के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। अतः पश्चिमी बंगाल सरकार को तदनुसार सलाह दी गई।

रेलवे कर्मचारीयों की डाक्टरी परीक्षा

*१८२८. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने मई-जून १९५५ की चीफ मेडिकल आफिसरों की मीटिंग में यह तय किया कि रियासती रेलों के जो १९५२ में विलय हुई हैं कर्मचारियों के संबंध में यदि वे दृष्टि-परीक्षा में फेल हो जायें चीफ मेडिकल आफिसर को यह अधिकार दिया जाये कि वह उनको योग्य घोषित कर सके ;

(ख) क्या यह भी सच है कि १९५२ से पहले रियासती रेलों के नियम सरकारी रेलों के नियमों के समान कठोर नहीं थे ; और

(ग) क्या इसके आधार पर कुछ गार्डों ने अपने अभ्यावेदन सी० एम० ओ० उत्तर रेलवे दिल्ली को दिये थे और उन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां। चीफ मेडिकल अफसरों को अधिकार दिया है भूतपूर्व रियासती रेलों के जो कर्मचारी निगाह की तेज़ी (visual acuity) और रंग के ज्ञान के निर्धारित स्तर से कम साबित हों उनकी फिर से जांच करें और सुरक्षा कार्यकुशलता को ध्यान में रख कर जहां जैसी स्थिति हो उसके अनुसार छट दें।

(ख) भूतपूर्व रियासती रेलों में एक से नियम नहीं थे क्योंकि हर रेलवे में अपनी जरूरता के मुताबिक नियम बनाये गये थे।

(ग) जी हां। इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

आसाम में जिया भराली नदी के उपर पुल

†*१८३१. **श्री का० प्र० त्रिपाठी :** क्या **परिवहन** मंत्री १६ अप्रैल १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १०५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तब से आसाम में जिया भराली नदी के ऊपर पुल के स्थान के संबंध में सहमति दे दी है।

(ख) यदि हां तो कहां ; और

---

†मल अंग्रेज़ी में

(ग) इस पर कितना व्यय होगा तथा उसका कितना अंश केन्द्रीय सरकार देगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) तथा (ख). जिया भराली नदी पर पुल बनाने के लिये सिलोनी दाम नाय घाट से दो मील नीचे एक स्थान चुना गया है।

(ग) विस्तृत प्राक्कलन अभी तैयार नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने ६० लाख रुपये का अनुदान देना स्वीकार किया है।

असैनिक उड्डयन कर्मचारियों के क्वार्टर

†*१८३७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ के तृतीय अखिल भारतीय सम्मेलन में बम्बई में भा ण देते हुए उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि असैनिक उड्डयन के क्वार्टर अन्य विभाग के कर्मचारियों को आवंटित नहीं किये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया जा रहा है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). व्यक्त किया गया दृष्टिकोण यह था कि यदि असैनिक उड्डयन निधियों में से असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाये गये थे तो अन्य विभाग के कर्मचारियों के लिये उन्हें आवंटित करना उचित नहीं था तथा इस प्रश्न पर अधिक विस्तार में जांच की जायेगी। व्यवहारत: कितने क्वार्टर बनवाये जायें इसका निर्णय करते समय हवाई अड्डे पर स्थित अन्य विभागों के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है और क्वार्टर सामान्यत: इकट्ठे बनाये जाते हैं तथा उनका आवंटन विभिन्न संबंधित विभागों में बहुत कुछ अनुपात के अनुसार किया जाता है।

मद्रास पत्तन में श्रमिक अशान्ति

†*१८३८. **श्री नम्बियार** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन के कोयला और अयस्क[1] श्रमिक ठेकेदारों तथा मजदूरों के बीच हस्ताक्षर किये गये करारों को मार्च १९५५ से ठेकेदारों ने नहीं माना है ;

(ख) क्या इससे वहां के श्रमिकों में अत्याधिक अशान्ति उत्पन्न हो गई है ;

(ग) क्या सरकार को मद्रास पत्तन मजदूर संघ का यह निर्णय विदित है कि यदि मजदूरों की न्यूनतम मांगें जिनमें मज़दूरी में वृद्धि भी सम्मिलित है, ३१ अगस्त, १९५६ तक स्वीकार न कर ली गईं तो वे प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे ; और

(घ) विवाद को आपस में तय करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) सरकार को बताया गया है कि कोयला नियोजक[2] संस्था, जिसने मद्रास मजदूर पत्तन संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं, करार के निबन्धनों को पूरा कर रही है। इस बारे में कोई जानकरी उपलब्ध नहीं है कि वे नियोजक जो संस्था के सदस्य नहीं हैं, उतनी ही मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं जितनी उक्त करार की शर्तों में मानी गई है।

(ख) मजदूरों में कुछ अशान्ति की सूचना मिली है।

(ग) मजदूर संघ ने सारे कोयला नियोजकों को नोटिस दे दिया है कि यदि, ३१ अगस्त १९५६ तक कुछ मांगें पूरी न की गईं, तो वह मजदूरों को उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये सलाह देने में स्वतन्त्र होगा।

(घ) समझा जाता है कि संघ और संस्था में शीघ्र ही में वार्ता होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Ore

[2]Employers

रेलवे मालगोदाम मजदूर सभा, मुगलसराय

†*१८३९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने मुगलसराय की रेलवे मालगोदाम मजदूर सभा के मंत्री को यह सम्मत्ति दी है कि चूंकि मजदूरी में कटौती करने के सम्बन्ध में उनके विवाद का निर्देश सरकार को कर दिया गया है, अतः वे हड़ताल न करें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विवाद को समाप्त करने अथवा जितनी कटौती उनकी मजदूरी में से की जा रही है उसे पूरा करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है। इस बीच प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कानपुर समझौते से निबटारा कराने के लिये और आगे प्रयत्न कर रहे हैं।

कलकत्ते के समीप सहायक पत्तन[1]

†*१८४०. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने १९५१-५२ कलकत्ते के समीप एक सहायक पत्तन का विकास करने की दृष्टि से ज्योनखाली का सर्वेक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

काम दिलाऊ दफ्तर

*१८४१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे देश के काम दिलाऊ दफ्तरों और उनके कर्मचारियों को १ अक्तूबर, १९५६ से विभिन्न राज्य सरकारों को सुपुर्द करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब से करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) तथा (ख). दिल्ली के सिवाय सभी स्थानों के काम दिलाऊ दफ्तरों की बाज़ाबता सुपुर्दगी १ नवम्बर, १९५६ तक कर दी जायगी।

सागर रेलवे स्टेशन

*१८४२. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री सागर रेलवे स्टेशन के बारे में १६ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२६ के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना में सम्मिलित दो निर्माण-कार्यों में जिनको १९५७–५८ तक पूरा करने का विचार है अनुमानतः कितना खर्च होगा;

(ख) क्या यह सच है कि सागर स्टेशन के प्लेटफार्म का फर्श जो दो साल पहले बनाया गया था, वर्षा के पानी से बहुत सी जगहों पर टूट गया है; और

(ग) क्या रेलवे प्रयोक्ता सुविधा समिति का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था कि फर्श की रक्षा के लिये और यात्रियों की सुविधा के लिये प्लेटफार्म के ऊपर छत का बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Part

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज ख़ां) : (क) से (ग). एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४८]**

देशी दवाओं सम्बन्धी समिति

†*१८४३. **श्री हेम राज :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १७ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देशी दवाओं पर दावे समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) उसने क्या मुख्य-मुख्य सिफारिशें की हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :** (क) अन्तिम प्रतिवेदन २८ अगस्त, १९५६ को प्राप्त हुआ था और उसका परिनिरीक्षण किया जा रहा है।

(ख) इन सिफारिशों सहित प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दियासलाई बनाने की लकड़ी की कृषि

†*१८४४. **श्री काजरोल्कर :** क्या **कृषि** मंत्री १६ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दियासलाई बनाने की लकड़ी की कृषि के सम्बन्ध में अब तक राज्यवार कितनी उन्नति की गई है; और

(ख) क्या दियासलाई बनाने वालों को ऐसी लकड़ी का सम्भरण कुटीर उद्योग के आधार पर करने के लिये कोई उपयुक्त प्रबन्ध किया गया है?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४९]**

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि कम से कम १५ वर्षों तक पेड़ कटने के लिये तैयार नहीं हो पाएंगे।

रेलवे आउट एजेंसियां

†*१८४५. **श्री च० रा० नरसिंहन् :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला सलेम में अब कितनी रेलवे आउट एजेंसियां कार्य कर रही हैं।

(ख) क्या उन स्थानों की एक सूची, जिनके अन्तर्गत जिलों में आउट-एजेंसी सुविधायें हैं, सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या जिले में किसी नये स्थान अथवा स्थानों ने इन सुविधाओं में विस्तार करने की इच्छा प्रकट की थी; और

(घ) इस मामले पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज ख़ां) :** (क) तीन।

(ख) और (घ). जी हां। एक सूची तथा एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबध संख्या ५० और ५१]**

(ग) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजखर्सवान-गुआ लाइन

†*१८४६. **श्री देवगम :** क्या **रेलवे** मंत्री २ मई, १९५६ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ज्ञात है कि राजखर्सवान-गुआ लाइन को दुहरी करने में लाइनों के प्रभावी ठेकेदारों ने रेलवे लाइन के किनारे की वे भूमियां जिन पर कृषि की गई है किसानों से ले ली हैं जो भू-अवाप्ति अधिनियम के अनुसार नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त कार्य करने में फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई हैं; और

(ग) क्या भूमियां प्राप्त की जायेंगी और भूमियों तथा नष्ट हुई फसलों के लिये उचित प्रतिकर दिया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) कार्य आरम्भ करने से पूर्व मालिकों से लिखित रूप में एक करार कर लिया गया था कि जब तक अवाप्ति कार्य-वाही अन्तिम रूप से पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी भूमियों पर रेलवे लाइन बिछा देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

(ख) फसलों की बिल्कुल हानि नहीं हुई क्योंकि कार्य आरम्भ करते समय वहां फसलें थी ही नहीं ।

(ग) भू-अवाप्ति[1] करने तथा प्रतिकर का भुगतान करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

भैंटी-भद्रन तथा सोजित्रा-ढोलका लाइनें

†*१८४७. **श्री डाभी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन सर्वेक्षणों को स्वीकार किया गया था उनमें भैंटी-भद्रन तथा सोजित्रा-ढोलका लाइनें सम्मिलित की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो १९५६–५७ के आयव्ययक में इन दोनों लाइनों के सर्वेक्षण के लिये राशि का उपबन्ध क्यों नहीं किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां ।

(ख) रेलवे के चालू वर्ष के आयव्ययक पर अगस्त में हुये पुनर्विचार पर १७,००० रुपयों की व्यवस्था की जा रही है ।

रेलवे मुद्रण प्रेस

†*१८४८. **श्री झूलन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मुद्रण प्रेसों की क्षमता उतना कार्य करने की नहीं है जितनी होनी चाहिये और इसलिये काम पूरा करने के लिये प्राइवेट प्रेसों को काम देना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान प्रेसों की क्षमता बढ़ाने और इस प्रकार काफी राशि बचाने के प्रश्न की जांच की गई है और क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां, रेलवे मुद्रण प्रेसों को यथासम्भव आत्मनिर्भर बनाने का निश्चय किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Acquisition of Land.

कृषकों के लिये मौसम समाचार

† १८४९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि आकाशवाणी से प्रसारित कृषकों के लिये मौसम समाचार से कृषक कुछ लाभ उठाते हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** कृषकों के लिये मौसम समाचार से किसान कहां तक लाभ उठाते हैं इसका कोई प्रणालीबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है । कुछ सामुदायिक परियोजना केन्द्रों से प्राप्त रिपोर्टों से, जिनके द्वारा कृषकों के लिये विशेष मौसम समाचार के प्रचार की योजना का न्वित की गई थी, यह पता लगता ह कि कृषि सम्बन्धी कार्यों का विनियमन करने में कृषकों के लिये सामान्यत: मौसम सम्बन्धी सूचना लाभदायक सिद्ध होती है ।

कृषि पदार्थों का मल्य

†*१८५०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार कृषि पदार्थों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ निकाय[1] स्थापित करने का विचार करती है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

रेलवे स्टीमर दुर्घटना

*१८५१. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ जुलाई १९५६ को पूर्वोत्तर रेलवे का समस्तीपुर नाम का एक स्टीमर दीघाघाट और पलेजा घाट के बीच, ज्यों ही वह चला था, डूब गया; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं और हताहतों की संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ ख़ां) : (क) पैडिल स्टीमर समस्तीपुर जब दीघाघाट (पटना) से आगे किनारे के पास लंगर डाल कर खड़ा था, १९-७-५६ को रात के लगभग ३ बज कर ३० मिनट पर डूब गया ।

(ख) यह दुर्घटना किस वजह से हुई, इसकी जांच की जा रही है । इसमें न कोई मरा और न घायल हुआ ।

टी० टी० ई०

*१८५२. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के निदेश के मुताबिक टी० टी० ई० के ६०-१५० रुपये के वेतनक्रम में सीधी भर्ती नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो कुछ गार्डों को, जो कि दृष्टि परीक्षा (विजन टेस्ट) में फेल हो गये थे, टी० टी० ई० के वेतनक्रम में लेने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ ख़ां) : (क) जी हां ।

(ख) डाक्टरी में फेल हो जाने पर जिन गार्डों को टी० टी० ई० बना कर रखा जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी सीधी भर्ती की गयी है । इसलिए, यह रेलवे बोर्ड की हिदायत के खिलाफ नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Body.

रेलों में निगरानी कार्य

†*१८५३. **श्री श्रीनारायण दास :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में निगरानी कार्य करने के संगठन की स्थापना का निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार का होगा तथा इसकी शक्ति कितनी होगी; और

(ग) इस संगठन का कार्य प्रारंभ कराने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५२**]

(ग) हाल में किये गये परिवर्तनों में से पहले से ही यह संगठन कार्य कर रहा है। अब इसकी शक्ति बढ़ा दी गई है।

मत्स्य पालन केंद्र

†*१८५४. **श्री नि० बि० चौधरी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार को उसी राज्य को मत्स्य पालन केन्द्रों के लिये, कुछ सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां।

(ख) ८० लाख 'सुखाई हुई मछली' उत्पादित करने की योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा कुल लाभांश का ५० प्रतिशत देते हुए ८००० रुपये का अनुदान दिया गया था।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जोरहाट

†*१८५५. **श्री का० प्र० त्रिपाठी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में जोरहाट की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है कि पहले नियोजक[1] सेवा की शर्तें ही दूसरा नियोजक भी दे ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) :** (क) जी हां।

(ख) इस संस्था के प्रशासन के राज्य सरकार को हस्तान्तरण के पश्चात् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कर्मचारियों के पद केन्द्रीय वेतनक्रम में नहीं रहेंगे।

(ग) छुट्टी तथा निवृत्ति वेतन आदि के सम्बन्ध में भारत सरकार के अन्तर्गत इन कर्मचारियों की सेवा को मान्यता देने के लिये तथा उनके वर्तमान वेतनों को, जिन मामलों में आवश्यक हो, को संरक्षण देने के लिये, राज्य सेवा में उनके वेतन का एक भाग व्यक्तिगत वेतन मानने के लिए राज्य सरकार सहमत हो गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Employer.

त्रिचूर में हवाईअड्डा

†*१८५६. **श्री अच्युतन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार त्रावनकोर-कोचीन राज्य में त्रिचूर में अथवा इसके निकट एक हवाईअड्डा बनाने पर विचार कर रही है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी नहीं ।

सुविधा देने वाली समिति

†*१८५७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा १९५४ में स्थापित सुविधा देने वाली समिति ने १९५५ तथा १९५६ में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ख) उनमें से कितनी लागू की जा चुकी हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण मैं सभा पटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५३**]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

†*१८५८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्य संचालन की जांच जिस उप-समिति ने की थी उसके प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) निगम के उचित कार्य संचालन के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) से (ग). कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्य संचालन की जांच के लिये सरकार ने कोई उप समिति नियुक्त नहीं की थी । यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थाई समिति द्वारा नियुक्त की गई थी तथा इसने समिति को दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं । उप समिति की सिफारिशों पर, जो चिकित्सा तथा धन सम्बन्धी सहायता तथा प्रशासनिक मामलों के सम्बन्ध में थी, निगम आवश्यक कार्य कर रहा है ।

हावड़ा में पुल कर

†*१८५९. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा में पौन्टून पुल बन जाने के पश्चात् हावड़ा स्टेशन से आने जाने वाले यात्रियों के टिकटों में पुल कर भी शामिल किया जाता था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अब भी लिया जा रहा है;

(ग) अब तक कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है; और

(घ) यह राशि किस प्रकार व्यय की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनबंध संख्या ५४**]

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक पर्यटन मंत्रणा समिति

*१८६०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन** मंत्री ३ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक पर्यटन मंत्रणा समिति के पुनर्गठन के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक समिति के नये पदाधिकारियों और सदस्यों के नामों और पदों का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में देरी के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(ग) और (घ). बहुत से राज्य सरकारों ने अभी तक राज्य-सलाहकार समितियों की स्थापना नहीं की है। प्रादेशिक यातायात समितियों की पुनः स्थापना तभी की जायेगी जब राज्य सलाहकार समितियां बन जायेंगी और वह अपने प्रतिनिधि चुन कर प्रादेशिक समितियों में भेज देंगी ।

नल कूपों से सिंचाई

†*१८६१. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकर पुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब तथा पेप्सू राज्य में 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अधीन नल कूपों से कितने भूमि क्षेत्र में सिंचाई की गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :**

प्रथम पंचवर्षीय योजना में

	एकड़
पंजाब में	३,७६,३०५
पेप्सू में	८३,३००

भारत की भूमि संरक्षण संस्था

†*१८६२. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २७ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत की भूमि संरक्षण संस्था की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक प्रति रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५५**]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भारत सरकार से सम्बन्धित सभी सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है। केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड इनमें से अधिकांश पर विचार कर रहा है। परन्तु कुछ सिफारिशें ऐसी हैं, जो कुछ समय पश्चात भी लागू की जा सकती हैं।

चीनी की प्रति व्यक्ति खपत

† **१८६३. श्री काजरोल्कर :** क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** १६ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली राज्य में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत में इतनी अधिक भिन्नता के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार चीनी के, उन स्थानों में जहां यह नहीं पहुंच रही है, उचित वितरण के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५६**]

चकिया-सिधवलिया लाइन

***१८६५. श्री वि ूति मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर रेलवे के चकिया-सिधवलिया स्टेशनों के बीच एक रेलवे लाइन बनाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो गण्डक नदी के ऊपर पुल कहां पर बनाया जायेगा; और

(ग) यातायात के लिये उपर्युक्त लाइन कब तक खुल जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ ख़ां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

होम्योपैथी के कालिज

†***१८६६. श्री स० चं० सामन्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि होम्योपैथी जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार भारत में आठ होम्योपैथी के कालिज चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके स्तर के जांच की है तथा विभिन्न राज्यों की राज्य फैक्लटियों ने उनमें से कितनों को मान्यता प्रदान की है; और

(ग) उनमें से कितनों ने स्तर उच्च बनाने के लिये तथा गवेषणा कार्य करने के लिये सहायता मांगी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) :** (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने उनके स्तर की जांच नहीं की है। पश्चिमी बंगाल की राज्य फैक्लटी ने तीन कालिजों को मान्यता दी है।

(ग) स्तर उच्च बनाने तथा गवेषणा के लिये आठ में से पांच ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है।

बिलासपुर रेलवे बस्ती

***१८६७. श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर बिलासपुर की रेलवे बस्ती की जनसंख्या १९५६ के सर्वेक्षण के आधार पर कितनी है और वहां हिन्दी के प्राथमिक स्कूल कितने हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : कुल आबादी १४,४०७ है जिसमें से ११,४२२ रेल-कर्मचारी और उनके परिवार के लोग हैं। इस बस्ती में हिन्दी के दो प्राइमरी स्कूल हैं।

आई० बी० कोयले की खाने, सम्भलपूर

†*१८६८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
डा० नटवर पांडे :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि १२ अगस्त, १९५६ को आई० बी० कोयले की खानों, सम्भलपुर (उड़ीसा) के सहायक सामान्य प्रबन्धक ने कर्मचारियों की भीड़ पर गोली चलाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो दुर्घटना से पूर्व विवाद को सुलझाने के लिये प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने क्या कार्यवाही की थी; और

(घ) कोयले की खानों के औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट के निर्णय को लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि मामले की जांच हो रही है।

(ग) समझौते की कार्यवाही की गई थी परन्तु कोई समझौता नहीं हो सका।

(घ) पंचाट लागू करने के सम्बन्ध में जिन अनियमितताओं की जानकारी हुई, उनको ठीक करने के लिये प्रादेशिक श्रम आयुक्त द्वारा प्रबन्धकों से कहा गया है।

किसानो के बैंक

***१८६९. श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २४ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों के बैंक की स्थापना के बारे में जो प्रस्ताव था, उसको रद्द करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और कृषि मत्री (श्री अ० प्र० जैन): रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशें, जो सरकार ने स्वीकार कर ली हैं, देहाती इलाकों में ऋण देने की सुविधाएं बढ़ाने के विषय में इतनी व्यापक हैं कि किसानों का बैंक स्थापन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

बिना टिकट यात्रा

†**१३६८. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राक्कलन समिति ने अपने छब्बीसवें प्रतिवेदन में बिना टिकट यात्रा के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की थीं, उनको अमल में लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : प्राक्कलन समिति ने अपने छब्बीसवें प्रतिवेदन में भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा के बारे में जो सिफारिशें की थीं, विभिन्न रेलों के वे काम रेलवे बोर्ड द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार ही हैं। इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की जा रही है, उसे और अधिक बढ़ाया जाने वाला है। विभिन्न रेलवे विभागों को जो अनुदेश दिये गये हैं उनमें एक यह है कि खंडीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियों तथा राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री परिषद् के सदस्यों के चाहने पर रेलवे कर्मचारी यात्रियों के टिकटों की जांच करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये डाक घर

†१३६९. **श्री राम कृष्ण :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक राज्य में कितने कितने डाकघर, तार घर और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले जायेंगे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर):**

डाक घर	लगभग	२०,०००
तार घर	लगभग	१,४१०
सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय	लगभग	१,२००

प्रत्येक प्रस्थापना पर अलग अलग विचार किया जाता है और इस तरह जांच हर वर्ष की जाती है । अतः राज्यवार आंकड़े बताना संभव नहीं है ।

ट्रंक एक्सचेंजों का विस्तार

†१३७०. **श्री राम कृष्ण :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ट्रंक एक्सचेंजों के विस्तार का कार्यक्रम तयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने-कितने एक्सचेंज स्थापित किये जायेंगे ?

†**सचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी हां, जहां तक कि स्थूल कार्यक्रम का सम्बन्ध है ।

(ख) देश के विभिन्न केन्द्रों में सब मिला कर लगभग ७०० ट्रंक एक्सचेंजों के स्विच बोर्डों के लगाने का विचार है । कितनी जगह मिलती है तथा कहां पर कितनी आवश्यकता है इन सब बातों के आधार पर ही विस्तृत योजना तैयार की जायगी और वह प्रत्येक मामले में कोई भी स्थापना करने के लगभग छः महीने पूर्व तैयार कर ली जायेगी ।

(ग) विस्तार कार्यक्रम केवल वर्तमान ट्रंक एक्सचेंजों से ही सम्बन्धित है और नये स्विच बोर्ड प्रत्येक राज्य के वर्तमान एक्सचेंजों में ही लगाये जायंगे ।

'अधिक अन्न उपजाओ' योजनायें

†१३७१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिये निधियों का आवंटन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये कितनी कितनी राशि स्वीकार की गई और दी गई ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५७**]

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलों की भिड़न्त

१३७२. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ जुलाई १९५६ को ४–१५ म० पू० पर गोरखपुर डिवीजन के सहजनवा स्टेशन पर ३१६ डाऊन जनता एक्सप्रेस मालगाड़ी के दो डिब्बों से टकरा गई जिसके परिणामस्वरूप दोनों डिब्बे गिर गये और इंजन के अगले दोनों पहिये टूट गये; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का विवरण क्या है तथा दुर्घटना के जिम्मेदार व्यक्ति को क्या दंड दिया गया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री क सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) और (ख). पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ क्षेत्र के गोण्डा-गोरखपुर मुख्य लाइन सेक्शन के सहजनवा स्टेशन पर नं० १ जी के जी अप माल गाड़ी की शंटिंग के समय उसके दो माल डिब्बे लुढ़क गये, जिनकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। ये डिब्बे स्टेशन के डाउन आउटर और होम सिगनल के बीच आकर रुके। १४–७–१९५६ को ४ बजकर १३ मिनट पर जिस समय नं० ३१६ डाउन जनता तेज सवारी गाड़ी सहजनवा स्टेशन यार्ड में आ रही थी, तो यह गाड़ी उन दो माल-डिब्बों से टकरा गयी। टक्कर लगन से दोनों माल-डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये। साथ ही गाड़ी के इंजन के दाहिनी ओर के पहिये भी पटरी से उतर गये। इंजन का कोई पहिया नहीं टूटा।

इस दुर्घटना के लिये जो कर्मचारी जिम्मेदार हैं उन्हें १४–७–१९५६ से †अत्तल कर दिया गया है और उनके विरुद्ध उपयुक्त अनशासन की कार्यवाही करने के विचार से उन पर चार्ज-शीट लगायी गयी है।

रेल दुर्घटना

१३७३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ जुलाई, १९५६ को पोकारन को जाने वाली सवारी गाड़ी मारवाड़ खारा और मारवाड़ भीतरी रेलवे स्टेशनों के बीच जोधपुर से ११० मील की दूरी पर पटरी से उतर गई; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या है और हताहतों की संख्या क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) १७–७–१९५६ को दिन में १० बज कर ४० मिनट पर जब १ जे० जे० पी० मिलीजुली गाड़ी उत्तर रेलवे के पोकरण-जोधपुर मीटर लाइन सेक्शन के मारवाड़ खारा और मारवाड़ भिथरी स्टेशनों के बीच जा रही थी, उसका इंजन और उसके साथ के तीन खाली माल-डिब्बे ९५।५–६ मील पर पटरी से उतर कर उलट गये।

(ख) गवर्नमेंट इन्सपेक्टर ने जांच के बाद जो अन्तरिम रिपोर्ट दी है उसके अनुसार गाड़ी का पटरी से उतरने का कारण यह है कि भारी वर्षा और बाढ़ के कारण उस मील पर लाइन कट गयी थी।

एक आदमी मर गया और दूसरे पांच आदमी घायल हुए।

मालगाड़ी का लूटा जाना

१३७४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ जुलाई, १९५६ को पुलिस को शोलापुर में दिन दहाड़े एक मालगाड़ी से चावल लूटने वाले गिरोह पर गोली चलानी पड़ी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो घटना का वास्तविक विवरण क्या ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) २३–७–५६ को शाम के लगभग ५ बजे २०–२५ आदमी शोलापुर मार्शलिंग यार्ड में घुस गये और एक माल डिब्बे को खोलकर उन्होंने दो बोरे चावल निकाल लिये। उस इलाके में गश्त लगाने वाले रेलवे पुलिस के सशस्त्र हैड कान्सटेबल ने उन चोरों को देखा और ललकारा। इस पर उन्होंने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और लोहे की पट्टियों से हमला करने की धमकी दी। इसलिए हैड कान्सटेबल ने उन आदमियों पर गोली चला दी। उनमें से हरीदास मांग गरोड़ी नामक एक आदमी को गोली लगी जो बाद में मर गया। यह आदमी शोलापुर की जरायम पेशा बस्ती का रहने वाला था। दूसरे चोर चावल के निकाले हुए बोरों को वहीं छोड़ कर भाग गये। शोलापुर रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा ३९५ के अधीन मामला दर्ज किया है।

पंचकुरा रेलवे स्टेशन

†**१३७५. श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे के पंचकुरा रेलवे स्टेशन पर तृतीय श्रेणी के यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक मुसाफिरखाना बनवाने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : यह विचार किया गया था कि चालू वित्तीय वर्ष में इस स्टेशन पर एक मुसाफिरखाना बनवाया जाये। हाबड़ा-खड़गपुर स्टेशन के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में इस स्टेशन के प्लेट फार्म और यार्ड में जो बड़े बड़े परिवर्तन किये जायंगे, उनके कारण योजनाओं के तैयार होने तक काम रोक दिया गया है।

केंद्रीय पर्यटन यातायात मंत्रणा समिति

†**१३७६. श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पर्यटक यातायात मंत्रणा समिति ने अपनी हाल ही की बैठक में जो संकल्प पास किये थे अथवा जो सिफारिशें की थीं, क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) केन्द्रीय पर्यटक यातायात मंत्रणा समिति की सिफारिशें अब भी विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मछली पकड़ने की नावें

†**१३७७. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़नेवाली यंत्रीकृत नावों को भारत में तैयार करने के प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो द्वितीय योजना काल में कौन कौन सी योजनाओं को पूरा किया जायेगा ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) इसका कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। परियोजना क्षेत्र में स्थापित किये गये नाव बनाने वाले यार्ड में भारत-नार्वे सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत मछली पकड़ने की चौबीस नावें बनाई गई हैं। कुछ गैर-सरकारी यार्डों में भी छोटी यंत्रीकृत नावें बनाई जा रही हैं। खाद्य और कृषि संगठन के नाविक शिल्प विशेषज्ञ ने, जो भारत में ढाई साल से काम कर रहा है, कुछ नई ढंग की नावों के नमूने तैयार किये हैं और इनसे प्रयोगात्मक रूप में मछली पकड़ने का काम करवाया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अभी तक कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। जब यंत्रों द्वारा मछलियों के पकड़ने का काम काफी बढ़ जायेगा, तभी नावें बनाने के काम में सहकारी समितियां सरकार की सहायता प्राप्त कर सकेंगी।

काजू के कारखाने

†१३७८. **श्री वें० प० नायर :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में त्रावनकोर-कोचीन राज्य के काजू के कारखानों ने कितने मजूरी बिलों का भुगतान किया; और

(ख) इसी समय में श्रमिकों को कितना लाभांश दिया गया ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) :** (क) काजू के पंजीबद्ध कारखानों के, जिन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में अपनी आय का ब्योरा पेश किया था, मजूरी बिल लगभग २,८३,४८,२३९ रुपये के थे।

(ख) इन कारखानों ने इसी अवधि में श्रमिकों को जितना लाभांश दिया, वह प्राप्त जानकारी के अनुसार १५,६३,५१९ रुपये है।

उदयपुर डिवीजन में सड़क का पुल

१३७९. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उदयपुर डिवीजन में १९४८ से अब तक राष्ट्रीय राजपथ पर कितने सड़क पुल बनाय गये और उन पर कितना धन खर्च हुआ;

(ख) कितने पुल और बनने वाले हैं, और उनके स्थान क्या हैं; और

(ग) उन पर कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). मांगी गई सूचना के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५८**]

राजस्थान में मीन क्षेत्र का विकास

१३८०. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मीठे पानी की मछलियों में राजस्थान के जय समुद्र झील की मछली सब से अच्छी मानी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या विशेषतायें हैं;

(ग) क्या इस मछली के बारे में अनुसन्धान किया गया है; और

(घ) नये बांधों में इस उद्योग को पनपाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और लोकसभा की टेबिल पर रख दी जायेगी।

मोकामा मे गंगा का पल

†१३८१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल में आई गंगा की बाढ़ के फलस्वरूप मोकामा में गंगा पुल के निर्माण कार्य को कुछ क्षति पहुंची है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : हाल की बाढ़ से कोई उल्लेखनीय क्षति नहीं हुई है। किनारे के बांध पर तेज हवा के कारण उ ी ऊंची लहरों के थपेड़ों से उत्तरी किनारे की बहाव के नीचे के ओर की नोक जगह जगह से कट कर ढह रही है। ४० मील प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलने वाली हवायें इस क्षेत्र में प्रायः चलती रहती हैं और इस प्रकार की घटनाओं के बाद हुई क्षति को शीघ्र ही ठीक कर दिया जाता है।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

१३८२. श्री बाल्मीकी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, १९५३, १९५४, १९५५ और १९५६ में कोयला खानों में कितनी दुर्घटनायें हुईं;

(ख) उनमें कितनी जानें गईं; और

(ग) कितना प्रतिकर दिया गया ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) (क) और (ख).

	दुर्घटनाओं की संख्या		मृत व्यक्तियों की संख्या
वर्ष	घातक	खतरनाक	
१९५३	२५७	२७४१	३३०
१९५४	२२१	२७४२	३२९
१९५५	२१५	२७८१	३०९
१९५६ (३१-७-५६ तक प्राविज़नल)	१०७	१४८१	१२३

(ग) सूचना जमा की जा रही है और सभा की मज पर रख दी जायेगी।

रेलवे सेवा

१३८३. श्री बाल्मीकी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की नौकरियों मे अनुसूचित जातियों के लिये निश्चित कोटा पूरा नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

रेलव तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तीसरे दर्जे की नौकरियों का कुल कोटा पूरा नहीं किया जा सका। चौथे दर्जे की नौकरियों का कोटा प्रायः पूरा है।

(ख) रेलवे सर्विस कमीशनों और रेल-प्रशासनों को खास तौर पर हिदायत कर दी गयी है कि वे इस बात का इत्मीनान कर लें कि आरक्षित कोटा पूरा हो जाय। रेलवे सर्विस कमीशनों को लिखा गया है कि अगर जरूरत हो तो अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का अलग से चुनाव करें। जनरल मैनेजरों से भी कहा गया है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि आरक्षित कोटे में कमी न होने पाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

तंबाकू

१३८४. **श्री बाल्मीकी :**
ठाकुर युगल किशोर सिंह :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री देवगम :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में तम्बाकू के उत्पादन में कितनी उन्नती हुई है; और

(ख) क्या उत्पादन में उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) पिछले दस वर्षों में भारत में तम्बाकू के उत्पादन का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनबंध संख्या ५९**]

(ख) जी नहीं।

रेलवे का स्वच्छता विभाग

१३८५. **श्री बाल्मीकी :** क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के स्वच्छता विभाग में रिश्वत के कई मामले हो चुके है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). कभी-कभी सफाई विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें आती हैं। उनकी जांच की जाती है और जब जरूरी जान पड़ता है, तो कार्रवाई की जाती है।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति

†१३८६. **श्री झूलन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति की निम्नलिखित सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है :

(एक) जिन मामलों में किसी अधिकारी की ईमानदारी पर सन्देह किया गया है उनके बारे में जांच करने की सिफारिश क्या है; और

(दो) रेलवे कर्मचारियों द्वारा गरीब और अनपढ़ गांववालों को परेशान किये जाने से संबंधित सिफारिश क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (एक) सरकार ने निश्चय किया है कि जब किसी पदाधिकारी की ईमानदारी पर सन्देह हो उस समय स्वयं उससे अपनी सम्पत्ति का पूरा विवरण देने को कहा जाये और विशेष पुलिस संस्थापन[1] सरीखा कोई स्वतंत्र अभिकरण[2] उसकी जांच करे। उसकी आस्तियों[3] उसकी जांच करने में उसके परिवार के सदस्यों की आस्तियां तथा उसके संबंधियों के संसाधनों की जांच की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार के लिये बदनाम हो चुका हो, उसे किसी उत्तरदायी पद पर नहीं रखा जाना चाहिये। आवश्यक कार्यवाही के लिये इन निर्णयों की ओर रेलवे प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Specail Police Establishment.

[2]Agency.

[3]Assets.

(दो) इसमें संभवत: प्रतिवेदन की ७४ वी कंडिका की ओर संकेत किया गया है जिसमें लालची कर्मचारियों का उल्लेख है। सिफारिश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये समिति के विचारों की ओर रेलवे का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

पंजाब में परिवार आयोजन केंद्र

†१३८७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पंजाब राज्य में परिवार आयोजन केन्द्र की स्थापना होने के बाद से अब तक कितने व्यक्तियों ने उनसे लाभ उठाया है; और

(ख) इस अवधि में उन पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :** (क) ३८५१ व्यक्ति।

(ख) २०,८०० रुपये।

श्री गंगानगर-जयपुर सीधी गाडी सेवा

१३८८. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **रेलवे** मंत्री १५ मई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही नहीं है कि श्रीगंगानगर और जयपुर के बीच एक सीधा सवारी का डिब्बा लगाने के लिये यात्री पर्याप्त संख्या में हैं, परन्तु उनको जो टिकट दिये जाते हैं वे श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ से राजगढ़ और राजगढ़ से लौहारू और लौहारू से जयपुर के होते हैं इस कारण टिकटों की संख्या के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वह सही नहीं हैं; और

(ख) क्या इस मामले पर फिर से विचार किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) श्रीगंगानगर और जयपुर के बीच रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों की औसत तादाद इतनी नहीं है कि इन दोनों स्टेशनों के बीच सीधा डिब्बा चलाया जा सके। जयपुर और श्रीगंगानगर के बीच सीधे टिकट जारी करने पर कोई पाबन्दी नहीं लगायी गयी है।

(ख) ऊपर जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए सवाल नहीं उठता।

चश्मों का बैंक

†१३८९. **श्री गिडवानी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस खबर की ओर आकृष्ट किया गया है कि बम्बई में चश्मों का एक बैंक खोला गया है जो नागरिकों के बेकार चश्मों को एकत्र कर विशषज्ञों द्वारा उनके नम्बरों का पता लगवाकर, उनसे खराब आंखों वाले ऐसे व्यक्तियों के लिये मुफ्त चश्मे बनवा देगा जो गरीब हैं और जिनको ऐसे चश्मों की आवश्यकता है; और

(ख) क्या सरकार भारत में अन्य स्थानों पर ऐसे बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहन देने वाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर):** (क) जी हां।

(ख) अन्य स्थानों पर चश्मों के शीशों के ऐसे बैंक खोलने को प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर सरकार ने अब तक विचार नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलों की भिड़न्त

१३९०. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ जुलाई, १९५६ को ३-१५ म० पू० पर बनारस कैंट स्टेशन पर गोरखपुर-इलाहाबाद एक्सप्रैस गाड़ी एक खडी मालगाड़ी से टकरा गई; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण है और हताहतों की संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) २४-७-५६ को रातके १२-३० बजे जब ३७३ अप सवारी गाड़ी बनारस कैंट म लाइन नं० २ पर आ रही थी तो वह नं० ९५४ डाउन एक्सप्रैस मालगाड़ी से टकरा गयी जो उस लाइन पर पहले से खड़ी थी।

(ख) इस दुर्घटना का कारण यह था कि ३७३ अप सवारी गाड़ी को जिसे लाइन नं० १ पर लेना था गलत कांटे लगा कर लाइन नं० २ पर लिया गया।

न कोई मरा और न किसी को गहरी चोटें आईं। एक आदमी को कुछ मामूली चोट आयी।

टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारी

†**१३९१. चौ० रघुबीर सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री ६ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तब से वरीयता के आधार पर पदोन्नति करने के बारे में मध्य रेलवे झांसी डिवीजन के टिकट कलेक्टरों और गाड़ियों में टिकटों का निरीक्षण करने वालों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर कोई निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां):** इस मामले पर ब्योरे-वार विचार की आवश्यकता है और यह इस समय भी विचाराधीन है।

रायगादा में रेलवे स्कूल

†**१३९२. श्री संगण्णा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे महाखंड के रायगादा रेलवे स्टेशन के रेलवे लीमेण्टरी स्कूल में उड़िया विभाग नहीं खोला गया है यद्यपि बहुत से उड़िया लड़कों और लड़कियों के माता-पिता और अभिभावकों ने उड़िया विभाग खोलने के लिए आवेदन पत्र दिया था और प्रबन्धक समिति ने तीतलागढ़ में इसका अनुमोदन भी कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया रही ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी नहीं। राय-गादा के स्कूलों के उपनिरीक्षक ने रायगादा रेलवे प्राइमरी स्कूल में उड़िया विभाग खोलने के लिये दक्षिण पूर्व रेलवे को लिखा है।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलव प्रशासन द्वारा मामले की जांच हो रही है।

रेलवे गैंग मेन

†**१३९३. श्री साधन गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कमचारियों या किसी ट्रेड यूनियन द्वारा दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्र जिलों में रेलवे गैंग मेनों की भरती के संबंध में भ्रष्टाचार का कोई मामला रेलवे प्राधिकारियों के सामने लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख). कोई ऐसा विशेष मामला जिसे सिद्ध किया जा सके, रेलवे प्राधिकारियों के सामने नहीं आया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रेन एक्जामिनर

†१३९४. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोग ने १९५२ में कोई प्रतियोगिता परीक्षा ली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त परीक्षा के आधार पर चुने गये शिशिक्षुओं को अब तक नौकरी में स्थायी बना दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनका वेतन-क्रम क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ ख़ां)** : (क) जी हां।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे

†१३९५. **श्री मादिया गौडा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे ने विलय के समय पर भारत सरकार को कितनी रक्षित निधि, अवक्षण निधि और अन्य नकद राशियां दीं; और

(ख) उस राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ ख़ां)** : (क) रक्षित निधि—कुछ नहीं।

अवयक्षण निधि— कुछ नहीं।

नकद शेष ९,२४,१३८/५ रुपये।

(ख) नकद शेष विलय के बाद वास्तव में भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे के ही पास रहा और उसका उपयोग उसी रेलवे के लिये उसी रेलवे द्वारा १-४-१९५० से किया गया।

लोको रिपेयरिंग शॉप, गौहाटी

†१३९६. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अतिवयस्कता, मृत्यु या अन्य कारणों से गौहाटी लोको रिपेयरिंग शाप में होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति स्थानीय लोगों को लेकर नहीं की जाती; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ ख़ां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे वर्क शॉप, डिब्रूगढ़

†१३९७. **श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्रूगढ़ रेलवे वर्कशाप के शिशिक्षु स्कूल को बन्द किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ ख़ां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में गैर-सरकारी बस्तियां

†१३९८. **श्री भीखा भाई :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि नये मकानों के बनवाने के लिये दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार ने दिल्ली की गैर सरकारी बस्तियों के नकशे का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, क्या उपर्युक्त प्राधिकार ने त्रिलोकी कालोनी के नकशे का भी अनुमोदन कर दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :** (क) दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार ने भूमि सुधार या भवन निर्माण के केवल उन्हीं नक्शों का अनुमोदन किया है जो उपयुक्त प्राधिकार द्वारा नियत किये गये प्रमाण के अनुकूल हैं।

(ख) इसका अनुमोदन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि प्राधिकार के पास जो नकशा भेजा गया है उसमें स्कूलों तथा खुले पार्कों के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था नहीं है।

संत्रागाची में मालगाड़ी के डिब्बों का कारखाना

†१३९९. **श्री नि० बि० चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के हावड़ा जिले में संत्रागाची में मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का एक कारखाना खोलने की प्रस्थापना का अन्तिम निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख). एक व्यापारिक संस्था को जिसने संत्रागाची में मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का एक कारखाना खोलने के लिये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा रेलवे उपकरण समिति के पास अपनी प्रस्थापनायें भेजी थीं एक परीक्षात्मक आर्डर देने के लिये चुन लिया गया है। इस संस्था को १,००० डिब्बे वार्षिक की क्षमता का विकास करने की अनुमति दे दी गई ह।

निरमाली तथा प्लेज़ाघाट के बीच गाड़ीयां

†१४००. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार विधान सभा के लगभग २५ सदस्यों ने उन्हें एक यह संयुक्त प्रतिनिधान दिया था कि उत्तर पूर्व रेलवे पर निरमाली तथा प्लेज़ाघाट के बीच एक गाड़ी चलायी जाये और उसी रेलवे के दरभंगा निर्माली जयनगर सेक्शन की गाड़ियों के समयों में कुछ उचित परिवर्तन किये जायें ;

(ख) इस संबंध में किस प्रकार का निर्णय किया गया है;

(ग) पटना से निरमाल तथा निरमाल से पटना आने जाने में किसी यात्री को अधिक से अधिक तथा कम से कम कितना समय लगता है; और

(घ) निरमाल तथा प्लेज़ाघाट के बीच कोई सीधी गाड़ी न चलाने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां।

(ख) निरमाली तथा प्लेज़ाघाट के बीच परिवहन इतना अधिक नहीं है कि उसके लिये एक सीधी गाड़ी चलाई जा सके। निरमाली-दरभंगा सेक्शन की गाड़ियों के समय को बदलने के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं, उन्हें कार्यान्वित करना आसान नहीं है, क्योंकि उससे संबंधित गाड़ियों के दरभंगा, समस्तीपुर आदि के संबंध टूट जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) निरमाली से पटना आने में यात्रा पर अधिकतम तथा न्यूनतम समय क्रमशः १६ घंटे ५५ मिनट तथा १५ घंटे ४० मिनट लगते हैं। और वहां से वापिस आने में क्रमशः १६ घंटे १० मिनट तथा १४ घंटे २० मिनट लगते हैं।

(घ) परिवहन का अभाव।

अवध तिरहुत डाक गाड़ी का समय

†१४०१. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे में इस समय लखनऊ से सिलीगुडी और सिलीगुडी से लखनऊ के बीच चलने वाली अवध तिरहुत डाक गाड़ी के आने जाने के समय को उत्तर रेलवे में दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने वाली दिल्ली-लखनऊ एक्सप्रैस के आने जाने के समय के अनुकूल करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है या किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया या किया जाने वाला है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां।

(ख) १–१०–५६ से संख्या ३०१।३०२ अवध तिरहुत डाक गाड़ियों के, जो इस समय लखनऊ और सिलीगुडी के बीच चलती हैं, आने जाने का समय फिर से नियत किया जायेगा और वे कानपुर अनवरगंज के बीच भी चलेंगी और ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि उनका मेल लखनऊ में संख्या ३०३ अप३०४ डाउन लखनऊ-दिल्ली एक्सप्रेस से और कानपुर सेंट्रल में संख्या ६९ अप जनता एक्सप्रेस तथा ६६ डाउन दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ियों से होगा।

सवारी गाड़ी के डिब्बो का सुरक्षित करना

१४०२. **श्री खू० चं० सोधिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५६ को विभागीय अफसरों के लिये सुरक्षित सवारी गाड़ी के डिब्बों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) इस प्रकार डिब्बे सुरक्षित करने की प्रथा किन-किन श्रेणियों के अधिकारियों के लिये है, और कब से प्रचलित है और रेलवे कानून की किस धारा के अनुसार है;

(ग) क्या इस प्रथा में कभी कई संशोधन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो कब और किस प्रकार का; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब कोई संशोधन करना चाहती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां):** (क) आम तौर पर रेलवे अफसरों (विभागीय पदाधिकारियों) के लिये सवारी डिब्बे आरक्षित नहीं किये जाते।

(ख) से (ङ). सवाल नहीं उठता।

मकेरिया-आम और उज्जैन स्टेशन के बीच सवारी गाड़ी के डिब्बे

१४०३. **श्री राधेलाल व्यास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन आगरा रेलवे लाइन पर मकेरिया-आम और उज्जैन स्टेशन के बीच सवारी गाड़ी के डिब्बों का आना जाना क्यों बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यात्रियों को ले जाने वाले तीन-चार डिब्बों को बन्द कर दिया गया है जब कि इंजन गार्ड का डिब्बा, पानी के टैंक का वैगन और माल के डिब्बों का आना जाना अब भी जारी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या मकेरिया-आम और उज्जैन स्टेशन के बीच सवारी गाड़ी के डिब्बों को पहले की ही भांति चलाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जनता की मांग पर मकेरिया-आम और उज्जैन के बीच सवारी गाड़ियों का चलना १–४–५६ से इसलिये बन्द कर दिया गया कि ये गाड़ियां घनी बस्तियों से होकर गुजरती थीं। इसके अलावा सिंहस्थ मेले के अवसर पर उज्जैन की सड़कों पर अधिक भीड़ होने का भी अन्देशा था।

(ख) जी हां, रात को दो से तीन बजे तक, ताकि घनी आबादी वाले इलाके में सड़क-यातायात में रुकावट न पड़े। ऐसा इसलिये किया गया है ताकि मकोरिया-आम में पानी की कमी न हो और उज्जैन होकर माल की बुकिंग भी होती रहे। इसलिये माल-डब्बों का आन-जाना जारी रहा।

(ग) जी हां।

(घ) इस पर राज्य सरकार की सलाह से विचार किया जा रहा है।

राजस्थान की अभ्रक खानें

१४०४. श्री बलवन्त सिंह महता : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के अभ्रक की खानों में कुल कितने मजदूर काम करते हैं;

(ख) उन्हें प्रतिदिन क्या मजूरी दी जाती है;

(ग) साल में कितने दिन वह काम पर रहते हैं;

(घ) उनके लिये रविवार की छुट्टी का वेतन और भविष्य निधि की क्या व्यवस्था है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडू भाई देसाई) :(क) और (ख). सूचना नीचे दी जाती है :—

१९५५ में काम करने वाले व्यक्तियों की दैनिक औसत संख्या		दिसंबर १९५५ में दैनिक औसत वेतन		
		रु०	आ०	पा०
जमीन के नीचे :—				
फोरमैन या मेठ :	२००	१	१३	४
खनिक :	१५३६	१	३	९
कुशल कामगर :	३७९	१	६	१०
अकुशल कामगर :	५५१	१	२	०
जोड़	२६६६			
खुले स्थान में :—				
फोरमैन या मेठ	१४०	१	९	८
खनिक :	९४३	१	३	५
कुशल कामगर :	३४३	१	४	५
अकुशल कामगर :	२०७	१	१	२
स्त्रियां	२५३	०	१३	०
जोड़	१८८६			

†मूल अंग्रेजी में

१९५५ में काम करने व्यक्तियों की दैनिक औसत संख्या		दिसंबर १९५५ में दैनिक औसत वेतन		
		रु०	आ०	पा०
सतह पर :—				
क्लर्क आदि :	३००	२	११	४
कुशल कामगर :	३९७	१	११	५
अकुशल कामगर :	१५९	१	६	३
स्त्रियां :	२४६	०	१२	७
जोड	११०२			
कुल जोड़	५६५४			

(ग) प्रत्येक कामगर ने साल में कितने दिन काम किया, यह मालूम नहीं है।

(घ) इन कामगारों पर अभी इम्प्लाईज़ प्रोविडेंट फंड [कर्मचारी भविष्य निधि] योजना लागू नहीं है। यह मालूम नहीं है कि इन खानों में से किसी की अपनी कोई प्राविडेंट फंड योजना है या नहीं। अभ्रक खानों के कामगारों को खान कानून, १९५२ के अधीन हफ्ते में किसी भी दिन साप्ताहिक छुट्टी पाने का हक है।

जावर खान

१४०५. श्री बलवन्त सिह महता : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जावर की खानों में कुल कितने मजदूर काम करते हैं ;

(ख) उनमें से सीसा और जस्ता निकालने में अलग अलग कितने कितने मजदूर काम करते हैं ;

(ग) उनकी प्रतिदिन की मजूरी क्या है ;

(घ) खान के नीचे काम करने वाले मजदूरों की मजूरी क्या है ;

(ड) क्या उन्हे रविवार की छुट्टी का वेतन दिया जाता है ; और

(च) उनकी भविष्य निधि के बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) से (घ). सूचना नीचे दी जाती है :—

१९५५ में काम करने वाले मजदूरों की दैनिक औसत संख्या		दिसम्बर, १९५५ में दैनिक औसत वेतन		
		रु०	आ०	पा०
जमीन के नीचे :				
फोरमैन और मेट	२५	६	१३	४
खनिक	५९	२	३	३
कुशल कामगार	४२	२	१४	११
अकुशल कामगार	१८८	१	१०	७

ज़मीन के नीचे काम करने वालों की संख्या ३१४

	१९५५ में काम करने वाले व्यक्तियोंकी दैनिक औसत संख्या	दिसम्बर, १९५५ में दैनिक औसत वेतन		
		रु०	आ०	पा०
सतह पर :				
क्लर्क आदि और देखरेख करने वाले कर्मचारी	५४	५	१०	८
कुशल कामगर	१४१	२	१०	१
अकुशल कामगर	२००	१	७	३
स्त्रियां	२५	०	१५	८
सतह पर काम करने वालों की संख्या	४२०			
कुल जोड़	७३४			

सीसा और जस्ता निकालने वाले मज़दूरों की अलग-अलग संख्यायें इस समय प्राप्त नहीं हैं।

(ङ) मार्च १९५५ की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खानों में सोमवार को साप्ताहिक छुट्टी होती है। यह सवेतन छुट्टी होती है या नहीं, यह मालूम नहीं है। खान कानून के अधीन साप्ताहिक छुट्टी का वेतन देना ज़रूरी नहीं है।

(च) इस समय यह मालूम नहीं है कि इन खानों में कोई प्रोविडेंट फंड योजना चालू है या नहीं।

रेफ्रीजिरेटर वाले डिब्बे

†१४०६. **श्री काजरोल्कर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **खाद्य और कृषि** मंत्रालय ने यह मांग की है कि रेल द्वारा मछली और मांस ले जाने के लिये रेफ्रीजिरेटर वाले डिब्बों की सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख). अप्रैल १९५४ में रेलवे और खाद्य और कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक बैठक में मछली ले जाने के लिये रेफ्रीजिरेटर वाले डिब्बों की व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा हुई थी और यह निश्चय हुआ था कि रेफ्रीजिरेटर वाले डिब्बों की व्यवस्था करने वाले मामले में खाद्य और कृषि मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा योजनायें बनाई जानी चाहिये और रेलवे मंत्रालय उसके लिये सभी संभव सहायता दे। तदनुसार, खाद्य और कृषि मंत्रालय ने भारत-अमरीकी शिल्पिक सहायता कार्यक्रम (१९५६) के अधीन ४ बड़ी लाइन के और २ छोटी लाइन के रेफ्रीजिरेटर वाले रेल के डिब्बों के मंगाने की व्यवस्था कर ली है। वे मछली के यातायात के लिये अपने धन से दो और रेफ्रीजिरेटर वाले डिब्बे मंगाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। रेफ्रीजिरेटर वाले डिब्बों के भारत आने के पूर्व खाद्य और कृषि और रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक बैठक योजना से संबंधित अन्य पहलुओं तथा उसके संचालन के बारे में अन्तिम निश्चय करने के लिये हाल ही में होने वाली है।

भारतीय केन्द्रीय चीनी समिति

†१४०७. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० अगस्त, १९५६ के लगभग भारतीय केन्द्र चीनी समिति की कवक [माइकोलोजिकल] वैज्ञानिक उपसमिति की एक बैठक गन्ने की नई बीमारियों की समस्या पर विचार करने के लिये पूना में हुई थी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने रतुआ जैसी गन्ने की बीमारियों के लिये उपयुक्त उपचारों पर विचार किया था ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). जी हां। चूंकि रतुआ पर नियंत्रण पाने के लिये कोई प्रभावशाली दवा अभी तक नहीं पाई गई है अतः समिति ने केवल उसी प्रकार के गन्ने की खेती का सुझाव दिया है जिसमें रतुआ नहीं लगता और यह भी सिफारिश की है कि सितम्बर-अक्तूबर में फसल न बोई जाय क्योंकि इन मासों में रतुआ रोग बहुत आसानी से हो जाता है। समिति ने गन्ने का काना रोग और कालिका रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम की भी सिफारिश की है।

बीरपाड़ा में डाक कर्मचारियों के क्वार्टर

†१४०८. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिमी बंगाल के जिला जलपाइगुडी के बीरपाड़ा में डाकियों और चतुर्थ श्रेणी के पदाधिकारियों को दिये गये निवास स्थानों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि ये क्वार्टर किसी चाय बागान की सम्पत्ति हैं ; और

(ग) क्या स्थिति में सुधार करने के लिये कुछ कार्यवाही की जायेगी ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां, क्वार्टरों में रहने वालों ने क्वार्टरों की असंतोषजनक स्थिति के बारे में शिकायतें भेजी हैं।

(ख) जी हां, स्थानीय चाय बागान ने बिना किराये के ये क्वार्टर दिये हैं।

(ग) जी हां, बीरपाड़ा डाकघर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने के लिये चाय बागान के प्राधिकारियों से एक उपयुक्त भूमिखंड प्राप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

रेलवे कर्मचारियों का बिना टिकट यात्रा करना

†१४०९. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे तथा उत्तर रेलवे के टिकट चेक करने वाले कर्मचारीवृन्द को ये अनुदेश दे दिये गये हैं कि जो रेलवे कर्मचारी बिना टिकट यात्रा करते पाये जायें, उन्हें मजिस्ट्रेटों के समक्ष प्रस्तुत न किया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि उस परिपत्र में यह भी लिखा हुआ है कि रेलवे कर्मचारी के साथ बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति पर भी अभियोग नहीं चलाया जायेगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे रेलवे कर्मचारियों को भी जिनके पास किराया देने के लिये पैसे न हों, रेलगाड़ी से केवल उतार दिया जाये और उन पर कोई अभियोग न चलाया जाये ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). जी हां। पुरानी ईस्ट इंडियन रेलवे ने इस प्रकार के अनुदेश दिये हुए थे और वे पूर्व रेलवे तथा उत्तर रेलवे के मुरादाबाद, इलाहाबाद और लखनऊ डिवीजनों पर लागू हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे कार्यक्रम

१४१०. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पश्चिम रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर क्या-क्या काम होने वाले हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन स्टेशनों के नाम क्या हैं ; और

(ग) १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में किन-किन स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार के काम किये जाने वाले हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). शायद माननीय सदस्य का मतलब उन कामों से है जो रेल का उपभोग करने वालों की सुविधा के लिये किये जाते हैं। इन कामों का फैसला हर साल रेल उपभोक्ता सलाहकार-समिति की सलाह से किया जाता है।

स्टेशनों के नाम और उन पर जो काम १९५६–५७ में किया जाना है उसका फैसला हो चुका है। लेकिन १९५७–५८ का कार्यक्रम अभी तैयार किया जा रहा है। १९५६–५७ में जो काम किये जायेंगे उनकी सूचना सभा-पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय मे रखा गया देखिये संख्या एस–४२०/५६**]

नर्मदा नदी पर पुल

१४११. श्री अमर सिंह डामर : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत और मध्य प्रदेश की सीमा पर पश्चिम रेलवे की छोटी लाइन के ओंकारेश्वर स्टेशन के पास नर्मदा नदी पर पुल बनाने का ठेका कब दिया गया था ; और

(ख) इस पुल को बनाने के लिये कितनी अवधि रखी गई थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री क सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :

(क) २७ मई, १९५२

(ख) ठेका पूरा करने की असली तारीख ३१ मई, १९५४ थी जो कि मई १९५६ के अन्त तक बढ़ा दी गई थी। इस मियाद को जून १९५७ के अन्त तक और बढ़ाने की मंजूरी का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

बचत बैंक में जमा राशियां

१४१२. श्री खू० चं० सोधिया : क्या **सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघर के बचत बैंक लेखे में ३१ मार्च, १९५४, १९५५ और १९५६ को अलग-अलग कुल कितनी राशि जमा थी ; और

(ख) इन तीन वर्षों में ऐसे कितने लेखे थे जिनके जमा करने वाले या उनके वारिसों के न होने के कारण जमा की गई राशियां सरकार के खाते में जमा कर दी गईं और यह राशियां कितनी-कितनी थीं ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) विवरण पत्र, जिसमें मांगी हुई सूचना दी गयी है, निम्नलिखित है :—

वर्ष	जमा रकमों की कुल राशियां (अंक हजारों में)
	रुपये
३१ मार्च, १९५५	१,४२,६४,७६
३१ मार्च, १९५६	१,५२,२३,३६

(ख) कोई नहीं। बचत बैंक लेखों में जमा की हुई धन-राशि का न तो व्यपगमन होता है और न जमा करने वालों या उनके उत्तराधिकारियों के न होने की स्थिति में सरकार के हिसाब में ही जमा की जाती है। मूल-धन और जो उस पर ब्याज उपलब्ध हुआ हो वह धन-राशि, मांगे जाने पर किसी समय भी जमा करने वाले या उसके वैध उत्तराधिकारी को दे दी जाती है।

इस विषय में डाक घर बचत बैंक नियम ३६ तथा उसके नीचे दिये नोट–१ की नकल निम्नलिखित है :—

"निष्क्रिय लेखे

(३६) ऐसा लेखा जिस पर पूरे छः वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, निष्क्रिय समझा जायगा और मुख्य पोस्ट मास्टर के पूर्व आदेश के बिना उसमें न कोई रकम जमा की जा सकती है, और न उससे कोई रकम निकाली ही जा सकती है।

नोट १.—निष्क्रिय सरकारी खाते का व्यपगमन नहीं होता है। रुपया जमा करने वाले व्यक्ति के आवेदन पत्र देने पर वह लेखा किसी भी समय फिर से चालू किया जा सकता है और उस लेखे में जमा रकम का जितना ब्याज होगा वह फिर से लेखा खोलने के समय मूल धन में जोड़ दिया जायेगा।"

डाक-घर (पंजाब और पेप्सू)

†१४१३. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और पेप्सू में २,००० से अधिक जन संख्या वाले ऐसे कितने गांवों अथवा गांवों के समूह हैं जहां डाक घर नहीं हैं ; और

(ख) उन गांवों में डाक की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) पंजाब और पेप्सू में २,००० से अधिक जनसंख्या वाला ऐसा कोई गांव नहीं है जहां डाक घर न हो। जहां तक २,००० से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के समूहों का संबंध है, उनकी संख्या उस क्षेत्र के गांवों के विभिन्न समूहों पर तथा जिस परिधि के अन्दर उनके समूह हैं, उन पर निर्भर करती है। फिर भी प्रथम पंच वर्षीय योजना में गांवों के समूह बना बनाकर जितने डाक घर खोलने का विचार किया गया था, उतने डाकघर खोल दिये गये हैं।

(ख) बड़ी परिधि में कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को इकट्ठा करके डाक घर खोले जायेंगे ताकि वहां डाक की सुविधायें सुधारी जा सकें।

केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था

†१४१४. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक के कितने विभागों में गवेषणा कार्य किये जाते हैं और वे गवेषणा कार्य क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक विभाग में कितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ; और

(ग) क्या वहां काम करने वाले विशेषज्ञों ने पिछले दो सालों में चावल संबंधी गवेषणा करने वाल देश के अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों को देखा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था अपने निम्नलिखित ६ विभागों के जरिये गवेषणा कार्य करती है :

१. वनस्पति शास्त्र ।

२. कृषि-शास्त्र ।

३. पादप-व्याधिकी ।

४. कृषि कृमि-अध्ययन शास्त्र।

५. कृषि-रसायन शास्त्र ।

६. सांख्यकी ।

(ख) प्रत्येक विभाग का एक विशेषज्ञ प्रभारी है । उसकी सहायता के लिये और प्राविधिक कर्मचारी होते हैं ।

(ग) जी हां । जहां कहीं गवेषणा संबंधी समस्याओं की परीक्षा होती है अथवा जब कभी आवश्यक समझा जाता है, इस संस्था के गवेषणा संबंधी काम करने वाले व्यक्ति राज्य के गवेषणा-केन्द्रों को देखने जाते हैं ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†१४१५. **डा० सत्यवादी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों को अब तक प्रतीक पत्र दिये जा चुके हैं तथा अंशदाताओं की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) कितने कर्मचारियों को अभी तक ये प्रतीक पत्र नहीं दिये गये हैं, यद्यपि उनसे पैसा बराबर लिया जा रहा है तथा इसके कारण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) २२ अगस्त, १९५६ को अंशदाताओ की कुल संख्या ८८,२१६ थी और सबको ही प्रतीक पत्र दे दिये गये थे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा

†१४१६. { **श्री काजरोल्कर :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत प्रत्येक मंत्रालय के लिये कितनी कितनी जगह नियत की गई है और प्रत्येक पद का नाम क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : रेलवे और प्रतिरक्षा मंत्रालयों को छोड़ कर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में विभिन्न मंत्रालयों के अधीन श्रेणी १ और श्रेणी २ के सभी पद होंगे । क्योंकि उपयुक्त वर्गों के वर्तमान तथा भविष्य के सभी पद इस सेवा में होंगे इसलिये किसी मंत्रालय के लिये जगहों की एक विशिष्ट संख्या निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति

†१४१७. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति की सिफारिश के अनुसार स्टेशन परामर्शदात्री समितियां बनाई जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर रेलवे के पांडु प्रदेश में ऐसी कितनी समितियां बनाई जायेंगी तथा किन-किन स्टेशनों के लिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां, औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक महत्व के प्रत्येक केन्द्र के लिये समितियां बनाई जायेंगी।

(ख) छै समितियां बनाई जायेंगी और निम्नलिखित स्टेशनों के लिये एक एक समिति होगी :—

कटिहार,

सिलीगुड़ी,

कूच बिहार,

गौहाटी,

तिनसुकिया,

सिलचर।

रेल का किराया

†१४१८. { **श्री घुसिया :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक श्रेणी के यात्री से रेल का जो किराया लिया जाता है, वह केवल आने जाने का ही भाड़ा है, अथवा उसमें सुविधाएं भी सम्मिलित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों में क्या अनुपात है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) प्रत्येक श्रेणी के यात्री से रेल का जो किराया लिया जाता है, वह केवल आने जाने का ही भाड़ा नहीं होता है, अपितु उसमें उन सुविधाओं की भी व्यवस्था है, जो बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के सामान्यतः दी जाती है।

(ख) इन दोनों का अनुपात निकालना संभव नहीं है।

शाजापुर में डाक और तार घर

१४१९. **श्री भ० नं० मालवीय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) मध्य भारत के शाजापुर नगर में डाक तथा तार विभाग के लिये जो नई इमारत बनाने का विचार ३ साल पहले था उसका निर्माण-कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस इमारत के निर्माण का कार्य कब से शुरु होगा ; और

(ग) क्या ऐसे विकास कार्य पूरी तरह से विभागीय कर्मचारियों को सौंपे जाते हैं ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) लगभग १ १/२ साल हुआ डाक-घर के लिये जमीन मिल गयी थी परन्तु केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग द्वारा नक्शों की तैयारी, उनकी छानबीन तथा उनको अन्तिम रूप देने मे और फिर उसके बाद उक्त विभाग द्वारा प्राक्कलन की तैयारी में अब तक समय लग गया है।

(ख) इस योजना की मंजूरी के बारे में कारवाई की जा रही है और फिर कोशिश की जायेगी कि जितनी जल्दी हो सके काम प्रारम्भ कर दिया जाये।

(ग) ऐसे काम केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग द्वारा किये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१८०१–२०
तारांकित प्रश्न संख्या	**विषय**	
१८१५	दिल्ली में दूषित जल संभरण	१८०१–०२
१८१६	सहकारी बैंक	१८०२–०३
१८१७	रेलवे सम्बन्धी प्राक्कलन समिति की सिफारिशें	१८०४–०६
१८१८	छोटा नागपुर में पानी की कमी	१८०६–०७
१८१९	रिक्शा चलाने वाले	१८०७–०८
१८२०	रेलवे सम्बन्धी तीन व्यक्तियों की स्थायी समिति	१८०८–०९
१८२१	मोनपुर स्टेशन पर पैदल चलने का ऊपरी पुल	१८०९–१०
१८२५	सैनिटरी इन्स्पेक्टर पाठ्यक्रम, दिल्ली	१८१०–११
१८२६	बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां	१८११–१२
१८२९	लम्बे रेशेवाली कपास	१८१३–१४
१८३०	आसाम में टेकनिकल स्कूल	१८१४–१५
१८३२	देवरिया-खाइडा गिस्वा लाइन	१८१५
१८३३	एक्स्प्रैस मालगाड़ी सेवा	१८१५–१६
१८३४	नौवहन	१८१६–१८
१८३५	ग्वालियर उज्जैन रेलवे लाइन	१८१८–१९
१८३६	नागपुर में पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय	१८१९–२०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
२०	दिल्ली परिवहन सेवा	१८२०–२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१८२२–५२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८२२	नये चिकित्सा कालेज	१८२२
१८२३	गोदी श्रमिक जांच समिति	१८२२
१८२४	पुलिस अधिकारी का दुर्व्यवहार	१८२२–२३
१८२७	कलकत्ता में भूमिगत परिवहन व्यवस्था	१८२३
१८२८	रेलवे कर्मचारियों की डाक्टरी परीक्षा	१८२३

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१८३१	आसाम में जिया भराली नदी के उपर पुल .	१८२३–२४
१८३७	असैनिक उड्डयन कर्मचारियों के क्वार्टर . .	१८२४
१८३८	मद्रास पत्तन में श्रमिक अशान्ति . . .	१८२४
१८३९	रेलवे माल गोदाम मजदूर सभा, मुगलसराय .	१८२५
१८४०	कलकत्ते के समीप सहायक पत्तन .	१८२५
१८४१	काम दिलाऊ दफ्तर .	१८२५
१८४२	सागर रेलवे स्टेशन .	१८२५–२६
१८४३	देशी दवाओं सम्बन्धी समिति .	१८२६
१८४४	दिया सलाई बनाने की लकड़ी की कृषि .	१८२६
१८४५	रेलवे आउट एजेन्सिया . .	१८२६
१८४६	राजखर्सवां-गुआ लाईन	१८२७
१८४७	मैटी-मद्रन तथा सोजित्रा-ढोलका लाइनें . .	१८२७
१८४८	रेलवे मुद्रण प्रेस .	१८२७
१८४९	कृषकों के लिये मौसम समाचार . .	१८२८
१८५०	कृषि पदार्थों का मूल्य .	१८२८
१८५१	रेलवे स्टीमर दुर्घटना .	१८२८
१८५२	टी० टी० ई०	१८२८
१८५३	रेलों में निगरानी कार्य . .	१८२९
१८५४	मत्स्य पालन केन्द्र	१८२९
१८५५	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जोरहट .	१८२९
१८५६	त्रिचुर में हवाई अड्डा . .	१८३०
१८५७	सुविधा देने वाली समिति .	१८३०
१८५८	कर्मचारी राज्य बीमा निगम .	१८३०
१८५९	हावड़ा में पुल कर	१८३०
१८६०	प्रादेशिक पर्यटन मंत्रणा समिति .	१८३१
१८६१	नलकूपों से सिंचाई .	१८३१
१८६२	भारत की भूमि संरक्षण संस्था .	१८३१–३२
१८६३	चीनी की प्रति व्यक्ति खपत	१८३२
१८६५	चकिया सिधविलिया लाइन	१८३२

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१८६६	होमियोपैथी के कालेज . . .	१८३२
१८६७	विलासपुर रेलवे बस्ती	१८३२–३३
१८६८	आई० बी० कोयले की खानें, सम्बलपुर	१८३३
१८६९	किसानों के बैंक . .	१८३३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३६८	बिना टिकट यात्रा .	१८३३
१३६९	नये डाकघर	१८३४
१३७०	ट्रंक एक्सचेंजों का विस्तार	१८३४
१३७१	'अधिक अन्न उपजाओ' योजनायें . . .	१८३४
१३७२	रेलों की भिड़न्त . . .	१८३५
१३७३	रेल दुर्घटना	१८३५
१३७४	मालगाड़ी का लूटा जाना .	१८३५–३६
१३७५	पंचकुरा रेलवे स्टेशन . . .	१८३६
१३७६	केन्द्रीय पर्यटक यातायात मंत्रणा समिति .	१८३६
१३७७	मछली पकड़ने की नावें	१८३६–३७
१३७८	काजू के कारखानें	१८३७
१३७९	उदयपुर डिविजन में सड़क का पुल	१८३७
१३८०	राजस्थान में मीन क्षेत्र का विकास	१८३७
१३८१	मोकामा में गंगा का पुल . .	१८३७–३८
१३८२	कोयला खानों में दुर्घटनायें .	१८३८
१३८३	रेलवे सेवा .	१८३८
१३८४	तम्बाकू . . .	१८३९
१३८५	रेलवे का स्वच्छता विभाग .	१८३९
१३८६	रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति	१८३९–४०
१३८७	पंजाब में परिवार आयोजन केन्द्र . .	१८४०
१३८८	श्री गंगानगर-जयपुर-सीधी गाड़ी सेवा . .	१८४०
१३८९	चश्मों का बैंक	१८४०
१३९०	रेलों की भिड़न्त .	१८४१
१३९१	टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारी .	१८४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१३९२	रायगादा में रेलवे स्कूल . . .	१८४१
१३९३	रेलवे गैंगमैन . .	१८४१
१३९४	ट्रेन एक्जामिनर	१८४२
१३९५	भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे . .	१८४२
१३९६	लोको रिपेयरिंग शाप, गौहाटी .	१८४२
१३९७	रेलवे वर्कशाप, डिब्रूगड . . .	१८४२
१३९८	दिल्ली में गैरसरकारी बस्तियां . . .	१८४३
१३९९	मंत्रागाची में मालगाड़ी के डिब्बों का कारखाना .	१८४३
१४००	निरमाली तथा प्लेजाघाट के बीच गाड़ियां .	१८४३–४४
१४०१	अवध-तिरहुत डाकगाड़ी का समय .	१८४४
१४०२	सवारी गाड़ी के डिब्बों का सुरक्षित करना .	१८४४
१४०३	मकेरिया-आम और उज्जैन स्टेशन के बीच सवारी गाड़ी के डिब्बे . . .	१८४४–४५
१४०४	राजस्थान की अभ्रक खानें	१८४५–४६
१४०५	जावर खान	१८४६–४७
१४०६	रेफ्रीजिरेटर वाले डिब्बे	१८४७
१४०७	भारतीय केन्द्रीय चीनी समिति	१८४७–४८
१४०८	बीरपाड़ा में डाक कर्मचारियों के क्वार्टर	१८४८
१४०९	रेलवे कर्मचारियों का बिना टिकट यात्रा करना	१८४८
१४१०	द्वितिय पंचवर्षीय योजना में रेलवे कार्यक्रम .	१८४८–४९
१४११	नर्मदा नदी पर पुल	१८४९
१४१२	बचत बैंक में जमा राशियां	१८४९–५०
१४१३	डाकघर (पंजाब और पैप्सू)	१८५०
१४१४	केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था	१८५०–५१
१४१५	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	१८५१
१४१६	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा .	१८५१
१४१७	रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति	१८५१–५२
१४१८	रेल का किराया	१८५२
१४१९	शाजापुर में डाक और तार घर	१८५२

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५६

(२७ अगस्त से १३ सितम्बर १९५६ तक)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में अंक ३१ से ४५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

6—257 L.S. 57.

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खंण्ड ८—२७ अगस्त से १३ सितम्बर, १९५६]

अंक ३१—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६ — पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४८५

समिति के लिये निर्वाचन—

लोक लेखा समिति १४८६

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक . . . १४८६

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १४८६

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(त्रावनकोर-कोचीन), १९५६–५७ . १४८७–१५०९

तोल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १५०८–२८

मनीपुर के लिये विकास अनुदानों की बारे में आधे घंटे की चर्चा . १५२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १५३४–३५

अंक ३२—मंगलवार, २८ अगस्त १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . १५३६–३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५३८

राज्य-सभा से सन्देश १५३८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवाँ प्रतिवेदन. १५३८

सभा का कार्य १५३८–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १५४०

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक १५४०

त्रावनकोर कोचीन विनियोग (संख्या २) विधेयक . . . १५४०–४१

तौल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १६४१–४५

पृष्ठ

राष्ट्रीय स्वंय सेवक बल विधयक—

विचार करने का प्रस्ताव १५४५–७२

खंड २ से ११ और १ . . . . . १५५९–६८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव. . . . १५६८

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १५७२–९२

जिप्सम के बारे में आधे घंटे की चर्चा १५९२–९४

दैनिक संक्षेपिका . १५९५–९६

अंक ३३—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५९७

बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य . . १५९८–१६०२

सभा का कार्य . . . १६०२–०३

राज्य-सभा से सन्देश १६०३–०४

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १६०४–१२

खण्ड २ से ४ और १ . . १६०४–१२

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६१२

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १६१४–३८

खण्ड २ से २५ और १ . . . . . १६१४–३८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव १६३५

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियमों के बारे में संकल्प . १६३८–४८

सरकारी रिहाई १६४८

कोयला खानें भविष्य निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . १६४८–५४

दैनिक संक्षेपिका १६५५–५६

अंक ३४—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन १६५७

राज्य-सभा से संदेश . . १६५७

पृष्ठ

प्राचीन एवं एतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक . १६५८

सभा का कार्य १६५८, १६९२

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियम त्रावणकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा से सम्बन्धित संकल्प १६५८–८०

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन. १६८०–८१

राज्यनीति के विदेशक तत्वों के कार्य-संचालन के बारे में समिति की नियुक्ति सबन्धी संकल्प . . . १६८०–८१, १६९३–१७००

आणविक तथा तापीय आणविक परीक्षकों सम्बन्धी संकल्प १७००–०१

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक . १६९१–९२

दैनिक संक्षेपिका १७०२–०३

अंक ३५—शनिवार, १ सितम्बर १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली में बम विस्फोट . १७०५–०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १७०७

राज्य-सभा से सन्देश . १७०७–०८

सभा का कार्य . . . १७०८–१०

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . . १७०९

जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक . . . १७१०

त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उदघोषणा से सम्बन्धित संकल्प . १७११–१८

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १७१८–१९

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१८

खण्ड १ से १५ . . १७१८–१९

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१९

पृष्ठ

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१६–२६

खण्ड ८, १ और २ . . . १७१६–२६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १७२६

अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक . १७२६–६०

विचार करने का प्रस्ताव . . १७२६

खण्ड २ से २६ और १ . . . १७५६–५६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७६०

दैनिक संक्षेपिका . . १७६१–६२

अंक ३६—सोमवार, ३ सितम्बर, १६५६

स्थगन प्रस्ताव—

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना . . १७६३–६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १७६६

राज्य-सभा से संदेश . . १७६७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंडियन ऐल्युमीनियम कं०लिमिटेड अल्वाई में हड़ताल . १७६७

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक— . .

विचार करने का प्रस्ताव १७६८–१८०६

खण्ड २ और १ . . . . १८०६

पारित करने का प्रस्ताव १८०६

दैनिक संक्षेपिका १८१०–११

अंक ३७—मंगलवार, ४ सितम्बर, १६५६

राज्य-सभा से सन्देश १८१३–१४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . . १८१४

सभा पटल पर रखा गया पत्र १८२०–२४

संविधान (७वां संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . १८१४–२०, १८२४–६३

पृष्ठ

दैनिक संक्षेपिका १८६४

अंक ३८—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से संदेश. १८६५

गैरे-न्यायिक तथा न्यायालय शुल्क मुद्रांक पत्रों के बारे में याचिका . १८६५

सभा का कार्य . . . १८६६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक . . . १८६६–१९०६
. . . १९११–१४

खंड २ से १० . . १८८४–१०

खंड ११ से १६, २० क और २५ . . . . १८८४–१९०६
. . . . १९११–१४

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना सम्बन्धी वक्तव्य . १९०६–१०

दैनिक संक्षेपिका . . १८१५

अंक ३९—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १९१७

शिशू सन्यास दीक्षा निरोध विधेयक सम्बन्धी याचिका . १९१७

समिति का निर्वाचन—

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद १९१७

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक १९१८

संविधान (नवा संशोधन) विधेयक १९१८–९१

खण्ड १७ से २९, और अनुसूची. . १९१८–९१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १९८९

दैनिक संक्षेपिका . १९९२

अंक ४०—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश . १९९३

लोक लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १९९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

साईप्रस में राष्ट्र मण्डल की ओर अन्य सेनाओं का रखा जाना १९९३–९४

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्व भारती की संसद १९९४

सभा का कार्य . . १९९४–९७

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९९७–२०१५

लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २०१५–२४

खंडों पर विचार . २०१५–२४

पारित करने का प्रस्ताव २०२४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकासठवां प्रतिवेदन २०२५

मजूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक २०२५–२६

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक . . . २०२६

भारतीय लाइट रेलवेज राष्ट्रीयकरण विधेयक . . . २०२६

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक और . २०२६–२७

संविधान (संशोधन) विधेयक २०२७

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम, १९५६ के

बारे में प्रस्ताव . . २०२७–४४

दैनिक संक्षेपिका . २०४५–४६

अंक ४१—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता पत्तन की स्थिति . . २०४७–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र २०५०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दामोदर घाटी निगम परियोजना में सार्वजनिक निधि का कथित अपव्यय २०५०–५२

सभा का कार्य २०५२–५३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . २०५३–९८

दैनिक संक्षेपिका . २०९९

पृष्ठ

अंक ४२—सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१०१–०२

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेलवे), १९५३-५४ . . २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका २१०२

सभा का कार्य २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २१०२–०५

खण्ड २ से ७, अनुसूचित १ से ४ और खण्ड १ . . . २१०५–५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २१५०

भारत की शासन प्रणाली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एप्पलबी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २१५१–६८

सदस्यों की रिहाई २१६८

दैनिक संक्षेपिका २१६९–७०

अंक ४३—मंगलवार, ११ सितम्बर, १९५६

नेताजी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . . २१७१–७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २१७३

राज्य-सभा से संदेश २१७३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २१७४

सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

१७वां प्रतिवेदन २१७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम में बाढ़ और दी गई सहायता २१७४–७५

दूसरी पंच-वर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . . २१७६–२२२१

दैनिक संक्षेपिका २२२२–२४

अंक ४४—बुधवार, १२ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की आसन्न छंटनी . . . २२२५–२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२२७–२८,२२२९

विशेषाधिकार का प्रश्न २२२८–२९

लोक लेखा समिति—

उनीसवां प्रतिवेदन २२३०

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का आगमन . . . २२३०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२३०–७९
दैनिक संक्षेपिका २२८०–८१

अंक ४५—गुरुवार, १३ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
स्वेज के मामले पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . २२८३–८६
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन क्रम और सेवा की शर्तें . २२८६–८७
उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . २२८७–८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र २२८९–९०
राज्य सभा से संदेश २२९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २२९०
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन २२९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टिहरी गढ़वाल में बाढ़ २२९०–९२
अनुपस्थिति की अनुमति . . २२९२
रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक २२९२
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . . . २२९३
जडचरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . २२९३–९५
विशेषाधिकार प्रश्न २२९५–९९
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२९५, २२९९–२३५५
आगामी सत्र की तिथि . . . २३५५
दैनिक संक्षेपिका २३५६–५८
१३ व सत्रकी संक्षेपिका २३५९–६१

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११.४ म० पू०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं पुलों के निरीक्षण के बारे में रेलवे को दी गयी हिदायतों के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एस–३८०/५६**]

बाल संन्यास दीक्षा निरोध विधेयक के बारे में याचिका

†**सचिव** : श्रीमान्, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १७९ के अन्तर्गत, मुझे यह सूचना देनी है कि श्री फूल सिंह जी बी० डाभी के बाल संन्यास दीक्षा रोक विधेयक के सम्बन्ध में जो ६ अप्रैल, १९५६ को पुरःस्थापित किया गया था, मुझे एक सौ अठारह हस्ताक्षरों वाली एक याचिका प्राप्त हुई है ।

समिति के लिये निर्वाचन

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के नियमों के नियम ६ (२) और ६ (६) के साथ पठित नियम २(६) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य को ऐसे ढंग से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, डा० अमीन के स्थान पर, जिन्होंने लोक-सभा से त्यागपत्र दिया है, भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के लिये सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक*

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करनें की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री करमरकर**** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक खंड १७ से २०

†**अध्यक्ष महोदय** : अब भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खंडवार विचार किया जायेगा। खंड १७, १८, १९ और २० पर विचार किया जायेगा। इस खंड समूह के लिये डेढ़ घंटे का समय निश्चित किया गया है। माननीय सदस्य जितने संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहते हैं उनकी संख्या की लिखित सूचना कृपया मुझे दे दें।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमन्ड हार्बर) : खंड १७ का सम्बन्ध मुख्यत: संघ राज्य क्षेत्रों के शासन सम्बन्धी उपबन्ध से है। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने एक दिन संघ राज्य क्षेत्रों की भावी व्यवस्था के बारे में हमें बताया है। हम यह आशा करते थे कि कोई ऐसी व्यापक योजना का सुझाव दिया जायेगा जिसके द्वारा इन संघराज्य क्षेत्रों में ४ या ५ वर्षों के लिये पूर्ण रूप से प्रतिनिधि शासन होगा और वित्तीय शक्तियों और शांति और व्यवस्था पर कुछ प्रतिबन्ध होंगे। हमारी इच्छा तो यह थी कि कि इन क्षेत्रों और देश के अन्य राज्यों में कोई अन्तर न हो किन्तु मौजूदा सरकार ने उन्हें प्रजातांत्रिक अधिकार न देना ही उपयुक्त समझा है। माननीय मंत्री ने कहा है कि वे कुछ विभाग परामर्शदाताओं को देना चाहेंगे जोकि उन प्रशासकों की सहायता करेंगे जिन्हें इन क्षेत्रों के प्रशासन का दायित्व सौंपा जायेगा। किन्तु उन्होंने विभागों के आवंटन के बारे में कोई निश्चय नहीं किया है। हम यह चाहते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों के मौजूदा अथवा भविष्य में आने वाले प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद माननीय मंत्री एक योजना तैयार करें ताकि राज्यों के पुनर्गठन के साथ ही संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधि शासन स्थापित हो। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में हमारा ख्याल यह है कि स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य शिक्षा कुटीर उद्योग सम्बन्धी सभी प्रश्न और वित्त सम्बन्धी कुछ सीमित अधिकार उन राज्य क्षेत्रों के निवासियों को दिये जायें। किसी विशिष्ट राज्य क्षेत्र और त्रिपुरा तथा मनीपुर जैसे दूरस्थ स्थानों में जनता में उत्साह की भावना पैदा करने के लिये यह नितान्त आवश्यक है। योजनाओं को क्रियान्वित करने में उनका भी कुछ हाथ होना चाहिये।

हमें इस बात पर प्रसन्नता है कि कल गृह-कार्य मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि लोक-सभा में लक्कादीव का भी एक प्रतिनिधि होगा। अन्दमान और निकोबार द्वीप का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये विनियमों के अधीन होगा। मैंने संशोधन संख्या २० और २१ में केवल यह उपबन्ध जोड़ दिया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिये संसद् की एक स्थायी समिति होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण सूचनापत्र, भाग २, विभाग २, तिथि ६-९-१९५६ में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित किया गया।

इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा और देश की समस्यायें इतनी अधिक हैं कि इन क्षेत्रों के प्रशासन का भार मुख्य आयुक्त अथवा किसी सचिव को सौंप दिया जायेगा।

भारत में प्रजातांत्रिक शासन है और देश के प्रत्येक भाग में एक जैसा प्रशासन होना चाहिये। किन्तु भारत सरकार का ख्याल है कि अन्दमान और लक्कादीव जैसे क्षेत्रों का प्रशासन अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन जैसा नहीं हो सकता और राष्ट्रपति को ऐसे विनियम बनाने का अधिकार दिया गंया है जों संसद् द्वारा बनाये गये कानूनों को संशोधित कर सकेंगे। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि राष्ट्रपति के शासन के समय, जिस प्रकार संसद् की एक स्थायी समिति परामर्श देने के लिये होती है वैसी ही एक समिति उक्त राज्य क्षेत्रों के लिये भी गठित की जायें। इस समिति के निर्णय बन्धन-कारी नहीं होते हैं और वह केवल परामर्श ही देती है।

अनुच्छेद २४० में खंड ३ को जोड़ने के उद्देश्य से मैं ने संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत किया है। अनुच्छेद २४० के उप-खंड २ के अनुसार संसद् द्वारा बनायी गयी किसी विधि में सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति के नाम पर एक विनियम जारी कर के रूप भेद किया जा सकता है। किन्तु सरकार का परामर्श वास्तव में कार्यपालिका का परामर्श होता है।

मेरा संशोधन यह है :

"(३) खंड २ के अन्तर्गत किये गये सब विनियम, यदि संसद् का सत्र हो रहा हो, तो वे प्रख्यापना के एक सप्ताह पहले या उनके पूर्वसमवेत होने के एक सप्ताह बाद, तीस दिनों तक सदनों के समक्ष रखे जायेंगे और ऐसे रूपभेदों के अधीन होंगे जो संसद् द्वारा किये जायें और ऐसे रूपभेदों का बल-प्रभाव वही होगा जो संसद् के अधिनियम का होता है।"

मेरा निवेदन इतना ही है कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये विनियम भी संसद् द्वारा अनुमोदन अथवा पुनरीक्षण के अधिकार के अधीन होने चाहिये। हम यह कहते हैं कि राष्ट्रपति के वे विनियम जो संसद् द्वारा बनायी गयी विधि का निरसन अथवा संशोधन कर सकते हैं, संसद् के समक्ष रखे जाने चाहिये और संसद् स्वाभाविकतया इस बात पर विचार करेगी कि किसी विशिष्ट संघ राज्य क्षेत्र के शासन के हित में, राष्ट्रपति के विनियमों के रूपभेद किया जाये या नहीं। मैं आशा करता हूं कि सरकार और माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

चूंकि ये स्थान देश से काफी दूर हैं। इसलिये स्वाभाविक है कि मंत्रालय मुख्य आयुक्त अथवा कार्यपालिका अधिकारी की सलाह से कार्य करेगा। संसद् की सर्वोच्चता को हर हालत में कायम रखना है और जब राष्ट्रपति द्वारा विनियम लागू किये जा रहे हैं, तो मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यदि संसद् इसे आवश्यक समझती है तो उसे इन विनियमों में रूपभेद का अधिकार होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि संसद् की सर्वोच्चता करने ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री इस बात पर विचार करेंगे।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : संविधान के अनुच्छेद २४० में स्थानीय विधान मण्डलों और परामर्शदाताओं या मंत्रियों की परिषद् बनाने या जारी रखने का उपबन्ध है। मैं अपने संशोधन संख्या ११० के द्वारा इन्हीं उपबंधों को इस खण्ड में लाना चाहता हूं। दिल्ली जैसे ऐतिहासिक नगर को लोकप्रिय सरकार से वंचित करना इसके प्रति अन्याय करना है। हमें दिल्ली की स्थिति को कैनबेरा या वाशिंग्टन या जिला कोलंबिया जैसी नहीं रखना चाहिये। मैं श्री क० कु० बसु के सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिये लोकप्रिय व्यवस्था होनी चाहिये। राज्य पुनर्गठन आयोग ने दिल्ली की वर्तमान स्थिति की ओर संकेत करते हुए कहा है कि इसके विधायिनी प्राधिकार पर कुछ विशेष सीमाएं आरोपित की हुई हैं। दिल्ली में स्वशासन अवश्य है परन्तु विधि और व्यवस्था जैसी चीजें इसके अन्तर्गत नहीं हैं। इस प्रकार दिल्ली

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नि० चं० चटर्जी]

के कई विभागों पर केन्द्रीय सरकार और अन्य प्राधिकारों का नियंत्रण है। यहां त्रैपराज्य है और कई बार केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश देती रहती है जो राज्य सरकार के आदेशों के विपरीत होते हैं। इनके बीच कोई समन्वय नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि संसद् को ऐसा उपबन्ध करना चाहिये कि विधि द्वारा दिल्ली और दूसरे क्षेत्रों के लिये विधान मण्डल जैसा कोई निकाय होना चाहिये और यह निकाय मंत्रियों या परामर्शदाताओं की सहायता से विधान मण्डल का कार्य करे। पण्डित पंत की योजना बेहतर हो सकती है, परन्तु मालूम हुआ है कि तीन मंत्री जो दिल्ली राज्य का प्रशासन चला रहे हैं, इस योजना मे प्रसन्न नहीं हैं। चाणक्यपुरी जैसे क्षेत्रों को निगम के अधिकार से बाहर रखने में कोई सार नहीं है और इन्हें पृथक् रखना कदापि उचित नहीं है। छावनी को भले ही पृथक् रख लिया जाय। मैंने पंजाब में प्रादेशिक समितियों की स्थापना का विरोध किया है। क्या ये उपसमितियों के रूप में कार्य करेंगी या संसदीय समितियों या निगमों के रूप में? इनसे कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। कुछ सदस्य उप-राज्यपाल के रखे जाने के पक्ष में है। हम निगम का स्वरूप जानना चाहते हैं। हम देश में बड़े पैमाने पर प्रजातंत्र स्थापित करने जा रहे हैं, फिर दिल्ली को उससे क्यों वंचित रखा जाय? दिल्ली की कैनबेरा से तुलना करना सर्वथा गलत है। दिल्ली पूर्णतः सरकारी नगर नहीं है, यह ५,००० वर्ष पुराना नगर है। इसलिये इसके लिये कृत्रिम संघानीय व्यवस्था करना उचित नहीं है। अतः दिल्ली की जनता की भावनाओं और इच्छाओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

कहा गया है कि दिल्ली के प्रशासन में महान व्यक्तियों का हाथ होगा, परन्तु महान व्यक्ति कौन होंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। श्री क० कु० बसु ने ठीक कहा है कि हमारे पास इतना भी समय नहीं होता है कि हम दिल्ली या अन्य क्षेत्रों के प्रशासन के ब्यौरे पर विचार कर सकें। हम इन राज्य क्षेत्रों को पूर्णतया नौकरशाही व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं लाना चाहते हैं। हमें चाहिये कि वहां की जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को उचित प्रतिनिधित्व दें, और वहां किसी प्रकार का स्वशासन स्थापित करें।

क्या पंडित पंत की योजना दिल्ली के विधान मण्डल, और उसके मंत्रियों के सामने रखी गई थी? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, तथा उनकी आपत्तियों को किस प्रकार दूर किया जा रहा है?

मूल खण्ड १७ में दिल्ली, बम्बई, निकोबार और अन्दमान को एक ही श्रेणी में रखा गया था परन्तु संयुक्त समिति में हमने उस स्थिति में सुधार किया। मैं अभी भी इससे संतुष्ट नहीं हूं, इसलिये मैं चाहता हूं कि अनुच्छेद २४० को न निकाला जाये। इस संसद् को प्रजातंत्रात्मक ढंग की व्यवस्था करने की शक्ति दी जानी चाहिये, और फिर हमें संसद् को जनता के हितों को आगे बढ़ाने के लिये किसी प्रकार के स्वशासन की व्यवस्था करनी चाहिये। स्वतन्त्र संग्राम में दिल्ली नगर ने बड़ा भारी सहयोग दिया है, अतः इसे अन्दमान और निकोबार द्वीपों के बराबर समझना ठीक नहीं है। मैं अनुच्छेद २४० के समाविष्ट किये जाने की प्रार्थना कर रहा हूं। इसके अनुसार संसद् का संविधानिक कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य की जनता की इच्छाओं के अनुसार जनता के प्रतिनिधियों का एक निकाय स्थापित करें, जो विधान मण्डल के समान शक्ति सम्पन्न हो। मैं जानना चाहता हूं कि परामर्शदाताओं के मुकाबले में दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्यों की क्या स्थिति होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे इस सुझाव को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : इन संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के विशेषाधिकार से वंचित रखा गया है, इसलिये इन क्षेत्रों के लिये अच्छी सरकार की व्यवस्था करने के बारे में संसद् की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता अक्षुण्ण रहनी चाहिये। इस उद्देश्य से मैंने संशोधन संख्या १७० और १७५ रखे हैं ।

संशोधन संख्या १६७ के द्वारा मैं शब्द 'प्रशासक' के स्थान पर शब्द 'मुख्य प्रशासक' रखना चाहता हूं। यदि उप-राज्यपाल रखने की श्री चटर्जी की मांग स्वीकार नहीं की जाती है तो मैं इस पर आग्रह करूंगा। चाहे यह छोटी सी ही बात है, परन्तु इसका बड़ा प्रभाव होता है।

किसी राज्यपाल को पड़ौसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त करने के लिये राष्ट्रपति को शक्ति देने का उपबंध ठीक नहीं है। प्रशासक पड़ौसी राज्य के राज्यपाल से सर्वथा भिन्न व्यक्ति होना चाहिये।

मैं "शान्ति" और "उत्तम सरकार" शब्दों के बीच शब्द "प्रगति" जोड़ना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय और सरकार इस शब्द को जोड़ने के लिये सहमत होंगे।

संशोधन संख्या १७० और १७५ के द्वारा मैं इन राज्य क्षेत्रों के प्रशासन पर संसद् की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता और पर्यवेक्षकीय प्राधिकार को अक्षुण्ण रखना चाहता हूं। यदि माननीय मंत्री को इन संशोधनों की भाषा स्वीकार्य न हो, तो वह इन की भावना को तो स्वीकार कर ही सकते हैं। नागरिकता विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में गृह-कार्य मंत्री ने यह बात स्वीकार की थी कि विधेयक के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियम और विनियम संसद् द्वारा आवश्यक परिवर्तन के लिये संसद् के सामने रखे जाने चाहियें। यह संशोधन भी यह उपबन्ध करता है अतः मैं समझता हूं कि सभा को इन संशोधनों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

इस विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि संसद् विधि द्वारा इन राज्य क्षेत्रों की प्रशासी व्यवस्था बनायेगी। परन्तु नवीन विधि बनने में समय लगेगा। इसलिये नवीन विधि बनने तक राष्ट्रपति को शक्ति दी जानी चाहिये कि वह इन राज्य क्षेत्रों के लिये प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था करने के लिये वर्तमान भाग 'ग' राज्य अधिनियम, १९५१ के उपबन्धों का उचित रूप से प्रयोग कर सकें। फिर उन नियमों को अगले सत्र में संसद् के सामने रखा जाना चाहिये ताकि संसद् देख सके कि वे नियम कहां तक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न प्रजातंत्रात्मक गणराज्य की मानना के अनुकूल हैं।

खण्ड १८ द्वारा संविधान के अनुच्छेद २५८ में संशोधन करने का विचार है। इस उपबन्ध की कोई आवश्यकता मेरी समझ में नहीं आती है कि राज्यपाल किसी शर्त पर या बिना शर्त, भारत सरकार की अनुमति से, राज्य की कार्यपालिका शक्ति को उस सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्र द्वारा राज्यों को काम सौंपे जाने का उपबन्ध था, परन्तु राज्यों द्वारा केन्द्र को कार्य सौंपे जाने का कोई उपबन्ध अभी तक नहीं था।

†**श्री कामत** : यदि ऐसी बात है तो इसके साथ यह उपबन्ध भी किया जाना चाहिये कि इसके लिये राज्य के विधान मण्डल का पहले अनुमोदन प्राप्त किया जायगा। इस मामले में विधान मण्डलों का परामर्श प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्रीय सरकार के मामले में भी संसद् की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री कामत** : संसद् को इस अधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं है। हम इन राज्य क्षेत्रों को इनके पहले अधिकारों से वंचित कर रहे हैं; इसलिये मैं आशा करता हूं कि अच्छी सरकार, इन क्षेत्रों की प्रगति और विधि व्यवस्था का उत्तरदायित्व इस संसद् पर ही रहेगा।

खंड १७—(भाग ८ का संशोधन)

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कामत]

इसके पश्चात् श्री कामत ने अपने संशोधन संख्या १६७, १६८, १७४, १७५ और १७६ तथा श्री क० कु० बसु ने अपना संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत किये।

†**श्री कामत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ९, पंक्ति ३४ में,

शब्द "for the peace" "शान्ति के हेतु" के स्थान पर शब्द "progress" "प्रगति" रखा जाये।

श्री क० कु० बसु : मैं अपना संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं।

खंड १८–(नवीन अनुच्छेद २५८ क का निवेश)

श्री कामत ने संशोधन संख्या १७६ प्रस्तुत किया।

खंड १९–(नवीन खंड २९० क का निवेश)

†**गृह-कार्य तथा भारी उद्योग मंत्री (पंडित गो० ब० पंत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १०, पंक्ति १८ में

शब्द "October" ("अक्तूबर") के स्थान पर शब्द "November" ("नवम्बर") रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गाव) : मैंने संविधान के अनुच्छेद २३९ और २४० से सम्बन्धित खंड १७ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या १०९ प्रस्तुत किया है। मैं नहीं चाहता कि संसद् की शक्ति किसी प्रकार भी कम की जाय। विधेयक में यह उपबन्ध है कि यदि संसद् अन्यथा उपबंध न करे तो राष्ट्रपति प्रशासक के द्वारा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन करेगा। मैं समझता हूं कि नवीन अनुच्छेद २४० पुराने अनुच्छेद २४३ के समान ही है। इसी के सम्बन्ध में मैंने संशोधन रखा है।

यह भी बताया गया है कि शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जायेगा। फिर भी मेरा विचार है कि प्रशासन की देखभाल करने और उसमें निर्णायक मत देने की संसद् की सामान्य शक्ति समाप्त नहीं की जायेगी।

मैं चाहता हूं कि भाग ग में के राज्यों के बारे में पहले के अनुच्छेद २४० के ही शब्द रखे जायें और इस बारे में मैंने संशोधन संख्या १०९ की सूचना दी है। बाद में चाहे जैसा ही सलाहकार और अथवा विधायिनी निकाय स्थापित किया जाये परन्तु उस पर संसद् का वही नियन्त्रण रहना चाहिये जो पहले भाग क और ख में के राज्यों पर था। पहले के अनुच्छेद २४० के अन्तर्गत इन राज्यों में नये तरीके के प्रशासन की कोई भी योजना बनाई जा सकती थी।

जैसा कि श्री चटर्जी ने बताया, जब हमें स्वराज्य मिला उस समय हमने दिल्ली में प्रत्येक गली कूचे में यह घोषणा की कि यहां की अन्य स्थानों जैसी ही शासन व्यवस्था होगी और उन्हें पूरे अधिकार दिये जायेंगे। अन्त में जब भाग ग में राज्यों सम्बन्धी विधेयक सभा के समक्ष आया तो हमने इसकी बड़ी निन्दा की और श्री गोपालस्वामी आय्यंगर ने पहला विधेयक वापस लेकर भाग ग में के राज्यों को अधिक शक्तियां देना स्वीकार किया और बड़े संघर्ष के पश्चात् हमने दिल्ली के लिये कुछ अधिकार प्राप्त किये। बड़े दुःख की बात है कि अब इसे बदला जा रहा है। किन परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया है? यदि बदलना ही है तो बदल

---

†मूल अंग्रेजी में

दीजिये परन्तु नया प्रशासन संविधान के वर्तमान अनुच्छेद २४० के अनुकूल होना चाहिये और इसकी व्यवस्था करते समय सम्बन्धित क्षेत्रों की जनता की राय ली जानी चाहिये। दिल्ली का, जो कि भारत की राजधानी है, प्रशासन समस्त भारत के लिये आदर्श होना चाहिये। लोगों को सन्तोषजनक अधिकार मिलने चाहिये। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि ऐसे निकाय की व्यवस्था की जायेगी जिस में जनता को सम्पूर्ण प्रतिनिधान प्राप्त न हो और वे अपने प्रशासकों पर नियन्त्रण न कर सकें। 'प्रशासक' शब्द इतना अच्छा नहीं है इसकी बजाय 'राज्यपाल' शब्द ही रहने दिया जाना चाहिये।

मेरा अभिप्राय यह है कि संसद् की शक्तियों में कोई परिवर्तन न किया जाये, वे ज्यों की त्यों ही रहें। अनुच्छेद २४० में शक्तियां काफी सोच-विचार करके ही दी गईं थीं और वे वर्तमान योजना के अनुकूल हैं, इसीलिये मेरा सुझाव है कि अनुच्छेद २४० की वर्तमान शब्दावलि अनुच्छेद २३९ में बढ़ा दी जायें ताकि यह बात स्पष्ट हो जाये कि संसद् की शक्तियां कम नहीं की जा रही हैं। विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव के समय मैंने यही बात कही थी कि संसद् अपनी शक्तियां घटाने के लिये कभी सहमत नहीं होगी। अब मैं खंड २० से सम्बन्धित संशोधन संख्या ११२ को लेता हूं। नये अनुच्छेद २९८ में, जिसकी प्रस्थापना खंड २० में की गई है, 'व्यापार और कारबार करने' का उपबन्ध किया गया है। प्रश्न यह है कि क्या यह शब्द रखे जाने चाहिये? पहले सरकार को कोई व्यापार अथवा कारबार करने की इजाजत नहीं थी। संघ और राज्य सरकार को पहली बार ही यह शक्तियां दी जा रही हैं। समाचारों से पता चलता है कि राज्य व्यापार निगम ने लगभग दो करोड़ रुपये का व्यापार किया है।

लोक-सभा में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि क्या राज्य व्यापार की स्वीकृति दी जाये या नहीं। मैं इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, परन्तु समाचार पत्रों और भारतीय उद्योग तथा व्यापार मंडल संघ के प्रकाशनों में हम प्रायः यह पढ़ते हैं कि सरकार को वह व्यापार नहीं करना चाहिये जो निजी व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है।

इस प्रश्न का निर्णय राज्य विधान मंडल को करना होगा कि राज्यों अथवा संघ सरकार को निजी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार अथवा कारबार करने की स्वीकृति मिलनी चाहिये या नहीं। अनुच्छेद ३०१ को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह कभी अवेक्षित न होगा कि सरकार भी निजी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करते हुए व्यापार करे। इसका मुझे पर्याप्त अनुभव नहीं है, इसलिये मैं कोई निश्चित राय नहीं देना चाहता, परन्तु इतना अवश्य है कि जब हम कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं तो वह इस तरीके से न किया जाये। इसलिये मैं चाहता हूं कि संशोधन संख्या ११२ में दिये गये शब्द इस खंड में बढ़ा दिये जायें ताकि संसद् यह निर्णय कर सके कि राज्य अथवा संघ सरकार को किन व्यापारों को करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये। यह स्वीकृति देना ठीक नहीं होगा कि वे हर एक व्यापार कर सके। यह ठीक है कि इससे राज कोष को लाभ होगा और कई एक प्रकार का व्यापार करने का अधिकार केवल सरकार को ही होगा परन्तु यह स्वीकृति देना उचित नहीं होगा कि वह निजी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करते हुए कोई भी व्यापार कर सकें। स्वीकृति देने का अधिकार संसद् के हाथ में होना चाहिये। अतः मैं चाहता हूं कि खंड २० में यह शब्द रखे जायें।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** (कृष्णगिरि): मैं खंड २० और उस से सम्बन्धित अपने संशोधन संख्या ४० के बारे में कहना चाहता हूं। खंड २० में अनुच्छेद २९८ में परिवर्तन करके राज्यों और संघ सरकार को कारबार अथवा व्यापार करने की शक्ति प्रदान की गई है।

ऐसा परिवर्तन करते समय हमें मूल अनुच्छेद को देखना होगा। वर्तमान अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र अथवा किसी अन्य राज्य में सम्पत्ति रखने वाले राज्य के लिये व्यवस्था करता है परन्तु वर्तमान प्रारूप संघ की इस स्थिति के लिये, कि उसकी किसी राज्य में सम्पत्ति हो अथवा उससे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० रा० नरसिंहन्]

व्यापार करता हो, या ऐसे राज्य के लिये जिसकी संघ क्षेत्र में सम्पत्ति हो अथवा उससे व्यापार करता हो उपबन्ध बनाता है। यह उस राज्य के लिये उपबन्ध नहीं बनाता जो दूसरे राज्य से व्यापार करता हो अथवा जिसकी दूसरे राज्य में सम्पत्ति हो।

अतः खंड २० में शब्द "उपयुक्त राज्य विधान मंडल" बढ़ाने होगें।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या नया अनुच्छेद २९८ एक राज्य को दुसरे राज्य में व्यापार करने अथवा सम्पत्ति का अर्जन करने की शक्ति प्रदान करता है ? यदि हां, तो वहां दोनों राज्यों में से किस की विधि लागू होगी ? क्या हमें इसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिये ? मेरे संशोधन का यही आशय है। संशोधन चाहे कोई भी हो परन्तु यह व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये।

†**श्री आनन्द चंद** (बिलासपुर): मैं संघ क्षेत्र का रहने वाला हूं और मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि संघ क्षेत्रों को अधिक शक्तियां प्रदान की जायें, परन्तु हम इस संविधान संशोधन विधेयक में राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें, जिसमें राज्यों और संघ क्षेत्रों का अन्तर स्पष्टतः उल्लिखित है, स्वीकार कर चुके हैं और इसके पश्चात् संघ क्षेत्रों के लिये उप-राज्यों का स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न करना व्यर्थ ही होगा।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करते समय कहा गया था कि अब भारत में दो प्रकार के एकक ही होंगे, एक तो राज्य और दूसरे संघ क्षेत्र।

संसद् अनुच्छेद २ के अन्तर्गत कभी भी इन संघ क्षेत्रों में से नये राज्य बना सकती है। परन्तु इस समय हमें यथार्थ दृष्टिकोण से देखना चाहिये। श्री कामत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया कि पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को संघ क्षेत्र के प्रशासन की शक्तियां सौंपी जायें। इस में और वर्तमान अनुच्छेद २३९ में केवल इतना ही अन्तर है कि उसमें सम्बन्धित राज्यों की सम्पत्ति से राज्यपाल नियुक्त किया जायेगा और यहां सम्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं है, स्पष्ट है कि एक राज्य का राज्यपाल संघ क्षेत्रों का प्रशासक होगा और वह मंत्रिमंडल की राय से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगा।

यह भी प्रस्ताव किया गया कि प्रशासक को मुख्य प्रशासक कहा जाये। प्रवर समिति में काफी विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया था कि मुख्य आयुक्त की बजाये शब्द प्रशासक ही ठीक है। मुख्य प्रशासक कहना भी ठीक होगा। कृपया माननीय गृह-कार्य मंत्री इस पर विचार करें।

अन्तर्कालीन अवधि में भाग ग में के राज्यों के प्रशासन के बारे में मेरा विचार है कि अध्यादेश जारी करना ठीक नहीं होगा। जो भी विधान पारित किया जाता हो वह संसद् के सामने लाया जाये और उस पर विचार हो। अथवा अध्यादेशों से असंख्य कठिनाइयां पैदा होंगी। वैसे भी अध्यादेशों को पसन्द नहीं किया जाता है, क्यों कि जो कुछ किया जाना अपेक्षित होता है वह तो किया ही जा चुका होता है। बाद में उस पर विचार करने से क्या लाभ ? इस में सन्देह नहीं कि लोक-सभा अध्यादेश के उपबन्धों में संशोधन कर सकती है परन्तु परिवर्तन करना भी कुछ ठीक नहीं रहता है। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि अभी अध्यादेश के प्रश्न पर विचार न किया जाये। इस से कमी तो रह जायेगी क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ३० के अन्तर्गत भाग ग में के राज्यों के विधान मंडलों का अन्त हो जायेगा। लगभग १२ नवम्बर को संसद् पुनः समवेत होगी। उस समय दिल्ली के लिये निगम बनाने और संघ क्षेत्रों की भावी व्यवस्था सम्बन्धी वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। इस सत्र में यह काम हो जाना चाहिये क्यों कि अधिक विलम्ब जनता की भावना और सामान्य प्रशासन की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। संसद् द्वारा प्रस्थापनायें स्वीकार किये जाने पर भी प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने संशोधन संख्या ७७ में यह सुझाव दिया है कि अनुच्छेद २३९ का खंड (१) संघ क्षेत्र के लिये (क) प्रादेशिक विधान मंडल के रूप में कार्य करने के लिये एक निर्वाचित निकाय, और (ख) प्रादेशिक विधान मंण्डल के सदस्यों में से चुने गये एक परामर्शदाता परिषद् का उपबन्ध करे। मैंने जान बूझकर इसे प्रादेशिक विधान मंडल कहा है और यह नाम देते समय मेरे सामने अमरीका के संघ क्षेत्रों–अलास्का, हवाई इत्यादि का उदाहरण था जिन्हें कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं ; परन्तु उन विधानों पर कांग्रेस का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार यहां की प्रादेशिक विधानं मंडलों द्वारा पारित विधान संसद् के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जा सकता है। इस से जनता को यह सान्त्वना मिलेगी कि उसकी राय भी ली जाती है। यदि ऐसा न किया जा सकता हो और मेरा संशोधन स्वीकार्य न हो तो गृह-कार्य मंत्री यह वक्तव्य दे दें कि निगम और मंत्रणा परिषदों का निर्वाचन सिद्धान्त रूप से पूर्णतः स्वीकृत किया गया है क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उनमें निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कुछ व्यक्ति साधारण जनता में से लिये जायेंगे।

जो कुछ भी स्वीकार किया गया है वह लोकतंत्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध है। दूसरे मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह आगामी सत्र में जो कि नवम्बर में होगा, दिल्ली हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा आदि संघ क्षेत्रों के संबंध में एक व्यापक विधान प्रस्तुत करने के प्रश्न पर विचार करे।

इस संबंध में त्रिपुरा, मनीपुर और हिमाचल प्रदेश से दिल्ली का मामला भिन्न है। दिल्ली का संघ क्षेत्र २१ लाख की आबादी वाला नगरीय क्षेत्र है। इसकी १८ लाख जनसंख्या नगरीय और तीन लाख से कुछ अधिक जनसंख्या ग्रामीण है। मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश प्रायः पूर्णरूप से देहाती क्षेत्र हैं। यदि बम्बई निगम अधिनियम के समान कोई बड़ा अधिनियम प्रस्तुत किया जाता तो भी उसे निपटाना संसद् के लिये सम्भव नहीं था। इस लिये मेरा विचार था कि इस संबंधी विधान को दो भागों में बांट दिया जाय। एक भाग में हिमाचल प्रदेश आदि को ले लिया जाता और दूसरे भाग में दिल्ली को। यद्यपि मैं यह भी अनुभव करता था कि मेरे दिल्ली वाले मित्र इसे स्वीकार नहीं करेंगे और चाहेंगे कि पहले दिल्ली का मामला निपटाया जाय। संसद् द्वारा जो सरकार और विधान मंडल उन्हें दिया गया था वह छीना जा रहा है, और इसी आधार पर नया विधान संसद् के समक्ष रखा जा रहा है। कोई प्रतिक्रिया और निराशा नहीं होगी, प्रत्युत नयी व्यवस्था को पसन्द किया जायेगा।

इस संबंध में मुझे यही निवेदन करना है, मुझे आशा है कि गृह-कार्य मंत्री इस बात पर विचार करेंगे और यदि आवश्यक समझें तो स्पष्ट आश्वासन भी दें।

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य-दिल्ली) : अब जब कि दिल्ली के प्रशासन के संबंध में कुछ घोषणा कर दी गयी है तो उस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

जहां तक राजनीतिक आकांक्षाओं का संबंध है हमें पूर्णतः निराशा हुई हैं। हम तो दिल्ली के लिये पूर्णरूपेण लोकतंत्रीय व्यवस्था की मांग कर रहे थे, जैसा कि सभी भाग क में के राज्यों को दिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने दिल्ली के लिये ऐसे राज्य की सिफारिश नहीं की, हो सकता है यह कारण न हो, परन्तु वह शासन व्यवस्था दिल्ली को नहीं दी जा रही है। परन्तु संसद् को यह भूलना नहीं चाहिये कि दिल्ली की जनता इससे सन्तुष्ट नहीं है। निस्सन्देह उसकी नागरिक आकांक्षाओं को पूरा किया गया है, परन्तु उनकी राजनीतिक आकांक्षायें निराशा में बदल गयी हैं, क्योंकि दिल्ली ही एक ऐसा स्थान था जहां भारत की स्वतन्त्रता के महान संघर्ष में सब से प्रथम १९१९ में अपने सीने में गोली खाने के लिये स्वामी श्रद्धानन्द ने अपनी छाती तान दी थी।

सन् १९१९ से लेकर भारत की स्वतन्त्रता का युद्ध जितनी शक्ति और उत्साह से दिल्ली में चालू रहा उतना कहीं भी नहीं रहा है परन्तु समस्त आशाओं के बावजूद दिल्ली को अन्य राज्यों के समान अधिकार नहीं दिये गये हैं। संसद् को यह याद रखना चाहिये कि उनके अधिकार थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० कृ० नायर]

सन्तोष की यह बात है कि अनुच्छेद २३९ की व्यवस्था की गई है। समय अवश्य आयेगा जब दिल्ली की जनता अपने सार्वभौम अधिकारों की मांग करेगी। निस्सन्देह यह संसद् सर्वोच्च है परन्तु दिल्ली की जनता की आवाज भी सुनी जानी चाहिये उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

जो कुछ वर्तमान अवस्था में हमें दिया जा रहा है उसे कृतज्ञता से स्वीकार किया जाना चाहिये। परन्तु अच्छे और योग्य प्रशासन के लिये कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं। निस्सन्देह प्रस्तावित निगम भाग 'ग' में के राज्यों के प्रशासन से अच्छा है, क्योंकि उसके अन्तर्गत तो कोई अधिकार ही नहीं थे। यह बात स्वागत के योग्य है कि प्रस्तावित निगम में वह सभी अधिकार दिये गये है जो कि परिनियत निकायों को दिये जाते हैं।

परन्तु दिल्ली के लिए बनाये जा रहे विकास प्राधिकार के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्या यह निगम के अन्तर्गत रहेगा। यदि बम्बई में विकास कार्य निगम के तत्वाधान में किये जाते हैं तो यही व्यवस्था की जानी चाहिये नहीं तो यह योजना उस सीमा तक दोषपूर्ण रहेगी।

प्रस्तावित निगम में दूसरी उलझन यह है कि इसमें नई दिल्ली में एक नगरपालिका भी बनाई गयी है जिसमें चाणक्यपुरी और छावनी का इलाका रहेगा। इसका अर्थ तो यह है कि यह एक सम्पूर्ण निकाय नहीं होगा। यह तो राज्य में और राज्य और निकाय में नगरपालिका बनाने वाली बात होगी। यह परस्पर विरोधी बातें हैं। जब दिल्ली को एक पूर्णरूपेण निकाय दिया जा रहा है तो छोटे से इलाके को क्यों छोड़ा जा रहा है।

गृह-कार्य मंत्री से मुझे यह भी विशेष प्रार्थना करनी है कि इस संबंध में विधेयक के प्रारूपित करते समय दिल्ली के संसद् सदस्यों से अवश्य परामर्श कर लिया जाय। मैं गृह-कार्य मंत्री का उनकी इस घोषणा के लिये आभारी हूं कि देहाती इलाकें को विशेष परिनियत अधिकार प्राप्त होंगे और देहाती क्षेत्रों के सदस्यों को अपने इलाके के सुधार संबंधी निर्णय करने के अधिकार होंगे, क्योंकि देहाती इलाके को एक हम दिल्ली जैसे आधुनिक नगर के स्तर पर नहीं लाया जा सकता है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जहां तक सम्भव हो निगम के चुनाव भी आम चुनावों के साथ किये जायें। क्योंकि राज्य सभा के चुनाव का निर्वाचक गण निगम ही होगा। इस से कुछ लोगों को सन्तोष भी होगा कि हमारा स्थानीय प्रशासन निर्वाचित है। साथ ही इससे सरकार और जनता का काफी खर्चा भी बच जायेगा।

अगली बात नामकरण की है। दिल्ली का एक प्रशासक होगा। परन्तु प्रायः भंग हो जाने पर ही नगर निगमों अथवा राज्यों के लिए प्रशासक नियुक्त किये जाते है। इस लिये मैं चाहता हूं और मैं इस संबंध में प्रस्तुत किये गये संशोधन का समर्थन करता हूं कि दिल्ली में राज्यपाल अथवा 'लैफ्टीनैंट-गवर्नर' हो। यह भी कि इसको 'मैट्रोपोलिटन लैफ्टीनैंट-गवर्नर' कहा जाय और 'नगरपालिका निगम' के स्थान उसे 'दिल्ली मैट्रोपोलिटन निगम' कहा जाय। साथ ही संघ क्षेत्र के स्थान पर हमें संघ प्रदेश नाम दिया जाय।

केन्द्र में मंत्री महोदय को परामर्श देने के लिये मंत्रणा समिति है और यही प्रशासक को भी परामर्श देगी। इस लिये इसका नाम सलाहकार समिति रखा जाना चाहिये, क्योंकि इसके अधिकार और प्रतिष्ठा सामान्य सलाहकार समितियों से अधिक होंगे।

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा—पश्चिम) : यह अच्छा है कि इस भाग 'ग' में के राज्यों के संबंध में संविधान के संशोधन के समय आप पीठासीन हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही थे जिन्होंने भाग 'ग' में के राज्यों को उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना के लिये संघर्ष करने का आवाहन किया था, और आज भी आप के सभापतित्व में भाग 'ग' में के राज्यों को इस प्रकार के प्रशासन से वंचित करने के संबंध में चर्चा हो रही है। परन्तु यह कितने दिन चलेगा इस की भी गृह-कार्य मंत्री को मैं याद दिलाना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने मनीपुर और त्रिपुरा को एक पहाड़ी राज्य बनाने का षड्यंत्र रचा था तो हमारे प्रधान मंत्री ने इन राज्यों के लोगों का सम्मेलन ग्वालियर में बुलाया था और हमें भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिये कहा था। ब्रिटिश राज्य में हमारी अवस्था बुरी नहीं थी, परन्तु हम भारत के थे और भारत के है।

परन्तु गत पांच वर्षों में हमें संविधान में दिये गये सभी आश्वासनों को न प्रधान मंत्री ने और न हीं अन्य नेताओं ने पूरा किया है।

उस दिन गृह-कार्य मंत्री ने जब इस योजना को बताया था तो हमने इसकी भावना के समझने का प्रयत्न किया था। हमसे बार बार यह कहा गया कि उसमें स्वशासन की भावना रहेगी, यद्यपि अधिकार कुछ कम कर दिये जायेंगे। परन्तु अब हमें यह बताया जाता है कि राज्यों कि विधि निर्माण का अधिकार नहीं होगा। क्षेत्रों के सदस्य मंत्री महोदय की परामर्श दे सकेंगे। और मंत्री महोदय की परामर्श देने के लिये एक परामर्शदात्री समिति होगी।

दूसरे, इन राज्यों में प्रशासक होंगे जिनको सलाहकार अथवा निगम के नामनिर्देशित अथवा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्य सलाह देंगे। गृह-कार्य मंत्री ने यह सिद्धांत नहीं बताया कि ये सलाहकार लोकतंत्रीय पद्धति से कार्य करेंगे अथवा नहीं और बहुमत वाले दल को नाम-निर्देशक के संबंध में कुछ प्रमुखता दी जायेगी। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी हमारे जीवन पर गंभीर प्रतिक्रिया हो रही है।

गत आम चुनावों में कुछ दलों के जो उम्मीदवार हार गये थे और उनकी जमानतें भी जब्त हो गयी थी उन्हें सलाहकर चुन लिया गया था। इससे परामर्शदाता समिति का विचार पसंद नहीं किया जाता है। दिल्ली के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि परामर्शदाता समिति के स्थान पर सलाहकारों की समिति नाम होना चाहिये, क्यों कि मनीपुर और त्रिपुरा में जो परामर्शदाता समितियें कार्य कर रही है उनका अनुभव कई अच्छा नहीं है। इन समितियों के लिये सदस्य चुनने का काम भी ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। मुख्य आयुक्त कुछ नाम भेजता हैं और मंत्री महोदय उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे प्राय: कांग्रेस दल के होते हैं। यह देखा भी नहीं जाता है कि राज्य के विकास कार्यों का नाम करने की शक्ति और बुद्धि उनमें है भी या नहीं। कई तो बिल्कुल अशिक्षित ही हैं। कांग्रेस का भी वह कुछ नाम ऊंचा नहीं करते हैं। गृह मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि इन समितियों के अधिकांश सदस्य ऐसे होने चाहियें जिनका राज्यं कार्यों में संवैज्ञानिक ढंग से काम करने का कोई इतिहास हो।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस सलाहकारों की समिति को बजट प्रस्तावों पर भी सलाह देने और सिफारिशों करने का अधिकार हों, जिससे कि यदि और कुछ नहीं तो राज्य की सामयिक समस्याओं की ओर देश का ध्यान तो आकर्षित कराया ही जा सके।

हम यह भी जानना चाहते है कि प्रथम नवम्बर से वर्तमान सलाहकारों की क्या अवस्था होगी। क्या अपने पद का पूरा लाभ उठाने वाले यह सलाहकार बने रहेंगे ? यदि ये रहे तो इस योजना पर जनता को तनिक भी विश्वास नहीं होगा। मैं गृह-कार्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह आगामी चुनाव तक वर्तमान सलाहकारों से ही काम चलायेंगे ? संशोधन संख्या २२ इसी मामले से संबंधित है।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** शिकायत की गई है कि संविधान संशोधन विधेयक में जो प्रस्ताव विहित है वे संसद् के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। वास्तव में यह संसद् के अधिकारों को बढ़ाते ही है। साधारणत: संसद् का संबंध केवल उन बातों से ही होता है जो समूचे देश से संबंध रखती हैं। परन्तु यहां संसद् का अधिकार और क्षेत्रों पर भी लागू किया जा रहा है। नयी दिल्ली

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित गो० ब० पन्त]

को तो यह गौरव प्राप्त होना ही चाहिये क्योंकि वह देश की समस्त गतिविधियों का केन्द्र है। इस लिये यह स्वभाविक है कि उसे पिछले दिनों की अपेक्षा संसद् के अधिक निकट होना चाहिये। अतः कम से कम इस के द्वारा इस संसद् को पहले से अधिक शक्तियां प्राप्त हो रही हैं।

जहां तक मेरे प्रस्तावों का संबंध है, इस बात को छोड़ कर कि इन में से किसी क्षेत्र के लिये पृथक् विधान मंडलों की व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि इन की प्रशासन व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। यह विधान मंडल, जैसी कि उस की व्यवस्था भाग 'ख' में के राज्य अधिनियम में की गई थी, संतोषजनक रीति से कार्य नहीं करता था। वह कुछ कंटा छंटा सा था और उसमें संघर्ष के बीज मौजूद थे। दिल्ली नगर के मामलों को हल करने में जिन असहमतियों का अवसर सामना करना पड़ता था उनके लिये मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूं। इसलिये हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिये, और मुझे विश्वास है कि समूची सभा मुझसे सहमत होगी की हम इस स्थिति में परिवर्तन करना आवश्यक था। साथ ही इस बात पर भी सभी सहमत थे कि इन परिस्थितियों में संसद् को विधान बनाने की शक्तियों होनी चाहिये। संयुक्त समिति की भी यही सर्व सम्मत राय थी। इन परिस्थितियों में जो प्रस्थापना मेरे द्वारा रखी गई है उसे स्वीकार करना ही ठीक है और जिन परिसीमाओं के अन्तर्गत हमें कार्य करना था उसे देखे यह प्रस्तावना स्वीकार की जानी चाहिये। इन में से प्रत्येक क्षेत्र में एक पूर्णरूपेण जनतंत्रात्मक निकाय होगा, जिस में मुख्य रुप से निर्वाचित सदस्य होंगे। और वही इन क्षेत्रों के प्रशासन में, जिससे प्रत्येक नागरिक का जीवन आभिन्न रूप से संबंधित है, मुख्य रूप से कार्य करेगा। इसलिये अब उन्हें पहले की अपेक्षा जनता की सेवा करने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इसलिये मुझे आशा है कि मैंने जो प्रस्थापना प्रस्तुत की है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, इस में भी कोई विवाद नहीं है। वास्तव में मेरे द्वारा जो प्रस्थापना प्रस्तावित की गई है, यद्यपि मैं ने उसकी केवल रूप रेखा ही दी है, उस का सामान्यतः इस सभा द्वारा तथा बाहर जनता द्वारा स्वागत किया गया है। इस कार्यों के क्षेत्र के अन्तर्गत बहुत बड़ा क्षेत्र आयेगा। कुछ स्पष्ट कारणों से—जिनको बताने की आवश्यकता नहीं है—नई दिल्ली का कुछ भाग इसके क्षेत्राधिकार से अलग रहेगा। उस क्षेत्र विशेष के संबंध में भी मैं ने यह कहा है कि पांच वर्ष के बाद स्थिति का पुनरीक्षण किया जायेगा। इस बात से सभी सहमत होंगे कि चाणक्यपुरी और कुछ सरकारी क्षेत्र इस समय इसके क्षेत्राधिकार से मुक्त रखे जायें, और पांच वर्ष की अवधि कोई बड़ी अवधि नहीं है। मुझे आशा है कि इस अवधि के बाद इन क्षेत्रों को भी सम्मिलित कर लेना संभव होगा।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का संबंध है, उस की और विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है क्यों कि उस क्षेत्र की समस्या नगरीय क्षेत्र की समस्या से कुछ भिन्न है। इसलिये उसके लिये विशेष उपबन्ध रखे जाने की आवश्यकता है। विकास प्राधिकार के संबंध में एक जांच की गई थी। मेरे विचार से अब इस प्रश्न पर अग्रेतर विचार किया जाना चाहिये क्यों कि विकास प्रयोजनों के लिये विपुल धनराशियों की आवश्यकता है। यह धनराशियों कार्पोरेशन के संसाधनों तथा क्षेत्र से बहुत अधिक होंगी। क्या प्रारंभ से ही निगम पर इतना अधिक भार डाला जाय? यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर विचार किया जाना चाहिये। हम केवल एक ही विचार से प्रभावित होंगे और वह विचार यह होगा कि दिल्ली की जनता के लिये सर्वाधिक हित की बात क्या होगी। केवल यही विचार हमारा पथ प्रदर्शन करेगा, और हम जो भी निर्णय करेंगे या हमने जो भी निर्णय किये हैं वह इसी मूल विचार को ध्यान में रख कर किये गये हैं।

जहां तक अन्य बातों का संबंध है, मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मनीपुर और त्रिपुरा के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गये हैं। परन्तु मैं उनका ठीक तरह से समझ नहीं सकता। हम प्रादेशिक परिषदें बनायेंगे। उनको किस नाम से पुकारा जायेगा यह अभी मैं नहीं बता सकता हूं, परन्तु उनके द्वारा जो कार्य किया जायेगा उस का आभास मैंने दे दिया है। उन में निर्वाचित

सदस्य होंगे, वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने हुए होंगे और उन परिषदों को प्रायः वही कार्य करने होंगे जो कि दिल्ली के लिये प्रस्तावित निगम को करने होंगे। मेरे विचार से इस योजना का सभी के द्वारा समर्थन किया जाना चाहिये, क्योंकि हम सभी इस योजना को सफल बनाने के लिये भरसक प्रयत्न करें तो परिणाम भी संतोषजनक ही निकलेंगे। अतः हमें इस पर ही केन्द्रित करना चाहिये।

जहां तक कि मध्यादेशों को जारी करने का संबंध है, आज के समाचार पत्र में इस ख़बर को मैंने बड़े आश्चर्य से पढ़ा। मुझे तो यह विचार तक नहीं आया था, और मुझे यह भी ज्ञात नहीं कि हमें बताया गया है यह निगम अधिनियम एक बहुत विस्तृत अधिनियम होगा, और इस प्रकार की विधि को अध्यादेश के रूप में जारी करना एक असाधारण बात होगी। मैं नहीं जानता कि कोई इतनी भारी आवश्यकता उत्पन्न हो जिससे विवश होकर हमें ऐसा करना पड़ेगा।

अन्य मामलों के संबंध में कई सुझाव आये हैं। श्री कामत ने यह सुझाव दिया है कि एक खंड में–प्रस्थापित अनुच्छेद २४० (१) में– "peace" ("शान्ति") तथा "good Government" ("अच्छी सरकार") के बीच "progress" ("प्रगति") शब्द रख दिया जायें। मैं उस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

†**श्री आनंद चंद :** क्या गृह-कार्य मंत्री जी ही यह आश्वासन देंगे कि वे इन संघ क्षेत्रों संबंधी विधानों की संसद् के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे ?

†**पंडित गो० ब० पंत :** इस संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि यह विधान शीघ्रातिशीघ्र तैयार हो जाये। वैसे मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि हम उन्हें अगले सत्र में प्रस्तुत कर सकेंग। क्यों कि जैसे कि मैं ने अपने भाषण में बताया है, ये विधियां अत्यन्त व्यापक तथा विस्तृत होंगी और उनकी अत्यन्त सक्ष्म दृष्टि से जांच करने की आवश्यकता होगी। अतः यदि हम विधेयकों को ऐसा प्रारूप दे सकें जो कि सभा का अनुमोदन प्राप्त कर सकने योग्य हुआ तो मैं उन्हें आगामी सत्र में बड़े हर्ष से प्रस्तुत करूंगा। परन्तु मेरे इन शब्दों के संबंध में सावधानी से काम लेना चाहिये। इस के संबंध में मैं स्वयं आशावादी नहीं हूं।

†**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर) : इस अन्तरिम काल में प्रशासन कार्य कैसे चलेगा ? इस अवधि में दिल्ली का प्रशासन किस प्रकार का होगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों को संबद्ध करने के संबंध में भी एक प्रश्न था। मैंने संभवतः पहले ही यह बता दिया है कि कई प्रसिद्ध व्यक्ति परामर्शदात्री समिति से संबद्ध होंगे जो कि गृह-कार्य मंत्री से सम्बद्ध होगी। उसमें निगम के मेयर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के समान प्रख्यात व्यक्ति होंगे, और संभवतः निगम के कई प्रतिनिधि भी होंगे।

मैं विलासपुर के राजा के कथन से अधिकांश रूप से सहमत हूं और उन्होंने जो कुछ कहा है उसे समयाभाव के कारण दुहराने की कोई आवश्यकता नहीं। अन्तरिम प्रबन्ध के संबंध में मेरी प्रस्थापना यह है कि पहली नवम्बर को अथवा उससे पहले ही यह परामर्शदात्री परिषद् बना दी जाये ताकि इन विशेष क्षेत्रों से संबंध रखने वाले सभी संसद् सदस्य नये राज्यों की स्थापना के दिन से ही मंत्रालय के निकट संपर्क में रहे। जहां तक अन्य मामलों का संबंध है, विधान सभा पहले ही स्वीकृत हो चुकी इस योजना के अनुसार कार्यक्रम बन्द कर देगी। अतः इस संबंध में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या कोई विशेष व्यक्ति पहली नवम्बर को बनाने को सहायता या सहयोग देने के लिये नियुक्त किया जा सकता है या नहीं। परन्तु मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं। मैं इस संबंध में संबंधित सदस्यों से विचार-विमर्श करने के लिये तैयार हूं।

†**श्री कामत :** राष्ट्रपति के विनियमों को अनुमोदन के लिये संसद् के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने के बारे में क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पन्त :** अन्दमान तथा निकोबार और लक्कादिव द्वीपों से संबंध रखने वाले राष्ट्रपति के विनियमों को मैं यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दूंगा। और उनमे परिवर्तन करने का सभा को पूरा पूरा अधिकार होगा।

†**श्री कामत :** फिर आप इस संशोधन को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** यह बहुत लंबा है और इसका रुप भी ठीक नहीं है।

†**श्री कामत :** इसे नया रुप दिया जा सकता है।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** जैसे मैंने बताया है, मैं इन विनियमों को यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दूंगा, और सभा जिन जिन परिवर्तनों का सुझाव देगी, सरकार उन्हें स्वीकार कर लेगी।

†**श्री क० कु० बसु :** सरकार स्वयं एक संशोधन क्यों नहीं प्रस्तुत कर देती ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) :** वे एक संशोधन चाहते हैं।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** आप इतनी अधिक चिंता क्यों करते हैं ? अन्दमान में केवल २० हज़ार व्यक्ति होंगे और लक्कादीव में भी २० हज़ार होंगे, अतः इस संबंध में आप मुझ में विश्वास रखिये कि वे विनियम सभा-पटल पर रखे जायेंगे और सभा द्वारा जो भी सुझाव दिये जायेंगे, सरकार उन्हें स्वीकार कर लेगी।

इसके अतिरिक्त एक और बात भी है। एक यह सुझाव आया है कि इस शब्द "administrator" ["प्रशासक"] को बदल दिया जाये। इस संबंध में मैं एक छोटा सा संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं, और वह है : "Administrator with such designation as may be prescribed" ["ऐसे अभिधान वाला प्रशासक जो कि निर्धारित किया गया हो"]

यहां पर "निर्धारित" से तात्पर्य है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित।

†**श्री कामत :** जहां तक मुझे ज्ञात है 'निर्धारित' से तात्पर्य है अधिनियम के अधीन बने हुये नियमों के अधीन निर्धारित।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस संशोधन का संबंध संविधान से है, इस लिये इस के बारे में हम संविधान का अध्ययन करें। मंत्री जी अपने कथन को जारी रखें।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** संशोधन का अर्थ यह है, आपकी अनुमति से इसे मैं प्रस्तुत करता हूं:

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ९ पर---

पंक्ति २७ तथा २८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

["acting, to such extent as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify."]

["उस सीमा तक, जहां तक वह उचित समझे, प्रशासक द्वारा कार्य करते हुये, जिस का पदनाम वैसा होगा जैसा वह निर्धारित करे"] "He" ["वह"] से तात्पर्य है 'राष्ट्रपति'।

मैं समझता हूं कि मैंने पूछे गये सभी प्रश्नों का अच्छी प्रकार से उत्तर दे दिया है और आशा है कि अब ये सभी खण्ड स्वीकार कर लिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नवल प्रभाकर** (बाह्य दिल्ली—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : चूंकि दिल्ली कारपोरेशन के जो सदस्य चुने जायेंगे वही इलेक्टोरल कालिज (निर्वाचक गण) होंगे तो क्या दिल्ली कारपोरेशन का जो चुनाव होगा वह जनरल इलेक्शन (साधारण चुनाव) के साथ होगा ?

पंडित गो० ब० पन्त : यह जो दिल्ली कारपोरेशन के चुनाव की बात आप कह रहे हैं, तो चुनाव दो किस्म के हैं। जहां तक लोक-सभा के चुनाव का ताल्लुक है, वह तो जनरल इलेक्शन के साथ होगा, अब आया कारपोरेशन के लिये तब चुनाव होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तब तक हम कारपोरेशन एक्ट पास कर सकेंगे या नहीं। अगर कारपोरेशन एक्ट तब तक हम पास कर सके तो कारपोरेशन का चुनाव भी उसी के साथ साथ हो जायेगा, लेकिन अगर उसमें देरी हुई तो जाहिर है कि कारपोरेशन के चुनाव में भी देरी होगी।

श्री नवल प्रभाकर : उसके लिये कोई न कोई व्यवस्था करनी होगी क्योंकि वह अपर हाउस के लिये सदस्य चुनेंगे।

पंडित गो० ब० पन्त : जी हां, अगर वह नहीं हुआ तो उसके लिये कोई न कोई तरीका निकाला जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं खण्ड १७ के बारे में सरकारी संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ९ पर

पंक्ति २७ तथा २८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

" acting, to such extent as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify."

["उस सीमा तक जहां तक कि वह उचित समझे, प्रशासक द्वारा कार्य करते हुए, जिसका पदनाम वैसा होगा जैसा वह निर्धारित करे"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** संशोधन संख्या १६९ भी स्वीकार किया जा चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ९ की पंक्ति ३४ में—

"for the peace" ("शान्ति के लिये") शब्दों के बाद "progress" ("प्रगति") शब्द जोड़ दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री कामत :** मेरे सशोधनों के भावार्थ को गृह-कार्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है, इसलिये मैं अपने संशोधन संख्या १६७, १७४ तथा १७५ को वापिस लेता हूं।

†**श्री क० कु० बसु :** मैं भी अपना संशोधन संख्या २१ वापिस लेना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लें लिये गये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संख्या १६८ सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** खण्ड १७ के सम्बन्ध में और कोई संशोधन नहीं है । खण्ड १८ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या १७६ है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७६ सभा के मतदान के लियें रखा गयां और अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** खण्ड १९ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या १३१ है ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १० की पंक्ति १८ में--

"October" ["अक्तूबर"] शब्द के स्थान पर "November" ["नवम्बर"] रख दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ क, २१ तथा २१ क

†**अध्यक्ष महोदय :** अब और कोई संशोधन नहीं है । इसलिये अब हम खण्ड २ क, २१ तथा २१ क पर विचार करेंगे ।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : खण्ड २१ के बारे में मैं सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं, कि प्राथमिक शिक्षा किस श्रेणी तक समझी जायेगी । सामान्यतया प्राथमिक शिक्षा से हमारा तात्पर्य आठवीं या तीसरी श्रेणी तक होता है । क्या आपका तात्पर्य भी इसी श्रेणी तक की शिक्षा से है ?

†**पंडित गो० ब० पंत :** किसी भी समय पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी होगा, वह इस खण्ड में सम्मिलित समझा जायेगा । यदि किसी समय पर प्राथमिक शिक्षा २० वर्ष की आयु तक कर दी जाती है तो इस खण्ड में भी वही बात आ जायेगी । अतः यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी विशेष समय पर प्राथमिक शिक्षा से क्या अर्थ लिया जाता है ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं सर्वप्रथम संशोधन संख्या १९८ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह संशोधन संख्या १८३ का एक संशोधन है ।

सूची संख्या १९ के संशोधन संख्या १८३ में कहा गया है कि भाषा संबन्धी अल्पसंख्यकों के लिये, एक विशेष अधिकारी होगा । उपखंड दो में भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यक "groups" ["गुट"] शब्दोंका उपयोग किया गया है मेरे विचार से "groups" ["गुट"] शब्द निकाल जाना चाहिये तथा "linguistic minorities" ["भाषा सम्बन्धी अल्प संख्यक"] शब्द रखे जाने चाहिये । संविधान में इस सम्बन्ध में दो अनुच्छेद हैं २९ और ३० । अनुच्छेद २९ में "section" ["भाग"] शब्द का उपयोग किया गया है और अनुच्छेद ३० में भी "groups" ["गुट"] शब्द का उपयोग नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पंत** : मेरे विचार से हमें परस्पर समझौता कर लेना चाहिये। यदि आप कोई अन्य संशोधन प्रस्तुत न करे तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : वस्तुतः यह मेरा सौभाग्य है परन्तु ऐसा करना कठिन हैं। अब मैं संशोधन १९९ को लेता हूं यह भी श्री दातार के संशोधन के ऊपर आधारित है। इसका आशय यह है कि उसमें वह मूल खंड जोड़ दिया जाय जो कि संयुक्त समिति के समक्ष रखे गये मेरे प्रस्ताव में था जिसमें केन्द्रीय सरकार को निदेश जारी करने के अधिकार देने को कहा गया है। मेरे विचार से यह आवश्यक है और यदि हम इस उपबन्ध को सार्थक बनाना चाहते हैं तो केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रपति के द्वारा निदेश जारी करने के अधिकार अवश्य दिये जायं।

इस सम्बन्ध में कुछ भ्रांति हो गई है। मैंने संयुक्त समिति में इस पर आग्रह नहीं किया तथापि मैंने अपनी स्थिति को अपने विमति टिप्पण में अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर दिया था; और मैंने स्पष्ट शब्दों में अपना संशोधन भी प्रस्तुत किया जिससे आपको किसी प्रकार की भ्रांति न हो।

मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को मेरे दृष्टिकोण के बारे में भ्रांति हुई है। उन्होंने कहा है कि यथार्थ में मैंने वही मांग की है जिसकी राज्य पुर्नगठन आयोग ने सिफारिश की है। उन्होंने यह कहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने संविधान में केवल प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की सिफारिश की है मेरे विचार से यह सही नहीं है क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग ने स्पष्ट शब्दों में एक प्रक्रिया की सिफारिश की है जिसमें राज्यपाल केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन भेजेगा, उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि केन्द्रीय सरकार के निर्णय राष्ट्रपति के निदेशों के रूप में भेजे जायेंगे। वस्तुतः मैं वही मांग कर रहा हूं जिसकी सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग ने की है। उनकी यह सिफारिश पृष्ठ २१५ और २१६ में उल्लिखित है। यदि सभा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का आदर करती है और उनके द्वारा किये गये तर्कों को मानती है, तो उन्हें अवश्य इस सिफारिश को स्वीकार कर लेना चाहिये। मंत्री मंडल के एक मंत्री ने मुझसे कहा कि गृह मंत्री ने आपकी बातों को स्वीकार कर लिया है वे भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के आयोग का निर्माण करने तथा उसके प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने को सहमत हो गये हैं। अब राष्ट्रपति द्वारा निदेश जारी करने का उपबन्ध रखने के लिये आग्रह करना ठीक नहीं है। वस्तुतः यह एक संवैधानिक बात है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को ऐसे निदेश जारी करने का अधिकार नहीं है जिनमें वह यह देख सकें कि विधियां ठीक तरह से क्रियान्वित हो रही हैं। इसलिये इस अधिकार को विशेष रूप से उल्लिखित करने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में भी निदेश जारी करने का उपबन्ध राष्ट्रपति को अनुच्छेद ३३९ (२) के द्वारा प्राप्त है। यहां तक कि राष्ट्रीय आपात में भी निदेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को उल्लिखित अधिकारों द्वारा ही प्राप्त है।

वस्तुतः यह कोई रियायत का प्रश्न नहीं, सिद्धांत का प्रश्न है अर्थात् क्या अल्पसंख्यकों का दायित्व केन्द्र पर नहीं हैं। आयोग के मतानुसार भी उनके हिताहित का दायित्व केन्द्र पर निर्भर है। इससे न केवल एंग्लो इंडियनों और मुसलमानों को अपितु बंगाल में रहने वाले बिहारियों और बिहार में रहने वाले बंगालियों को भी रक्षण मिलेगा। श्री नि० चं० चटर्जी को यह ज्ञात होना चाहिये कि लगभग १० करोड़ व्यक्ति भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के अन्तर्गत आयेंगे।

दिल्ली के एक पुरातन पंथी समाचार पत्र ने अपने सम्पादकीय में अल्पसंख्यकों के बहु-संख्यकों में अन्तर्निहित हो जाने तथा पृथक्करण की भावना न फैलाने के संबन्ध में लिखा है। वस्तुतः वर्तमान अल्पसंख्यकों की स्थिति बिल्कुल भिन्न ह। वे बहुसंख्यकों में घुलमिल नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

सकते। बंगालियों को बिहार में भी अपनी मातृभाषा पढ़ने का अधिकार होगा। भले ही आर्थिक लाभ तथा सुविधा की दृष्टि से वे हिन्दी का अध्ययन करें लेकिन इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं होगा कि बंगाली बिहारियों में आत्मसात हो जायें।

निसंदेह हमारा संविधान संघ संविधान है। तथापि वह एकाई प्रकार का है। मैं केन्द्र से राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने को नहीं कह रहा हूं। मैं केवल यह चाहता हूं कि केन्द्र अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में अपने दायित्व को स्वीकार करे। मेरे विचार से इस में राज्यों को आपत्ति करने का कोई कारण नहीं होना चाहिये। जब केन्द्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर सकता है तो इस मामले में हस्तक्षेप करनें में राज्यों को क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री दातार ने जो संशोधन रखा है, उसके अनुसार भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यक के परित्राणों की देखभाल करने के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। ये परित्राण संविधान के अनुच्छेद २९ और ३० में दिये गये हैं। इसके अन्तर्गत शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हित चाहते है और आर्थिक, नौकरी तथा धर्म सम्बन्धी हित नहीं आते हैं। तब इसमें राज्य सरकारों को क्या आपत्ति है, इससे राज्यों के स्वायत्त शासन पर कोई आघात नहीं होता है। अतः अल्पसंख्यकों की भाषा या संस्कृति में किसी प्रकार का आघात होने पर वे सीधे केन्द्रीय सरकार तक अपनी शिकायतें पहुंचा सकते हैं। तथा राष्ट्रपति द्वारा निदेश जारी करने की मांग कर सकते हैं। वस्तुतः मैंने यह अधिकार केन्द्रीय सरकार को देने की ही मांग की है। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि हमारे वर्तमान गृह-कार्य मंत्री बहुत दिनों तक इस पद को सुशोभित करेंगे और उनके रहते हुए इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। वस्तुतः यह एक ऐसा अधिकार है जिनका उपयोग आपात काल में ही किया जायेगा।

अब मैं संशोधन संख्या २९ को लेता हूं। यह मेरे और श्री बैरो के नाम से है। निस्संदेह गृह मंत्री ने हमारी मांग बहुत अंश तक पूरी की है तथापि उनसे स्पष्टीकरण करने के आधार पर ही मैंने यह संशोधन रखा है। त्रावनकोर-कोचीन में मुझे यह कठिनाई हो रही है कि हमारे स्कूलों को त्रावनकोर-कोचीन राज्य मातृभाषा में एक परीक्षा के लिये सम्बन्धित कर रहा ह किन्तु वह एक बड़ी परीक्षा के लिये अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। क्या इस मामले में वे राज्य सरकार को स्पष्ट अनुदेश दे सकते हैं। वस्तुतः यह कठिनाई सभी भाषा सम्बन्धी अल्प संख्यकों को अनुभव हो रही है। डा० लंकासुन्दरम् ने भी बंगाल के आंध्र स्कूलों की कठिनाइयों का जिक्र किया है।

स्कूलों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्ध करने का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद ३१ पर आधारित है। जिसमें लिखा गया है कि प्रत्येक भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थायें चलाने का अधिकार है। इसी के बल पर मैं बम्बई सरकार के आदेश को भी रद्द करवा सका। किन्तु इतना होने पर भी त्रावनकोर सरकार ने मेरे स्कूल को पुरानी मद्रास हाई स्कूल परीक्षा के लिये भी इजाजत नहीं दी। क्योंकि त्रावनकोर सरकार कहती है कि मेरी अंग्रेजी की पुस्तकें मलयालम साहित्य का लिपि परिवर्तन मात्र होंगी। भला यह कैसे सम्भव है। आंध्र राज्य बनने के पश्चात् कई स्कूल आंध्र राज्य में चले गये लेकिन मेरा मत यह है कि आंध्र राज्य की एम० एस० एल० सी० परीक्षा हमारे स्कूलों की पांचवें स्टेन्डर्ड की परीक्षा के समान है। मैं अपनी भाषा बनाये रखना चाहता हूं लेकिन आप मेरे मानदण्ड को गिराना चाहते हैं। मैं राज्य की परीक्षा में बैठूंगा परन्तु अपनी भाषा की रक्षा के लिये मुझे उच्च परीक्षा भी देने दीजिये। एक १४ वर्ष के बालक से जिसकी मातृभाषा तेलेगु है, यह आशा नहीं की जा सकती कि उसका अंग्रेजी का ज्ञान उस व्यक्ति जितना हो जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है। मुझे केन्द्रीय सरकार और अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा मान्य परीक्षाएं भी तो देने की अनुमति होनी चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इन अमेंडमेंट्स (संशोधन) को मूव करना चाहता हूं, अमेंडमेंट सं० ३२, ४४, ४५, ४६, ४७ और ४८ ।

आज जो बहस ऐन्थनी साहब ने की है, उसके बारे में मैं सिर्फ दो या तीन मिनट लेना चाहता हूं। हमारे होम मिनिस्टर (गृह मंत्री) साहब नें फरमाया था कि उन्होंने अमेंडमेंट के उस हिस्से को तो मान लिया है जिस में एक कमिश्नर (आयुक्त) की तकर्ररी का जिक्र है और साथ ही जो उसकी रिपोर्ट होगी माईनारिटीज (अल्पसंख्यक) के मुतालिक, वह इस हाउस में डिस्कस होगी, लेकिन जो दूसरा हिस्सा डाइरेक्टिव (निर्देश) जारी करने का है, उस के बारे में होम मिनिस्टर साहब ने जो रीजन्स दिये, उन से ऐन्थनी साहब सैटिस्फाइड नहीं है। हमारे ऐन्थनी साहब ने जो अमेंडमेंट दिया है, जो कि सात आठ आदमियों का मुश्तर्का अमेंडमेंट है, उसी तरह के एक अमेंडमेंट को मैंने भी मूव किया है जिस में यह दिया गया है कि रिपोर्ट यहां पर डिस्कस भी हो और होम मिनिस्टर साहब डाइरेक्टिव भी जारी करें। इस पर होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वह डाइरेक्टिव जारी नहीं करना चाहते। वह सारी आसानियां देने को तैयार हैं लेकिन डाइरेक्टिव देने के सेफगार्ड (सुरक्षा) को नहीं कबूल कर सकते। मुझ इस से कोई शिकायत नहीं है, मैं तो सिर्फ आर्टिकल (अनुच्छेद) का खयाल करता हूं जिस में दर्ज है ।

"यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आन्तरिक उपद्रव से रक्षा करे और यह प्रबंध करे प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार हो।" जो चीजें कांस्टिट्यूशन के सेफगार्ड में हैं, अगर उस के मुताबिक किसी स्टेट का इन्तजाम नहीं होता, गवर्नमेंट कैरी नहीं होती, तो आर्टिकल ३५५ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) को जेनरल और इनहेरेंट (अन्तर्भूत) पावर मिली हुई है कि वह डाइरेक्टिव दे सकती है। उसके साथ अगर आर्टिकल ३६५ का मुलाहजा फरमाया जाये तो यह चीज और भी साफ हो जाती है। दफा ३६५ इस तरह है :

"जहां इस संविधान के उपबंधों में से किसी के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में दिये गये किन्हीं निदेशों का अनुवर्तन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल हुआ है वहां राष्ट्रपति के लिये यह मानना विधिसंगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता।"

चुनाचे जहां तक आर्टिकल ३५५ और ३६५ का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इनके द्वारा सैंटर को इनहेरेंट पावर मिलती है कि वह जब चाहे डायरेकशंस (निदश) इशू (जारी) कर सकता है। अभी मेरे दोस्त फ्रेंक एन्थनी साहब ने जो कहा उसके दौरान में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब तक किसी स्पेसिफिक (विशिष्ट) पावर (शक्ति) का किसी स्पेसिफिक सैक्शन (विशिष्ट धारा) में जिक्र न हो, उनकी राय में किसी को कोई अख्तियार नहीं हो सकता है। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि एक जेनरल पावर आर्टिकल्स (सामान्य शक्ति अनुच्छेद) ३५५ और ३६५ में दी गई है जिसको जब चाहा जाए, इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर होम मिनिस्टर साहब इस चीज को मुनासिब नहीं समझते कि इसका खास जिक्र इसके अन्दर हो और इसकी प्वाइंटिड रेफ्रेंस के तौर पर नहीं रखना चाहते, तो मैं इस पर जोर भी नहीं देना चाहता। मैं भी समझता हूं कि स्टेट्स नाराज़ हो सकती हैं और ऐसा एटमसफीयर क्रियेट हो सकता है जिस में होस्टिलिटी पैदा हो जाए। लेकिन जहां तक माइनौरिटीज़ का (अल्पसंख्यक) ताल्लुक है मैं इस आर्गुमेंट से ज्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हुआ हूं। जहां तक माइनौरिटी लिंग्विस्टिक (अल्पसंख्यक भाषा संबंधी) का ताल्लुक है इनका ज़िक्र स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन (राज्य पुनर्गठन) ने अपनी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में किया है और यह चीज़ हमारी खास तवज्जह के मुस्तहिक है। मैं मानता हूं कि स्टेट्स भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिस से किसी को कोई शिकायत का मौका मिले। लेकिन इस मामले में सैंटर का एक खास फ़र्ज है कि वह उनकी ज़िम्मेवारी ले।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सैंटर का फर्ज है कि वह सारे हिन्दुस्तान में ठीक हालात रखे। अगर ऐसी बात न हो तो ये जो आर्टिकल ३५५ और ३६५ हैं ये बिलकुल बेमानी हो जाते है। जहां पर माइनोरिटीज़ दुःखी हों वहां पर आपको दखल देना ही होगा। आज हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी वाले लोग माइनोरिटी में हो गये हैं। पंजाब के अन्दर ही ४० परसेंट की एक माइनोरिटी बन गई है। हमें यह आवश्य देखना चाहिये कि हम वही काम करें जिन से माइनोरिटीज़ यह फील करें कि उनके साथ इन्साफ हो रहा है और होगा। सेंटर ३५५ और ३६५ के मातहत जो चाहे कर सकता है। ताहम मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसको रखने में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। अगर इन आर्टिकल्स में डायरेक्टिवस का जिक्र न होता तो मैं मान सकता था लेकिन अब जब कि डायरेक्टिव का ज़िक्र हो चुका है, तो मैं कोई वजह नहीं देखता कि क्यों अख्तियार न दिया जाये। मैं यह इस लिये भी जरूरी समझता हूं कि रिआर्गेनाइज़ेशन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा और दर्जनों बार हमारे होम मिनिस्टर साहब ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज के साथ सिवाये इन्साफ के और कुछ नहीं होगा। आप यह कहते हैं कि होस्टिलिटी का एटमसफीयर (वातावरण) पैदा होगा लेकिन मैं समझता हूं कि जितना भी पिनल कोड है उस में सिवाय होस्टिलिटी (शत्रुता) के और कुछ नहीं है। जितने भी दुनिया के लाज़ होते हैं उनमें सिवाय होस्टिलिटी के कुछ नहीं होता। अगर सब लोग देवता बन जायें और उसी तरह से काम करने लग जायें तब तो किसी ला की ही जरूरत न रहे। लेकिन जिस दुनियां में हम रह रहे हैं उस में बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जिन को बहुत से लोग पसन्द नही भी करते हैं और उनको वे बातें पसन्द नहीं हो सकती हैं। यह बात तो है नहीं कि मामूली मामूली बातों पर आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे। जब तक वह कोई सीरियस चीज नहीं होगी आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। और फिर जब एक्शन लिया जाएगा वह किसी के द्वारा लिया जायेगा? वह लिया जाएगा बाई दी हाइएस्ट मैन इन दी कंट्री (देश के सर्वप्रमुख व्यक्ति) यानी बाई दी होम मिनिस्टर आफ दी गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार के गृह मंत्री)। वही डायरेक्टिव इशू कर सकेंगे। जिस तरह से आप कानून बना कर लोगों के दिलों में फीयर पैदा करने की कोशिश करते हैं उसी तरह से डायरेक्टिव की बात को यहां पर रख कर आप इस बात की व्यवस्था करेंगे कि स्टेट्स भी माइनोरिटीज़ की रिस्पेक्ट करें। मैं समझता हूं कि ऐसे कोई हालत ही पैदा नहीं होने दिये जायेंगे जिन में डायरेक्टिव इशू करने की जरूरत महसूस हो। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि यह पोज़ीशन ऐसी है जिस को रिकंसिडर किया जाना चाहिये और डायरेक्टिव की बात इसके अन्दर स्पेसिफिकली होनी चाहिए।

इसके अलावा मैंने कुछ अमेंडमेंटस दी हैं जिन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। सब से पहले मैं अपनी अमेंडमेंट नम्बर ३२ के बारे में अर्ज करूंगा। इसके द्वारा मैंने यह चाहा है कि 'प्रत्येक राज्य का यह प्रयत्न होगा' के स्थान पर यह लिख दिया जाए कि 'प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा'। यह जो फैसिलिटीज़ (सुविधायें) देने के बारे मे आप प्रोवाइड (उपबंध) कर रहे हैं मैं समझता हूं कि आप एक बहुत वैल्यूएबल राइट उनको दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इस पर अमल करना स्टेट्स के लिये मुश्किल हो। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि इस चीज़ को करना उनके लिये लाजिमी कर दिया जाना चाहिये। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि "ड्यूटी" ("कर्तव्य") के लफ्ज़ को "एंडेवर" ("प्रयत्न") की जगह रख दिया जाए। यह उनके लिए लाजिमी करार कर दिया जाना चाहिये।

अब मैं अपनी अमेंडमेंट (संशोधन) नम्बर ४४ से ४८ पर आता हूं। मैंने जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है उसको भी देखा है। जिन सेफगार्डस का कांस्टीट्यूशन में ज़िक्र है उनको भी मैंने पढ़ा है। सेफगार्डस (सुरक्षा) के बारे में आपने एक तो नई क्लाज़ इस बिल में नम्बर ३५० (ए) रखी है और दूसरे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो सर्क्युलर मेज पर रखा है उसके अन्दर उनकी और भी ज्यादा वजाहत कि गई है। इन दोनों की तहफ हमारी तवज्जह दिलाई गई है। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो सेफगार्डस सर्क्युलर के अन्दर हैं वे कांस्टीट्यूशनल सेफगार्डस (संविधानिक सुरक्षाएं) की वुक्कत रखते हैं। उनकी अपनी इम्पार्टेन्स है, इसको मैं मानता हूं लेकिन वह भी कांस्टीट्यूशनल सेफगार्ड हैं इसको मैं

नहीं मानता हूं। सेफगार्डस के बारे में कांस्टीट्यूशन में कुछ दफात हैं जो कि आर्टिकल २९, ३०, ३४७ और ३५० में दर्ज हैं। इनका संबंध स्पेशली (विशेषतया) शैडयूल्ड कास्ट्स (अनूसूचित जातियां), शैडयूल्ड ट्राइबस (अनुसूचित आदिम जातियां) और एंग्लो इंडियन से है। इसके अलावा कुछ सेफगार्डस का स्टेट रिआर्गेनाइज़ेशन कमिशन की (राज्य पुनर्गठन आयोग) रिपोर्ट में ज़िक्र है। मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि सेफगार्डस कौन लोग मांगते ह। इसके बारे में मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूं। जिन लोगों को कोई तकलीफ होती है वही इस बात को जानते ह कि उनको किस तरह की तकलीफ है, दूसरों को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। यहां पर यह कहा गया है कि जो इस तरह की शिकायत करते हैं वे अपने राइट्स (अधिकार) को एसर्ट (बल देना) नहीं करते हैं, इस वास्ते उनको तकलीफ होती है। इसके बारे में जब मैं दूसरी अमेंडमेंट पर आऊंगा, तब अर्ज करूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वे कौन से सेफगार्ड हैं जो मैं मांगता हूं। इनका ज़िक्र मैंने अपनी एमेंडमेंट नम्बर ४४ में किया है। उसके अन्दर मैंने चाहा है कि अल्पसंख्यक, भाषा भाषी दलों को स्थानीय स्वायत्त शासन, राज्य की परिषदों और मंत्री मंडलों में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

अपनीं अमेंडमेंट नम्बर ४५ के जरिये से मैंने यह चाहा है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कि वह अल्पसंख्यक भाषाभाषियों और पिछड़ी जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारें।

तीसरी बात जो मैंने अर्ज की है वह है अमेंडमेंट नम्बर ४६ में। यह इस प्रकार है:—

"प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रशासन में दक्षता की बात को ध्यान में रखते हुए और किसी विशेष पद अथवा किसी प्रकार की सेवा के लिए अपेक्षित व्यावसायिक अर्हता के अनुकूल सभी प्रकार की और सभी पदक्रमों की सेवाओं में नियुक्ति के लिये अल्पसंख्यक भाषा भाषियों के दावों को प्रभावी करें और उन पर उचित विचार करें।

ये तीन मेरी अमेंडमेंट्स हैं और बाक़ी जो अमेंडमेंटस् हैं वे एजेंसी को रिलेट करती हैं। उनका नम्बर ४७ और ४८ हैं। उन पर मैं बाद में आऊंगा।

इन तीन अमेंडमेंट्स के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सेफगार्डस मेरे दिमाग की निकाली हुई नहीं है। इन सेफगार्डस का यह जो कमिशन (आयोग) की रिपोर्ट है इसमें जगह—ब—जगह ज़िक्र है, लोगों की तकालीफात का ज़िक्र है, उनकी शिकायतों का ज़िक्र है। चुनाचे मैं होम मिनिस्टर साहब की तव्वजह इस रिपोर्ट के पेज २२६ की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर खास तौर पर इसका ज़िक्र आया है। इसका हेडिंग है रिजिनल ग्रीवेंसिस (प्रादेशिक शिकायतें)। तफसील में उन्होंने बहुत सी बातों का ज़िक्र किया है लेकिन इन तीन वातों का खास तौर पर ज़िक्र किया है। इनका इसी जगह पर ज़िक्र नहीं है बल्कि जगह—ब—जगह बहुत ज़िक्र है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की तकलीफों को लोगों ने हमारे सामने रखा है और उनका कोई इलाज किया जाना चाहिये। ये तकलीफात है इकोनोमिक (आर्थिक शिकायतें) आफ डिफ्रेंट एरियाज़ (विभिन्न क्षेत्रों की) के बारे में। उन्होंने ग्रीवेंसिस इसके बारे में एक खास तजवीज़ पेश को है। वे कहते हैं:—

प्रत्येक का यह कर्तव्य होगा :—

"जैसा हम पहले बता चुके हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिकतः यें शिकायतें बढ़ा चढ़ा कर की गई हैं। तो भी यह विचार करते हुए कि विभिन्न राज्यों में इन शिकायतों तथा विरोधी शिकायतों के कारण आन्तरिक झगड़े रहे हैं, हम यह आवश्यक समझते हैं कि उन लोगों का जो जनता में विश्वास पैदा कर सकें, एक निकाय नियुक्त करना चाहिये ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक शिकायतों की जांच कर सकें। यह अधिक अच्छा होगा कि इस निकाय में योजना आयोग के कुछ सदस्य हों और वे अपनी उपपत्तियां रा ट्रीय विकास परिषद को प्रस्तुत करें। हम अनुभव करते हैं कि इस प्रबंध से बहुत हद तक अविश्वास और तनाव की यह भावना समाप्त हो जाएगी कि कुछ क्षेत्रों को हानि पहुंचा कर अन्य के लिये विशेष ध्यान रखा जाता है। गवर्नमेंट में इस मुताल्लिक इस किस्म को कोई सेफगार्ड प्रोवाइड नहीं किया है, हालांकि स्टेटस री आर्गनाइज़ेशन कमीशन की रिपोर्ट में इस सिलसिले में एक स्पैसिफिक तजवीज़ मौजूद थी।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जनाबे वाला मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर मैंने इस में ऐसी कौन सी लम्बी चौड़ी डिमांड की है, जिससे सरकार को इतनी तकलीफ होती है और वह इसको मंजूर नही करना चाहती है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लासिज़ (पिछड़ी जातियों) और लिंग्विस्टिक माइनारिटीज़ की इकनामिक (आर्थिक) और सोशल कन्डीशन्ज़ (सामाजिक स्थिति) को दूसरे इलाको के बराबर—**इन लाइन विद**—लाने का इन्तजाम किया जाये। उनका शोशल और इकानामिक प्राग्रेस को स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेंदारी करार दे दिया जाये। इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता हूं। परसों खुद हमारे मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर फरमाई, वह मेरा सब से बड़ा बुलवर्क है। उन्होंने फरमाया कि आइन्दा ऐसा किया जायगा। मैं मानता हूं—और मुझे पूरी उमीद है कि उन की उम्मीद बर आयेगी, लेकिन मेरी अर्ज यह है कि जिन स्टेट्स में इस किस्म की खराबियां आज से नही, बल्कि सैंकड़ों सालों से चली आ रही हैं, उन पर इसका क्या असर होगा। हमारे कांस्टीट्यूशन (संविधान) के आर्टिकल (अनुच्छेद) १४ और १५ में हर एक इंडिविजुअल (व्यक्ति) को ईक्वल राइट्स की गारंटी दी गई है। मैं चाहता हूं कि वह राइट्स कुछ ग्रुप्स आफ परसन्ज़ को दे दिये जायें। मैंने यह कोई नई बात नही रखी है। इससे आप का—या किसी और का— कोई नुक्सान नहीं होने वाला है। अगर आप इस को मंजूर फरमायेंगे, तो इससे उन लोगों को पोज़ीशन बेहत्तर होगी, उनका मारल फ़ाइबर मज़बूत होगा, जो कि इस वक्त गिरे हुए हैं और जिन को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं—जिन के बारे में आप फरमाते हैं कि वे लड़कर, कोशिश कर के अपने राइट्स को हासिल करें। मैं यह चाहता हूं कि स्टेट्स को यह मौका न दिया जाये कि अगर वे चाहें तो उन गिरे हुए तवकों को नज़र अन्दाज कर दें, उन को उन के हक़ूक न दें और उनकी परवाह न करें। मेरी अमेंडमेंट ४७ और ४८ की मंशा यह है कि जो सेफगार्डज़ लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के लिए रखे गये है, सैंट्रल गवर्नमेंट इस बात का इन्तजाम करे कि जिन तवकों के लिए वे रखे गए हैं, वे उन से फायदा उठा सकें। वह वक्त वक्त पर इस सारे मामले को इन्वेस्टीगेट (जांच) कराए और अगर जरूरत हो तो इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्टिव्ज़ (निर्देश) दे। यह स्टेट्स के लिए इस बात का कनस्टेंट रिमाइंडर रहेगा कि वह इस तरफ पूरी तवज्जह दे और इसको नजर-अन्दाज न करे। इस के अलावा जो लोग अपने हक़ूक को हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, उनको इस से ताकत मिल जायेगी और उन के राइट्स मिल जायेंगे। हमारे कांस्टीटयूशन की बुनियाद ही यही है कि वह हर एक इंडिविजुअल को उस के फंडामेंटल राइटस (मूल अधिकार) की गारंटी देता है और उसको अपने पांव पर खड़ा होने और तरक्की करने का मौका मुहैया करता है। हमारे यहां जितने भी लाज़ बनते है, वे सब इस बेसिस पर बनाये जाते हैं कि जो आदमी अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है, उसको ताकत देनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए और उसको तरक्की करने का मौका देना चाहिए। अगर इन अमेंडमेंट्स को मंजूर कर दिया जाय, तो सब पिछड़े हुए लोग इस को वैलकम करते। ये प्राविज़न्ज़ आर्टिकल १४ और १५ के साथ कांस्टीट्यूशन का बुलवर्क बन जाते और उस में और खूबसूरती पैदा कर देते।

जहा तक लोकल सैल्फ गवर्नमेंट बाडीज़ (स्थानीय स्वायत्त शासन निकाय), कौंसिल और कैबिनेट में रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन (उचित प्रतिनिधित्व) का ताल्लुक है, उसके मुताबिक हमारे दोस्त श्री देशपांडे ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह उसूल कब अमल में लाया जाएगा। मैं जानता हूं कि स्टेटस् में आठ आठ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन बरसों तक उन में पिछड़े हुए इलाकों का सिर्फ एक मिनिस्टर रहा। मेरा मतलब यह नहीं है कि जिलेवार मिनिस्टर बनाए जाएं या पापुलेशन (जनसंख्या) के बेसिस (आधार) पर बनाए जायें। मैं जानता हूं कि जब कांस्टीटयूशन बनाया गया, उस वक्त इस किस्म की कई तजवीज़ सामने आईं, लेकिन हमने उन को मन्जूर नहीं किया। हमने सिर्फ इतना लिखा है कि लिंग्विस्टिक माइनारिटीज़ (अल्पसंख्यक भाषा भाषी) को रीजनेबल रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय—उनको बिलकुल महरूम न कर दिया जाय। अपने फ़ायदे के लिए उन के साथ ज्यादती न की जाय। यह मुनासिब नहीं है। मैं अर्ज करता चाहता हूं कि यह कोई नई बात नहीं है—पहले पहल मैंने ही इसको पेश किया था। कई मुल्कों में—कैनेडा में और स्विट्जरलैंड में इस उसूल को माना गया है और इस पर अमल किया जाता है। रिपोर्ट में भी इस का जिक्र है और इस को माना गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कैबिनेट को छोड़ दीजिए, लोकल

बाडीज़ में भी पिछड़े हुए तक्कों का रिप्रेजेन्टेशन निहायत जरूरी है । पंजाब में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (जिला बोर्ड) के इलैक्शन्ज़ (निर्वाचन) हुए और उनमें एक खास इलाके के आदमी नामीनेट हो गए और हमारे चीफ मिनिस्टर ने उसको हटा दिया ।

जहां तक कौंसिल में रिप्रेजेन्टेशन का ताल्लुक है, इस सिलसिले में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंटस् को नामीनेशन (नामनिर्देशन) की पावर (शक्ति) है । क्या वजह है कि आप यह प्राविजन न रखें कि इस पावर के इस्तेमाल में सब का ख्याल रखें ? इस अमेंडमेंट की मंशा यह नहीं है कि किसी परसेंटेज के नुक्ता–ए–नज़र से नामिनेशन किया जाय । मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि किसी कौंसिल में भी लिंग्विस्टिक माइनारिटीज को रीजनेबिल रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिए और उन को नज़र–अन्दाज़ न कर दिया जाये ।

अपनी अमेंडमेंट ४६ पर मैं खास जोर देना चाहता हूं । इस में दर्ज है कि प्रशासन की दक्षता और व्यावसायिक अर्हताओं का ध्यान रखते हुए अल्पसंख्यक भाषा भाषियों की सेवाओं में नियुक्ति का ध्यान रखा जाए । जनाबे वाला, यह सारे देश में ट्रबल का एक प्रालिफ़िक सोर्स है । चाहे युनिलिंगुअल स्टेट (एक भाषा भाषी राज्य) हो या बाईलिंगुअल स्टेट (द्वीभाषा भाषी राज्य) हो, हर जगह माइनारिटीज़ की यह शिकायत है कि पब्लिक सर्विसेज़ के मामले में हमारे साथ इन्साफ नहीं हुआ है । यह सही होगा कि कई केसिज़ में इस बारे में एग्ज़ेजेरेटिड कम्पलेंट्स (बढ़ी चढ़ी हुई शिकायतें) होती हैं–लेकिन सब जगह नहीं । मैंने इस हाउस में कई मर्तबा इस सिलसिले में फ़िगर्ज पढ़ कर सुनाए हैं । इस वक्त मैं **एड नाज़ियम** उन को बार बार दोहरा कर इस हाउस का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूं । क्लाज़ २२ में आप ने विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात के तीन अलग डेवेलपमेंट बोर्डज् (विकास बोर्ड) प्रोवाइड किए हैं, तीनों हिस्सों के लिए डेवेलपमेंटल एक्सपेंडीचर (विकास व्यय) के लिए फंड्ज की ईक्विटेवल (समन्याय) एलोकेशन (बंटन) गारंटी (प्रत्याभूति) की है और उसके साथ ही साथ उन तीनों हिस्सों के लिये **एडीक्वेट आपरचूनिटीज फार एम्पायमेंट इन सर्विसेज** (सेवाओं में नियुक्ति के लिये उपयुक्त अवसर) भी प्रोवाइड की है । गवर्नमेंट ने उसमें इस प्रिन्सिपल को मान लिया है कि सब तवकों और इलाकों को सर्विसेज़ में ड्यु रिप्रेजेन्टेशन (उचित प्रतिनिधित्व) दिया जाय । मैंने अपनी एमेंडमेंट में यह लिखा है कि लिंग्विस्टिक माइनारिटीज़ को सर्विसेज में हिस्सा देना चाहिए। उस में मैंने यह नहीं कहा है कि आप गलत आदमियों को मुकर्रर कर दें । **मैंने** यह कहा है कि आप बैस्ट एवेलेबल टेलेन्ट का फायदा न उठायें । मैंने यह कहा है कि इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) की एफिशिएन्सी (दक्षता) और टैक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन्ज़ (व्यवसायी अर्हताएं) का पूरा पूरा ख्याल रखा जाय। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल ३३५ में शैड्यूल्ड कास्ट एन्ड ट्राइब्ज के मुताल्लिक भी यह प्रोवाइड किया गया है कि उनको रिप्रेजेन्टेशन देते वक्त एफिशिएन्सी आफ एडमिनिस्ट्रेशन का भी ख्याल रखा जाय । मैं इस आर्टिकल से आगे नहीं जाना चाहता हूं । मेरा मतलब यह नही है कि आप लिंग्विस्टिक माइनारिटीज़ के क्लेम्ज़ को एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएन्सी और उन की क्वालिफिकेशन्ज़ का ख्याल किए बिना कन्सिडर करें और उन्हें मन्जूर करें । ऐसा कहना बिलकुल अननेशनल होगा । मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि किसी भी खित्ते तबके को यह कहने का मौका न मिले कि उसके साथ इन्साफ नहीं किया गया है । मैं जानता हूं कि नये लैजिस्लेचर्ज़ (विधान मंडलों) में ये झगड़े चलेंगे । मैं नहीं चाहता कि इस किस्म के झगड़े चलें, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक इस किस्म के झगड़े मौजूद हैं, उनकी परवाह न करना और उनकी तरफ से आंख मींच लेना किसी भी तरह से ज़ायज़ और मुनासिब नही है । जिस स्टेट से मैं आता हूं, वहां पर इस किस्म की जो शिकायत है, उसको रिपोर्ट में भी तसलीम किया गया है और कहा गया है कि हमारे पास इस किस्म की बहुत शिकायतें आई हैं। वे शिकायतें इतनी सख्त है कि उनकी इन्टेन्सिटी को सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं, जो कि वहां रहते हैं ।

जिस तरह की यह अमेंडमेंट वर्डिड (शब्दावली) है, वह पहले से ही कांस्टीट्यूशन में मौजूद है और उसके साथ कनसिस्टेंट (संगत) है। खुद होम मिनिस्टर साहब ने जिस सर्कुलर को उन्होंने हाउस के टेबल पर रखा है, उस में पैराग्राफ (कण्डिका) १५ में उन्होंने इस का ज़िक्र किया है कि कई जगह हम को यह तरीका अख्तियार करना

[पंडित ठाकूर दास भार्गव]

पड़ेगा। गरीबनवाज, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वह यह बात किसी सर्कुलर (परिपत्र), मेंमोरेंडम (ज्ञापन) तक या ज़बानी एशोरेंस (आश्वासन) तक महदूद न रहे, बल्कि वह कांस्टीट्यूशन में दर्ज हो जाय। इससे हमारे कांस्टीट्यूशन को चार चांद लग जायेंगे। मैं चाहता हूं कि जिस पालिसी को होम मिनिस्टर साहब ने मन्जूर किया है और जिस का उन्होंने एलान किया है, वह हमारे कांस्टीट्यूशन में हमेशा के लिए एनश्राइन हो जाय, ताकि जब हम सब यहां से चल दें और होम मिनिस्टर साहब भी अपनी आंख मूंद लें, तब भी यह पालिसी इस मुल्क की एक डिक्लेयर्ड पालिसी रहे—कांस्टीट्यूशन का एक हिस्सा रहे और वह हमेशा के लिए परपैचुएट (स्थायी) हो। मेरा असली मकसद यह है कि इस देश में ज्यादा से ज्यादा शान्ति हो और यहां का हर एक इलाका और हर एक तबका पूरी तरक्की करे और उसको तरक्की के पूरे मौके मिले। मैं समझता हूं कि इस पर किसी को आबजेक्शन (आपत्ति) नहीं होनी चाहिए।

अब मैं आप की तवज्जह अपनी अमेंडमेंट ४७ और ४८ की तरफ दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वक्त बहुत कम है, इस लिए ज़रा मुख्तसर फ़रमा दीजिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अच्छा जनाब, मैं किसी दूसरे मौके पर अर्ज करूंगा। क्या २१ ए भी इसी ग्रुप में है?

उपाध्यक्ष महोदय : इसी में है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : खैर, मुझे क्लाज़ २२ पर बोलन का मौका मिलेगा। उस वक्त मैं कुछ वक्त लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ज़रूर।

†**श्री रा० न० सिं० देव** (कालाहांडी—बोलनगिर): कल मैं ने संशोधन संख्या २५ और २६ की पूर्व सूचना दी थी। वे आज रखे जाने थे परन्तु कार्यवाही के विवरण में उन्हें अस्वीकृत दिखाया गया है इस लिये मैंने नया संशोधन संख्या २१८ रखा है।

मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने मेरे संशोधन के खण्ड १ और २ को संशोधन संख्या १८३ में स्वीकार कर लिया है, मैं यह देख रहा हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अल्पसंख्यकों को जो सुरक्षा देने का निर्णय किया है, वे काफी नहीं हैं।

इन प्रस्तावों में राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन की कंडिका ७८३ और ७८४ में की गई सिफारिश के अनुसार यह सुझाव दिया गया ह कि अल्पसंख्यक वर्गों की भाषाओं को राज भाषा मानने के लिये अनुच्छेद ३४७ के अधीन राष्ट्रपति द्वारा अनुदेश निर्गमित किये जाने चाहिये। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश यह थी कि जहां एक भाषा संबंधी वर्ग की जनसंख्या ७० प्रतिशत या इस से अधिक हो केवल उसे ही एक भाषी राज्य मानना चाहिए और जहां ३० प्रतिशत या इस से अधिक अल्प संख्यक वर्ग हो उसे द्विभाषी राज्य मानना चाहिए। अधिकतर राज्य एक भाषी हैं केवल बम्बई तथा पंजाब के नए राज्य ही द्विभाषी राज्य हैं। इन दोनों राज्यों में दोनों मुख्य भाषाओं में से किसी एक को अल्पसंख्यकों की भाषा मानने का प्रश्न ही नही उत्पन्न होता है। इस लिए भारत के किसी राज्य में भी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्ग पर यह परित्राण लागू नही होगा।

इसी प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन की कंडिका ७८४ के अनुसार जिलों के संबंध में भी ७० : ३० प्रतिशत सूत्र को ही कसौटी मानने का सुझाव दिया गया है। मैं ने १६५१ के जनगणना प्रतिवेदन, १६५४ के पत्र १ को पढा है और सारे भारत में एक भी जिला ऐसा नहीं है

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां पर यह सूत्र लागू हो सके। ऐसा कोई भी जिला नही है जहां पर कोई ऐसा वर्ग हो जो ७० प्रतिशत या इस से अधिक भाषा भाषी वर्ग हो और सम्पूर्ण राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग भी हो। यदि आप जनगणना प्रतिवेदन को देखें तो सारे भारत में एक भी ऐसा जिला नही है जहां अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा लगभग १५ प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हो और अन्य भाषा में परिपत्र तथा अधिसूचना निर्गमित करने के लिये सुझाव के अनुसार यह शर्त अनिवार्य है। मुश्किल से ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां अल्पसंख्यक वर्ग १ या २ प्रतिशत से अधिक होगा।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : क्या ऐसी कोई नगरपालिका या निगम भी नही है जहां अल्प संख्यक भाषा वर्ग २० या ३० प्रतिशत से अधिक हो ?

†**श्री रा० ना० सिं० देव** : ऐसी नगरपालिकायें हैं और कलकत्ता, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम तथा अन्य कई निगम है। आसाम में काचर जिला भी है जहां ७७ प्रतिशत बंगला भाषा भाषी हैं और १० प्रतिशत हिन्दी भाषा भाषी हैं। आसामी भाषा भाषी व्यक्तियों की प्रतिशतता बहुत ही कम है। परन्तु वहां भी बंगाली जन संख्या को यह परित्राण प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि आसाम की कुल जनसंख्या का वे १५ या २० या ३० प्रतिशत नहीं हैं। इसलिये इस परित्राण का और लाभ नहीं है। इसी प्रकार अन्य नगरों तथा निगमों में भी यही स्थिति है। यही कारण है कि मैंने अपने संशोधन में यह सुझाव दिया था कि जिस संबंधित जिले या सब-डिवीजन (उपविभाग) में अल्पसंख्यक वर्ग वास्तव में बहुसंख्यक वर्ग है उसे ये परित्राण दिये जाने चाहिये और किसी विशिष्ट क्षेत्र में एकल बहुसंख्यक भाषा को जिला या सब-डिवीजन या ताल्लुक या नगरपालिका की राजकीय भाषा मानना चाहिये। इसीलिये राज्य पुनर्गठन आयोग ने हैदराबाद और बम्बई का उदाहरण दिया है जहां पर जिलों या ताल्लुकों में राज्य की सरकारी भाषा नहीं बल्कि अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा ही सरकारी भाषा होती थी। इसलिये गृह-कार्य मंत्रालय को इस प्रश्न पर पुनः विचार करना चाहिए ताकि भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों को ये परित्राण क्रियात्मक रूप में मिलने संभव हो सकें।

अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा के अतिरिक्त राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अलाभ भी हैं, इस समस्या का वास्तविक समाधान यह है कि जहां तक संभव हो अल्प संख्यक वर्गों को कम किया जाए इसी उद्देश्य से सीमा आयोग की नियुक्ति का सुझाव दिया गया था। राजनैतिक दृष्टिकोण से एक बहुसंख्यक भाषा संबंधी वर्ग को कम करके अल्पसंख्यक वर्ग बना कर सीमा के गलत ओर रखना अनुचित है। इसी से निर्योग्यतायें और अलाभ उत्पन्न होते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया है।

मेरे मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी आर्थिक तथा सेवाओं आदि के मामले में निर्योग्यताओं के कई उदाहरण दिये हैं। आप जानते हैं कि १८ मई, १९४८ को सरायकेला तथा खारस्वान के दो राज्य बिहार के हस्तांतरित किए गए थे और कुछ ही दिन बाद बिहार के मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि उनकी सरकार उड़िया भाषा भाषियों की भाषा, संस्कृति तथा वैयक्तिक अधिकारों की सुरक्षा करेगी। कुछ ही दिनों बाद २२ जून, १९४८ को एक अधिसूचना द्वारा उड़िया के स्थान पर हिन्दी भाषा को न्यायालय की भाषा के रूप में पुरःस्थापित किया गया था। इसके शीघ्र ही बाद उन राज्यों में ७४३ पदाधिकारियों को या तो पदच्युत किया गया या निवृत्ति के लिये विवश किया गया। कुछ मामलों में तो तहसीलदारों और सब-इन्स्पेसक्टरों को चपरासियों का पद ग्रहण करने के लिए कहा गया था। ७४३ में से केवल १९७ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से बिहार सेवा में रखा गया है। आज तक किसी भी स्थानीय एक व्यक्ति को लिपिक या चपरासी के पद पर नियोजित नहीं किया गया है।

पहिले आदित्यपुर में श्रमिकों को नौकरी दिलाने का एक कार्यालय हुआ करता था जिसके द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को काम मिलने में सुविधायें मिलती थी। अब इसे बन्द कर दिया गया है।

पहिले ५७ उड़िया स्कूल थे जिन में से . . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन अस्वीकार हो चुका है इसलिये माननीय सदस्य को इस की अधिक चर्चा नहीं करनी चाहिए ।

†**श्री रा० ना० सिं० देव** : मैं शिक्षा की कठिनाइयां बता रहा हूं और यह बताना चाहता हूं कि प्रस्तावित परित्राण किस प्रकार अपर्याप्त हैं ।

पहिले ५७ उड़िया स्कूल थे जिनमें से १९ उड़िया एवं बंगाली स्कूल थे और सरायकेला में केवल एक हिंदी स्कूल था । इनमें से १३ उड़िया स्कूलों को हिन्दी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया है । १९५४ तक ३६ नये हिन्दी स्कूल खोले गये थे परन्तु कोई भी उड़िया स्कूल नहीं खोला गया है । यद्यपि लड़कियों के स्कूलों में विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या उड़िया भाषा भाषी है तथापि उस स्कूल में एक भी उड़िया अध्यापिका नहीं है । यही स्थिति खारस्वान की है । इसीलिए मेरा फिर यही निवेदन है कि समस्या का वास्तविक समाधान यह होगा कि अल्पसंख्यक वर्ग को न्यूनतम सीमा तक कम किया जाए और एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाए ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : माननीय गृह-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित खंड २१ के संबंध में संशोधन संख्या १८३ का उन सभी व्यक्तियों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए जो भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों का प्रभावकारी सुरक्षण चाहते हैं । संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित होने पर इस कारण अत्यन्त निराशा हुई थी कि अनुच्छेद ३५० क को उसे लागू करने के लिए बिना अग्रेतर उपबन्धों के, जोड़ दिया गया था । अब संशोधन संख्या १८३ को मुझे आशा है एकमत स्वीकार किया जायेगा ।

एक प्रस्ताव यह है कि संशोधन संख्या १८३ में एक अग्रेतर खंड ३ जोड़ा जाना चाहिये जिसमें राष्ट्रपति को निदेश निर्गमित करने के लिये अधिकार दिये जायें । माननीय गृह-कार्य मंत्री ने इस सुझाव को स्वीकार नही किया है परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि प्रस्तावित अनुच्छेद ३५० ख के (१) तथा (२) खंडों को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाये तो भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यक वर्गों के लिये वे बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे ।

जहां तक निदेश निर्गमित करने का प्रश्न है प्रस्तावित अनुच्छेद ३५० क में इस सम्बन्ध में उपबन्ध है । अब जो प्रस्तावित अनुच्छेद ३५० ख ह वह अनुच्छेद ३५० क का सहायक अनुच्छेद है । मुझे विश्वास है कि संसद् में प्रस्तावित अनुच्छेद ३५० ख के अधीन जिस प्रतिवेदन पर चर्चा की जायेगी वह प्रस्तावित अनुच्छेद ३५० क में इस उपबन्ध द्वारा शासित होगी कि राष्ट्रपति, संसद् की सिफारिशों के अनुसार निदेश निर्गमित करेंगे ।

निःसंदेह प्रस्तावित अनुच्छेद ३५० क केवल प्रारम्भिक शिक्षा तक ही सीमित है । मेरे विचार में इस प्रक्रम पर यह उपबन्ध पर्याप्त होगा और मुझे विश्वास है कि जिस भावना से इसे प्रस्तावित किया गया है उसी के अनुसार इसे कार्यान्वित किया जायेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव के इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूं कि प्रस्तावित अनुच्छेद ३५० क में 'endeavour' ('प्रयास') शब्द के स्थान पर 'duty' ('कर्त्तव्य') शब्द रखा जाये । मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । 'कर्त्तव्य' शब्द अधिक उपयुक्त होगा ।

भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यक वर्गों के मामलों में जिन संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है, जैसे कि सेवाओं में उनके नियोजन के सम्बन्ध में, उनका कुछ महत्व है । जैसा कि मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि आर्थिक समस्या, जीविका की समस्या, रोजगार की समस्या आदि समस्यायें मातृभाषा की समस्या से भी अधिक महत्वपूर्ण है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जैसा कि योजना आयोग द्वारा दृष्टिपात किया गया है हमें रोजगार की पूर्णत: व्यवस्था करने में लगभग पन्द्रह या बीस वर्ष अभी लगेंगे। हम तब तक भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यक वर्गों को सरकार की सेवाओं में नौकरी देने की समस्या की ओर से आंखें नहीं मूंद सकते हैं। मुझे आशा है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री इस बात पर विचार करोगे और या तो पंडित ठाकुर दास भार्गव का सुझाव स्वीकार करेंगे या राज्यों को यह अनुदेश या निदेश निर्गमित करेंगे कि यहां जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें वे कार्यान्वित करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खंड २ क, २१ तथा २१ क के संबंध में सदस्यों ने निम्न संशोधन करने की इच्छा प्रकट की है : खंड २ क (नवीन)—१५१, २९, ११७, १५२, १५३, खंड २१—२७, २८, ३२, १७८ वही जो ३२ है, १७७, २३, १८२, १८३ (सरकारी) १९८, १९९, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ११३, ८४, ८५, २००, २०१, २१८, २२०, (सरकारी) खंड २१ क (नवीन)—३५, ३४।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** आप अब नये खंड २१ क को ले रहें हैं तो मेरा संशोधन संख्या २१६ भी संशोधनों की सूची में सम्मिलित कर लीजिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जी हां। पंडित ठाकुर दास भार्गव संशोधन संख्या ३४ के भाग (३) को छोड़ कर अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि भाग तीन को इसमें से निकाल देने से वह संशोधन संख्या २१६ ह।

निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :—

प्रस्तावक का नाम	**खंड संख्या**	**संशोधन संख्या**
श्री श्रीनारायण दास . .	नया २-क	१५१, १५२, १५३
श्री फ्रैंक एन्थनी .	,,	२९
श्री सै० वें० रामस्वामी .	,,	११७
श्री रा० न० सिंह देव .	२१	२७
श्री दशरथ देव	,,	२८
पंडित ठाकुर दास भार्गव	,,	३२
श्री कामत	,,	१७७, १७८, १८२
श्री क० कु० बसु	,,	२३

†**श्री दातार :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ११—

पंक्ति ३ के पश्चात् जोड़िये :

"350-B. Special officer for linguistic Minorities.—(1) There shall be a special officer for linguistic minorities to be appointed by the President.

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

(2) It shall be the duty of the special officer to investigate all matters relating to the safeguard provided for linguistic minority groups under this Constitution and report to the President upon those matters at such interval as President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament."

["**३५०-ख भाषावार अल्पसंख्यकों के लिये विशेष पदाधिकारी.**—(१) भाषावार अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा ।

(२) विशेष पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि इस संविधान के अन्तर्गत भाषावार अल्पसंख्यकों दलों के लिये जिन संरक्षणों की व्यवस्था की गयी है उनके सम्बन्ध में सभी मामलों की जांच करे और ऐसे कालावधि समय समय पर जैसा कि राष्ट्रपति निदेश दे उन मामलों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दे, और राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा ।"]

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि श्री दातार द्वारा रखे गये संशोधन में जिसकी संख्या संशोधनों की सूची संख्या १९ में १८३ छपी है ;

उप-खंड (२) में :

"minority groups" ("अल्पसंख्यक दलों") के स्थान पर "minorities" ("अल्पसंख्यक") शब्द रखा जाये ।

संशोधन संख्या १९९, ४४, ४५, ४६, ४७ और ४८ प्रस्तुत हुए ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : श्री वि० घ० देशपांडे, श्री मुनिस्वामी (वान्दिवाश) और श्री रा० ना० सिं० देव ने अपने संशोधन संख्या ११३, ८४, ८५, २००, २०१ और २१८ प्रस्तुत किये ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संशोधनों की सूची संख्या १९ में श्री दातार के संशोधन संख्या १८३ में—

खंड (२) में, अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"and sent to the Governments of the states concerned" ["और सम्बधित राज्यों की सरकारों को भिजवायेगा"]

नया खण्ड २१-क

श्री फ्रेंक एंथनी और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने संशोधन संख्या ३५ और ३४ (भाग ३ छोड़ कर) प्रस्तुत किये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सब संशोधन सभा के सामने हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : श्री एन्थनी ने अपने भाषण में भाषाई अल्पसंख्यकों का पक्ष लेते हुए बहुत कुछ कहा है। एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र ने इस विषय की काफी आलोचना की है और शायद इसीलिये उनके दिल को कुछ चोट पंहुची है। उस पत्र में कहा गया है कि एक अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति का तभी स्वागत किया जा सकता है जब कि अल्पसंख्यक जातियां भविष्य में अपना पृथक् अस्तित्व बनाये रखना पसन्द न करें बल्कि अन्य जातियों के ही समान अपने आप को राष्ट्र में मिला दें।

यद्यपि मैं प्रायः कांग्रेस पत्रों की राय से सहमत नहीं होता हूं किन्तु इस बार बड़ी ही महत्वपूर्ण राय प्रकट की गयी है।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी अपने रिपोर्ट के पृष्ठ २०७ की कण्डिका ७६८ में कहा है कि अल्पसंख्यकों को आवश्यकता से अधिक परित्राण देना वांछनीय नहीं है क्यों कि इससे एक संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में बाधा पड़ेगी। किन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि अल्पसंख्यकों को अपनी उन्नति का अवसर न दिया जाये। माननीय मंत्री ने जो ज्ञापन परिचालित किया है वह महत्वपूर्ण है और उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

अब मैं श्री फ्रेंक एन्थनी का ध्यान विशेष रूप से रिपोर्ट के इस अध्याय की अन्तिम कण्डिका की ओर आकर्षित करता हूं जिसका आशय यह है कि बहुसंख्यक दल को अल्पसंख्यक दल का हितैषी होना चाहिये।

श्री दातार के संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया जायेगा जो उन से सम्बन्धित मामलों की जांच करेगा। किन्तु मैं समझता हूं कि इन मामलों की जांच में एक दो वर्ष अवश्य लगेंगे और सम्बन्धित व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं हो सकेगा। उदाहरण के लिये बिहार में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बंगाली रहते हैं और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में बिहारी रहते हैं। वहां पर भाषा सम्बन्धी अनेक शिकायतें निश्चित रूप से पैदा होंगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार से श्री फ्रैंक एंथनी का संशोधन बहुत कुछ ठीक है। मान लीजिये कि बिहार में रहने वाले बंगाली छात्र विश्वभारती में प्रवेश करना चाहें या उड़ीसा के छात्र प्रभाकर परीक्षा में बैठना चाहें तो उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। यदि वे अपनी शिकायतें विशेष पदाधिकारी के पास भेजेंगे तो उनका फैसला होने में ही बहुत समय लग जायेगा।

मैं आशा करता हूं कि श्री एन्थनी के संशोधन पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा। ऐसा करने से संसद् के किसी प्राधिकार की उपेक्षा नहीं होगी।

भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या लगभग सभी राज्यों में पैदा होगी क्योंकि प्रायः सभी जगह एक से अधिक भाषायें बोली जाती हैं और सभी भाषाओं को अपने अपने क्षेत्र और अंतर्क्षेत्र विद्यमान हैं। यद्यपि अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत अधिकार है। तथापि इसकी रक्षा के लिये निर्धन व्यक्ति अथवा हरिजन या आदिवासी उच्चतम न्यायालय तक नहीं जा सकते। हम देखते हैं कि कुछ उच्च न्यायालयों में मूलभूत अधिकारों सम्बन्धी पांच हजार तक अर्जियां रखी हुई हैं और उनका निबटारा होने में काफी समय लगेगा।

अतः यदि माननीय गृह-कार्य मंत्री उचित संशोधन कर लें तो यह समस्या हल हो सकती है। सरकार का जनता के प्रति यह कर्त्तव्य है कि वह उस के अधिकारों का ध्यान रखें। अनुच्छेद ४५ में कहा गया है कि देश के १४ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयत्न किया जायेगा। सरकार को चाहिये कि वह इस का प्रबन्ध करे। मैं तो एक बार फिर इस बात पर जोर देता हूं कि माननीय मंत्री को उचित संशोधन करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नि० चं० चटर्जी]

मेरा यह सुझाव नहीं है कि अल्पसंख्यकों का निगम-मंत्रिमंडल आदि सरकारी निकायों में और प्रत्येक स्थान पर पृथक् रूप से ध्याय रखा जाये इससे देश की एकता नष्ट हो जायेगी।

†**श्री क० कु० बसु** : मैंने पहले भी कहा था कि जब हम राज्यों का पुनर्गठन करने जा रहे हैं तो हम एक सीमा आयोग की नियुक्ति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या को बहुत कुछ हल कर सकते थे । फिर भी मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बहुत से राज्यों के व्यक्ति रहते हैं। उदाहरण के लिये कलकत्ता एक ऐसा ही नगर है। बिहारी और बंगाली अनेक स्थानों पर मिल जुल कर रहते हैं।

अल्पसंख्यकों के प्रति राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो विचार व्यक्त किये हैं उन से मैं पूर्णतया सहमत हूं। हमें संविधान में संशोधन के समय इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कोई आधात न पहुंचे। हम देखते हैं कि बहुत बार उन की अपेक्षा की जाती है जैसे बिहार के बहुत से स्कूलों में बंगाली पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

संविधान के अनुच्छेद ४५ के अधीन भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता दी गई है और मैं चाहता हूं कि बच्चों के प्रारम्भिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाये और माध्यमिक शिक्षा भी अधिकांश रूप से उसी भाषा में दी जानी चाहिये।

इस सिद्धान्त को व्यवहार में लाने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय को विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिये। केवल सभा में चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। हमने अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के प्रतिवेदनों पर तीन-चार बार चर्चा की है। फिर भी देशवासी उन की ओर ध्यान नहीं देते। बड़े बड़े नगरों में भी उन्हें लोग सार्वजनिक स्थानों पर पानी का उपयोग नहीं करने देते। माननीय मंत्री ने जो ज्ञापन तैयार किया है उसके अनुसार उन्हें एक संहिता बनानी चाहिये जिस में यह विनियमन किया जाय कि राज्यों द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाय। राष्ट्रपति को भी इस विषय में कुछ निदेश देने की शक्तियां दी जानी चाहियें। भाषाई अल्पसंख्यकों को भी उचित सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें। मुझे मालूम है कि उर्दू भाषियों को ऐसी सुविधायें नहीं मिल रही हैं। किन्तु मैं श्री नि० चं० चटर्जी के इस कथन को भी स्वीकार करता हूं कि अल्पसंख्यकों की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक बहुसंख्यकों की सहानुभूति और सहयोग उनके साथ न हो।

जहां तक क्षेत्रीय परिषदों का प्रश्न है, जो अल्पसंख्यक जिस राज्य में हों, उन्हें उसी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा रखनी चाहिये, मैं यह नहीं चाहता कि बिहार में रहने वाले बंगाली अपनी शिकायतों को लेकर बंगाल के मुख्य मंत्री के पास जायें। अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यकों के साथ मिल जुल कर रहना बहुत जरूरी है। जब हम इस विषय में कुछ सिद्धान्त निश्चित कर रहे हैं तो वे संहिता-बद्ध होने चाहियें और कभी कभी राष्ट्रपति को भी निदेश देना चाहिये कि राज्य सरकारें उनका भली भांति पालन करें।

श्री वि० घ० देशपांडे (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक यहां पर जितने भी भाषण हुए हैं उन सब में अल्पसंख्यकों के लिये एक कमिश्नर की नियुक्ति का समर्थन किया गया है और मैं समझता हूं कि गृह मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिया है वह बड़ा भयानक है और देश के लिये अनिष्टकर सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि यह जो कहा गया है कि उनकी बातें सुनने के बाद उन पर अमल कराने के लिये कोई मशीनरी चाहिये, यह बात को समझ में आती है परन्तु जान बूझ कर अल्पसंख्यकों के वास्ते एक कमिश्नर नियुक्त करना और उसको यह कहना कि वह शिकायतें दे, ऐसा कहने से तो आप उसको शिकयतें देने के लिये उत्तेजना देंगे।

मैं समझता हूं कि सरहदी सीमा पर कहीं एक आध जगह पर कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिनका कि हमारे महाराजा साहब ने जिक्र किया है और वहां के लि तो उनकी इस तरह की बातें

---

†मूल अंग्रेजी में

समझ में आ सकती है और कुछ इस किस्म की खास व्यवस्था भी की जा सकती है लेकिन अगर कुछ अल्पसंख्यक लोग जाकर बम्बई, इलाहाबाद या दिल्ली आदि नगरों में रहते हैं, तो वहां के अल्पसंख्यक लोगों के लिये जान बूझ कर एक कमिश्नर नियुक्त करना और उससे यह कहना कि वह अपनी शिकायतों का पुलिन्दा दे ताकि हम उनको लेकर अपनी रिपोर्ट बनायें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है और मुझे डर है कि अल्पसंख्यकों का प्रश्न जो आज तक जातीयता के नाम पर चलता रहा है अब भाषा के नाम पर और संस्कृति के नाम पर चलेगा और उतनी ही उग्रता से चलेगा जैसा कि अभी तक चलता रहा था। उदाहरणार्थ मैं ज्यादा डिटेल्स में न जाकर यह कहूंगा कि इसका प्रमाण हमको आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और आज उत्तर प्रदेश के अन्दर संस्कृति के नाम पर और भाषा के नाम पर इस तरह का एक पृथकतावादी आंदोलन चल रहा है जो कि प्रान्त के हित और देश के हित में धातक सिद्ध होगा और मैं चाहता हूं कि इस तरह की एकता को भंग करने वाली और देश में कलह पदा करने वाली प्रवृत्तियों को आप कृपया मत फैलाइये और इस बात की सावधानी रखिये कि आपके किसी कार्य से उनको उत्तेजन तो नहीं मिलता ह। मैं समझता हूं कि द्विभाषी राज्यों का समर्थन करने वाले लोग ही इस तरह के एक अफ़सर की नियुक्ति की मांग का समर्थन कर रहे हैं और वे युनिलिंग्वल के खिलाफ इसीलिये थे कि किसी भी प्रान्त में रह कर वहां की जनता की भाषा बोलना उनको गवारा नहीं था और इसीलिये बहुभाषी प्रान्तों के निर्माण का समर्थन करके वे उस प्रान्त में रहते हुए भी जनता की भाषा न बोलकर दूसरी भाषा बोलेंगे और मेरा कहना ह कि यह उचित नहीं है और यह नहीं चलेगा।

मैंने खुद अपने अमेंडमेंट (संशोधन) में यह चाहा है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) और कोर्ट वर्क डिस्ट्रिक्ट, सबडिवीज़न और ताल्लुक लैविल पर उन तमाम लैंग्वेजेज़ में कंडक्ट किया जाना चाहिये जिनके कि बोलने वालों की तादाद उस एरिया की टोटल पापुलेशन की १५ परसेंट हो और उसकी मीडियम आफ एग्जामिनैशन्स फौर सर्विसेज़ भी माना जाय और लोगों को प्राइमरी एजुकेशन उस जबान में लेने की सुविधा देनी चाहिये और इस तरह की व्यवस्था यदि को जाय तो वह तो समझ में आ सकती है लेकिन आप इस प्रकार से जो एक कमिश्नर की मियुक्ति और उसके द्वारा शिकायतों को देने की बात कर रहे हैं उससे तो मैं सहमत नहीं हो सकता और मैं अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं।

मैं सिद्धान्त के तौर पर युनिलिंग्वल के पक्ष में हूं और मैं आपको बतलाऊं कि हालांकि मैं मध्य भारत में अल्पसंख्यक हूं, मेरी भाषा भी अल्पसंख्यक है लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं कि मैं अल्पसंख्यक हूं और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जहां कहीं हिन्दुस्तान में मैं जाता हूं वहीं मैं मैजारिटी में हूं और इस भावना को लेकर मैं चलता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि पंडित नेहरू जो कि काश्मीर से उत्तर प्रदेश में आये थे, वे अगर उत्तर प्रदेश की हिन्दी भाषा को न अपनाते और अपने को अल्पसंख्यक समझते तो वे पूरे देश भर के नेता कैसे बन सकते थे। दिल्ली की तरफ आंखें लगाने में ही राष्ट्रीयता बढ़गी, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। जहां तक प्रेसीडेंट द्वारा डाइरेक्टिव्स (निदेश) दिये जाने का सवाल है, और आया उसकी आवश्यकता है या नहीं उसमें न जाकर मैं तो समझता हूं कि यह एक बड़ा भारी खतरनाक सुझाव है और मैं समझता हूं कि हमारे गृह मंत्री महोदय इस तरह का सुझाव श्री अशोक मेहता, श्री एन्थनी और अन्य जो पुराने लोग हैं और जो इस प्रकार से पार्लियामेंट पर दबाब डालते हैं उनकी प्रैशर टैक्टिक्स और दबाव में हमारे गृह मंत्री महोदय आ गये हैं और जिसके कि लिये मुझे दुःख है।

†**पंडित गो० ब० पंत** : जहां तक बुनियादी बातों का सम्बन्ध है मैं आज के अधिकांश वक्ताओं से सहमत हूं। मैंने अनेक बार अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक समुदाय को सार्वजनिक जीवन में अपने देश की क्षमता के अनुकूल सुविधायें दी जानी चाहियें। जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है भाषाई अल्पसंख्यकों की सहायता करने में मैं किसी सदस्य से पीछे नहीं हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित गो० ब० पन्त]

मैं समझता हूं कि श्री एथनी किसी भ्रम में पड़े हुए हैं। पटना के राजा साहेब ने भी संरक्षणों को काल्पनिक बताया है। मैं समझता हूं कि जिस किसी ने मेरे वक्तव्य और ज्ञापन को पढ़ा है वह अवश्य महसूस करेगा कि इससे अच्छे संरक्षण नहीं दिये जा सकते। इन महानुभावों ने अपने कोई सुझाव नहीं दिये हैं।

श्री रा० ना० सिं० देव : मैंने अपना संशोधन दिया है।

†**पंडित गो० ब० पंत** : यदि ये संरक्षण काल्पनिक हैं तो मेरे विचार से आप की धारणा या तो भ्रान्तियुक्त है अथवा वास्तविकता पर आधारित नहीं है।

जहां तक नीति का सम्बन्ध है उसमें और कुछ सुधार करना कठिन है और मुझे विश्वास है कि इससे अधिकांश सदस्य समहत हैं।

श्री एंथनी ने कहा है कि हम आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। मुझे फिर यही कहना पड़ता है कि उन्होंने आयोग के दृष्टिकोण का सही रूप में अध्ययान नहीं किया है।

आयोग ने रिपोर्ट की कण्डिका ७६६ में कहा है।

"यूरोपीय संविधानों में दिये गये मूलभूत अधिकार हमारे यहां भी विद्यमान हैं। केवल मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है :"

इस प्रकार उन्नत देशों की भांति हमारे यहां भी अल्पसंख्यकों के लिये संरक्षण मौजूद हैं। प्राथमिक शिक्षा के बारे में विधेयक के खंड २१ में उपबन्ध किया गया है कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय संस्था द्वारा बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का प्रयत्न किया जायेगा।

आयोग की रिपोर्ट में इस सिलसिले में और भी बहुत कुछ कहा गया है कि और उसकी सिफारिश के अनुसार हमने उपबन्ध कर दिया है। जहां कहीं विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त हो वहां इस अधिकार को व्यवहार में लाया जा सकता है। शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी इसी प्रकार का संकल्प पारित हुआ है जिसको सब लोगों ने स्वीकार किया है।

इस खंड में यह उपबन्ध है कि इस संकल्प को व्यवहार में लाया जायेगा और यदि ऐसा न हुआ तो राष्ट्रपति इस विषय में निर्देश दे सकते हैं।

इसके बाद माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न आता है। इस विषय का भी मैंने अपने ज्ञापन में विवेचन किया है।

आयोग ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा पर भिन्न रूप से विचार किया जाना चाहिये क्योंकि यह प्राथमिक शिक्षा से भिन्न होती है। अतः उसने माध्यमिक शिक्षा के लिये मातृभाषा की सिफारिश नहीं की है। उसने संविधान में ऐसे किसी उपबन्ध का सुझाव नहीं दिया है।

†**श्री फ्रैंक ऐंथनी** : मैंने प्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्षा के लिये कोई शिकायत नहीं की है।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं अभी उन बातों के बारे में भी कहूंगा जिनके विषय में आपको शिकायत है। मैं आप को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर दूंगा। संयुक्त समिति में श्री फ्रैंक एंथनी ने संस्थाओं की सम्बद्धता के बारे में कुछ कठिनाई बताई थी। तदनुसार मैंने ज्ञापन में एक कण्डिका बढ़ा दी। तात्पर्य यह है कि अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों के लिये मुझ से जो कुछ कहा गया उसका समाधान मैंने ज्ञापन में करने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूं कि इस ज्ञापन को केवल तर्कयुक्त व्यक्ति ही नहीं बल्कि तर्क हीन और जोशीले व्यक्ति भी संतुष्ट हो जायेंगे।

---

†भूल अंग्रेजी में

दूसरी बात यह कही गई है कि इन संरक्षणों को व्यवहार में लाने का कोई प्रभावपूर्ण तरीका नहीं है। मैंने जो कुछ पहले कहा और जो आयोग के प्रतिवेदन में भी कहा गया है उसे मैं दोहरा देता हूं। में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों को अनावश्यक कठिनाई हो। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि यद्यपि उनके हितों की सुरक्षा के लिये उचित उपबन्ध किये गये हैं, मैं राज्यों को गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहता। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिन संरक्षणों का उपबन्ध किया गया है उन्हें लागू करने की शक्ति मैं नहीं चाहता। आयोग ने संरक्षणों के रूप में किन बातों का उपबन्ध किया? उसने क्या कहा? कण्डिका ७९३ में आयोग ने कहा है :—

> "अल्पसंख्यक कार्यों के लिये एक केन्द्रीय मंत्रालय के निर्माण का सुझाव हमें दिया गया है। जो योजना हमारे सामने है उसके अन्तर्गत केन्द्र का दायित्व शिक्षा क्षेत्र में संरक्षणों को लागूकरने और प्रशासन में अल्पसंख्यकों की भाषाओं के प्रयोग की व्यवस्था करने तक सीमित ह और इस लिये एक पृथक् केन्द्रीय मंत्रालय का निर्माण न्यायसंगत नहीं है।"

अर्थात संरक्षण दो बातों के सम्बन्ध में हैं—शिक्षा सम्बन्धी संरक्षण और प्रशासन में अल्पसंख्यकों की भाषाओं के प्रयोग सम्बन्धी संरक्षण। शिक्षा सम्बन्धी संरक्षणों के बारे में उन्होंने यह सुझाव दिया था कि संविधान में प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक उपबन्ध किया जाय। माध्यमिक शिक्षा के बारे में उन्होंने यह कहा कि कोई उपबन्ध नहीं किया जायेगा। जहां तक उसका सम्बन्ध है, एक निदेश संविधान में पहले ही है और अनुच्छेद ३५०—क यह उपबन्ध रहता है कि संविधान में जो उद्देश्य स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित हैं उन्हें पूरा करने में यदि राज्य असफल रहते हैं तो राष्ट्रपति एक निदेश जारी करेगा।

दूसरी बात का सम्बन्ध अधिकृत प्रयोजनों के लिये अल्पसंख्यकों की भाषाओं के प्रयोग से है। यह बात अनुच्छेद ३४७ के अन्तर्गत आती है। अनुच्छेद ३४७ क्या कहता है? उसमें यह बात फिर से कही गई है कि निदेश जारी किया जायेगा। अनुच्छेद ३४७ के अन्तर्गत राष्ट्रपति को निदेश जारी करने की शक्तियां होंगी। मेरे विज्ञापन में जो कुछ कहा गया है उसका सम्बन्ध या तो शिक्षा से या शासन में अल्पसंख्यकों की भाषा के प्रयोग से है।

इस प्रकार, उक्त दो प्रयोजनों के लिये निदेश जारी करने की शक्ति हमें संविधान के अन्तर्गत प्राप्त है और आयोग ने जिन संरक्षणों का सुझाव दिया है वे संविधान के मौजूदा उपबन्धों और मेरे द्वारा पुरःस्थापित विधेयक के अन्तर्गत आते हैं। इससे अधिक आप क्या चाहते हैं? क्या आप यह चाहते हैं कि आपका निदेश हरेक व्यक्ति के माथे पर लिखा रहे ताकि उससे दूसरों को अकारण ही मनस्ताप हो या आप यह चाहते हैं कि संरक्षणों के उद्देश्य को पूरा करने में राज्य यदि असफल रहते हैं तो निदेश जारी करने की शक्ति आपको प्राप्त हो? इसलिये मेरा निवेदन इतना ही है कि आयोग का जो विचार था अथवा उसने हमें जो कार्यवाही करने का परामर्श दिया था उससे वास्तव में हमने कहीं अधिक कार्यवाही की है। वास्तव में आयोग ने निश्चित रूप से यह कहा था और मेरा ख्याल है कि श्री एंथनी को इस बात का स्मरण होगा कि इन मामलों के बारे में प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त, कोई उपबन्ध संविधान में न किया जाना चाहिये और इसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं। आयोग का निश्चय ही यह मत था कि संविधान में और कोई उपबन्ध नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** मैं यह जानना चाहता हूं "कि केन्द्रीय सरकार का निर्णय राष्ट्रपति के एक निदेश के रूप में जारी किया जाना चाहिये"। आयोग की रिपोर्ट की कण्डिका ७९९ के इस अन्तिम वाक्य का अर्थ आपकी राय में क्या है?

†**पंडित गो० ब० पंत :** हां। मैं यह कहूंगा जहां तक इनका अर्थात प्राथमिक शिक्षा और राज भाषा के प्रयोग विषयक संरक्षणों का सम्बन्ध है, हमें ये निदेश जारी करने का अधिकार है। इसके लिये संविधान में किसी उपबन्ध की आवश्यकता नहीं है। कृपया उसके बाद में वाक्य को पढ़िये। खैर, मैं उसे पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया है : "जिस व्यवस्था का सुझाव हमन दिया है

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित गो० ब० पंत]

उसके लिये किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।" आप मुझे संवैधानिक संशोधन करने के लिये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है; संविधान में पहले ही उपबन्ध मौजूद है। जहां आवश्यक था वहां उपबन्ध पहले ही कर दिया गया है। वास्तव में, भाषाई अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिये एक विशेष आयुक्त की नियुक्ति और उसके प्रतिवेदन पर संसद द्वारा विचार किये जाने के बारे में हम संविधान में एक ऐसा उपबन्ध कर रहे हैं जिस पर आयोग ने कभी विचार नहीं किया। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को प्राप्त हो तथा उनके सदस्यों को शिक्षा प्राप्त हो इसके अतिरिक्त संविधान में किसी प्रकार के उपबन्ध को रखने की इच्छा आयोग की नहीं थी। इसके अतिरिक्त संविधान में किसी प्रकार का उपबन्ध करने का सुझाव आयोग ने नहीं दिया। इसलिये, मेरा निवेदन है कि हमने आयोग द्वारा दिये गये परामर्श से अधिक कार्यवाही की है। किन्तु यह एक गौण बात है।

मुख्य बात यह है कि क्या जो उद्देश्य हमारे समक्ष हैं वे संविधान द्वारा, जैसा कि वह है, पूरे होंगे अथवा नहीं और क्या हम उसके जरिये उन बातों के, जिनके बारे में आयोग ने कार्यवाही की है। अर्थात शिक्षा और राजभाषा के प्रयोग विषय संरक्षणों के बारे में अपनी इच्छानुसार निदेश जारी कर सकते हैं या नहीं। ये दोनों बातें संविधान के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत आ जाती हैं। विशेष अधिकारी के प्रतिवेदन की चर्चा की प्रतीक्षा करना हमारे लिये आवश्यक नहीं है। प्रतिवेदन पर चर्चा होने से पहले भी हम ऐसा कर सकते हैं। अभ्यावेदन प्राप्त होने पर भी हम ऐसा कर सकते हैं। आप मुझ पर यह शर्त लगाना चाहते हैं कि जब तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता तब तक ऐसा न कीजिए और १९५६ का प्रतिवेदन १९५८ में प्राप्त होगा, १९५९ में उस पर चर्चा होगी और १९६० में मुझे निदेश जारी करना चाहिये; उससे पहले नहीं। मैं कहता हूं कि यह आवश्यक नहीं है। यदि मैं निदेश जारी करना चाहूं तो मुझे आज भी यह अधिकार है। यद्यपि मुझे यह अधिकार है तथापि मैं उस पर जोर नहीं देना चाहता। मैं उस पर जोर इसलिये नहीं देना चाहता क्यों कि जिस उद्देश्य की मेरी साथ ह उसके हित में वह नहीं है। मैं चाहता हूं कि अल्प ंख्यकों को सभी सुविधाएं मिलें और यदि मैं इस तरह को धारणा पैदा कर दूं कि आज मैं लोगों को बाध्य करूंगा तो मेरा ख्याल है कि यह बात अल्पसंख्यकों के हित में नहीं होगी। मैं कहता हूं कि मुझे राज्यों पर भरोसा है। मैं आशा करता हूं कि वे उदार और सहिष्णु बनेंगे और अल्पसंख्यकों की भलाई के लिये यथासंभव कार्यवाही करेंगे। इसलिये, मैं उन पर विश्वास करता हूं। मैं आज से ही अविश्वास की कोई भावना पैदा नहीं करना चाहता। इसलिये जो आवश्यक नहीं है उसे मैं संविधान में नहीं जोड़ना चाहता। आप एक गोल-मोल चीज क्यों रखना चाहते हैं जिससे दूसरों को सन्ताप हो और आपको आज जो कुछ प्राप्त है उससे अधिक प्राप्त न हो ?

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रस्तावित अनुच्छेद ३५०क प्राथमिक शिक्षा के बारे में निदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करेगा। और अनुच्छेद ३४७ प्रादेशिक भाषा के सम्बन्ध में शक्ति प्रदान करेगा। किन्तु अन्य बातों शिक्षा और सांस्कृतिक मामलों के बारे में.....

†**पंडित गो० ब० पन्त :** अन्य बातों से आपका आशय क्या है ?

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** कोई भी और बात जैसे सम्बद्ध होने का अधिकार, इत्यादि। श्री चटर्जी ने यह बताया कि अनुच्छेद २९ कुछ अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों पर कोई निदेशक सिद्धान्त लागू नहीं होंगे।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** तो आप यह उपबन्ध करना चाहते हैं कि जिन बातों को आज हमने सोचा नहीं है उन सबके बारे में निदेश होने चाहियें और भविष्य में होने वाली किसी बात के बारे में हमें राज्यों के स्वायत्त क्षेत्र में उनके निर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक मेरा अनुमान है, श्री चटर्जी का भाषण आपके विरोध में था।

†**श्री फ्रंक एन्थनी** : अनुच्छेद २९ के अन्तर्गत शिक्षा, सांस्कृतिक और अन्य सब हितों को संरक्षण दिया गया है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : अनुच्छेद २९ और ३० के बारे में मेरा ख्याल यह है कि किसी विशिष्ट राज्य से बाहर किसी संस्था को सम्बद्ध करने के आपके अधिकार का जहां तक सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार किसी राज्य को यह परामर्श निश्चय ही दे सकती है कि आप अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करें और वह आपके रास्ते में बाधक न हो, किन्तु इस बात पर विचार करना होगा।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : किन्तु आप निदेश जारी नहीं कर सकते।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यह तो आपका ख्याल है। यदि आप नहीं चाहते तो मैं ऐसा नहीं करूंगा इस सम्बन्ध में स्वयं मेरी धारणा कुछ और है। मेरा ख्याल यह है कि यदि आप निदेश जारी नहीं कर सकते तो केवल यह कहने से कि हम निदेश जारी करेंगे आपको निदेश जारी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। राज्य सरकारों को कुछ आदेश, निदेश देने का हमें संवैधानिक अधिकार होना चाहिये और हममें इस प्रकार निहित शक्तियों के सम्बन्ध में ही हम कोई निदेश जारी कर सकते हैं। केवल यह कह कर कि केन्द्रीय सरकार सभी बातों के बारे में निदेश जारी करेगी.....

†**श्री चटर्जी** : सभी बातों के बारे में नहीं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : केवल अनुच्छेद २९ और ३० के बारे में।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं आपको यह बता दूं कि यदि कोई बात अनुच्छेद २९ और ३० के अन्तर्गत आती है तो संविधान में ही एक खंड है—मेरा ख्याल है यह अनुच्छेद ३५५ है जिसमें कहा गया है—

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो अर्थ लगाया है उससे हम सहमत नहीं हैं।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं यह कहूंगा कि यदि आप उससे सहमत नहीं हैं तो बेहतर यह होगा कि आप इस प्रकार व्यवस्था करें कि अन्य लोगों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता उत्पन्न न हो और इन बातों का निर्णय मिल जुल कर हो जाये। अनुच्छेद में कहा गया है :

> "बाह्य आक्रमण और आभ्यन्तरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना, तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाये, यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।"

यदि संविधान में ऐसा उपबन्ध है जो किसी राज्य और अन्य सब पर लागू होता है तो उस राज्य को इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्य करना चाहिये। यदि वह नहीं करता है, तो इस बात का ध्यान रखना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्य संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्य करे।

जहां तक संविधान के उपबन्धों का सम्बन्ध है, ये मुझ पर, आप पर और सब राज्यों पर लागू होते हैं। आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मैं आपको वहां जाने से नहीं रोकता। आप न्यायालय की शरण न लें तो भी संविधान का आदर प्रत्येक व्यक्ति करे और संविधान के उपबन्धों का पालन बिना किसी शर्त के होता रहे इस बात के लिये मुझे प्रयत्न करना चाहिये। (**अन्तर्बाधाएं**)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरा निवेदन है कि यदि पीठासीन व्यक्ति को सम्बोधित किया जायें तो संभवतः ये कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होंगी ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मुझे खेद है, श्रीमान् ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** मैं पूर्णतया संतुष्ट हो गया हूं ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** तो मुझे इस विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं संशोधन संख्या १५१, २९, ११७, १५२ और १५३ को, जिन सबका उद्देश्य नये खंड २क को निमिष्ट करना है, मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५१, २९, ११७, १५२ और १५३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब खंड २१ के संशोधन लेंगे ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** श्रीमान्, मैं ने श्री दातार के संशोधन के संबंध में एक शाब्दिक संशोधन पुरःस्थापित किया है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** श्रीमान्, श्री एन्थनी अपने सभी संशोधनों का उत्तर चाहते हैं । संशोधनों का उत्तर नहीं दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि अन्य सदस्य संतुष्ट हैं तो पंडितजी को भी संतोष होगा । मैं देखता हूं कि कोई अन्य माननीय सदस्य अपने संशोधन मतदान के लिये अलग से प्रस्तुत नहीं कराना चाहते ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** मेरा संशोधन संख्या १९८ सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन संख्या १८३ के बारे में एक सरकारी संशोधन है । उसकी संख्या २२० ह और मैं उसे मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

"प्रश्न यह है

कि श्री दातार द्वारा प्रस्तुत खंड (२) के संशोधन में, जो संशोधनों की सूची संख्या १९ में संख्या १८३ पर छपा है, अन्त में निम्न अंश जोड़ा जाये :

" and sent to the Governments of the States concerned."

["और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजा गया"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दातार :** श्री फ्रैंक एंथनी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या १९८ सभा के मतदान के लिये रखना है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह इस पर जोर नहीं दे रहे हैं ।

†**श्री दातार :** वह संशोधन संख्या १९९ पर जोर नहीं दे रहे हैं । हमनें वर्तमान संशोधन संख्या १९८ स्वीकार कर लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि श्री दातार द्वारा प्रस्तुत संशोधन में, जो संशोधनों की सूची संख्या १९ में संख्या १८३ पर छपा है :

उप-खंड (२) में,

" Minority groups " ["अल्पसंख्यक दलों"] के स्थान पर " Minorities "

["अल्पसंख्यक"] शब्द रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इन दो संशोधन संख्या २२० और १९८ द्वारा संशोधित सरकारी संशोधन संख्या १८३ मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११—

पंक्ति ३ के पश्चात निम्न अंश रखा जाये :

"350-B. Special Officer for linguistic minorities:—

(1) There shall be a special officer for linguistic minorities to be appointed by the President.

(2) It shall be the duty of the special officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament and sent to the Governments of the States concerned."

["३५०-ख- भाषावार अल्पसंख्यकों के लिये विशेष पदाधिकारी :—

(१) भाषावार अल्पसंख्यकों क लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे ।

(२) विशेष पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि इस संविधान के अन्तर्गत भाषावार अल्पसंख्यांक दलों के लिये जिन संरक्षणों की व्यवस्था की गई है उनके संबंध में सभी मामलों की जांच करे और ऐसे कालावधि समय समय पर जैसा कि राष्ट्रपति निदेश दे उन मामलों के संबंध में प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड २१ से संबंधित अन्य सब संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

खंड २२— अनुच्छेद ३७१ के स्थान पर नये अनुच्छेद का रखा जाना

†**श्री क० कु० बसु :** इस खंड पर मैं ने अपना संशोधन संख्या २४ प्रस्तुत किया है । खंड २२ आंध्र प्रदेश तथा पंजाब के लिये प्रादेशिक समितियों बनाने के संबंध में है । मैं प्रादेशिक सिद्धान्त का विरोधी नहीं हूं, परन्तु जिस प्रकार यह उपस्थित किया गया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं । मैं ने अपने संशोधन में कहा है कि किसी भाषा के अल्पसंख्यकों तथा आदिम जाति के लोगों के अधिकारों, आदि के संबंध में राष्ट्रपति राज्य विधान सभा के प्रक्रिया नियमों में संशोधन कर सकते हैं जिससे प्रादेशिक समितियां उचित रूप से कार्य संचालन कर सकें ।

मैं एक सामान्य खंड चाहता हूं क्योंकि भाषावार राज्य बनाने की अपेक्षा के बावजूद भी किसी भाषा को बोलने वाले अल्पसंख्यक भी वहां अवश्य होंगे । उदाहरणतः किसी भी राज्य के आदिम जाति के लोगों को ले लीजिये । इनकी अलग राज्य बनाने की मांग बढ़ती जा रही है । बिहार में झारखंड राज्य बनाने की मांग इसका उदाहरण है । इसलिये यदि इनके कल्याण का ध्यान नहीं रखा गया तो वह ऐसे ही कार्य करेंगे । यदि मांग दार्जिलिंग के निकट रहने वाले आदिवासियों की है ।

अपने संशोधन में मैं ने अपेक्षा की है कि प्रादेशिक समितियां बनाने का अधिकार संसद् को दिया जाये । इसका क्षेत्र बहुत सीमित है । केवल आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाब के लिये समितियां बनाई गई हैं तथा विकास समिति बम्बई राज्य के लिये बनाई गई है ।

मैं चाहता हूं कि यह वैभिन्नय न रह कर, संसद् को यह अधिकार सौंप दिया जाये कि वह जहां आवश्यक समझे उस प्रदेश के लिये समिति बनाये । मेरा विचार है कि पंजाब की जनता मेरे इस प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत है तथा नवीन आंध्र प्रदेश के निवासियों की भी यही सम्मति है कि संसद् को प्रादेशिक परिषदें बनाने का अधिकार रहे ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** मैं अपने संशोधन संख्या ११४ से चाहता हूं कि प्रादेशिक समिति नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को न दिया जाय, संसद् को दिया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त मैंने संशोधन संख्या ११५ प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा मैं नवीन अनुच्छेद ३७१ के खंड १ के पश्चात् एक और खंड (१/क) रखना चाहता हूं । जिसमें पंजाब के लिये दो विकास बोर्डों की व्यवस्था है ।

एक तीसरा संशोधन संख्या ११६ है इसके द्वारा भी मैं यही चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के लिये 'राष्ट्रपति के आदेश से' शब्दों के स्थान पर 'संसद् विधि से' रखा जाये ।

दो दिन पूर्व मैं ने बताया था कि मैं पंजाब में प्रादेशिक सिद्धांत लागू करने का क्यों विरोधी हूं । मैं संक्षेप में विरोध के कारणों पर प्रकाश डालता हूं । प्रथमतः इस सिद्धांत से जातिय भेदभाव उत्पन्न होंगे । दूसरे, यह लोकतंत्रीय सरकार के मूल सिद्धांत का विरोधी है । तीसरे, इससे प्रशासन में भी कोई सहायता नहीं मिलेगी क्यों कि यदि प्रशासन में सहायता की संभावना होती तो उत्तर प्रदेश अथवा नवीन मध्यप्रदेश जैसे विशाल राज्यों में प्रादेशिक समितियां बननी चाहियें थीं ।

फिर मेरा कहना है कि इस से भारत के संविधान में, भारत में द्वैध शासन की उत्पत्ति होती है हमें अनुभव है कि यह ठीक तरह कार्य नहीं कर सकता तथा लोकतंत्रीय कार्य संचालन में इससे कितनी कठिनाई होती है । इसके अतिरिक्त इससे मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं विधि-कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं यह है कि क्या राज्यपालों को इतने अधिकार देना लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुरूप ह । मर विचार से यह नहीं है । इस संबंध में मैं बता देना चाहता हूं कि जब राष्ट्रपति यह आदेश दे देंगे कि लोकतंत्र के विरुद्ध, अपनी इच्छानुसार कोई कार्य कर सकता है तो राज्यपाल विधान सभा में, किसी बात के पक्ष में बहुमत होने पर भी अपनी इच्छानुसार विपत्ति कार्य कर सकता है । मेरे विचार से यह संविधानिक नहीं हैं । अंग्रेजी शासन में भी राज्यपाल को यह अधिकार नहीं दिये गये कि राज्य विधान सभा तथा प्रादेशिक समिति में मत वैभिन्नय होने पर राज्यपाल राज्य विधान सभा के मत के विपरीत कार्य कर सकता है ।

इसके अतिरिक्त मैं दोनों प्रादेशिक समितियों के कार्यों के क्षेत्राधिकारों का आवंटन करने का भी विरोधी हूं । क्योंकि इस प्रकार एक प्रादेशिक समिति विधान सभा की सम्मति के विपरीत भी कार्य कर सकती ह । और इस प्रकार द्वैध शासन की नींव पड़ेगी जिससे संविधान के कार्य संचालन में बाधा पडेगी । मैं डा० जयसूर्य के इस कथन से पूर्णत: सहमत हूं कि इससे गड़बड़ी ही होगी ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने पंजाब के संबंध में कहा है कि वहां की दो भाषायें, पंजाबी तथा हिन्दी समान भाषायें हैं तथा समस्त पंजाब में ही बोली जाती हैं तथा समझी जाती हैं और हमारे सम्मुख किसी ने भी यह तर्क प्रस्तुत नहीं किया कि लोगों को बात चीत और परस्पर व्यवहार में इससे किसी प्रकार की कठीनाई होती है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

आयोग का कहना है कि इस प्रकार पंजाबी तथा हिन्दी की विभिन्नता वास्तविक नहीं है । इन कुछ वर्षों में विभाजन के पश्चात् यह भेद और कम हो गया है । उन्होंने अकाली दल की पंजाबी सूबे की मांग को भी इसलिये अस्वीकार कर दिया क्यों कि इस से राज्य का विभाजन होता है जो कि राज्य के लिये हानिकारक है ।

मेरे विचार से प्रादेशिक समितियों के संबंध में भी यही कहा जा सकता है । पंजाब में भाषा की समस्या नहीं है । मैं इस प्रादेशिक सिद्धांत का बिल्कुल विरोध नहीं करता यदि मुझे यह विश्वास दिला दिया जाता कि इस सिद्धांत से पंजाब का जातीय भेदभाव समाप्त हो जायेगा । मुझे पूर्ण विश्वास है की यह लोकतंत्र, संविधान के विपरीत हैं तथा इससे जातीयता के भेदभाव दूर होने की कोई संभावना नहीं है ।

मैं खंड १० का विरोधी हूं क्यों कि प्रत्येक प्रदेश की भाषा अलग अलग होगी । पंजाबी क्षेत्र में गुरुमुखी लिपि होगी तथा दूसरे में हिन्दी लिपि । आप जनता को अपनी लिपि चुनने का अधिकार क्यों नहीं देते ?

जैसा कि मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बताया, खंड ९ बेकार सा है । क्योंकि इसमें दिया है कि सच्चर फार्म्यूला वर्तमान पंजाब तथा पेप्सू राज्य में लागू रहेगा । दोनों फार्मूलों को साथ साथ लागू करना ठीक नहीं है तथा लोग इसके विरुद्ध है ।

आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ ५३४ पर दिया है कि विभाजन के पश्चात पंजाबी भाषा भाषी जनता के पूर्वी पंजाब में आने से पंजाब के भाषावार खंड में अंतर कम हो गया है । आप इसे द्विभाषा भाषी राज्य बनाइये परन्तु इसमें कृत्रिम भेदभाव मत कीजिये । खंड १ में आप एक विधान सभा की व्यवस्था करते हैं, परन्तु खंड २ में पंजाबी भाषा भाषी तथा हिन्दी भाषा भाषी से क्षेत्र बना रहे हैं तथा खंड ३ में दो प्रादेशिक समितियां उस क्षेत्र के विधान सभा के सदस्यों की भी नियुक्ति कर रहे हैं । इस प्रकार दो क्षेत्रों की दो विधान सभायें, प्रादेशिक समितियों के रूप से हो जाती हैं । इस प्रकार राज्य का विभाजन ही किया जा रहा है ।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

खंड ५ सबसे कठिन खंड है। इसमें कहा गया है कि प्रादेशिक समितियों के परामर्श को सरकार तथा विधान सभायें सामान्यत: स्वीकार कर लेंगी। परन्तु मत वभिन्नय होने पर मामला राज्यपाल को सौंपा जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसी संबंध में मैं बता चुका हूं कि यदि ५० सदस्यों की समिति कोई निर्णय करती है तो १०० सदस्यों की विधान सभा को वह मानना होगा। तथा यदि यह १०० सदस्य इसका विरोध करें तो मामला राज्यपाल को भेजा जायेगा। तथा निर्णय का अधिकार राज्यपाल को दे देना यही सिद्ध करता है कि वह राज्यपाल विधान बनायेगा। मेरे विचार से १८० सदस्यों की विधान सभा बनाना ही बेकार है क्यों कि यदि इसमें से १२० सदस्य जिसको विधि बनाना चाहते हैं यदि वह विधि न बने तो क्या लाभ होगा।

मैं इस फार्मूला को ऐसे ही समझा हूं परन्तु यदि मेरी समझ में गलत आया हो तो कृपया मुझे ठीक ठीक समझा दिया जाये। मेरी समझ में तो यही आया है कि इस प्रकार आप कार्यपालिका को इतने अधिकार क्यों दे रहे हैं जो संविधान द्वारा दी गयी सुरक्षाओं को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। संविधान में किसी बात के होते हुए भी और इस बात के होते हुए भी कि संविधान के अधीन, राज्य के विधान-मंडल को अनुच्छेद २४६ के अधीन राज्य-सूचि से सम्बन्धित सभी मामलों के बारे में, निधि बनाने की शक्ति होगी, आप राज्यपालों को भी शक्ति दे रहे है। पंजाब में राज्य विधान मंडल को यह शक्ति नहीं प्राप्त है। प्रादेशिक समिति और राज्य विधान मंडल में मतभेद होने पर सूत्र के खंड ६ के मद (१) से (१५) के सभी मामलों में विधि बनाने का अधिकार राज्यपाल को होगा।

मेरा निवेदन यह है कि संविधान (संशोधन) विधेयक के नाम पर ऐसा असंवैधानिक कार्य नहीं किया जाना चाहिये। संविधान में किसी बात के होते हुये भी, यदि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल आदेश के द्वारा ऐसा कर सकता है? क्या कर सकता है? यदि उसे इतनी शक्ति मिल गयी तो वह राज्य के विधान मंडल का सारा ढ़ांचा ही बदल कर रख देगा। अत: ऐसी व्यवस्था करना न तो ठीक ही और न उचित ही।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को बोलने से रोकना नहीं चाहता किन्तु और भी अनेक सदस्य बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त किये देता हूं। खंड ८ पर म कुछ प्रकाश डलवाना चाहता था, किन्तु ऐसा नहीं किया सका।

मेरी समझ में नहीं आता कि खंड ८ में वर्णित ये अन्य हित कौन कौन से हैं, इसका स्पष्टीकरण किया ही नहीं गया है। मान लीजिये कि माननीय मंत्री इस सूत्र को स्वीकार भी कर लेते तो क्या पंजाबी तथा आन्ध्र-तेलंगाना की समस्यायें इससे हल हो जायेंगी? यदि ऐसा है तो आप इन्हें विधेयक के रूप में संसद के सम्मुख रखिये। प्रादेशिक सूत्र के बनाये जाने के समय में मैं यहां नहीं था। इस कारण उपाध्यक्ष महोदय इस बारे में अधिक अच्छी प्रकार से जानते होंगे। किन्तु चर्चा करने वाले दलों के सदस्यों का शायद यह विचार रहा होगा कि राष्ट्रपति को एक या दो प्रादेशिक समितियां बनाने की शक्ति दी जाये। फिर भी संसद को इन मामलों पर विचार करने का अवसर और शक्ति मिलनी चाहिये।

हमें स्काटलैंड की प्रथा अपनाने की आवश्यकता नहीं है, वह बिल्कुल भिन्न चीज है। मेरा तो विचार यह है कि यदि हम इस प्रकार की चीज करते हैं तो साम्प्रदायिक अशान्ति दूर होने के बजाय जो कुछ थोड़ी बहुत एकता है वह भी छिन्नभिन्न हो जायेगी। इससे राज्यपाल की स्वेच्छाचारिता और भी बढ़ेगी तथा यह सूत्र अथवा कथित संविधान और भी असंवैधानिक हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्री जी ने बताया कि मैं इस देश में एक प्रकार के उपराज्य की स्थापना करने की वकालत कर रहा हूं। किन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैंनें कभी भी इस प्रकार की मांग नहीं की। मैं तो इस प्रकार की चीज का विरोधी हूं। इससे जिस प्रकार की एकता का सम्बद्ध रहना आवश्यक है उसका विकास हो पाना और भी कठिन हो जायेगा।

†**श्री बंसल** (झज्जर–रेवाड़ी) : मैं संशोधन संख्या २०३ पर बोलना चाहता हूं जो मेरे तथा अनेक माननीय सदस्यों के नाम में हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : संशोधन संख्या २०३ खंड २२-क के बारे में है। हम तो इस समय खंड २२ पर चर्चा कर रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : समयाभाव के कारण खंड २२ और २२क को एक साथ लेना पड़ेगा। मुझे उस खंड पर अलग से विचार करने पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु फिर समय नहीं रहेगा। इस कारण मैं चाहता हूं कि खंड २२ और २२क को एक साथ ले लिया जाये।

†**अनेक माननीय सदस्य** : हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री बंसल अपना भाषण दे सकते हैं।

†**श्री बंसल** : पंजाब के बारे में लागू किये जाने वाले प्रादेशिक सूत्र के बारे में श्री नि० चं० चटर्जी की बात मैंनें बड़े ध्यान से सुनी है। मैं प्रादेशिक सूत्र के विरोधियों में से हूं। किन्तु कुछ घटनाओं तथा मेरे राज्य में पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन जिस रूप में समझा गया उसे देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि एक ऐसा सूत्र ढूंढ निकाला जाये जिससे न केवल हरियाना की ही अपितु शेष पंजाब के लोगों की मांगें पूरी की जा सकें। श्री चटर्जी ने अभी कहा कि यह सूत्र लोकतन्त्रवादी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि वह ऐसी बात किस प्रकार कहते हैं।

मैं अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि सभा में कुछ कहने से पूर्व वह अपने शब्दों पर ध्यान दें। राज्यपाल की स्थिति के बारे में खंड २२ यह बताता है कि प्रादेशिक समितियों के लिये नियम बनाने में उसे भी कुछ शक्तियां मिलेंगी। उसे वे शक्तियां नहीं दी जायेंगी जिनका संविधान से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है।

मेरी समझ में नहीं आता कि खंड २२ में जो कुछ कहा गया है उससे संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन किस प्रकार होता है। इसमें तो केवल यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जो नियम बनायेगा राज्यपाल के लिये भी उनमें से कुछ नियम लागू होंगे। अन्ततोगत्वा संसद और राज्यपाल दोनों ही उन नियमों के अनुसार कार्य करेंगे।

श्री चटर्जी नें कहा है कि यह सूत्र सांस्कृतिक नहीं है और उन दोनों प्रदेशों में जहां तक संस्कृति का सम्बन्ध है,कोई भी चीज अलग नहीं है। यह सूत्र बनाते समय संस्कृति के बजाय आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन की ओर हमारा अधिक ध्यान था। हरियाना के लोग आर्थिक दृष्टि से परित्राण चाहते थे और चाहते थे कि उनके साथ न्याय हो। प्रादेशिक सूत्र को सम्बद्ध करने वाली यही चीज थी।

संशोधनों के विषय में कहने से पूर्व मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार पंजाब, आन्ध्र तथा नये बम्बई राज्य के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। खंड २२ से पता लगता है कि प्रादेशिक सूत्र के सम्बन्ध में यदि कुछ कहा गया है तो वह यह कि नियम आदि राष्ट्रपति बनायेंगे। बम्बई के लिये अलग विकास बोर्ड बनाने की व्यवस्था की गयी है।

†**श्री पाटस्कर** : उप-खंड २(क) के बारे में मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बंसल** : मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब बम्बई, विदर्भ, सौराष्ट्र और कच्छ आदि के लिये विकास बोर्ड स्थापित करने का उपबन्ध किया गया ह तो फिर पंजाब के लिये ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ? हम अपने संशोधन के द्वारा दो तीन आवश्यक चीजों की व्यवस्था कराना चाहते हैं। पहली चीज यह कि पंजाब की सरकार हिन्दी भाषा क्षेत्र जैसे हरियाना और कांगड़ा का विकास करने तथा जिन मामलों में वे पिछड़े हुए हैं उनका विकास करने का पूर्ण उत्तरदायित्व लेगी। दूसरी बात यह कि विकास बोर्ड अलग होंगे और तीसरी बात हमारे संशोधन की यह है कि इन विकास बोर्डों के कार्यों के बारे में, पंजाब राज्य सरकार के राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

हमारा संशोधन यह है कि एक नया अनुच्छेद ३७१-ख रख दिया जाये जिसमें कहा गया है कि विशेष विकास के विशेष निधियों का आवंटन करने के अतिरिक्त इन दो प्रदेशों के विकास के लिये निधियों का बराबर बटवारा किया जायेगा। हरियाना पिछड़ा हुआ है, इस कारण मैं संशोधन के इस भाग में अधिक दिलचस्पी रखता हूं। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण अथवा अनुदान के रूप में जितनी भी राशि दी जाती है उसका अधिकांश भाग पंजाबी बोलने वाले पंजाब द्वारा ले लिया जाता है।

पिछले वर्ष छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये लगभग ३७ लाख रुपया दिया गया था जिसमें से शायद ही दो प्रतिशत मेरे राज्य में व्यय किया गया होगा। पूछने पर पता लगा कि हरियाना के लोगों ने अनुदान अथवा ऋण के लिये आवेदन ही नहीं किया था। मुझे अभी हाल में ही पता लगा कि एक व्यक्ति ने पशुपालन के लिये ३,००० रुपये मांगा था जब कि शिकायत करने पर बताया जाता है कि आवेदक ही नहीं थे तो राशि दी किसे जाती। यही नहीं इसी प्रकार और भी बहुत सी चीजें हरियाना प्रान्त में चलती हैं। अभी कल ही मुझे उपभोग वस्तु मंत्री का उत्तर मिला है कि पंजाब में एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जायेगी। यह क्षेत्र लुधियाना में स्थापित किया जायेगा। इससे यह स्पष्ट है कि हरियाना को जितना अंश मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है।

पिछले अवसर पर मेरी इस बात को गृह मंत्री यह समझे कि मैं यह बढ़ा चढ़ा-कर कह रहा हूं कि अधिकतर पदाधिकारी हमारे राज्य के एक विशेष भाग के हैं। किन्तु बाद में मेरे कथन की वास्तविकता प्रकट हो गयी। इतना होने पर भी हमारी शिकायतों को दूर करने की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री चटर्जी ने सम्भवत: हमारे संशोधनों को ध्यान से नहीं पढ़ा है अन्यथा वह यह न कहते कि पंजाब के लिये भी विकास बोर्ड स्थापित कर देना काफी होगा। वास्तव में पंजाब के लिये तो न केवल उद्योगों के विकास के लिये ही अपितु विधान-मंडलों की हित की दृष्टि से भी प्रादेशिक समितियों का होना आवश्यक है।

इस बारे में आप सभा को अधिक अच्छी तरह बता सकते हैं। पंजाब की विधान-परिषद में ही हरियाना के कितने प्रतिनिधि हैं ? अत: इस बारे में केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से देखने से काम नहीं चलेगा अपितु हरियाना के लोगों ने जिस भावना से यह मांग की है उसे समझना है। इतना ही नहीं, इस पर तो सम्पूर्ण पंजाब राज्य के विभिन्न वर्गों के लोग सहमत हो गये हैं, जैसा कि इस संशोधन के प्रस्तावकों की लम्बी सूचि से ज्ञात होता है।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (जालंधर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से इस राज्य पुनर्गठन के सम्बन्ध में जो हमारे देश में समुद्र-मंथन होता रहा है और जिसमें हम किसी ऐसे सर्वोत्तम हल की तलाश करते रहे हैं ताकि इस मसले को हमेशा के लिए हल कर सकें। और इस तरह से हल कर सकें जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वीकार्य हो। मेरा अपना खयाल यह है कि इस बिल के दो क्लाज़ेज़ (खण्ड) २१ और २२ इस सवाल के निचोड़ हैं और हमें वह कुंजी देते हैं जिनकी कि सहायता से हम अपने देश में तमाम सम्बन्धित सवालों को सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री एन० सी० चटर्जी ने अभी बहुत नुक्ताचीनी की और उन्होंने कहा कि रीजनल फार्मूला (प्रादेशिक सूत्र) एक बहुत ही निकम्मी चीज है और उसके उन्होंने बहुत से दोष बताये। मैं शायद उनकी इस नुक्ताचीनी को ज्यादा गम्भीर समझता अगर मुझे यह नहीं मालूम होता कि दरअसल श्री चटर्जी को पंजाब के बारे में कुछ मालूम नहीं है और पंजाब के रीजनल फार्मूला (प्रादेशिक सूत्र) के बारे में जो उन्होंने नुक्ताचीनी की है वह सिर्फ उस नुक्ताचीनी पर कायम है जो कि वहां पर हिन्दू महासभा या जनसंघ के उनके भाई लोग वहां पर करते हैं और जो उन्होंने फैक्ट्स (तथ्य) दिये हैं उनके आधार पर उन्होंने यह नुक्ताचीनी की है और उन्होंने कहा है कि यह रीजनल फार्मूला डिफरेंसेज (मत-वैभिन्न) को और ज्यादा बढ़ा देगा। मैं आशा करता था कि वे कोई और आलटरनटिव फार्मूला (वैकल्पिक सूत्र) बतायेंगे और कोई दूसरा हल इस पंजाब के मसले को सुझायेंगे कि जिसके जरिये इस मामले को संतोषपूर्वक हल किया जा सके लेकिन उन्होंने हमको निराश किया।

श्री चटर्जी ने डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) की बहुत दुहाई दी और दलीलें दीं और कहा कि यह चीज लोकतंत्र के खिलाफ है। मैं नहीं जानता कि श्री चटर्जी की लोकतंत्र के बारे में धारणा क्या है? डेमोक्रसी के बारे में उनके नोशंस (सिद्धान्त) क्या हैं। कई मर्तबा हम लोग डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) के बारे में ग़लत नोशंस (सिद्धान्त) बना लेते हैं और डेमोक्रेसी के नाम पर इतनी आउटरेजियस (भड़काने वाली) बातें हुई हैं कि जो किसी डमोक्रेसी में सहन नहीं की जा सकतीं। यह मैजारिटी (बहुसंख्यक) और माइनारिटी (अल्पसंख्यक) जनता में भाषा के आधार पर और कामों के आधार पर जो मैजारिटी और माइनारिटी का सवाल है उसे सिम्पल मैजारिटी (सामान्य बहुसंख्यक) से आप हल नहीं कर सकते और सिम्पल मैजारिटी से आप उन बातों को तय नहीं कर सकते जिनको कि आप मामूली तौर पर जैसे कि विचारों के मतभेद को हल कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि जहां तक विचारों का मतभेद है, डेमोक्रसी में विचार बदलते रहते हैं और पार्टीज बदलती रहती हैं लेकिन लिंग्विस्टिक माइनारिटीज (भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यक) और मेजारिटीज (बहुसंख्यक) में या जो धार्मिक आधार पर मेजारिटीज या माइनारिटीज हैं अथवा किसी जाति के आधार पर माइनारिटीज या मेजारिटी हैं, उनका हल सिम्पल मैजारिटी से आप नहीं कर सकते हैं और उनके हल के लिये आपको सेफगार्डस (परित्राण) रखने पड़ते हैं। विधेयक के सेक्शन (धारा) २१ में जो यहां की भाषाओं के लिये सेफगार्ड्स सुझाये गये हैं, जो रीजनल फार्मूला है, उसके अन्दर हमने जो सेफगार्डस रक्खे हैं, उसकी वजह यह है कि जहां पर दो भाषाओं का सवाल है उनकी उन्नति एक सी हो। मान लीजिये पंजाबी बोलने वालों का सवाल है, हम चाहते हैं कि उनको भी वही सहूलियत पहुंचाई जाय जो कि हिन्दी बोलने वालों को पहुंचायी जाती है। श्री चटर्जी ने पंजाब का जिक्र किया। उनको मालूम नहीं था कि वहां पर क्या सवाल है, वहां पर सवाल पंजाबी लिपि का है। लिपि के सम्बन्ध में उन्होंने कहा, और इस बिल पर अपने नोट आफ डिसेंट (विमति टिप्पण) में भी लिखा है, कि पंजाबी चाहे देवनागरी लिपि में लिख दी जाय चाहे गुरुमुखी में, या उर्दू में, इसमें क्या फर्क पड़ता है। खाली गुरुमुखी की मांग क्यों की जाती है? मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वह इसको तसलीम कर लेंगे कि बंगाली को देवनागरी के अक्षरों में लिखा जाय? मैं जानता हूं कि श्री शारदा चरण मित्र ने एक बार इस प्रस्ताव को रक्खा था कि बंगाली को देवनागरी में लिखा जाय, लेकिन बंगाल में उसको स्वीकार नहीं किया था। मैं जानता हूं कि श्री चटर्जी भी उसको नहीं मानेंगे।

आज बंगाली देवनागरी या रोमन लिपि में नहीं लिखी जा सकती, तैलगू रोमन या हिन्दी की लिपि में नहीं लिखी जा सकती, कोई भी भाषा रोमन में नहीं लिखी जा सकती। जब यह स्थिति है तो आप पंजाबी की जो लिपि है उसका डाइवोर्स (परित्याग) कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पंजाब के सब लोगों को पंजाबी पढ़ानी है तो आपको उसकी लिपि को रखना ही पड़ेगा।

अब रहा सवाल कम्पल्शन (विवशता) का। जब आप स्कूलों को कैरिकुलम (पाठ्यक्रम) मुकर्रर करते हैं तो उसमें आप कई चीजें कंम्पल्सरी (अनिवार्य) कर देते हैं। आप अलजीब्रा (बीज गणित) पढ़ाते हैं, अरिथमैटिक (अंकगणित) पढ़ाते हैं, दूसरी चीजें पढ़ाते हैं। अभी मैं ने

[श्री अमरनाथ विद्यालंकार]

अर्ज किया कि हम अंग्रेजी को कम्पल्सरी (अनिवार्य) तौर पर पढ़ायेंगे। अगर यह सब चीजें कम्पल्सरी पढ़ाई जाती हैं और आपको कोई आपत्ति नहीं होती, आप पढ़ते हैं, सारा कैरिकुलम पूरा किया जाता है, तो आप को पंजाबी कम्पल्सरीली (अनिवार्य) रूप से पढ़ने में या हिन्दी कम्पल्सरीली पढ़ने में क्यों आपत्ति हो सकती है। हम इसलिये उन को पढ़ेंगे कि जब हम पड़ोस में ही रहते हैं तो एक दूसरे की भाषा को जानें, एक दूसरे के कल्चर (संस्कृति) को जानें, और एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते कायम हों, और ज्यादा गहरे हों और हम लोग एक संगठित राष्ट्र बन सकें। अगर इसके लिये हम भाषाओं को कम्पल्सरी करते हैं तो क्या नुक्स है।

श्री चटर्जी ने कहा कि यहां पर रीजनल फार्मूला जो है उसके कारण ज्वायेंट (संयुक्त उत्तर-दायित्व) रिस्पांसिबिलिटी को खतरा पैदा होगा। मैंने समझा कि वह बड़े काबिल वकील हैं। आखिर वह क्या चीज है जिसे मिटाया जा रहा है। उनसे यह सुनकर कि ज्वायेंट रिस्पांसिबिलिटी (संयुक्त उत्तरदायित्व) को खतरा हो गया, मैं सोचने लगा कि जरूर उसमें कोई न कोई असलियत होगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि उन्होंने शायद इस फार्म्यूला (सूत्र) को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं। वहां पर जो रीजनल कौंसिलें (प्रादेशिक परिषदें) हैं वह तो सिर्फ अपनी एडवाइस टेंडर (राय देना) करती हैं। किस को टेंडर करती हैं? जो लेजिस्लेटिव असेम्बली (विधान सभा) है, उसको टेंडर करती हैं। चीफ मिनिस्टर (मुख्य मंत्री) अलग रहता है। उस चीज का फैसला कौन करता है? लेजिस्लेटिव असेम्बली करती ह, जो बड़ी असेम्बली होती है वह करती है। इसमें रिस्पांसिबिलिटी डिवाइड (उत्तरदायित्व का विभाजन) कहां होती है। हां, अगर कभी रीजनल कौंसिल की बात को न मान कर लेजिस्लेटिव असेम्बली अपनी बात पर अड़ जाती है और एक डेडलाक (गतिरोध) पैदा हो जाता है, तो जैसा मैंने कहा कि कुछ सेफगार्ड्स (परित्राण) हैं उन चीजों के लिये कि माइनारिटी पर कहीं लिंग्विस्टिक मैजारिटी (भाषा सम्बन्धी बहुसंख्यक) का स्टीम रोलर न चल जाय। माइनारिटी को कहीं कुचल न दिया जाय, इसके लिये आपने एक्स्ट्रा आर्डिनरी प्रोविजन (असाधारण उपबन्ध) कर दिया है कि गवर्नर फैसला करे। गवर्नर की हस्ती क्या है? क्या वह कोई बाहर की चीज है जो कि दूसरों के द्वारा हम पर इम्पोज (लादना) किया गया हो, क्या वह कोई डीक्टेटर (तानाशाह) या डेस्पात (निरंकुश) है? गवर्नर की पोजीशन (स्थिति) हमारे कांस्टिट्यूशन (संविधान) के अन्दर है। वह प्रेजिडेन्ट (राष्ट्रपति) के नीचे है और चीफ मिनिस्टर की ऐडवाइस (राय) पर काम करता है। चीफ मिनिस्टर ऐडवाइस करता है और गवर्नर उसके ऊपर ऐक्ट (कार्य) करता है। प्रेजीडेंट जो है वह केन्द्रीय मंत्रिमंडल की ऐडवाइस पर काम करता है और मंत्रिमंडल पार्लियामेंट (संसद्) के नीचे हैं। तो गवर्नर कोई ऐसी सुप्रीम (उच्चतम) ताकत नहीं बनाई गई है। जब कांस्टिट्यूशन गवर्नर को कोई सुप्रीम पावर (उच्चतम शक्ति) नहीं देता, तो यह कहना कि गवर्नर तो डिक्टेटर बन गया और उसके खिलाफ डिमाक्रेसी या दूसरी बड़ी-बड़ी चीजों के नाम पर अपील करना, मैं समझता हूं कि एक गलत सी चीज है। मैं नहीं समझता कि श्री चटर्जी जो कि एक बड़े वकील हैं क्यों इस मामूली सी बात को नहीं समझ सके।

श्री चटर्जी ने यह भी कहा कि रीजनल कौंसिलों को अधिकार दे कर हमने ऐडमिनिस्ट्रेशन के डिमाक्रेटिक राइट्स (प्रशासन के लोकतन्त्रीय अधिकारों) को बांट दिया। हम तो पंचायतों को ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। डिमाक्रेसी के बारे में जो हमारी धारणा हैं उसके अनुसार हम सेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर (शक्ति का केन्द्रीयकरण) नहीं चाहते हैं, हम डिसेन्ट्रलाइजेशन (विकेन्द्रीकरण) चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि तमाम ताकत एक जगह जाकर इकट्ठी हो जाय। जो काम रीजनल कौंसिल को दिये गये हैं वह डेवलपमेंट (विकास) के काम हैं जैसे कम्युनिटी प्रोजक्ट्स (सामुदायिक परियोजनायें) हैं, एजुकेशन (शिक्षा) है, हेल्थ (स्वास्थ्य) है। अन्य जो भी वेलफेअर (कल्याण) की छोटी छोटी बातें हैं उनके लिये हम मुकामी संस्थाओं को, छोटे छोटे टुकड़ों को ज्यादा से ज्यादा ताकत देना चाहते हैं और इन चीजों का इन्तजाम उनको ही करना चाहिये। उन चीजों के बारे में हम कस्बों, गांवों गांवों को ज्यादा ताकत देना चाहते हैं। उन्हीं लोगों पर

सारी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं, यही हमारे कांस्टिट्यूशन की भी स्पिरिट (भावना) है, और यही हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) की स्पिरिट (भावना) होनी चाहिये। हम इन तमाम कामों को सेन्ट्रलाइज (केन्द्रित) नहीं करना चाहते। जितने डेवेलपमेंट के काम हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी आपको बांटनी चाहिये। हम तो कहते हैं कि रीजनल कौंसिल क्या अगर हम एक एक गांव को इसकी जिम्मेदारी दें, तो भी इसमें कोई भी अपने उसूलों की खिलाफवर्जी नहीं करते हैं। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर (राज्य के विधान मंडल) की जिम्मेदारी रहती है तो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी रहती है और चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी रहती है तो मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी रहती है कि जो वहां पर सारे कामों को करता है। इसलिये यहां पर जो बाते कही गई हैं वह एक चीज को गलत तरीके से इंटरप्रिट (निर्वाचन) करके, एक चीज को गलत शक्ल दे कर, महज नुक्ताचीनी करने के खयाल से कही गई हैं।

मैं समझता हूं कि इस देश में, पंजाब के अन्दर हो या किसी दूसरे प्रदेश में भाषा के सवाल के ऊपर काफी झगड़े हुए हैं और उनको आगे बढ़ाना उचित नहीं है। श्री चटर्जी की पार्टी के पंजाब के लोग यह नहीं समझ सके कि मैजारिटी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, मुझे अफसोस हुआ कि श्री बंसल ने भी कुछ इशारा किया कि वहां पर एक कम्युनिटी (समुदाय) के आदमी रक्खे गये हैं। मैं उनका इशारा समझ गया। मैं पूछता हूं कि अगर कहीं पर माइनारिटी के लोग रहते हैं तो वह कहां जायंगे। आखिर रहेंगे तो मैजारिटी के नीचे ही। माइनारिटी वालों को आप को जगह देनी ही पड़ेगी नहीं तो दूसरी जगह पर उनको ले जाकर बसाना भी पड़ेगा। आखिर मेजारिटी के लोग घबरा क्यों जाते हैं माइनारिटी के नाम पर, यह मैं नहीं समझ पाता। अगर हम इस तरह से चौंकते रहेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? पंजाबी को लेकर श्री चटर्जी की पार्टी वाले प्रचार करते हैं कि हिन्दी खतरे में पड़ गई है, हिन्दी को तबहा कर दिया गया।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सारे देश में तो आज यह चर्चा चल रही है कि हिन्दी इम्पीरियलिज्म (साम्राज्यवाद) कायम किया जा रहा है, हिन्दी का एग्रेशन (आक्रमण) हो रहा है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि पंजाबी को ऊंचा दर्जा दे दिया गया, हिन्दी को कुचल दिया गया। मैं समझता हूं कि अगर हिन्दी की रक्षा करनी है, तो हमें यहां पर अपने देश में अपने देश की प्रादेशिक भाषाओं को ज्यादा से ज्यादा ऊंचा दर्जा देना होगा। हिन्दी तरक्की तभी करेगी जब हम प्रादेशिक भाषाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे। प्रादेशिक भाषाओं के अपने अपने एक्स्प्रेशन (अभिव्यक्ति) हैं, उनके अन्दर जो शब्दभंडार हैं उनसे हिन्दी की भी उन्नति होगी। हिन्दी के विषय में मैं जानता हूं कि उसने बंगला से बहुत कुछ लिया है, गुजराती से हिन्दी की बहुत तरक्की हुई है, उस से हिन्दी ने बहुत कुछ लिया है। इसी तरह से पंजाबी के प्रयोग से भी हिन्दी बहुत कुछ उन्नति करेगी, उससे बहुत कुछ लेगी। एक देहाती पंजाबी का जो सुन्दर एक्स्प्रेशन है, जो उस की सुन्दर कविता है, जो बात कहने का जोरदार ढंग है, वह हिन्दी के अन्दर तभी आयेगा जब पंजाब के लोग हिन्दी भी पढ़ें और पंजाबी भी पढ़ें और एक दूसरे का एक्स्प्रेशन जानें। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हम अपने देशी भाषाओं से क्यों घबराते हैं। हिन्दी को अगर खतरा है तो एक ही भाषा से है, और वह है अंग्रेजी। अगर हम अपनी भाषाओं को उठाना चाहते हैं, हिन्दी वाले अगर चाहते हैं कि हमारी भाषा तरक्की करे और हम हिन्दी को अंग्रेजी के मुकाबले ला सकें, तो उसका एक ही तरीका है कि जो प्रान्तीय भाषायें हैं उनका सहयोग लें। पंजाबी भाषा की तरक्की करें, उसको ऊंचा उठायें, जब वह ऊंचे उठेगी तभी हिन्दी उठेगी क्योंकि हिन्दी को उस से सहायता मिलेगी। लेकिन अगर हम प्रान्तीय भाषाओं को दबाते रहे, रीजनल भाषाओं को दबाते रह, जैसे कि पंजाबी को हिन्दू महासभा वाले दबाना चाहते हैं, जनसंघ वाले दबाना चाहते हैं, अगर हिन्दी वाले इसी तरह प्रादेशिक भाषाओं को दबाते रहे तो न हिन्दी पनप सकेगी और न दूसरी भाषायें पनप सकेंगी और अंग्रेजी का राज्य हमारे यहां चलता रहेगा। मैं आप से चीन की बात बतलाना चाहता हूं, कोई दो साल पहले मैं वहां गया था। उन्होंने तय किया कि हम चीन की देशी भाषाओं का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी या दूसरी किसी विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। और पांच साल के अन्दर उन्होंने तमाम दूसरी

[श्री अमरनाथ विद्यालंकार]

भाषाओं को जवाब दे दिया। लेकिन एक चीज वहां पर थी कि जो मैजारिटी वाले थे, जो कि चीनी भाषा बोलते थे उन्होंने अपनी भाषा को दूसरों पर इम्पोज (लादने) करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने भाषा को थोपने की कोशिश नहीं की। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि लोग प्रान्तीय भाषायें बोलें। मैं समझता हूं कि हिन्दी और पंजाबी के सवाल ने हमारे पंजाब में जो शक्ल अख्तियार की है, वह शक्ल उसको गलत तरीके से दे दी गई है। जो हल सुझाया गया है उससे मैं समझता हूं कि हमारा पंजाब तरक्की कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी हिन्दी तभी तरक्की करेगी जब आप प्रादेशिक भाषाओं को प्रोत्साहन देंगे। जब तक आप उनसे शब्द लेकर हिन्दी का भण्डार नहीं भरेंगे, हिन्दी की तरक्की ज्यादा नहीं होगी। जितना भी आप प्रान्तीय भाषाओं के साथ एग्रेसिव एटीट्यूड (आक्रमणकारी रुख) लेंगे और कहेंगे कि हम प्रान्तीय भाषा नहीं पढ़ेंगे और हिन्दी को दूसरों पर थोपने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि सभी को यह पढ़नी पड़ेगी और खुद प्रान्तीय भाषा नहीं पढ़ेंगे उतनी ही हिन्दी नीचे की ओर जाती जायेगी और इसका बहुत ज्यादा विरोध होगा। अगर आप यह कहेंगे कि या तो हिन्दी ही चलेगी और या पंजाबी तो मैं समझता हूं कि यह कदम हमको डेसट्रकशन (तबाही) की ओर ले जायगा। मैं अपने माननीय सदस्य श्री चटर्जी साहब से तथा उनके अनुयायियों से अपील करना चाहता हूं कि भारत की एकता को उन्हें एक बुनियादी चीज मानना चाहिये और इसी के मुताबिक अमल भी करना चाहिये। जसे कि मैंन पहले कहा ह कि गुत्थियों को सुलझाने की जो कुंजी हमें दी गई है, उससे सब मसले हल हो सकते हैं और मैं उनसे अपील करूंगा कि वह इसको स्वीकार करें और प्रगति की राह पर चलने में योग दें।

†**डा० जयसूर्य** (भेदक) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन संख्या २०३ को बड़ा उपयुक्त संशोधन समझता हूं। यदि पंजाब और आन्ध्र की क्षेत्रीय परिषदों के प्रारूप इसी आधार पर तयार किये जाते तो आज हमारे सामने ये अनेकों संविधानिक कठीनाइयां उत्पन्न ही नहीं होतीं

इसमें संविधान के अनुच्छेद ३७१ का ऐसे ढंग से संशोधन करने के लिये कहा गया है कि उससे किसी की स्वायत्तत्ता अथवा प्रभुता में कोई अन्तर नहीं आता। इसमें राष्ट्रपति को केवल मात्र यह बताने का अधिकार देने के लिये कहा गया है कि क्षेत्रीय समितियों का कसे गठन किया जायेगा तथा ऐसे राज्यों में विधान मंडलों के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम कैसे बनाये जायंगे और इनके राज्यपालों को क्या करना होगा।

यह क्षेत्रीय समिति कैसी होगी ? इसका कुछ कुछ अनुमान हम तेलंगाना में बनाई गई क्षेत्रीय समिति के प्रारूप से लगा सकते हैं, यद्यपि वह पंजाब की समिति से पर्याप्त भिन्न है। उसमें पंजाब फार्मूला का खंड ४ सर्वथा नहीं ह। परन्तु हमें फिर भी उसके प्रारूप से क्षेत्रीय समितियों के सम्बन्ध में सरकार के दिमाग का नक्शा पता लग सकता है।

पंजाब फार्मूला के खंड ४ में सरकार ने यह कहा है कि "क्षेत्रीय समिति द्वारा दी गई सलाह सरकार तथा राज्य विधान मंडल को सामान्यतः स्वीकार्य होगी"। जहाँ तक सरकार द्वारा इसके माने जाने का प्रश्न है यह ठीक हो सकता है। किन्तु मेरी समझ में नहीं आता है कि विधान मंडल को हम कैसे किसी ऐसी बात के लिये बांध सकते हैं जिसके सम्बन्ध में कि विधान मंडल ने कोई चर्चा न की हो अथवा जिसका कि यह समर्थन न करता हो। अतः मेरा निवेदन है कि खंड ४ में से में "राज्य विधान मंडल" शब्द हटा देने चाहियें।

आपने मराठवाडा में एक पृथक् विकास बोर्ड बनाने का उपबन्ध किया है। आप तेलंगाना के लिये भी एक क्षेत्रीय समिति बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार करनाटक के लोग भी, क्योंकि मैसूर में मिले हैं, एक क्षेत्रीय समिति की मांग कर सकते हैं, और महाराष्ट्र के लोग भी इन सब कठनाइयों को दूर करने के लिये यदि आप अनुच्छेद ३७१ के संशोधन को, जिसका कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, स्वीकार कर लेंगे तो लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पैदा होगा और हमारी अनेकों समस्याओं का बड़ी सुगमता से हल हो जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं क्षेत्रीय समिति के अधीन रखे गये विषयों की ओर आता हूं। इसमें मुझे सहकारिता अथवा सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में कुछ कहना है। आपने सहकारी संस्थाओं को क्षेत्रीय परिषद् का विषय माना है? यह बात बड़ी गलत है। सहकारी संस्थायें राज्य विधान मंडल के अधीन होनी चाहियें। उनमें एकरूपता का होना बड़ा आवश्यक है। मैं देश के विकास में सहकारी संस्थाओं का एक विशेष महत्व समझता हूं। और मैं समझता हूं कि अब दो तीन वर्ष में यह एक केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यवस्थित संगठन होने जा रहा है। क्योंकि देश के सारे वित्तीय ढांचे का उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक अपने हाथ में लेने जा रहा है। ऐसी दशा में सहकारी संस्थाओं का विषय कदापि क्षेत्रीय परिषद् के सुपुर्द नहीं करना चाहिये।

अन्त में मैं आप से फिर एक बार यह निवेदन करूंगा कि आप किसी भी प्रकार क्षेत्रीय परिषदों द्वारा विधान मंडलों की प्रभुता को कम करने का प्रयत्न न करें।

†**श्री पाटस्कर** : मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि इस वाद-विवाद का उत्तर अन्त में गृह मंत्री ही देंगे। इस समय मैं केवल अपने नाम से दिये जाने वाले संशोधन संख्या २११ के सम्बन्ध में ही कुछ बातें बताना चाहता हूं। विधेयक के खंड २२ में संयुक्त समिति ने विदर्भ, महाराष्ट्र तथा बम्बई के अन्य क्षेत्रों के लिये पृथक-पृथक् विकास बोर्ड बनाने की सिफारिश की है। मैं प्रारम्भ में ही यह बता देना अच्छा समझता हूं कि यह सिफारिश किन्हीं विधेयक नीतियों अथवा किसी बाह्य हस्तक्षेप के कारण नहीं की गई है प्रत्युत इसके पीछे इन क्षेत्रों का एक विशेष इतिहास है तथा इनकी अपनी ही कुछ विशेष समस्याएं हैं। इन लोगों को इन समस्याओं के हल के लिये कदाचित कुछ पूर्व सन्देह से हो रहे थे। हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि हमने उन सन्देहाभासों को दूर करने के लिये ही यह उपबन्ध किया है।

उदाहरणतः मराठवाडा पहले हैदराबाद राज्य में आता था। अतः उस क्षेत्र के लोगों की कुछ अपनी ही समस्याएं तथा कठिनाइयां थीं। इसी प्रकार विदर्भ भी पहल एक अन्य राज्य में था। वहां के लोगों की भी कुछ अपने ही प्रकार की कठिनाइयां थीं। अतः जब इतनी दीर्घ अवधि के पश्चात् उन्हें अब नय बृहत्तर बम्बई राज्य में मिलाया जा रहा है तो उनको अपने विकास के सम्बन्ध में कुछ सन्देह होना बड़ी स्वाभाविक बात है। आज जब कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार करने जा रहे हैं, भारत के प्रत्यक भाग के व्यक्तियों को अपने विकास की चिन्ता हो रही है, और स्वभावतः होनी ही चाहिये। अतः उन लोगों को यह सन्देह होने लगा कि कदाचित विकास की इन राशियों में उनको ठीक अनुपात में भाग न मिल सके। इस चिन्ता में भाषा का कोई प्रश्न नहीं था। वे केवल समुचित व्यवहार के लिय चिन्तित थे। क्योंकि वे भी अपने क्षेत्रों के विकास के लिये अवसर ढूंढना चाहते थे। हम उनकी इस इच्छा या वृत्ति को विभेदक या विग्रह की वृत्ति नहीं कह सकते हैं।

इन सब बातों को ध्यान रखते हुए तथा इन क्षेत्रों के ऐतिहासिक सम्बन्धों का विचार रख कर ही संयुक्त समिति ने मराठवाडा और विदर्भ के लिये पृथक्-पृथक् विकास बोर्ड बनाने का उपबन्ध करने के लिये कहा है।

इसके पश्चात् अभी हमने राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया है। उसमें हमने यह निश्चय किया है कि बम्बई का एक बृहत्तर राज्य बनाया जायेगा। कई लोग इसे द्विभाषी बम्बई राज्य भी कहते हैं। किन्तु मैं उसे बृहत्तर बम्बई राज्य ही कहना चाहता हूं। बम्बई सभी भाषा भाषियों का है। और वास्तव में किसी भी सम्पन्न राज्य में बहु भाषा भाषियों का होना नितान्त स्वाभाविक है।

क्योंकि अब हमने बम्बई को एक इतना बड़ा राज्य बना लिया है, अतः हमें इसके सभी भागों के विकास का ध्यान रखना चाहिये क्योंकि उसी में ही सम्पूर्ण राज्य का विकास निहित है। अब सौराष्ट्र भी बम्बई राज्य का एक भाग हो रहा है। पहले इसमें कई छोटी छोटी रियासतें थीं। इसके विकास की समस्याओं का अन्य क्षेत्रों से भिन्न होना स्वाभाविक ही है। कच्छ की भी ऐसी ही स्थिति है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

इन सब परिस्थितियों के कारण हमारे लिये इस प्रकार का उपबन्ध करना बड़ा आवश्यक हो गया था ताकि इन क्षेत्रों के लोगों में व्यर्थ के सन्देह न उत्पन्न होते रहें। इन सभी क्षेत्रों के लोगों को सबसे बड़ी चिन्ता यही है कि वे अपने अपने क्षेत्र का कैसे विकास कर सकें। उनकी अपने क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में भ्रांति चाहे सही हो अथवा गलत हो हमने उसको दूर करने के लिये ही इस प्रकार का उपबन्ध किया है। हम इसके द्वारा उनमें विग्रह नहीं उत्पन्न करना चाहते है। इस संशोधन का निर्वाचन इस प्रकार करना सर्वथा गलत होगा। इसके उद्देश्य के सम्बन्ध में स्पष्टतया यह कहा गया है कि सम्पूर्ण राज्य की भलाई की दृष्टि से ही इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा।

इन सब बातों का ध्यान रख कर ही इस संशोधन में यह कहा गया है कि "विदर्भ, मराठवाडा, शेष महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात इन छः इलाकों के विकास के लिये पृथक्-पृथक् विकास बोर्ड बनाये जायें"। इन सब क्षेत्रों को इनके ऐतिहासिक कारणों, इनके भिन्न भू कर सम्बन्धी नियमों तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की भू-समस्याओं तथा विकास की समस्याओं के कारण चुना गया है। यदि हम ऐसा उपबन्ध न भी करते तब भी नये बम्बई राज्य को स्वयं इन क्षेत्रों के विकास के लिये ऐसा ही प्रबन्ध करना पड़ता। उसको इन क्षेत्रों के विकास के लिये हर हालत में भिन्न-भिन्न विकास बोर्ड बनाने ही पड़ते। किन्तु हमने बृहत्तर बम्बई के लोगों में किसी प्रकार का सन्देह न उत्पन्न होने के लिये पहले से ही इस बात की व्यवस्था कर दी है।

और हमने इससे भी एक कदम आगे कर उनको यह आश्वासन भी दिलाया है कि इन विकास बोर्डों के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य के विधान मंडल में भी रखे जायेंगे। अर्थात् उन पर विधान मंडल में भी चर्चा होगी। हम किसी भी व्यक्ति को यह मौका नहीं देना चाहते हैं कि वह बाद में आकर यह शिकायत करे कि उसके क्षेत्र के विकास का बोर्ड कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इस लिये हमने उपखंड (ख) द्वारा यह व्यवस्था कर दी है कि इन रिपोर्टों की सम्पूर्ण राज्य के विधान मंडलों में चर्चा की जायेगी ताकि इन तीनों विभागों में सम्पूर्ण राज्य के विकास की दष्टि से समान रूप से विकास व्यय बांटा जा सके।

अतः सर्वप्रथम तो सारे राज्य के हित का ध्यान रखा जायेगा फिर इन क्षेत्रों का।

एक अन्य दृष्टि से भी ऐसा उपबन्ध करना बड़ा आवश्यक था।

जब से राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, बल्कि उससे भी कुछ समय पहले से, लोगों के दिलों में एक व्यर्थ सी भ्रान्ति उत्पन्न होती रही है कि अगर वे अमुक राज्य में अल्पसंख्यक के रूप में रहे तो उनका क्या होगा; अथवा अगर वे अमुक राज्य में बहुसंख्या बन कर रहेंगे तो उनको क्या क्या लाभ होगा? परन्तु अब क्योंकि संसद् ने सभी राज्यों के सम्बन्ध में एक विनिश्चय कर लिया है अतः हमें प्रत्येक व्यक्ति के दिल से इस प्रकार के विचार निकालने बड़े आवश्यक हो गये थे। आज गुजरातियों अथवा मराठों को बम्बई में अपने हितों का समझना बड़ा आवश्यक है। उसी के विकास से इनके क्षेत्रों का विकास हो सकता है। इस संबंध में निकट भूत में कुछ दुःखद बातें होती रही हैं। अतः हमने गुजरात, विदर्भ, मराठवाडा आदि सभी क्षेत्रों के लोगों के मनों से उस अतीत इतिहास के कारण उत्पन्न होने वाली भ्रान्तियों को प्रारम्भ में ही निकाल देना अच्छा समझा है। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति को इन शक्तियों को प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। मुझे आशा है कि स्वयं बम्बई राज्य उन के हितों को ध्यान में रखेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने को दृढ़ बनाने के लिये उनको भी विकसित बनाने का भरसक प्रयत्न करेगा। मैं ने यह संशोधन इसी दृष्टि से प्रस्तुत किया है। इसका श्री चटर्जी तथा मेरे अन्य कई मित्रों ने भी समर्थन किया है। अतः मुझे आशा है यह अवश्य सभा को स्वीकार्य होगा।

†**श्री कामत** : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं । इस संशोधन में ६ क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है । उनमें से दो का नाम इस प्रकार बताया गया है : शेष महाराष्ट्र और शेष गुजरात । क्या मैं जान सकता हूं कि इन दो क्षेत्रों के कौन-कौन से इलाके बम्बई राज्य में मिलाये जायेंगे ?

†**श्री पाटस्कर** : मैं समझता हूं अब हम इस मंजिल तक पहुंच चुके हैं कि मुझे अब स्थानों के नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । हमने जहां तक भी हो सकता था उन सभी इलाकों को इन क्षेत्रों में सम्मिलित कर लिया है ।

†**श्री कामत** : मैं इन क्षेत्रों की परिभाषा सुनना चाहता हूं । शेष महाराष्ट्र और शेष गुजरात में कौन कौन इलाके होंगे ?

†**श्री पाटस्कर** : हम बम्बई नगर के निवासियों को इसमें कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होती है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैं ने एक संशोधन की सूचना दी थी, पर नियमों के अनुसार उसे परिचालित करना आवश्यक नहीं था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अनावश्यक था ।

†**श्री कामत** : चूंकि सरकार की ओर से प्रस्तुत किये गये सूत्र के अनुसार महाराष्ट्र को बम्बई से पृथक रखा जाना है, इसलिये यह विषय संविधान से सम्बन्धित है ।

†**श्री चि० चा० शाह** (गोहिलवाड-सोरठ) : विकास बोर्डों की आवश्यकता पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों के लिये है, बम्बई के लिये नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी माननीय सदस्य एक साथ न बोलें । श्री कामत द्वारा उठाये गये प्रश्न की जांच की जायेगी ।

माननीय सदस्यों ने संविधान (नवां संशोधन) विधेयक, १९५६ के खंड २२ और २२ क के सम्बन्ध में इन संशोधनों को उनके अन्य किसी प्रकार से ग्राह्य होने के अतिरिक्त, प्रस्तुत करने की सूचना दी है :

खंड संख्या	संशोधन संख्या
२२	२४, ५५, ३६, ३७, ८२, २११ (सरकारी), ८३, १२१, १२२, ८६, ८७, ८८, ११४, ११५, ११६ ।
२२क	२०३ ।

इसके पश्चात् श्री क०कु० बसु ने संशोधन संख्या २४, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संशोधन संख्या ५५, ३६ और ३७ श्री हेमराज ने संशोधन संख्या ८२ प्रस्तुत किये ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ११ में—

(१) पंक्ति १७ में,

†मूल अंग्रज़ी में

[श्री पाटस्कर]

शब्द "Maharashtra" ("महाराष्ट्र") के स्थान पर शब्द "Bombay" ["बम्बई"] रखा जायें ;

(२) पंक्तियों १९ और २० के स्थान पर यह रखा जायें :

"(a) The establishment of separate development boards for Vidarbha, Marathwada, the rest of Maharashtra, Saurashtra, Kutch and the rest of Gujarath;"

["(क) विदर्भ, मराठवाड़ा, शेष महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिये अलग अलग विकास बोर्डो की स्थापना;"]

(३) पंक्ति २५ में,

शब्द "these three divisions" ["इन तीन डिवीज़नों"] के स्थान पर शब्द "the said area" ["उक्त क्षेत्र"] रखे जायें ; और

(४) पंक्तियों ३० और ३१ में,

शब्द "the three divisions" ["तीन डिवीज़नों"] के स्थान पर शब्द "the said areas" ["उक्त क्षेत्र"] शब्द रखे जायें ।

इसके पश्चात् श्री हेमराज ने संशोधन संख्या ८३ और १२१, श्री भक्त दर्शन ने संशोधन संख्या १२२, श्री वि० घ० देशपांडे ने संशोधन संख्या ८६, ८७ और ८८ श्री नि० चं० चटर्जी ने संशोधन संख्या ११४, ११५ और ११६ और पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संशोधन संख्या २०३ प्रस्तुत किये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब स्पीकर साहब (अध्यक्ष महोदय), मैं अमेंडमेंट नम्बर (संशोधन संख्या) ५५, ५८, ८१ और २०३ पर बोलना चाहता हूं। दफ़ा २१ पर मैं ने जो अमेंडमेंट्स (संशोधन) दी थीं, वे नामन्जूर कर दी गई हैं। अब पंजाब के बारे में सिर्फ ये अमेंडमेंट्स रह जाती हैं।

पंजाब के बारे में जो फ़ारमूला (सूत्र) बनाया गया है, उसके मुताल्लिक मेरी सब से पहली शिकायत यह है कि इस फ़ारमूले को कांस्टीट्यूशन (संविधान) का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इसको सिर्फ अपैंडिक्स (परिशिष्ट) में दर्ज किया गया है और अपैंडिक्स कभी भी इस बिल (विधेयक) का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके मायने ये हैं कि जो पुरानी रवायात नान-रेगुलेशन प्राविन्सिज़ (अविनियमित प्रान्तों) के साथ जुड़ी हुई थीं, वे अब भी पंजाब के साथ स्टिक करती (जुड़ी रहती) हैं। शायद अभी तक हम हिन्दुस्तान का प्रापर (उचित) हिस्सा नहीं बने हैं, जिस की वजह से हम को यह इज्ज़त नहीं मिली है कि जो बात या फैसला हमारे मुताल्लिक हो, उस को कांस्टीट्यूशन म दर्ज किया जाय। उसको अपैंडिक्स में रैलीगेट (डाल) कर दिया गया है।

जैसा कि मैं पेश्तर कह चुका हूं, मैं इस रिजनल कमेटी (प्रादेशिक समिति) के फ़ारमूले के हक (पक्ष) में हूं, लेकिन मेरी शिकायत यह है कि यह फ़ारमूला, जिस की आउटलाइन (रूपरेखा) दर्ज की गई है, हमारी सलाह से नहीं बनाया गया है। उस के बारे में हम से नहीं पूछा गया कि क्या हम उस में कोई तब्दीली चाहते भी हैं या नहीं और आया उस को चाहते भी हैं या नहीं। न उस फ़ारमूले को पार्लियामेंट (संसद्) के सामने रखा गया और न उस के मुताल्लिक पार्लियामेंट के

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मेम्बरों से पूछा गया और न उन की राय ली गई। इस के मायने ये हैं कि एक ऐसी चीज़ हम पर थोपी जा रही है, जिस के मुताल्लिक हमारी राय भी नहीं ली गई—ख्वाह वह हम को पसन्द हो—और इस वजह से सारे पंजाब में साइकालोजिकल फ्रस्ट्रेशन (मानसिक निराशा) फैला हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि यह फारमूला हमारे लीडर्ज़ (नेतागण)—गवर्नमेंट के लीडर्ज़ या कांग्रेस के लीडर्ज़—ने अकाली भाईयों के साथ मिल कर बनाया और फिर उस को इस बिल में रख दिया। लेकिन इस बात पर मेरा एतराज़ नहीं है। मेरी गुज़ारिश (अनुरोध) सिर्फ यह है कि जब तक पंजाब का एक बड़ा हिस्सा सैटिसफ़ाइड (संतुष्ट) नहीं होगा, तब तक वहां पीस (शान्ति) नहीं हो सकती है। मैं इस बात को मानता हूं। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि अगर किसी बड़े तबके को किसी किस्म की सैटिसफैक्शन की ज़रूरत है, तो वही दी जानी चाहिये : मेरे एतराज़ात (आपत्तियां) और तरह के हैं। अमेंडमेंट ५५ और ५८ के ज़रिये मैं ने यह कोशिश की है कि जो आउटलाइन दी गई है, वह चन्द अमेंडमेंट्स के साथ सैकंड शिड्यूल (द्वितीय अनुसूची) बन जाय। उस फारमूले की कुछ बात हम को मन्जूर हैं और उनको हम मानने के लिये तैयार हैं—वे हमारी मरजी से आई हैं या खिलाफ मरज़ी आई है, यह अलग बात है, लेकिन यह हकीकत है कि वे मुझे पसन्द हैं और मैं उन पर कोई एतराज़ नहीं करना चाहता हूं। लेकिन उस में कई बातें ऐसी भी हैं, जिन को मैं पसन्द नहीं करता हूं। पेश्तर इसके कि मैं उन की तरफ आऊं, मैं जनाब की तवज्जह (ध्यान) उन चन्द बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो इस अमेंडमेंट की बेसिस (आधार) हैं। स्टेट्स री-आर्गनाइज़ेशन कमीशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) की रिपोर्ट के आखिर में समरी आफ कनक्लूजन्ज़ और रीकमेंडशन्ज़ (निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश) दी हुई है। उन में दर्ज सफ़ा २६२ पर रिकमेंडेशन ५०, ५१ और ५२ को ज़रा मुलाहज़ा फ़रमाइये। उन में माइनारिटीज़ (अल्प संख्यकों) के लिये कुछ सेफ़गार्ड्ज़ (परित्राण) दिये गए हैं, जिन का ज़िक्र पैराग्राफ ८३९ और ८४१ वगैरह में किया गया है। मैं पहले भी ज़िमनन इस का ज़िक्र कर चुका हूं, इस लिये मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारे होम मिनिस्टर (गृह-कार्य मंत्री) साहब फरमाते हैं कि गवर्नमेंट ने कमीशन की रीकमेंडेशन्ज़ को आम तौर पर एक्सेपट (स्वीकार) कर लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि फिर क्या वजह है कि इन दो स्पेसिफ़िक रीकमेंडेशन्ज़ (स्पष्ट सिफारिशों) को मन्जूर न किया जाय।

अभी पाटस्कर साहब ने जो अमेंडमेंट मूव (प्रस्तुत) की है, उस में कई एरियाज़ (क्षेत्रों) के लिये डेवेलपमेंट (विकास) बोर्ड दिए गए हैं। क्लाज़ (खण्ड) २२ की सब-क्लाज़ (उपखंड) २ में विदर्भ, मराठवाड़ा और बाकी स्टेट (राज्य) के लिये तीन अलग डेवेलपमेंट बोर्ड बनाए गए हैं। डेवेलपमेंटल एक्सपेंडीचर (विकास व्यय) के लिये फंड्ज़ की ईक्वीटेबल एलोकेशन (समान बंटवारा) का इन्तज़ाम किया गया है और हर एक हिस्से के लोगों के लिये टेक्निकल (प्रविधिक) एजूकेशन (शिक्षा) वोकेशनल ट्रेनिंग (व्यवसायिक प्रशिक्षण) और सर्विसिज़ (सेवाओं) में एडीक्वेट आपरचूनिटीज़ फार एम्पालायमेंट प्रोवाइड (रोजगार की व्यवस्था के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान) की गई हैं। मैं नहीं समझ सका कि पंजाब को क्यों डेवेलपमेंट बोर्ड से महरूम किया गया है। चुनाचें मैं ने अमेंडमेंट २०३ के ज़रिये यह प्रावाइड (व्यवस्था) करने की कोशिश की है कि पंजाब में डेवेलपमेंट बोर्ड होना चाहिये। पंजाब और आंध्र, इन दो स्टेट्स में रिजनल कमेटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। आंध्र में भी डेवेलपमेंट बोर्ड का ज़िक्र नहीं है, लेकिन सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) की रिपोर्ट पढ़ने से मालूम होता है कि वहां के लोगों ने आपस में कोई अरेंजमेंट (प्रबन्ध) कर लिया है और कल डा. लंका सुन्दरम् की मेहरबानी से मुझे यह देखने को मिला कि उन्होंने किस तरह का एग्रीमेंट (करार) किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एम्पलायमेंट (रोजगार देने) का फैसला कर लिया, मिनिस्ट्रीज के पोर्टफोलियोज़ (मंत्रालय के पदों) का भी फैसला कर लिया, अपनी जो रेजीडेंशियल क्वालीफिकेशन (अधिवास सम्बन्धी अर्हता) थी उसको भी रख लिया। मैं पंजाब के लिये यह चीज़ नहीं चाहता क्योंकि एक स्टेट के लिये मैं इस चीज़ को नुकसानदेह समझता हूं। लेकिन जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हर जगह डेवेलपमेंट बोर्ड बनेंगे ताकि डिसपैरिटी रिमूव (असमानता मिटे) हो, मैं भी चाहता हूं कि हमारे यहां भी डेवेलपमेंट बोर्ड बनें। मेरी समझ में नहीं आया कि पंजाब के वास्ते डेवेलपमेंट बोर्ड बनाये जाने का प्रावीजन क्यों नहीं रखा गया। मैं

[पंडित ठाकूर दास भार्गव]

तो समझता था कि जहां रीजनल कमेटीज़ बनेंगी वहां पर डेवेलपमेंट बोर्ड जरूर बनेंगे। हमारे यहां जो रीजनल कमेटी बनेगी वह तो लेजिस्लेटिव असेम्बली (विधान सभा) का एक छोटा सा हिस्सा होगी और वह सिर्फ इसी गरज़ के वास्ते कि वह लेजिस्लेशन (विधान निर्माण) में इमदाद दे। लेकिन जहां तक डेवेलपमेंट बोर्ड का सवाल है इस आउटलाइन में उसके बारे में एक लफज भी दर्ज नहीं है।. या तो यह हो सकता है कि होम मिनिस्टर साहब इस रीजनल कमेटी को डेवेलपमेंट बोर्ड से भी कुछ ज्यादा देना चाहते हैं। यहां पर रीजनल कमेटी को १४ सबजेक्टस (विषयों) में लेजिस्लेशन (विधान निर्माण) का अख्तियार दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कमेटी को डेवेलपमेंट बोर्ड से आप कुछ ज्यादा चीज़ देना चाहते हैं। क्या आप उसको यह अख्तियार देना चाहते हैं कि वह डेवेलपमेंट भी कर सके और उसके मुताल्लिक कानून भी बना सके। अगर होम मिनिस्टर साहब का यह ख्याल है तो मुझे इसके बारे में और कुछ अर्ज नहीं करना है।

मैं ने श्रीबाग पैक्ट (समझौता) देखा है, नागपुर पैक्ट देखा है और आन्ध्र का पैक्ट भी देखा है। लेकिन हम पंजाब में इस हद तक नहीं जाना चाहते। लेकिन ताहम जो मोटे मोटे उसूल हैं उनको हम जरूर चाहते हैं। चुनांचे मेरी गुजारिश यह है कि जो खास चीज़ें हम चाहते हैं वे ये हैं।

मसलन मैं चाहता हूं कि जो अख्तियार आप गवर्नर (राज्यपाल) को देना चाहते हैं वे सेंट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) को दे दिये जायें। मैं ने श्री चटर्जी साहब की बहस को सुना। उन्होंने हमको बहुत कुछ पोलीटिकल साइंस (राजनीतिक विज्ञान) पढ़ानी चाही। लेकिन हम भी पोलीटिकल साइंस सीखते सीखते बूढ़े हो गये हैं। मैं इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर गवर्नर को ये अख्तियार दे दिये जावेंगे तो यह बड़ी अनकांस्टीटयूशनल (असंवैधानिक) बात होगी और अनडिमोक्रेटिक (अलोकतांत्रिक) बात होगी। पिछले जमाने में भी गवर्नमेंट ने गवर्नरों को माइनारिटीज़ के प्रोटेक्शन (आरक्षण) के लिये खास अख्तियार दिये थे। मैं यह मानने को तयार नहीं हूं कि ऐसा करने से सारा कांस्टीटयूशन ही बरबाद हो जायेगा। लेकिन मैं अपनी स्टेट के इंटरेस्ट (हित) में यह अर्ज करना चाहता हूं कि अच्छा हो कि आप गवर्नर को पार्टीबाजी से अलग रखें और ये अख्तियार सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दें। मैं जानता हूं कि ऐसे मौके बहुत कम आयेंगे जब कि रीजनल कमेटी और लेजिस्लेटिव असेम्बली आपस में लड़ने लगें। लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आवे तो अगर आप यह अख्तियार गवर्नर को न देकर सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले से दोनों फरीकों (पक्षों) को ज्यादा इत्मीनान होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप मेहरबानी फरमाकर यह अख्तियार सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दें।

इसके अलावा मैं अर्ज करूंगा कि जब मेरी स्टेट बाईलिंग्वल (द्विभाषी) है तो मुझे पंजाबी की तरक्की से कोई इख्तिलाफ नहीं है। जैसा अभी मेरे भाई विद्यालंकार साहब ने कहा पंजाबी में संस्कृत के बहुत से अल्फाज हैं। इसलिये पंजाबी की तरक्की होगी तो हिन्दी की भी तरक्की होगी। लेकिन सवाल सिर्फ आफिशियल लेंग्वेज का है। अपने कहा कि यह स्टेट बाईलिंग्वल होगी, हमने इसको कबूल कर लिया। लेकिन जो दूसरी चीजें आपने लिखी हैं उनसे मैं इत्तिफाक नहीं करता, और मैं समझता हूं कि वे चीजें जायज़ नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि कांस्टीटयूशन के बखिलाफ हम पर जबरदस्ती गुरुमुखी को थोपा जाये। मैं गुरुमुखी की उतनी ही कद्र करता हूं जितनी कि हमारे सिख भाई करते हैं, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि वह हमारे ऊपर थोपी जाये। यह इल्लीगल है, यह अनकांस्टीटयूशनल (असंवैधानिक) है। यह चीज नहीं रखी जानी चाहिये।

इसके अलावा एक खास चीज पर मुझे ऐतराज है जिसको मैं फिर दुहरा देना चाहता हूं, और यह मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे पंत जी साहब इस वक्त यहां तशरीफ रखते हैं। मैं यह उनकी खिदमत में मुअद्दबाना अर्ज करूंगा और शायद मेरे यह अर्ज करने का यह आखिरी मौका होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो कुछ मैं अर्ज करूं उस पर वह गौर फरमावें। असल मजमून पर आने से

पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक कहानी सुना दूं, जो कि एक सच्ची कहानी है। मैं चौथी जमाअत में पढ़ता था हमारे उस्ताद की यह आदत थी.....

†**अध्यक्ष महोदय :** कहानियां सुनाने के लिये समय कहां है?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** यह विषय से सम्बद्ध है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे उस्ताद की यह आदत थी कि जो लड़का उनके पास शिकायत करने के वास्ते जाता था पहले वह उसको सजा देते थे कि तुम शिकायत करने क्यों आये हो, तुम अपने आप को बचा क्यों नहीं सके। और उसके बाद अगर उसकी शिकायत सही होती थी तो सारी जमाअत में जिसका कुसूर होता था उसको सजा देते थे। हमारे पन्त जी ने जो परसों फरमाया उसको सुनकर मुझे अपने मास्टर साहब की बात याद आ गयी। पंत जी ने फरमाया था कि उनको शिकायत पसन्द नहीं है। ठीक है, जो आदमी मजबूत होता है उसको कभी शिकायत पसन्द नहीं होनी चाहिये। शिकायत तो वह गरीब करता है जो हर तरह से दुखी होता है। लेकिन अगर हमारी शिकायत सही है, तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जो तरीका हमारे मास्टर साहब अपनाते थे वही तरीका पंतजी साहब भी अख्तियार फरमायेंगे। यहां पर आपने फरमाया है कि शायद हरियाना को कुछ लेजिटिमेट (उचित) शिकायत है। मेरी अदब से गुजारिश है कि वह शिकायत हमने सिर्फ हाउस में ही नहीं रखी है। हमने उस शिकायत को कमीशन के सामने रखा, पंडित नेहरू के सामने रखा और पंत जी के सामने भी रखा है। मैं कहता हूं कि अगर मेरी शिकायत झूठी है तो आप मेरे अमेंडमेंटस को उठाकर फेंक दीजिये। लेकिन अगर हमारी शिकायत सही है तो फिर आप "परहैप्स" (शायद) क्यों कहते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप हमको बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं तो पहले हमारे उन जख्मों को भरने की कोशिश कीजिये जो कि सौ बरस से चले आ रहे हैं। यह मैं कई मर्तबा अर्ज कर चुका हूं। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। आप गौर फरमायें कि पंजाब में १२३ गांव माडिल विलेज बनाये गये जिनमें से हरियाना में सिर्फ ६ हैं। इसके अलावा हमको पीने के पानी की बहुत तकलीफ है। हमको इसके लिये जो रकम दी जाती है वह बहुत इनएडीक्वेट (अपर्याप्त) है बनिस्बत उनके जिनको कि पानी की तकलीफ नहीं है। इसके अलावा आप रेलगाड़ी की तरफ तवज्जह फरमावें। जब लड़ाई शुरू हुई तो सब से पहले रोहतक की एक लाइन डिस्मेंटिल कर दी गयी थी। अब सारे हिन्दुस्तान की इस तरह से डिस्मेंटिल की हुई लाइनें बन गयीं लेकिन रोहतक की लाइन अभी तक नहीं बनी है। सन १९२९–३० में भेवानी से रोहतक तक के लिये लाइन मंजूर की गयी थी लेकिन वह आजतक नहीं बनी है। अपने करीब आप गुड़गांवां को ही लीजिये। गुड़गांव से अलवर तक कोई लाइन नहीं है। इसके लिये हम यहां पर रोज झगड़ा करते हैं लेकिन हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब कह देते हैं कि इसके लिये पंजाब गवर्नमेंट की सिफारिश लाओ। हम वह सिफारिश कहां से ला सकते हैं। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि पानी के बारे में कम्यूनिकेशन्स (संचार साधनों) के बारे में हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ ह। पानी जो कि सबसे जरूरी चीज़ है उसकी हमारी यहां पर बहुत सख्त कमी है। इसके लिये हमको किदवई साहब ने ढाई करोड़ रुपया देने का वायदा किया था लेकिन आज तक एक रुपया भी नहीं दिया गया है। गुड़गांव से होकर पानी की नहर निकलती है लेकिन उससे गुड़गांव वालों को बहुत कम पानी मिलता है, वह नहर यू. पी. को चली जाती है। ये हमारी खास खास शिकायतें हैं। जैसी कि अभी हमारे भाई ने नौकरी के बारे में शिकायत की वह मैं नहीं कहना चाहता। मुझे सिख भाइयों से कोई झगड़ा नहीं है। आप चाहें तो मेरे इलाके में सारे सिख अफसर रख दें। मैं कम्यूनल डिमांड (साम्प्रदायिक मांग) नहीं करना चाहता। मैं ने तो कई दफा अर्ज किया था कि मैं तो सिख चीफ मिनिस्टर चाहता हूं मगर मैरिट्स (गुणों) पर वह होना चाहिये। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके के लोगों को इत्मीनान दिलाने के वास्ते यह जरूरी है कि उनको ज्यादा नौकरियां दी जायें। क्लास १, २ और ३ में हमारे यहां के लोग १५ परसेंट भी नहीं हैं। और तो क्या नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी हमारे यहां वाले दस परसेंट भी नहीं हैं। कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं है, न सुपरिंटेंडेंट पुलिस है न हाईकोर्ट का कोई जज है। काउंसिल आफ स्टेट में जो पंजाब के आठ मेम्बर

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[पंडित ठाकूर दास भार्गव]

हैं उनमें एक भी मेरे इलाके का नहीं है। मैं किस किस चीज़ को गिनाऊं। आपने कहा है कि हम सर्विसेज के वास्ते सरकुलर जारी कर देंगे। मैं तो चाहता हूं कि हम इस सरकुलर के ज़रिये आप पंजाब सरकार पर यह जिम्मेवारी डालें कि वह हमको नौकरियों में बराबरी दे। हमारा कोई अपने भाइयों से झगड़ा नहीं है और हमारी यह डिमांड काम्युनल है। मेरी डिमांड तो बहुत सीधी है। मैं तो चाहता हूं कि जिन चीजों का मैं ने जिक्र किया है उनके बारे में पंजाब सरकार पर जिम्मेवारी डाली आये कि इन चीज़ों में हमको वेटेज (अधिमान) दिया जाये। अगर ऐसा नहीं होगा तो १५ साल में हमारे यहां का एक आदमी भी डिप्टी कमिश्नर नहीं बन सकेगा। अगर आप पंजाब सरकार के ऊपर अभी से यह जिम्मेदारी नहीं डालेंगे तो १५ बरस तक कोई हमको पूछेगा नहीं कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं। इस वास्ते यह बिलकुल ज़रूरी है कि उन सब चीज़ों में, कौटेज इंडस्ट्रीज़ में और दूसरी चीज़ों में आप हमको वेटेज दें और उसको ठीक से अमल में लाने के लिये गवर्नर के ज़िम्मे यह भार डाला जाय और आपकी इस रिपोर्ट के मुताबिक प्लानिंग के कमिशन के एक अफ़सर को अधिकार दिया जाय जो डिमांडस को देखे और मिल कर उनके बारे में फैसला करे और हर तीसरे वर्ष आपकी खिदमत में रिपोर्ट आये और आप यह देखें कि हम वहां तक पहुंच गये हैं या नहीं।

श्री चटर्जी से मैं अदब से पूछना चाहूंगा जिन्होंने कि यह कहा है कि अगर आपने सर्विसेज़ का जिक्र किया तो हिन्दुस्तान की हुकूमत क़ायम नहीं रह सकेगी। तो क्या आपने ऐंग्लो इंडियंस को जो दस वर्ष के वास्ते वैटेज दिया है; उससे क्या हिन्दुस्तान डूब गया या हिन्दुस्तान की हुकूमत खत्म हो गई? इसी तरह आपने जो सर्विसेज़ वगैरह में शेडयूल्ड कास्ट के पिछड़े हुए भाइयों को वेटेज दिया है तो क्या उससे हिन्दुस्तान खत्म हो गया? हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान की हुकूमत उसी तरह बरक़रार है और ज़िन्दा है। ऐसे लोग जिनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिये और जिनकी कि खस्ता और पस्ताहालत हो, वह अगर आपकी खिदमत में अपनी अर्ज़दाश्त लेकर आयें तो उनको यह कहना कि वहां पर लोग काम नहीं करते, उनके साथ सरासर नाइंसाफी और ज़ुल्म करना है। मैं इस चीज़ को यहां पर बहुत साफ़ तौर से वाज़े कर देना चाहता हूं कि हमारे लोग काम करने को तैयार हैं बशर्ते कि हमारे लिये माहौल (वातावरण) बने। अब पंजाब की गवर्नमेंट की हालत यह है कि वहां पर प्राविशियेल ऑटोनोमी (प्रान्तीय स्वायत्त शासन) नहीं है। और वहां के वज़ीर लोग यहां आये दिन दिल्ली में बैठे रहते है और प्रैक्टिकली (प्रायः) हुकूमत दिल्ली से गवर्नर होती है और जिसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां की जनता और उनके चुने हुये प्रतिनिधि अपनी मंशा के मुआफिक पंजाब गवर्नमेंट से काम नहीं करा सकते और हमने देखा कि हमारे होते हुए हमारी आंखों के सामने १० हजार भाइयों को क़ैद कर लिया और कुछ पर्वाह नहीं की गई। यहां पर ५० आदमी अपनी बात सुनाने आये लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। आपका यह ताना देना कि हम क्या करें तुम लोग काम नहीं करते दुरुस्त नहीं है क्योंकि काम करने के लिये पहले माहौल तो पैदा कीजिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बंगाल और बम्बई के गवर्नर भी रोज यहां आये दिन पूछने और सलाह लेने आते हैं? हम चाहते हैं कि आप जो हमारे गार्डियंस (संरक्षक) यहां पर बने हुये हैं हमारी बात सुनें और हमारी दिक्कतों को हल करें और यह न फ़रमायें जब कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हों कि आप अपनी खुद कोशिश करिये। जहां तक हमारे कोशिश करने का सवाल है वह तो मैंने आपको बतलाया कि 'ऐट दी बैक आफ दी होल लेजिस्लेचर' (विधान-मण्डल की पीठ पीछे) यहां आकर चुपचाप मामलों को तय न कर लिया करें।

मैं जनाब स्पीकर साहब की इजाज़त से चूंकि मेरे पास उस अर्ज़दाश्त को जो कि हरियाना के ३३ मेम्बरान ने भेजी है पढ़ कर सुनाने का समय नहीं है, इसलिये मैं उस अर्ज़दाश्त * को आपकी इजाज़त से सदन की मेज़ पर रक्खे देता हूं।

---

*दस्तावेज़ की जांच करने पर अध्यक्ष महोदय ने देखा कि वह ग्राह्य नहीं हैं। और वह माननीय सदस्य को लौटा दी गयी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने देखा है कि किसी दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की अनुमति मांगी जाती है और रख कोई और दिया जाता है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं यह प्रति सभा पटल पर रख रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस को देखूंगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : देख लीजिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : और यदि यह ग्राह्य हुआ तो मैं इसे पटल पर रख हुआ समझ लूंगा।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं २०३ नम्बर के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन पर पंजाब पर और पैप्सू के २२ में से १५ आदमियों के हस्ताक्षर हैं। जिस वक्त यह संशोधन लिखा गया था उस वक्त ४ आदमी पंजाब और पैप्सू के गैरहाज़िर थे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इलाक़े के डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर और जो दो उनके और साथी हैं वे भी हमारे साथ हैं और इस तरीक़े से हमारे पूरे २२ मेम्बर्स होते हैं। जब हम यहां पर कोई बात लेकर आते हैं तो हमसे यह कहा जाता है कि हमारे पास आपस में कोई समझौता करके ही आओ और पिछली दफ़ा जब हमारे पंजाब और पेप्सु की कौंसिल के रिकंस्टिट्यूट (पुनर्गठन) होने का सवाल था तो हमें यही राय दी गई थी। जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हम पंजाब और पेप्सू वाले सबके सब तकरीबन मुत्तफिक हैं। मुझे नहीं मालूम कि कोई इसमें एकतलाफ राय रखता है। कल दो भाई जो गैरहाज़िर थे, उन दोनों से जब मैंने बात की तो वह भी मेरे साथ सहमत थे।

चटर्जी साहब ने पंजाब की बाबत कुछ बातें कहीं। पंजाब के अन्दर जब राज्य पुनर्गठन का सवाल उठा तो पंजाब में ४, ५ क़िस्म के खयालात थे। कुछ भाई ऐसे थे जो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे और जिनकी कि सन १८५७ में इस देश की सेवा करने के कारण सज़ा दी गई थी और उनके इलाक़ों को दिल्ली के इलाके से काट कर पंजाब के साथ मिला दिया गया था और जो आजतक एक तरह से उनकी कालोनी बने हुए हैं और आज भी कुछ दोस्त हैं जो कालोनी समझते हैं और जो समझते हैं कि जालन्धर के इलाक़े के कुछ लोगों को तरक्की करने के लिये वहां अच्छी जगह है। एक तरफ वह दोस्त थे जिनके दिल में कोई हिन्दी और पंजाबी का झगड़ा नहीं था और हिन्दू और सिक्ख का कोई झगड़ा नहीं था, केवल आर्थिक सवाल उनके सामने थे और वह चाहते थे कि पंजाब से वे अलहिदा हों। इसी तरीक़े से हिमाचल प्रदेश के भाई थे जो पंजाब के साथ आना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शायद उनकी असेम्बली जिस तरीक़ से कि अभी हाउस ने और हमने फ़ैसला किया, उनकी असेम्बली और वज़ारत छीन लें लेकिन वह इस बात के लिये तैयार थे कि उनकी असेम्बली और वज़ारत छीन लें। हमें अपने लोगों की तरक्की के लिये रुपया चाहिये पिछले पांच साल में हिमाचल प्रदेश को ४ करोड़ रुपया दिया गया और इस दूसरे सेकेंड फ़ाइव इयर प्लान के तहत उन्हें १५ करोड़ रुपया दिया जा रहा है। इस तरह से १० साल के अन्दर हिमाचल-प्रदेश को तक़रीबन १९ करोड़ या २० करोड़ के क़रीब रुपया दिया जायगा। मेरा कहना है कि उतना ही इलाका हमारे सूबे के एक ज़िले का है और जिसका कि नाम कांगड़ा है और जिससे कि हमारे साथी श्री हेमराज आते हैं। कांगड़े का इतना ही इलाक़ा है और करीब क़रीब उतनी ही आबादी है और फ्रंटियर पर वाकै है वहां की तरक्की के लिये सरकार ने कितना रुपया दिया? एक तरफ तो दस साल में २० करोड़ रुपया तरक्की के लिये दिया गया जब कि इस कांगड़े के इलाके को शायद उतने लाख रुपये भी नहीं मिलते हैं और मैं श्री चटर्जी साहब से पू ना चाहता हूं कि क्या इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना और उसके लिये मांग करना कोई कम्यूनल चीज़ है? जिस तरीक़े से हिमाचल प्रदेश के लोगों ने एक आवाज़ से कहा कि हम पंजाब के साथ आना नहीं चाहते उसी तरीक़े से मैं यह मानता हूं कि यह जो हमारा संशोधन है वह अगर मंजूर नहीं हुआ या संशोधन से जो हमारा

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[चौ० रणवीर सिंह]

आशय है उसको कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया तो मुझे इस बात में कोई शक़ नहीं मालूम देता कि ४, ५ साल के अन्दर यह हरियाने का इलाक़ा और कांगड़े का इलाका एक आवाज़ से यह बात कहेगा कि बेशक़ आप हमारी असेम्बली ले लें, हम असेम्बली की मेम्बरी नहीं चाहते, हम वजारत नहीं चाहते, हम तो केवल अपने इलाके की तरक्की चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने शुरू में कहा हमारे लिये यह कम्यूनल (साम्प्रदायिक) सवाल नहीं है और न ही यह हमारे लिये हिन्दी और गुरुमुखी का सवाल हो सकता है और यह जो आवाज़ एक भाई ने उठाई कि यह हिन्दी के रास्ते में रोड़ा अटकाने का सवाल है या कुछ भाई लोगों ने ऐसा कहा कि यह गुरुमुखी की तरक्की को रोकने का सवाल है, ये दोनों ही आवाज़ें, ग़लत हैं, बल्कि हम जो क़रीब ६५ लाख लोग वहां पर बसते हैं उनके आर्थिक तरक्की करने का सवाल है, इससे फ़ालतू हमारा इसके अन्दर कोई आशय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे सेकंड फाइव इयर प्लान का सवाल है, अगर सिर्फ रीजनल कमेटियां (प्रादेशिक समितियां) जैसी की हमें दी गई हैं, उन रीजनल कमेटियों की मार्फत हमारा जो सेकंड फाइव इयर प्लान है और जिसके कि दौरान पंजाब और पेप्सू में १२६ करोड़ और १५ करोड़ रुपये के खर्च का अंदाजा लगाया गया है, अगले पांच सालों में उसके खर्च को हम उन कमेटियों की मार्फत देख करके इलाकों की आबादी और हालत को देखते हुये नहीं बदलवा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि अगले चार पांच साल के बाद हमारे हर इलाके का आदमी यह समझेगा कि रीजनल कमीटी फालतू थी। आज हमारे कुछ साथी हैं, जालन्धर डिवीजन के, कुछ अन्य हिन्दू भी हैं, जो कि यह समझते हैं कि अकाली पार्टी के सामने घुटने टेकने के लिये यह रीजनल कमेटियां बनाई गई। लेकिन दूसरी तरफ हमारे इलाके के भाई हैं जो कि इस के अन्दर अपनी आर्थिक उन्नति की आशा करते हैं, कुछ झलक देखते हैं उस की, वह आज खुश हैं और दूसरों के बहकावे में आने के लिये वे तैयार नहीं हैं। अभी श्री चटर्जी ने कहा कि पार्टिशन के बाद कुछ भाई इधर आये। मैं उन को बता दूं कि उनकी तादाद हमारे इलाके में ६५ लाख में से मुश्किल से ८ लाख है। ऐसी हालत में क्या आप समझते हैं कि डेमोक्रासी के जमाने में, अगर वह ८ लाख आदमी कोई ऐसी आवाज उठाना चाहते हों, जो हमारे ख्याल के खिलाफ हो, तो, गो हम भी उन का आर्थिक हित चाहते हैं, वह चीज हमारे हक में होगी ? जो चीज ५५ लाख आदमियों के हित में नहीं होगी, जो उन के ख्यालात होंगे, उन के जो तरीके होंगे, वह आज भी डेमोक्रेसी के अंदर चलेंगे ?

चैटर्जी साहब ने कहा कि जो ये रीजनल कमेटियां हैं, वह हमारे संविधान के खिलाफ जायेंगी। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या वह उन को इतना ताकतवर समझते हैं ? पिछले दिन उन्होंने कहा था कि हरियाना की रीजनल कौंसिल के ६४, ६५ आदमियों में से ३३ आदमी अगर कोई फैसला करेंगे तो वह पंजाब असेम्बली के तमाम फैसला को रोक सकेंगे। अगर वह इस रीजनल कौंसिल को इतना ताकतवर समझते थे तो जिस वक्त हिन्दूस्तान की सरकार की तरफ से और देश के नेताओं की तरफ से एक बुलावा दिया गया कि बंगाल और बिहार को इकठ्ठा कर दिया जाय, तो वह इस से क्यों घबराते थे। आखिर जो ताकत हमें मिल रही है, वही ताकत उनके पास होती, अगर हमारे ३३ आदमी पंजाब की असेम्बली की आवाज की खत्म कर सकते हैं तो बंगाल के आध मेम्बर, बंगाल बिहार की जो असेम्बली बनती उस की ताकत को खत्म क्यों नहीं कर सकते थे ? जब इस के अन्दर उन की इतनी ताकत दिखाई देती है, तो उन को डर क्यों था ? बात साफ है, जिस वक्त दूसरे आदमी को पीर होती है, उस को कोई उस ढंग से नहीं समझ सकता जिस तरह से कि अपनी पीर मालूम होती है। आदमी के खयालात कुछ और होते हैं, और वह सोचता कुछ और है। जो बात आज चैटर्जी साहब पंजाब के लिये कहते हैं, वही बंगाल और बिहार के ऊपर भी लागू होती थी, लेकिन आज होता क्या है कि बंगाल बिहार के लिये वह और बात कहते थे और पंजाब के लिये और बात कहते हैं। जब गुजरात और महाराष्ट्र का सवाल आता है तो उन का दिल दूसरा हो जाता है। आखिर, क्या वह यह समझते हैं कि जो सदस्य यहां बैठे हुये हैं वह सब उन की बात को समझ नहीं सकते हैं ? या वह यह कहना चाहते हैं कि उन का ही दिल एक ऐसा दिल है जो तमाम जनता को

बहका सकता है। मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि शायद बंगाल के कुछ दोस्त मिल जायें, जिन को आपके बहुत पढ़ा-लिखा समझते हैं, जो कि उन के बहकावे में आ जाय, लेकिन पंजाब का सूबा ऐसा नहीं है। पंजाब का वह सूबा है जिस के अंदर हिन्दू महासभा के दोस्तों ने २५, ३० सालों से कोशिश की कि उन्हें एक सीट मिल जाये। मै कोई पिछले इलेक्शन की बात नहीं कह रहा हूं पिछले २५, ३० सालों तक पंजाब के अन्दर जो इलेक्शन लड़े गये, वह आर्थिक सवाल पर लड़े गये, हिन्दू, मुसलमान और सिखों के सवाल पर नहीं लड़े गये। और वहां पर जब भी अक्सरियत आई तो उन्हीं लोगों की आई जो कि आर्थिक सवाल को उठाने वाले थे। मैं चटर्जी साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि वह यहां पर आकर बड़ी बड़ी बात करते हैं, और उन के आदमी उनकी मार्फत अपनी वकालत करवाते हैं। लेकिन वह जिन की वकालत यहां पर करते हैं, वह कौन दोस्त हैं। वह वही लोग हैं जो कि, जब कांग्रेस प्रधान वहां पर जाता है, भूदान के लिये अपना संदेश जनता को सुनाना चाहता है, उस संदेश को सुनाने की इजाजत नहीं देते हैं। ढेले फेंके जाते हैं, वह खुद ढेले फेंकते हैं, जो मीटिंगों को खराब करते हैं, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ वह ढेले फेकते हैं, जिन के हाथ में आज ताकत है कानून की, जिन के हाथों में आज राज्य सत्ता है उन की मीटिंगों को खराब करते हैं और उन्हें ही जालिम कहते हैं। अजीब जमाना है। एक जमाना था जब कि लोग समझा करते थे कि अगर किसी के हाथ में ताकत नहीं होती थी, उस को बोलने नहीं दिया जाता था, तो वह गिला नहीं कर सकता था, लेकिन आज अजीब जमाना है कि आर्थिक सत्ता जिन के हाथ में है, जीन लोगों की तादाद कोई १०, २०, २५, ५५ या ६० फी सदी नहीं, ८० फी सदी है उन के खयालात एक तरफ हैं, लेकिन उन की मीटिंगों को नहीं होने दिया जाता और उल्टे कहा जाता है कि हम को तबाह कर दिया गया, हमारे साथ जुल्म हुआ। जैसा अभी बंसल साहब ने बताया कि डेमोक्रासी के बारे में उन के क्या विचार हैं, मैं उन की बात को मानता हूं। लोकतंत्र किसे कहते हैं और वह किस तरह से चलना चाहिये यह हमें सीखना होगा। मेरा तो यही कहना है कि आज यह हो रहा है कि लोकतंत्र से लोग पीछे हट रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ बोल रहे हैं, जिन की तादाद कम है, उन्हे हर तरह की छूट है, वह जो जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी जो कि ज्यादा तादाद वालों का प्रतिनिधित्व करता है, वह अपनी बात कह तक न सके। अगर यही लोकतंत्र कहलाता है, तो यह एक अजीब व्याख्या लोकतंत्र की होगी।

जैसा मैं ने पहले आप से अर्ज किया अगर किसी वजह से हमारे संशोधन को गृह मंत्री जी मंजूर नहीं कर सकते, तो मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि जो अख्त्यारात वह गवर्नर को देना चाहते हैं, जिन अख्त्यारात से हमारे चटर्जी साहब डरते हैं, और समझते हैं कि गवर्नर डिक्टेटर बन जायेगा और संविधान के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा, वह उस को हिदायत दे। जो हमारे खयालत यहां पर हैं, उन को गृह मंत्री जी उन तक पहुंचायें। यही नहीं कि उन खयालात को पहुंचायें, बल्कि जब तक हमारा सिस्टम चलता है, उस वक्त तक वह इस बात को देख कि हमारे खयालात के ऊपर ही हमारी राज्य सरकारें चले।

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, आज मुझे इस प्रादेशिक सूत्र के संबंध में बोलते हुये बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्यों कि इस के संबंध मे सभी पंजाबियों की एक राय है, और सभी ने इसका समर्थन किया है।

श्री चटर्जी ने इसे प्रजातंत्र के विरुद्ध असंवैधानिक, नियम विरुद्ध और न जाने क्या क्या कहा है उनका कहना है कि एक बहुत बड़े बहुमत को यह प्रादेशिक सूत्र अमान्य है। परंतु उन्होंने पंजाब की इस समस्या का कभी कोई हल नहीं सुझाया। किन्तु गणित के हिसाब से भी उन का तर्क ठीक नहीं प्रतीत होता। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार महापंजाब में १७१ लाख व्यक्ति होते। इनमें से हिमाचल प्रदेश के ग्यारह लाख लोगों ने तो इस मे सम्मिलित होने से साफ इन्कार कर दिया है। पंडित ठाकुरदास भार्गव तथा हरियाना के अन्य माननीय सदस्यों ने

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[सरदार हुक्म सिंह]

प्रादेशिक सूत्र का समर्थन किया है और कहा है कि हरियाना के ६० लाख लोगों को और कुछ नहीं चाहिये। इन के अतिरिक्त ५५ लाख सिख तो इस के पक्ष मे हैं ही। इस प्रकार १७१ लाख में से १३१ लाख व्यक्ति राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्ताव के विरुद्ध हैं और इसके पक्ष में हैं, तो क्या यह सूत्र इस समस्या का उचित हल नहीं है। फिर भी वे यही कहे जाते हैं कि अधिकांश लोग इसके विरुद्ध हैं। मैं उन्हें यह भी बता सकता हूं कि शेष ४० या ४५ लाख में से भी काफी लोग इस सूत्र के पक्ष में हैं और इस का समर्थन करते हैं।

श्री नि० चं० चटर्जी ने राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन से कुछ अंश पढ़कर सुनाये और यह तर्क प्रस्तुत किया कि भाषा की कोई समस्या नहीं हैं, और पंजाबी और हिन्दी-भाषी लोगों के बीच जो विभाजन रखा भी वह पंजाबी लोगों के प्रव्रजन के परिणामस्वरूप अब आयोग ने इन सब बातों पर विचार करने के बाद यह कहा है कि इस क्षेत्र के द्विभाषी स्वरूप को मान्यता देते हुये ज्ञानी सच्चर सूत्र में जिस व्यवस्था की कल्पना की गई है वह उस समस्या का अधिक अच्छा हल होगी। इस सूत्र में प्रारंभ में ही यह मान लिया गया था कि पंजाबी और हिन्दी-भाषी क्षेत्र दो पृथक् क्षेत्र हैं और पंजाबी की अपनी वर्णमाला गुरुमुखी है। यदि पश्चिमी पंजाब से कोई प्रव्रजन हुआ ही है तो वह पंजाबी-भाषियों का है। इसलिये जिन जिल्हों में पंजाबी बोली जाती है वहां पंजाबियों की संख्या बढ़ गई है। कुछ विस्थापित व्यक्ति हिन्दी भाषी क्षेत्र में अवश्य आये हैं, किन्तु उनकी संख्या नगण्य है। ऐसी स्थिति में क्या यह युक्ति दी जा सकती है कि राज्य का स्वरुप द्विभाषी हो गया है? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि पंजाबी भाषा उन पर लादी जा रही है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं पंजाबी भाषियों का कंतई विरोधी नहीं हूं।

†**सरदार हुक्म सिंह** : मेरा निवेदन है कि हमने पंजाबी भाषा को लादने जैसा कोई काम नहीं किया है।

श्री चटर्जी ने कहा की यह सूत्र असंवैधानिक और प्रजातंत्र-विरोधी है तथा संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त की अवहेलना करता है। मेरा निवेदन है कि सूत्र में जो विषय दिये हुए है केवल आर्थिक विकास, स्वास्थ और शिक्षा से सम्बद्ध हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपना संशोधन संख्या २०३ प्रस्तुत किया है, मैं उससे पूर्णरूप से सहमत हूं क्योंकि उसका आधार सही है। मुझे इस बातपर प्रसन्नता है कि सेवाओं और निधि के समान वितरण का प्रस्ताव इन सभी कांग्रेसजनों ने किया है।

श्री चटर्जी ने यह तर्क रखा है कि यदि प्रादेशिक समिति कोई प्रस्ताव पारित करती है तो उनका परामर्श विधानमंडल के लिये हर हालत में बन्धनकारी होगा। पंजाबी क्षेत्र में ६३ सदस्य और हरियाना क्षेत्र में ६० सदस्य रहेंगे। प्रादेशिक समितियों से किसी भी विषय पर बहुमत से निर्णय किया जायेगा। ऐसी स्थिति में जब ये ही सदस्य विधान सभा में एकत्र होंगे तो ये ६० सदस्य कोई अन्य कार्यवाही किस प्रकार करेंगे?

हमने देश के अधिकांश हित में जो कुछ स्वीकार कर लिया है वह हमारी मांग को देखते हुये बहुत कम है। जब कि पूरे भारत का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ है तो पंजाब की यहां उपेक्षा की गई है। सरकार जिन कठिनाइयों के कारण पंजाबी को प्रादेशिक भाषा का दर्जा नहीं दे रही है उन्हें मैं समझता हूं। मैं इस बात को भी समझता हूं कि एक ही माता के दो पुत्र—हिन्दू और सिक्ख आपस में लड़ रहे हैं। श्री चटर्जी यह चाहते हैं कि भाषा को ऐच्छिक बना दिया जाये। मेरा निवेदन है कि यदि यह राज भाषा नहीं बनाई जाती तो सीमा पर स्थित प्रत्येक घर प्रत्येक झोपड़ी द्विभाषी होगी और इनसे मतभेद और बढ़ेंगे। यदि इसे राजभाषा बना दिया जाता है तो यह निश्चित है कुछ समय के बाद हिन्दू और सिक्ख अपने मतभेद भूल जायेंगे और एक दूसरे को सगा भाई समझेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पंडित भार्गव से मेरा अनुरोध है कि विकास परिषद् बनाने के वे अपने संशोधन पर ज़ोर न दे क्यों कि वे सभी शक्तियां प्रादेशिक सूत्र के अन्तर्गत आयेंगी और हरियाना को काफी शक्ति होगी। वास्तव में बात यह है कि उन्हें कुछ शिकायतें हैं और जालंधर के हमारे मित्र हरियाना के हिन्दुओं के कुछ अधिकार छीन रहे हैं। यह विवाद वास्तव में हरियाना और जालंधर के हिन्दुओं के बीच है और इसलिये उन्हें ही इसे हल करना होगा।

जहां तक मेरा संबंध है, कठिनाई यह है कि श्री भार्गव मेरा पक्ष कभी नहीं लेते यद्यपि जब कभी उनकी शिकायत जायज़ होती है, तो मैं उनका पक्ष अवश्य लेता हूं। विचारों की सहमति आवश्यक है और वह संवैधानिक या किसी अन्य प्रकार के उपबन्ध से अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान में हम अपनी इच्छा के अनुसार रूपभेद तो कर सकते हैं, किन्तु संविधान के अनुसार इच्छाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि हम संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो इसमे संदेह नहीं कि कोई संवैधानिक परित्रण हमारी रक्षा नहीं कर सकते। अब हम सहमत हो गये हैं और हमें चाहिये कि हम शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से कार्य करें।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : श्रीमान् मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति के सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया है, किन्तु मुझे ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको पांच मिनट का समय देता हूं।

†**श्री उ० मू० त्रिवदी** : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने हरियाना की शिकायतों के बारे में बहुत कुछ कहा है किन्तु मेरा ख्याल है कि वे सच्चे दिल से नहीं कर रहे हैं। अन्यथा उन्होंने संशोधन के बारे में कहा होता जिसमे उन्होंने यह सुझाव दिया है कि प्रादेशिक सूत्र 'पंजाब' पर लागू न हो इसलिये वे इस सूत्र से सहमत नहीं है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : माननीय सदस्य ने मेरे संशोधन के आशय को ठीक से समझा नहीं है। मैं प्रादेशिक सूत्र के लिये वचन बद्ध हूं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यकों का प्रश्न केवल पंजाब या आंध्र या तेलंगना का ही नहीं वरन् सारे देश का है। बंबई में पारसी अल्पसंख्यक हैं किन्तु हिन्दूओं के कार्यों के कारण पारसियों की हानि कभी नहीं हुई। वे समृद्ध हैं और देशभक्त भी हैं क्यों कि हमने उन्हें यथाशक्य स्वतंत्रता से रहने दिया। एक दूसरे के सहाशय के बारे में हमें संदेह नहीं करना चाहिये। चौ० रणवीर सिंह ने यह कहा है कि वे धन के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। महात्मा गांधी ने गोलमेज परिषद् में यह कहा था कि :

"भारत के प्रमुख राजनीतिक संगठन के प्रतिनिधि के नाते मैं सरकार और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को, बिना किसी हिचक के यह कह सकता हूं कि यह योजना उत्तरदायी सरकार के निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति के लिये नहीं बनाई गई, यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि यह नौकरशाही शासन के साथ हाथ बटाने के लिये तैयार की गई है।"

मेरा ख्याल है कि यह शब्द चौधरी रणवीर सिंह पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। मैं यह कहता हूं कि सरकार के साथ हाथ बटाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर ही पंजाब के कुछ सदस्यों ने एक साम्प्रदायिक पंचाट दूसरे तरीके से देश के सामने प्रस्तुत किया है। यह हमारे लिये एक लज्जा-जनक बात है। देश के उचित शासन के लिये हमारे संविधान में उचित परित्राण मौजूद हैं और इस प्रादेशिक सूत्र के जरिये जो परित्राण हक पर लादे जा रहे हैं उनकी आवश्यकता कतई नहीं है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है और उसे उस बातचीत में कोई हिस्सा न लेना चाहिये जो हिन्दुओं और सिखों के बीच होनी चाहिये थी। इस सभा से मेरा अनुरोध है कि वह इस प्रादेशिक

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री उ०मू० त्रिवेदी]

सूत्र को संविधान का एक अंग न बनने दे। प्रस्तावित प्रादेशिक समितियां देश की प्रगति में सदैव बाधक होंगी। सरदार हुक्म सिंह ने सिक्खों और चौ० रणवीर सिंह ने हरियाना का उल्लेख किया था और मेरा ख्याल है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण संकुचित है। देश की विभिन्न जातियों के बीच मतभेद नहीं होने चाहिये।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** हमारे पास समय बहुत थोड़ा है और इसलिये मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता। जहां तक इस प्रादेशिक सूत्र का सम्बन्ध है, पंजाब के प्रत्येक माननीय सदस्य ने इसका समर्थन किया है। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है मैं पंजाब के सदस्यों को देश के अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक अच्छे प्रतिनिधि समझता हूं। मेरा ख्याल है कि मेरा यह अनुमान ठीक है कि वे कम से कम पंजाब के बहुमत को प्रतिबिम्बित करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मुझे खेद है कि मैं अन्य भागों से जो आलोचनाएं की गई हैं उन्हें अनुचित महत्व देने के लिये तैयार नहीं हूँ।

श्री चटर्जी ने एक बार यह कहा था कि वे, पंजाब में उपराज्य पसंद करते हैं। मुझे....

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** यह सही नहीं है। माननीय गृह मंत्री ने संयुक्त समिति में यह बात कही थी तब मैंने इसका प्रतिवाद किया था।

†**पंडित गो० ब० पंत :** तो आपने कहा क्या था ?

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** मैंने जो कुछ कहा था वह मुझे अच्छी तरह याद है।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** इसीलिये मैं यह कह रहा हूं कि यदि मुझे याद नहीं है तो आप ही यह बताइये कि आपने क्या कहा था ? मेरा ख्याल है कि यह बात मुझे अधिक अच्छी तरह याद है। कभी कभी कर्जदारों की स्मरणशक्ति साहूकारों से अधिक अच्छी होती है और श्रोताओं की स्मरणशक्ति वक्ता से अधिक अच्छी होती है और यह बात यहां भी लागू होती है।

यदि शांति और व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता तो वे पंजाब को बांटने और पंजाब पर जिन विषयों का दायित्व होता उन्हें प्रत्येक भाग को सौंप देने के लिये तैयार थे। उस समय संभवतः वे उदार थे या अब सम्भवतः वे ऐसी बातों से प्रभावित हुए हैं जो हमारी और उनकी बातचीत के समय मौजूद नहीं थीं। किन्तु उन्हें अपना मत परिवर्तन करने का अधिकार है। यदि मैं अपना मत नहीं बदलता हूं तो वे मुझे सहिष्णु न होने के लिये दोष न दें। मेरा ख्याल यह है कि प्रादेशिक सूत्र पंजाब के लिये सर्वोत्तम व्यवस्था है और हो सकती है। इस सूत्र से पंजाब की एकता और अखण्डता सुरक्षित है। इससे किसी भी क्षेत्र में विद्यमान निराशा दूर हो जायेगी। इससे प्रत्येक व्यक्ति पूरे दिल से रचनात्मक कार्य में लग जायेगा। इन परिस्थितियों में इससे पंजाब में प्रगति का एक नया युग आरम्भ हो जायेगा।

मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि जब यह सूत्र पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो बहुत सी मनघड़ंत, काल्पनिक और हवाई बातें की गई थीं। जिन लोगों ने इसका विरोध किया वे अधिकतर उस विचारधारा के लोग थे जिनका श्री चटर्जी और श्री त्रिवेदी प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे यह अपना मत बनाने के लिये बहुत वर्षों तक जीवित रहना पड़ेगा—मैं नहीं जानता कि मैं इतने दिनों तक जीवित रह भी सकूंगा या नहीं—कि वे लोग जवाहरलाल जी या दूसरे लोगों से जो न केवल इस क्षेत्र में, अपितु बाहर भी आदर्श प्रजातन्त्रवादियों के नाते विख्यात हैं, अधिक राष्ट्रवादी और प्रजातन्त्रवादी हैं, वह जानते हैं कि उन संगठनों ने जिनसे उनका सम्बन्ध है और जिन से श्री त्रिवेदी का सम्बन्ध है, इस देश के अधिकतर जनता को और कम से कम उन सभी को जो हिन्दू नहीं है यह बता दिया है कि वे दूसरे हितों के विरोधी हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** यह सर्वथा गलत है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** यह आपके प्रचार के कारण है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** यदि हमारा प्रचार सफल होता है तो आपकी कार्यवाहियां उनका समर्थन करती हैं । अन्यथा, कोई भी प्रचार स्वयमेव लोगों को बहका नहीं सकता ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** प्रश्न ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** यदि प्रश्नों से दुनिया बदल जाया करती तो सब लोग प्रश्न पूछा करते और उनके कोई उत्तर न दिया जाया करते । परन्तु ऐसी बात नहीं हुई है ।

जहां तक इस सूत्र का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि कुछ व्यक्तियों के द्वेषपूर्ण व्यवहार के कारण इस सूत्र का उस प्रकार सम्मान नहीं किया गया है जितना हमें आशा थी । इसमें क्या है ? यह प्रत्येक प्रदेश को विकास करने का अवसर देना है; इसके अधिक कुछ नहीं है और यह कार्य भी समूचे विधान मण्डल का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव कुछ समय पहले भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में कह रहे थे । कुछ मिनट पहले ही उन्होंने पंजाबी और हिन्दी भाषाओं के बारे में कहा था । मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि वह यह समझते हैं कि वह पंजाब के अल्पसंख्यक भाषा वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं । यदि वह ऐसा मानते हैं तो आश्चर्य की बात है । यदि नहीं तो इसका यह तात्पर्य है कि बहुसंख्यक भाषा वर्ग इस प्रकार बंटा हुआ है कि धर्म या जाति के आधार पर नहीं, परन्तु एक ही भाषा के सम्बन्ध रखने वाले एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही धर्म को मानने वाले ऐसे व्यक्तियों के आधार पर, जो दूसरों के परिश्रम या अपने परिश्रम के लाभ या फल का आपस में बराबर हिस्सा नहीं बंटा सकते, परित्राण की आवश्यकता है । पिछले चार या पांच महीनों में इस सभा में जो कुछ हुआ है उससे यह कहीं अधिक दुख का विषय है ।

हमने राज्यों के बीच शत्रुता की बातें सुनी हैं और समुदायों में मतभेद की बातें सुनी हैं । परन्तु यहाँ हमने एक ही धर्म , एक ही राज्य, से सम्बन्ध रखने वाले और एक ही भाषा बोलने वाले लोगों में एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास देखा है कि वे विधान मंडल में और सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि हम किधर जा रहे हैं । क्या प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों की अस्वीकृति और अनादर की कोई सीमा है ? जो कुछ कहा गया है वह किसी भी व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर सकता है ।

मैं मानता हूं श्री ठाकुरदास उत्तेजित है । पंजाब में उनके भाग ने जो बहुत कम प्रगति की है, उससे उन्हें चोट पहुंची है । हमें अपनी कमर कस लेनी चाहिये और कार्य करने के लिये तैयार हो जाना चाहिये और इस दृढ़ निश्चय के साथ प्रयत्न करना चाहिये कि हम कमी को पूरा करेंग और हमें यह दिखाना चाहिये कि हमारे अन्दर वह सामर्थ्य है कि हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि यदि हम निश्चय करें तो अपने पड़ोसियों को भी मात दे सकते हैं । मैं यह बात स्वीकार कर सकता हूं । परन्तु राज्यों के विधान मण्डलों में गुरुभार की मांग करना एक ऐसी चीज है जो वास्तव में इस युग की भावना के विरुद्ध है । हम राज्यों की भावना को छोड़ कर समूचे भारत के बारे में सोचते हैं । सार्वजनिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले हम सभी का कर्तव्य है कि हम देखें कि एक ही राज्य के विभिन्न भागों में कोई अन्तर न हो और पिछड़े क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों के बराबर स्तर पर लगाया जाय । यह प्रत्येक का कर्तव्य है । परन्तु हमें इस कारण नीचे नहीं गिरना चाहिये क्योंकि उस अवस्था में हम दूसरों को भी नीचे गिरान लगेंगे और हम अपना सिर ऊंचा नहीं उठा सकेंगे । इस प्रकार हम सबके सामने जो उद्देश्य है, हम उसे पूरा नहीं कर

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[पंडित गो० ब० पन्त]

सकेंगे । मैं इस प्रादेशिक सूत्र को उत्तम और लाभदायक समझता हूं । यह केवल राजनीतिक कारणों से ही स्वीकार्य नहीं, अपितु मैत्री, सद्भावना, और सहचार्य, पड़ौसीय तथा मित्रता की भावना से इसका मूल्य आंका जा सकता है । इसी के लिये तो हमें प्रयत्न करना है । इसी आधार पर तो प्रजातन्त्र स्थिर है । इसलिये अब तक जो कुछ हो चुका है हमे उसे भुला देना चाहिये । हमें वर्तमान समय के बड़े कार्यों में अपना मन लगाना चाहिये । पंचवर्षीय योजना में हमारी सब शक्तियां लगनी चाहिये । हमें एक मिनट या तनिक भी शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिये । हमें अपने आपको उठाना चाहिये और दूसरों को उठाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

मैं समझता हूं पंजाबी और हिन्दी एक दूसरे के इतनी अधिक समीप हैं कि यदि दोनों ओर वैमनस्य न होता तो संतोषजनक हल होने में कोई कठिनाई नहीं थी । वैसे तो यह एक बहुत साधारण सा प्रश्न है किन्तु जब आप बीच में एक ऐसा परदा खेंच देते हैं जिसमें से होकर प्रकाश न जा सके, तो समस्या कठिन हो जाती है और हल नहीं हो पाती है । मैं अब भी पंजाब के हिन्दुओं और सिखों से इसको हल करने की प्रार्थना करता हूं । मुझे स्मरण है कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने प्रादेशिक सूत्र के प्रकाशित होने के तुरन्त पश्चात सब पंजाबियों से अपील की थी कि उनको एकत्रित होकर अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिये । यह कोई गर्व की बात नहीं है कि हिन्दू और सिख अपने झगड़ों को आपस में मिल कर हल न कर सकें । वह ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इससे किसी को श्रेय नहीं मिला है । पंजाब के मामलों में बाहर वालों को बारबार हस्तक्षेप करना पड़े यह बात पंजाबियों के लिये श्रेयस्कर नहीं है । उन्हें अपने झगड़ों को स्वयं हल करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि कोई भी उनके मामलों और निर्णयों में हस्तक्षेप करने का साहस न करे । मैं चाहता हूं कि पंजाबी अपने पैरों पर खड़े हों और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करें ।

हमने एक सूत्र बनाया है और जिन्होंने उसे बनाने में सहायता की है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । अब हमें इस सूत्र को प्रयोग में लाना चाहिये । हमें देखना चाहिये कि यह कैसे चलता है । मुझे विश्वास है कि यदि कुछ गलत फहमियां या सन्देह कुछ लोगों में हो, तो वे इस सूत्र के प्रयोग में लाये जाने के उपरांतपूर्णरूपेण समाप्त हो जायेंगे । यह बड़े दुख की बात है कि पंजाब में पृथकत्व की इतनी तीव्र भावना है ।

श्री चटर्जी ने शिकायत की है कि हमने हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग रखा है । क्या वह किसी भी प्रदेश को पंजाब में शामिल होने के लिये उत्सुक बना सकते हैं जब कि स्वयं पंजाब वाले इस प्रकार की असहिष्णुता की भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं? वे एक घर में भाइयों की तरह नहीं रह सकता । वे कहते हैं कि वे जुदा हो जायंगे । पण्डित ठाकुरदास भागर्व के आज के भाषण के शब्द ये थे : "यदि आप हमारी आवश्यकताओं, हमारी मांगों, हमारी भावनाओं, हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, तो हम पंजाब को छोड़ देंगे अथवा पंजाब से अलग हो जायंगे ।" क्या इस प्रकार आप हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला सकते हैं? क्या पंजाब की, जो कि एक सामरिक महत्व का प्रदेश है, सीमा बढ़ाने का यही उपाय है ?

मुझे खेद है कि मैंने अधिक समय ले लिया है । यह सूत्र मुझे बहुत ही प्रिय है इसलिये जब भी मैं इस पर बोलता हूं तो अपने आपको भूल जाता हूं । मैं पंजाब के अपने साथियों से यही प्रार्थना करूंगा कि वे पुराने झगड़ों को भूल जायं । अब हमें संगठित होना चाहिये और ऐसी भावना उत्पन्न करनी चाहिये जो न केवल पंजाब के लिये अपितु समूचे देश के लिये लाभदायक हो ।

पंजाब हमारे देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है । हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये पंजाबियों पर पूरा भरोसा है । यह बात केवल पंजाब के लिये ही नहीं, बल्कि समूचे देश के हित में हैं कि पंजाब शक्तिशाली हो, संगठित हो, और सारे पंजाबी सहनशील हों तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें कौर पंजाब की उन्नति के लिये प्रयत्नशील हों और इस प्रकार समूचे भारत की सुरक्षा के लिये कार्य करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ११ में

(१) पंक्ति १७ में शब्द "Maharashtra" ["महाराष्ट्र"] के स्थान पर शब्द "Bombay" ["बम्बई"] रखा जाय ।

(२) पंक्ति १९ और २० के स्थान पर यह रखा जाय :

(a) "the establishment of separate development boards for Vidarbha, Marathwada, the rest of Maharashtra, Saurashtra, Kutch and the rest of Gujarat."

["(क) विदर्भ, मराठवाड़ा, शेष महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तथा शेष गुजरात के लिये पृथक विकास बोर्डों की स्थापना :"]

(३) पंक्ति २५ में शब्द "three divisions" ["तीन डिवीजनों"] के स्थान पर शब्द "the said areas" ["उक्त क्षेत्रों"] रखे जायं; और

(४) पंक्ति ३० तथा ३१ में शब्द "the three divisions" ["तीनों डिवीजनों"] के स्थान पर शब्द "the said areas" ["उक्त क्षेत्रों"] रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपना संशोधन संख्या २०३ वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५५, ११४, ११५, ११६, २४, २६, ३७, ८२, ८३, १२१, १२२, ८६, ८७, ८८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : और कोई संशोधन नहीं है, खंड २२ क पर पंडित ठाकुर दास भार्गव आग्रह नहीं कर रहे हैं ।

यह खंड समूह समाप्त हुआ । अब हम दूसरे खंडों और अनुसूची वाले अंतिम समूह को लेंगे ।

खंड २३, २४, २६ से २९

अनुसूची और खंड १

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड २३—१३२ (सरकारी) १७९ खंड २४—२०४, २०५, १३३ (सरकारी) ४२ ।

अनुसूची—७९, १३४ (सरकार) १३५ (सरकार) १९४ (सरकार) ८०, १३६ (सरकार), १८५ (सरकार) ।

दूसरी अनुसूची (नयी)—५६, ८१ १२३, १२४ ।

खंड १—२१२ (सरकार), १२५ (सरकार) ६२, ३८ ।

सदस्यों की यह इच्छा है कि यदि यह संशोधन अन्यथा ग्राह्य हों तो इन्हें प्रस्तुत किया गया मान लिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २३—(नये अनुच्छेद ३७२ क का रखा जाना)

†**पंडित गो० ब० पन्त :** में प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ११, पंक्ति ४० में—

शब्द "October" ["अक्तूबर"] के स्थान पर शब्द "November" ["नवम्बर"] रखा जाय।

†**श्री कामत :** मैं अपना संशोधन संख्या ७९ प्रस्तुत करता हूं।

खंड २४—(नवीन खंड ३७८क का रखा जाना)

†**श्री च० रा० नरसिंहन् :** श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) कि पृष्ठ १२ पंक्ति १४ से १६ में "existing at the date of Commencement of the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1956" ["संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम १९५६ के प्रारंभ होने की तिथि को वर्तमान"] के स्थान पर "as Constitution under the provisions of Sections 28 and 29 of the States Reorganization Act, 1956" ["राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ की धाराओं २८ और २९ के उपबन्धों के अन्तर्गत गठित किये गये रूप में"] रखा जाय।

(२) पृष्ठ १२ पंक्ति १७—

"five years and six months from that date" ["उस तिथि से साढ़े पांच वर्ष"] के स्थान पर शब्द "five years from the date referred to in the said Section 29" ["कथित धारा २९ में उल्लखित तिथि से पांच वर्ष"] रखा जाय।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ १२, पंक्ति १७ में—कि शब्द "six months" ["६ मास"] के स्थान पर शब्द "five months" ["पांच मास"] रखे जाये।

इसके पश्चात श्री च० रा० नरसिंहन् ने संशोधन संख्या ४२ प्रस्तुत किया।

अनुसूची

श्री आनन्द चन्द ने संशोधन संख्या ७९ प्रस्तुत किया।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) कि पृष्ठ १४, पंक्ति १९ के बाद

"under any State specified in the first A schedule or any local or other authority within its territory, any requirement as to residence within that State"

["प्रथम अनुसूची उल्लिखित किसी भी राज्य या उसके राज्य क्षेत्र के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार, के अन्तर्गत उस राज्य में निवास संबंधी कोई आवश्यकता"] और के स्थान पर

---

†मूल अंग्रेज़ी में

"under the Government of, or any local or other authority within a State or union territory, any requirement as to residence within that State or Union territory".

["एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, या उसके कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अन्तर्गत उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी कोई आवश्यकता"] शब्द रखे जायें।

(२) पृष्ठ १५ में—

पंक्ति १ के पश्चात् यह रखा जाय।

'अनुच्छेद २१७—खंड (२) के उप-खंड (ख) में से शब्द

"in any State specified in the 1st schedule"

["प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी भी राज्य में"] हटा दिये जायें।'

†**श्री दातार** : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ १६ में पंक्ति ११ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये :

'अनुच्छेद ३०४—खंड (क) में "other States" ["अन्य राज्यों"] शब्दों के पश्चात् "or the union territory" ["या संघ राज्य क्षेत्रों"] शब्द जोड़ दिये जायें।

†**श्री आनन्द चन्द** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १६ में पंक्ति ३० के पश्चात् में यह रखा जाये।

'अनुच्छेद ३३०—खंड (२) शब्द "State" ["राज्य"] जहां जहां भी आता है उसके पश्चात् शब्द "or union territory" ["या संघ राज्य क्षेत्र"] रखे जायें।'

†**पंडित गो० ब० पंत** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ १७, पंक्ति १४ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये :

अनुच्छेद ३६२ मे से शब्द "Clause(1) of" ["खंड (१) का"] हटा दिये जायें।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पंक्ति २ में पृष्ठ १८— "part VIII" ["भाग ८"] के स्थान पर शब्द "article 240" ["अनुच्छेद २४०"] रखे जायें ; और

(२) पंक्ति ३ में "Union territory" ["संघ राज्य क्षेत्र"] शब्दों के स्थान पर शब्द "Union territory specified in that article" ["उस अनुच्छेद में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्र"] रखे जायें।

दूसरी नयी अनुसूची

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संशोधन संख्या ५६ और ८१ श्री बहादुर सिंह (फारोज़पुर-लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां) ने संशोधन संख्या १२३ और १२४ प्रस्तुत किये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खण्ड १

(संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ)

†**श्री दातार :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति ३ में, शब्द

"Ninth" ["नवें"] के स्थान पर शब्द "Seventh" ["सातवें"] रखा जाये ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति ५ में, शब्द

"October" ["अक्टूबर"] के स्थान पर, शब्द "November" ["नवम्बर"] रखा जाये ।

श्री च० रा० नरसिंहन् ने संशोधन संख्या ३८ प्रस्तुत किया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ये संशोधन सभा के समक्ष हैं । अब इन पर चर्चा की जा सकती है ।

†**श्री आनन्द चन्द :** अनुच्छेद ३३० में कुछ त्रुटि रह गई है, उसमें संघ राज्य क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये । इसीलिये मैंने संशोधन संख्या ८० रखा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री शायद इसे स्वीकार कर रहे हैं ।

†**श्री दातार :** जी, हां ।

†**श्री च० रा० नरसिंहन् :** सरकार शायद मेरे संशोधनों संख्या २०४ और २०५ को स्वीकार कर रही है । संविधान संशोधन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद ही प्रवृत्त होगा, और आवश्यक रुप से उसके उपबन्ध ही लागू रहेंगे । वर्तमान प्रारुप के अनुसार, संविधान संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद, हैदराबाद का वर्तमान विधान मंडल बिना किसी चुनाव के साढ़े पांच वर्ष तक जारी रह सकता है । उस दशा में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ३१ की यह उपबन्ध कि हैदराबाद के सदस्यों का चुनाव हो, शक्ति परास्तात हो जायेगा इसलिये सावधानी के विचार से ही परादिक का सुझाव दिया गया है ।

†**श्री दातार :** जहां तक श्री श्रीनारायण दास के संशोधन संख्या १४९ का संबंध है, सरकार उसे इस रुपभेद के साथ स्वीकार कर रही है :

'अनुच्छेद १४३—खंड (२) में—

(क) "clause (1) of" ["का खंड (१)"] शब्द हटा दिये जायें ; और

(ख) "said clause" ["कथित खंड"] शब्दों के स्थान पर, "said proviso" ["कथित परादिक"] शब्द रखे जायें ।'

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री श्रीनारायण दास अपना संशोधन प्रस्तुत करें ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४ पंक्ति ३३ के पश्चात् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'अनुच्छेद १४३—खंड (२) में ये रखा जाये :

(क) "Clause (i) of" ["का खंड (१)"] शब्द हटा दिये जायें ; और

(ख) दूसरी बार आने वाले शब्द "clause" ["खंड"] के स्थान पर शब्द "proviso" ["परादिक"] रखा जाये।'

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १६ में, पंक्ति ३० के पश्चात् ये रखा जाये :

'अनुच्छेद ३३०—खंड (२) में,—

शब्द "State" ["राज्य"] जहां जहां भी आता है उसके पश्चात् शब्द " or union territory " ["या संघ राज्य-क्षेत्र"] रखे जायें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री दातार** : खंड २४ के संबंध में दो संशोधन संख्या २०४ और २०५ प्रस्तुत किये गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री च० रा० नरसिंहन् के इन संशोधनों की भाषा से तो लगता है कि १९५७ में तलंगाना में भी चुनाव नहीं होंगे। क्या यह सही है ?

†**डा० रामा राव** : (काकिनाडा) : स्पष्ट ही है कि तैलंगाना में ही नहीं, समूचे आन्ध्र प्रदेश में भी चुनाव नहीं होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : पांच वर्षों तक चुनाव नहीं होंगे ?

†**श्री दातार** : राज्य पुनर्गठन अधिनियम में आवश्यक व्यवस्था की गई है।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : मेरे संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संविधान के विरुद्ध सुरक्षा दी गई है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : उसमें तो केवल यही कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद राज्य अपने वर्तमान रुप में साढ़े पांच वर्षों तक जारी रहेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : आन्ध्र प्रदेश का निर्माण होने पर, तलंगाना के सदस्य स्वतः ही आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य बन जायेंगे, और अगले पांच वर्षों तक सदस्य बने रहेंगे।

†**श्री दातार** : इसीलिये तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धाराओं २८ और २९ का निर्देश किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री इससे संतुष्ट है, तो मैं भी संतुष्ट हूं।

श्री क० कु० बसु : राज्य पुनर्गठन अधिनियम में जो भी हो, आन्ध्र प्रदेश के चुनाव तो अनुच्छेद ३७८ क के उपबन्ध के अनुसार ही होंगे। १ नवम्बर को आन्ध्र प्रदेश का निर्माण होगा, और २ नवम्बर को आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा में तैलंगाना के सदस्य भी सम्मिलित हो जायेंगे। इसलिये, "आन्ध्र प्रदेश" के लिये केवल "आन्ध्र" शब्द रखने से गड़बड़ी तो होगी ही।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : मेर संशोधन के स्वीकृत होने के बाद, यह गड़बड़ी नहीं होगी

---

†मूल अंग्रज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, श्री नरसिंहन् के संशोधन के बाद यह गड़बड़ी नहीं होगी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धाराओं २८ और २९ के उपबन्धों के अनुसार, तैलंगाना के सदस्य आन्ध्र प्रदेश के सदस्य बन जायेंगे, और बाद में उनका चुनाव भी होगा।

†**श्री दातार** : चुनाव तो तैलंगाना के न होने पर भी होगा। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तगत आता है। और उसके बाद, उसकी अवधि निर्धारित की गई है, और वह अवधि किसी नियत तिथि से नहीं, बल्कि चुनाव हो चुकने के बाद की तिथि से निर्धारित की गई है। इसलिये, दोनों को साथ रख कर ही पढ़ा जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खंड २४ के दोनों संशोधनों (२०४ और २०५) को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १२, पंक्तियों १४ से १६ में,

"existing at the date of commencement of the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1956"

["संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ के प्रारंभ होने की तिथि को वर्तमान"] शब्दों के स्थान पर, " as constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956 ".

["राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धाराओं २८ और २९ के उपबन्धों के अन्त र्गत गठित किये गये रुप में"] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १२, पंक्ति १७ में,

"five years and six months from that date" [" उस तिथि से साढ़े पांच वर्ष"] शब्दों के स्थान पर शब्द " five years from the date referred to in the said section 29 " ["कथित धारा २९ में उल्लिखित तिथि से पाच वर्ष"] रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या २०५ के स्वीकृत होने के बाद, संशोधन संख्या १३३ को मतदान के लिये रखना आवश्यक नहीं है। अब मैं खंड २३ से संबंधित संशोधन संख्या १३२ को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११, पंक्ति ४० में, शब्द

"October" ["अक्टूबर"] के स्थान पर, शब्द "November" ["नवम्बर"] रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं अनुसूची के संबंधित सरकारी संशोधनों को लेता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४ में,

पंक्ति १९ के पश्चात् ये रखा जाये :

अनुच्छेद १६—खंड (३) में—

"under any State specified in the First Schedule or any local or other authority within its territory, any requirement as to residence within that State".

["प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी भी राज्य या उसके राज्य क्षेत्र के किसी स्थानीय या प्राधिकार के अन्तर्गत, उस राज्य में निवास संबंधी कोई आवश्यकता"] शब्दों के स्थान पर,

"under the Government of, or any local or other authority within, a State or Union territory, any requirement as to residence within that State or Union territory".

["एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, या उसके कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अन्तर्गत, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी कोई आवश्यकता"] शब्द रखे जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १५ में, पंक्ति १ के पश्चात् ये जोड़ दिया जाये :

'अनुच्छेद २१७—खण्ड (२) के उपखण्ड (ख) में से " in any State specified in the First Schedule " ["प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी भी राज्य में"] शब्द हटा दिये जायें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १७ में, पंक्ति १३ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये :

'अनुच्छेद ३६२ में से शब्द " Clause (1) of " ["खण्ड (१) का"] हटा दिये जायें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला संशोधन संख्या १५९ श्री श्रीनारायण दास का है। माननीय मंत्री उसमें क्या संशोधन करना चाहते हैं?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री दातार** : उसमें थोड़ा सा यह परिवर्तन कर दिया जाए ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

श्री श्रीनारायण दास के संशोधन संख्या १५९ में, भाग (ख) के स्थान पर यह रखा जाये—,

'(b) "said clause" [(ख) "उक्त खंड"] के स्थान पर, "said proviso" ["उक्त परादिक"] रखा जाये।'

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे सभा के समक्ष मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

कि श्री श्रीनारायण दास के संशोधन में

'(b) "said clause" [(ख) "उक्त खंड"] के स्थान पर, "said proviso" ["उक्त परादिक"] रखा जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १६ में,

पंक्ति ११ के पश्चात् ये जोड़ दिया जाये :

'अनुच्छेद ३०४—खंड (क) में,—

"other States" ["अन्य राज्यों"] शब्दों के पश्चात्, "or the Union territories" ["या संघ राज्य क्षेत्र"] शब्द जोड़ दिये जाय ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १८ में,

(१) पंक्ति २ में,

"Part VIII" ["भाग ८"] के स्थान पर, "article 240" ["अनुच्छेद २४०"] रखा जाये, और

(२) पंक्ति ३ में,

"Union territory" ["संघ राज्य क्षेत्र"] शब्दों के स्थान पर, शब्द "Union territory specified in that article" ["उस अनुच्छेद में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्र"] रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री श्रीनारायण दास के संशोधन को, श्री दातार द्वारा संशोधित रूप में, मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४ में,

---

†मूल अंग्रेजी में

पंक्ति ३३ के पश्चात् ये जोड़ दिया जाये :

'अनुच्छेद १४३,--खंड (२) में,--

(क) "clause (1) of" ["खंड (१) का"] शब्द हटा दिये जायें ; और

(ख) शब्द "said clause" ["कथित खंड"] के स्थान पर, शब्द "said proviso" ["कथित परादिक"] रखा जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य खंडों को मतदान के लिये अलग-अलग रखा जाये, या समूह में ?

†**श्री कामत** : एक औचित्य प्रश्न है। संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित करने में प्रक्रिया नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये। नियम १२६ को नियम १६७ क साथ रख कर देखिये। नियम १२६(२) में कह गया है कि "अध्यक्ष यदि वह ठीक समझें, तो ऐस खंडों के समूह को एक प्रश्न के रूप में रख सकेगा जिन पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गये हों।" लेकिन, नियम १६७ में जिसे आपने हाल ही में संशोधित किया है, कहा गया है कि आप बिना संशोधन वाले खंडों को एक साथ रख सकते हैं। इस लिये आप उन खंडों को मतदान के लिये एक साथ प्रस्तुत नहीं कर सकते जिन में कुछ संशोधन किये गये है। यह नियम विरूद्ध होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम १२६ सामान्यतया विधेयकों और संशोधनों के संबंध में है। लेकिन संविधान में संशोधनों करनें वाले विधेयकों के संबंध में एक अध्याय विशेष–अध्याय १२–है। उसमें नियम १६७ में एक विशेष व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष सभा की सहमति से कई खंडों और अनुसूचियों को एक साथ मतदान के लिये रख सकता है। विशेष व्यवस्था सदा ही सामान्य व्यवस्था को रद्द कर देती है।

†**श्री कामत**: नियम १६७ के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के प्रथम भाग और उसके परादिक की शब्दावली में अन्तर है।

परादिक में खण्डों और अनुसूचियों का ही उल्लेख है, खण्डों और अनुसूचियों के संशोधित रूपका नहीं। संशोधित खण्डों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होती। प्रथम भाग में तो संशोधित खण्डों और अनुसूचियों का उल्लेख है, लेकिन परन्तुक में नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसके संबंध में संदेह हो सकता है । लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि निर्णयानुगमन भी एक चीज होती है। हम एक नियम विशेष को एक विशेष रीति से जैसी व्याख्या करते रहे हैं, वही जारी रहेगी। पहले भी हम ऐसी परिस्थितियों में खण्डों को एक साथ रखते रहे हैं, और अब भी वही किया जाये ।

अब मैं शेष खण्डों को सभा के पटल पर मतदान के लिये रखता हूं ।

†**श्री कामत** : खण्डो और अनुसूची को एक साथ नहीं रखा जा सकता है । नियम में दिया गया है "खण्डों या अनुसूचियों"।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस संदर्भ में उस नियम मे "या" का अर्थ "और" है ।

†**श्री कामत** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नियम समिति की अगली बैठक में नियमों को संशोधित कर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न को प्रस्तुत करनें से पूर्व मैं उन संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा जिनका निबटारा नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७९, ४२, ७९, ८१, १२३, १२४ और ५८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड १७ संशोधित रूप में, खंड १८, खंड १९ संशोधित रूप में, खंड २०, खंड २१, २२ और २३ संशोधित रूप में खंड २६, २७, २८ और २९ और अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें ।* लोक सभा में मत विभाजन हुआ पक्ष में ३२४; विपक्ष में कोई नहीं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्यों के बहुमत से तथा सभा में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ।

खंड १७, संशोधित रूप में, खंड १८, खंड १९, संशोधित रूप में, खंड २० खंड २१, २२, और २३, संशोधित रूप में, खंड २६, २७, २८ और २९ और अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि खंड २४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में ३११; और विपक्ष में १६

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा सभा में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ।

खंड २४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

†**अध्यक्ष महोदय**: खंड १

प्रश्न यह है कि :

खंड १ पृष्ट १, पंक्ति ५ में शब्द "October" ["अक्तूबर"] के स्थान पर शब्द "November" ["नवम्बर"] रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

पृष्ट १, पंक्ति ३ में शब्द" Ninth " ["नवां"] के स्थान पर शब्द "Seventh" ["सातवां"] रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*मत विभाजन का परिणाम प्रथक प्रथक रूप से खंड १७ संशोधित रूप में खंड १८ खंड १९ संशोधित रुप में, खंड २०,२१,२२, और २३, संशोधित रूप में खंड २६, २७, २८ और २९ और अनूसूची, संशोधित रूप में, पर लागू होता है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड १, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"]

अब इस स्तर पर मैं विधेयक के गुण अवगुणों के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। किन्तु मुझे इस विधेयक के लिये गृह-मंत्रालय के सचिवालय तथा कर्मचारियों से जो सहायता मिली है मैं उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट किये बिना नहीं रह सकता हू। विशेष रूप से श्री हरि शर्मा जी का जो कि आदि से अन्त तक राज्य पुनर्गठन आयोग से सम्बद्ध रहे हैं, सहायता के बिना मैं इस विधेयक को इस सभा में नहीं प्रस्तुत कर सकता था और नहीं इस सभा को उसे स्वीकार करने के लिये तैयार कर सकता था। इस संबंध में मैं श्री सुन्दरम् जी का भी कृत्तज्ञ हूं।

†**श्री क० कु० बसु** : श्रीमान् जब हम किसी बाह्य कर्मचारी की आलोचना अथवा निन्दा नहीं कर सकते हैं तो हम उसकी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अच्छे कार्यों की प्रशंसा कर सकता है।

†**श्री क० कु० बसु** : तब इस सिद्धस्त का दूसरी दिशाओं में भी पालन किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री कामत** : अध्यक्ष महोदय मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हम इस कठोर यात्रा के पश्चात् इस मंजिल तक पहुंच गये हैं। किन्तु मुझे साथ ही इस बात का बड़ा खेद भी है कि जहां एक ओर हमने सरकार के साथ इतना सहयोग किया है उसने विरोधी दल द्वारा रखे गये एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया है। मैंने अंदमान और निकोबार द्वीपों के नाम को बदल कर उनका नाम सुभाष तथा जवाहर द्वीप रखने के लिये कहा था। किन्तु उसको भी कांग्रेस वालों ने ठुकरा दिया है। खैर, अब मैं यह बात उन्हीं के सद्विवेक पर छोड़ता हूं।

दूसरी बात जो हम लोगों ने कही थी वह यह थी कि हमारे देश की न्यायपालिका सब प्रकार के प्रलोभनों से दूर रखी जानी चाहिये। इसके लिये हमने यह संशोधन रखा था कि किसी भी उच्चन्यायालय के न्यायाधीश को सेवा से निवृत्ति के पश्चात् कार्यपालिका की किसी भी सेवा तथा राज्यपाल अथवा राजदूत आदि के पद पर न लगाया जाये। ऐसा करने से न्यायाधीश बिना किसी प्रलोभन के अपना कार्य अधिक सचाई एवं निष्ठा से कर सकेंगे। किन्तु सरकार ने इस बात को मानने से भी इन्कार कर दिया है।

इसके पश्चात आज इस वाद-विवाद की समाप्ति के समीप आकर विधि-कार्य मंत्री ने इस विधेयक में एक नई बात कर दी है। उन्होंने संविधान के संशोधन के लिये इसमें एक और अस्पष्ट सा उपबन्ध जोड़ने के लिये कहा हैं। उन्होंने यह कहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भ और मराठवाडा के लिये पृथक्-पृथक् विकास बोर्ड बनाये जायें। किन्तु संविधान में इन क्षेत्रों की कहीं भी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कामत]

परिभाषा नहीं की गई है। सरकार को संविधान में ऐसी अस्पष्ट बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिये। जब तक इन क्षेत्रों की परिभाषा नहीं हो जाती है, और आपको शीघ्र ही इसकी परिभाषा करनी भी पड़ेगी ही तब आप मेरे इस कथन का महत्व समझेंगे तब तक श्री पाटस्कर के संशोधन संख्या २११ में रखे गये 'शेष गुजरात' और 'शेष महाराष्ट्र' क्षेत्र भी निरर्थक रहेंगे।

अन्त में मैं आपसे एक और अपील करूंगा। हमें अपने बनाये नियमों का पालन करना चाहिये और यदि वे कहीं पर हमारी प्रक्रिया में रुकावट डालने वाले सिद्ध हों तो हमें उनका नियम समिति में ही संशोधन करना चाहिये।

†**श्री पाटस्कर** : मैं समझता हूं मेरे संशोधन के शब्दों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर यह आवश्यक नहीं कि हम संविधान के प्रत्येक शब्द की परिभाषा ही करें। ऐसा करने पर संविधान एक पहाड़ सा बन जायेगा। हां, अगर माननीय सदस्य उनको न समझ सकें तो मैं मजबूर हूं।

†**श्री कामत** : मैं केवल यही कहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय मेरे भावों की तह तक नहीं पहुंच पाये हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब स्पीकर साहब, (अध्यक्ष महोदय) मुझे अभी मालम हुआ है कि होम मिनिस्टर (गृहमंत्री) साहब ने अपनी तकरीर में यह ख्याल फरमाया (बताया) कि मैंने यह अर्ज किया है कि अगर मेरी अमेंडमेंट (संशोधन) नहीं मानी गई, तो मैं पंजाब छोड़ दूंगा। मेरी गुजारिश (निवेदन) यह है कि मैंने ऐसा नहीं कहा है और न ही मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आ सकता है। इसलिए यह समझ कर कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, होम मिनिस्टर साहब ने मेरे बारे में जो रिमार्क पास (विचार प्रकट) किये हैं, वे मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं हैं। मेरे दिल में ऐसा ख्याल नहीं आ सकता है। नही मैंने यह बात कही है।

चौ० रणवीर सिंह : मैंने कहा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आपने कहा होगा, लेकिन यह बात मुझसे मन्सूब (अपेक्षित) न की जाय।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर-दक्षिण) : अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल पर वोट लिया जाय।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मैं गृह-मंत्री को बधाई देना अपना प्रथम कर्तव्य समझता हूं। दो तीन दिन पहले मैंने उनसे भाषावार अल्पसंख्यकों के लिये कुछ परित्राणों के सम्बन्ध में बातचीत की थी। आज उनको इस विधेयक में देख कर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं समझता हूं गृहमंत्री केवल इस सभा के ही बधाई के पात्र नहीं हैं प्रत्युत समूचे देश को उन्हें बधाई देनी चाहिये। उन्होंने संयुक्त समिति में जिस अद्वितीय साहस सूक्ष्म परख तथा ज्ञान का परिचय दिया है वह बड़ा ही आश्चर्यजनक था। वह इस विधेयक के प्रत्येक खंड प्रत्युत प्रत्येक वाक्य का इस प्रकार निर्वाचन करते थे कि हमें उनके अर्थों को देख कर दांतों तले उंगली दबानी पड़ जाती थी। उनके अपार धैर्य और पटुता को देखकर विरोधी दलों का विरोध स्वतः ही कम हो जाता था। मैं उनकी सहानुभूति तथा उदारता के लिये उनको एक बार फिर बधाई देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†**श्री क० कु० बसु** : ऐसा कहा जाता है कि हमने एक चिरस्मरणीय विधेयक तैयार किया है। किन्तु देश के पुनर्गठन के इस ऐतिहासिक अवसर पर यदि हम किन्हीं निक्षित सिद्धान्तों का पालन करते तो बड़ा अच्छा रहता। लोग बड़ी देर से भाषावार राज्यों के लिये लालायित थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि हम सर्वत्र उसी आधार का अनुसरण करते तो ठीक रहता। किन्तु बम्बई में हमने कुछ लोगों के आन्दोलनों के कारण एक द्विभाषी राज्य बना दिया है। आज भी गुजरात के लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिर आज ही विधि-कार्य मंत्री ने 'शेष महाराष्ट्र' तथा 'शेष गुजरात' आदि क्षेत्रों में पृथक् विकास बोर्ड बनाने का एक संशोधन रखा है। संवैधानिक दृष्टि से यह बड़ा अस्पष्ट है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके अनुसार आज का बम्बई नगर कहां होगा। इसका कौन सा भाग 'गुजरात का भाग' होगा ?

†**श्री पाटस्कर** : क्या आपको पता है कि बम्बई में एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है ?

†**श्री क० कु० बसु** : मेरे विचार में विकास बोर्ड इम्प्रवट्रस्ट से बड़ी चीज होगी। खैर, कुछ भी हो, मैं आशा करता हूं कि सत्तारूढ़ दल संविधान की भावना के अनुकूल ही हमारे जैसा कोई न कोई संशोधन रखने का शीघ्र ही कोई प्रयत्न करेगा।

अब मैं विधान परिषदों के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। दो राज्यों ने उनके जारी रखने का विरोध किया है। वे हमारे देश के लिये एक व्यर्थ का सिर दर्द है। आज जब कि एक ओर हमें देश की कई परियोजनाओं के लिये धन का अभाव खटक रहा है दूसरी ओर हमने इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी है। मैं समझता हूं गृह-मंत्री अब इस संख्या को और बढ़ाने के लिये कोई संशोधन नहीं रखेंगे।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि क्योंकि अब पुनर्गठन का कार्य समाप्त हो गया है अतः अब सरकार अपने कथनानुसार १९५७ के प्रारम्भ में ही देश में सामान्य निर्वाचन कराने की बात को पूरा करने की कोशिश करेगी। सरकार अपनी निर्धारित सूची पर दृढ़ रहेगी और इन सभी परिवर्तनों के लिये जनता का निर्णय सुनने के लिये तैयार रहेगी।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं सभा के सभी सदस्यों को उनके सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि जो योजना १ नवम्बर से कार्यान्वित की जा रही है उसमें सभी दलों के, सभी जातियों के और सभी भागों के लोग पूर्ण सहयोग देंगे जिससे कि हम देश की उन्नति के लिये एक नये युग में प्रवेश कर सकें तथा हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बना कर जन सामान्य का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ३१२ और विपक्ष में 'कोई नहीं'।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव सभा के कुल सदस्यों की बहुसंख्या से तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अधिक संख्या से पारित हुआ। विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाता है।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १९१७

पुलों के निरीक्षण के सम्बन्ध में रेलों को दिये गये निदेशों के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई।

याचिका की सूचना १९१७

सूचना में बताया कि श्री डाभी द्वारा ६ अप्रैल, १९५६ को पुरःस्थापित बाल सन्यास दीक्षा निरोध विधेयक के सम्बन्ध में ११८ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षिरत एक याचिका प्राप्त हुई है।

समिति के लिये निर्वाचन १९१७

भारतीय कृषि-अनुसंधान परिषद् में डा० अमीण के स्थान पर, जिन्होंने लोक-सभा से त्याग पत्र दे दिया है, लोक-सभा का एक सदस्य चुनने के बारे में कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पुरःस्थापित १९१८

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

विधेयक पारित १९१८–९१

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडवार विचार समाप्त हुआ। विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

शुक्रवार, ७ सितम्बर, के लिये कार्यावलि . . .

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक पर विचार, लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नियमावलियों को तैयार किया जाना) नियमों के रूपभेद के बारे में प्रस्तावों का पारण।

———